लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 51 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य । चार रुपये

विषय-सूची

अंक 25, सोमवार, 27 अगस्त, 1984/5 भाद्र 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1—11
सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र	11—16
राज्य-सभा से संदेश	16—17
लोक लेखा समिति	17
228वां, 229वां तथा 230वां प्रतिवेदन	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	17—18
10वां प्रतिवेदन	
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियंत्रण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में 31 जुलाई, 1984 को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा दी गई कतिपय जानकारी के बारे में वक्तव्य	18
श्री सूरज भान	18
श्री एच. के. एल. भगत	19
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक – पुर:स्थापित	22—23
नियम 377 के अधीन मामले	23
(एक) यवतमाल-मुर्तिजापुर रेल लाइन का स्वामित्व ब्रिटिश सेन्ट्रल प्रोविन्सेज कंपनी से ले लेने की आवश्यकता	23
श्री उत्तम राव पाटिल	
(दो) धुबाल (बिहार) में ग्रेटर महानन्दा तटबंध की मरम्मत सेना को सहायता से तत्काल कराने की आवश्यकता	24
डा० गोलम याजदानी	
(तीन) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को पुनर्गठित करने की आवश्यकता	24
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	
(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा उनकी सेवा-शर्तों पर विचार करने के लिए एक अलग वेतन समिति गठित करने की आवश्यकता	25
श्री प्रताप भानु शर्मा	

विषय		पृष्ठ
(पाँच)	फूलपुर में "इफको" सोडा ऐश फैक्टरी की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता श्री बी. डी. सिंह	25
(छः)	सीमेंट के मूल्य घटाने की आवश्यकता श्री हरीश कुमार गंगवार	26
(सात)	आर. वी. एच. एम. जूट मिल्स, कटिहार, का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता प्रो० अजित कुमार मेहता	26
(आठ)	दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 पर राष्ट्रपति की अनुमति रोके जाने की आवश्यकता श्री भोगेन्द्र झा	27
(नौ)	पश्चिम बंगाल में तेल की खोज करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	28
(दस)	राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को दिये गये ऋणों पर ब्याज के बारे में उन्हें दिए गए वचन को पूरा करने की आवश्यकता श्री बीरबल	
(ग्यारह)	मद्रास हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए बम विस्फोट को देखते हुए भारत में हवाई अड्डों की हिफाजत, सुरक्षा तथा उनका कुशल कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु एक प्राधिकरण गठित की आवश्यकता श्री जेवियर अराकल	29
(बारह)	विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समूचे देश में समान सुविधायें तथा पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता श्री हरिकेश बहादुर	
(तेरह)	मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं को सुधारने तथा देश में आधुनिक दूरसंचार तकनीकी प्रारंभ करने की आवश्यकता श्री सत्यनारायण जटिया	30
(चौदह)	हैवी इंजीनियरिंग का कारपोरेशन, रांची के कर्मकारों की हड़ताल को समाप्त कराने की आवश्यकता श्री समर मुखर्जी	30

विषय		पृष्ठ
(पन्द्रह)	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की हटिया इकाई के कर्मकारों की हड़ताल को समाप्त कराने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता	31
	श्री बसुदेव आचार्य	
(सोलह)	राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता	31
	श्री राजेश पाइलट	
(सत्रह)	केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांगों का शीघ्र निपटारा कराने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता	32
	श्री सैफुद्दीन चौधरी	
(अट्ठारह)	विश्वविद्यालयों के छात्रों में व्याप्त असंतोष	32
	श्री मनीराम बागड़ी	
(उन्नीस)	राज्य सरकारों के कर्मचारियों और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने तथा उन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाने की आवश्यकता	33
	श्री अजय विश्वास	
(बीस)	डिफेंस वैहिक्ल फैक्टरी और ग्रे आयरन फाउन्ड्री का प्रस्तावित स्थानान्तरण	34
	श्री बाबूराव परांजपे	
(इक्कीस)	पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में व्यापक राहत कार्य आरंभ करने की आवश्यकता	
	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	
(बाईस)	दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सेर्विसेज सेन्टर द्वारा प्रतिबंधित तथा पुराने भंडार की दवाईयों की सप्लाई	35
	श्री राम विलास पासवान	
(तेईस)	महाराष्ट्र के संत गाडगे बाबा तथा सन्त कुंवर राम की स्मृति में स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	
(चौबीस)	महाराष्ट्र में मनखुर्द-बेलापुर रेल लाइन का निर्माण कार्य तेज करने के लिए अतिरिक्त धन देने की आवश्यकता	36
	श्रीमती शालिनी वी. पाटिल	

विषय		पृष्ठ
(पच्चीस)	विमानों का अपहरण रोकने हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता	37
	प्रो० सैफुद्दीन सोज	
(छब्बीस)	नई दिल्ली और गोहाटी के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता	
	श्री विष्णु प्रसाद	
(सत्ताईस)	खड़गपुर औा भद्रक के बीच प्रस्तावित शटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता	38
	श्री चिंतामणि जैना	38
(अट्ठाईस)	राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	39
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	
(उन्तीस)	वर-विलाड़ा रेल लाइन का निर्माण कार्य आगामी वर्ष तक पूरा करने की आवश्यकता	39
	श्री मूलचन्द डागा	
(तीस)	1984-85 के दौरान मयूरभंज, उड़ीसा में झारदी में प्रस्तावित फैरोवेनेडियम संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	40
	श्री मनमोहन टुडु	
(इकत्तीस)	रक्तदान हेतु संहिता बनाने तथा रक्त संबंधी नीति बनाने की आवश्यकता	40
	श्री सी० चिन्ना स्वामी	
(बत्तीस)	उत्तर प्रदेश के ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी बिजली घरों में हड़ताल	41
	श्री चन्द्रपाल सैलानी	
(तेंतीस)	बिहार में पारसनाथ पहाड़ो पर एक उच्च शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता	42
	श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	
(चौंतीस)	पूनामाली को रेल लाइन द्वारा अवाड़ों के साथ जोड़ने की आवश्यकता	42
	श्री ईरा अनबारासु	

विषय	पृष्ठ
वक्फ (संशोधन) विधेयक	
विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ कौशल	47
श्री सैयद मसूदल हुसैन	52
श्री गुलशेर अहमद	56
श्री मयूर अली खाँ	63
श्री जैनुल बशर	65
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ	69
श्री जमीलुर्रहमान	75
श्री अब्दुल रशीद काबुली	79
श्री सतीश अग्रवाल	82
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	86
श्री टी० सी० दंडपाणि	86
श्री रामअवतार शास्त्री	89
श्री हरिकेश बहादुर	90
प्रो० अजित कुमार मेहता	92
खंड 2 से 68 और 1	
पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव	98
श्री जगन्नाथ कौशल	
कुटुम्ब न्यायालय विधेयक, 1984	104
विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ कौशल	104
श्रीमती सुशीला गोपालन	106
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	112
श्रीमती प्रमिला दंडवते	115
श्रीमती जयन्ती पटनायक	118
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	121
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	124
श्री कृष्ण कुमार गोयल	126

विषय	पृष्ठ
श्रीमती गीता मुखर्जी	128
श्री हरीश कुमार गंगवार	132
श्री जी० एम० बनातवाला	133
श्रीमती किशोरी सिन्हा	135
श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी	136
खंड 2 से 23 और 1	
पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव	142
श्री जगन्नाथ कौशल	
24 अगस्त, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान आई० सी० 421 का अपहरण	146
श्री खुर्शीद आलम खान	
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक	146
विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	
खंड 2 से 10 और 1	
पारित किये जाने के लिये प्रस्ताव	147
श्रीमती शीला कौल	
सिक्किम के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	150
श्री पी० वी० नरसिंह राव	
पंजाब के संबंध में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	150
श्री पी० वी० नरसिंह राव	
समापन टिप्पणी	150—153

लोक सभा

सोमवार, 27 अगस्त, 1984/5 भाद्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई :

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमन्, आज सातवीं लोक सभा का अंतिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अगर हम सही ढंग से सभा की कार्यवाही में भाग लें और इस मंच का सही उपयोग करें तो यह देश के हित में कुछ योगदान होगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज तो आफिशियल बिजनेस नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मिलन बिजनेस होना चाहिए था। लेकिन आपने आफिशियल बिजनेस कर के हम लोगों को बाध्य कर दिया है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अन्तिम दिन कहने का क्या लाभ है ? क्या इसका कोई महत्व है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है समृद्धि।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सत्ता दल के लिए समृद्धि।

अध्यक्ष महोदय : सारे देश के लिए समृद्धि।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : विपक्षी नेताओं द्वारा रामलीला मैदान में की गई सभा के बाद यह हुआ है। अन्यथा, पूरी तरह से सूखा ही पड़ा हुआ था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आशा करता हूं कि बाढ़ में सत्ता दल का पूरी तरह से सफाया हो जायेगा।

11.02 म. प.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री आर. के. सिन्हा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सिन्हा ने 1967 से 1977 के दौरान चौथी और पांचवी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

वह एक वरिष्ठ स्वाधीनता सेनानी थे और उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस दौरान अनेक वर्षों तक कारावास में रहे।

श्री सिन्हा व्यवसाय से वकील थे और वह अनेक सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

वह एक योग्य संसदविद थे और सभा की कार्यवाही, विशेष रूप से विदेशी मामलों से सम्बन्धित विषयों में गहरी रूचि लेते थे।

वह एक सुविख्यात पत्रकार थें और उन्होंने अंग्रेजी और हिन्दी की कुछ पत्रिकाओं के मुद्रक, प्रकाशक और प्रबन्ध-निदेशक का कार्य भी किया।

श्री सिन्हा ने कई देशों की यात्रा की और 1969 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनित्व किया और जून, 1970 में उन्होंने जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य और यूगोस्लाविया को भेजे गए भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व किया। 64 वर्ष की आयु में, 24 अगस्त, 1984 को फैजाबाद में श्री आर. के. सिन्हा का निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और मुझे विश्वास है कि सभा भी शोक संत्पत परिवार को संवेदना प्रकट करेने में मेरे साथ है।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण अब कुछ क्षणों के लिए खड़े होंगे।

तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि कोई और बोले, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट मेरी बात सुन लें।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास आज सत्र का आखिरी दिन हैं और सब लोगों के मेरे पास 377 हैं। अगर आप मेरे साथ कोआपरेट करें और उस तरह से काम करें तो बैठ कर मैं सारों को निपटा दूंगा और सब लोग अपनी बात कह पाएंगे। यदि आप लोग टाइम लेंगे तो मुझे मजबूरी होगी और सब के नहीं आ सकेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

सारों को तो मैं एक साथ सुन नहीं सकता। अगर आपने सुनाना है तो उसका एक तरीका है।

(व्यवधान)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : बी. बी. सी. द्वारा खबर दी गई है कि लाहौर में अपहरण-कर्ताओं को पिस्तौलें और यहां तक कि रिवाल्वरें भी दी गई। इस देश की सुरक्षा को खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके अलावा और कोई बात है ? यह तो मैंने सुन ली है।

श्री के० के० तिवारी (बक्सर) : हम हमेशा ही कहते रहे हैं कि उग्रवादियों द्वारा देश में की जा रही गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। पाकिस्तान का नाम हमेशा ही लिया जाता रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। इसलिए, गृहमन्त्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, प्राइम मिनिस्टर हाऊस में कहा था कि एन. टी. रामाराव की बर्खास्तगी में कोई हाथ नहीं है। श्री एन. टी. रामाराव ने प्रधानमन्त्री पर आरोप लगाया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को आन्ध्र-प्रदेश पर चर्चा करते समय, प्रधान मन्त्री ने कहा था कि उन से सलाह नहीं की गई, लेकिन आज...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात सभा में कही थी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करने वाला।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप नहीं मानते कि यह एक गम्भीर मामला है।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। बिल्कुल असंगत।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं निदेश 115 के तहत आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निदेश 115 का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बिल्कुल असंगत है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री ने कहा था कि...

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। यह बिल्कुल असंगत है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैंने आपको अपना संरक्षण दिया था। मैंने उन्हें भी बोलने की अनुमति नहीं दी। मैंने पहले ही यह कह दिया है। मैंने इसे रद्द कर दिया था। जो कुछ उन्होंने कहा है, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या मैं एक निवेदन कर सकता है? यह मत रहें कि असंगत है। यह समाचारपत्रों में छपा है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं देता। यह व्यर्थ है। मुझे यह पसंद नहीं है। यह असंगत है। बिल्कुल अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में कई एक बातें छपती हैं। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल असंगत है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य किसी बुरी मंशा से नहीं था। समाचारपत्रों में कई एक बातें प्रकाशित होती हैं। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रधान मन्त्री को इसका खण्डन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही सभा में यह कहा है। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है?

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कानूनी नुकता है । आपने 25 तारीख को सदन को विश्वास दिलाया था कि उस दिन लैंड एक्वीजीशन एक्ट को पास किया जाएगा, भले ही रात के 11 बजे तक बैठना पड़े, और उसके बाद कोई और काम नहीं किया जाएगा । विरोधी दल के सब सदस्यों ने इस बात को मान लिया था । लेकिन वह बिल पास होने के बाद सूचना तथा प्रसारण मन्त्री ने वचन-भंग किया और लाइफ इनसोरेंस कार्पोरेशन बिल को ले लिया गया । इसके विरोध में हमने प्रोटेस्ट के तौर पर वाक-आऊट किया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा । मैं जो कहता हूं, वह पत्थर की लकीर होता है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं आपसे और सभा से क्षमायाचना करता हूं । मैंने इस लिए कहा था कि जीवन बीमा निगम पर विचार किया जाए क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता था—यह भी मेरी गलती है—कि आपने सभा को कुछ आश्वासन दिया हुआ है । मैं आपसे और सभा के सदस्यों से बिना शर्त माफी मांगता हूं । यह केवल इसलिए किया गया कि राज्य सभा से संदेश आने की आशा थी ।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं और श्रीमती सुखबंश कौर दोनों एक ही बात पर कुछ कहना चाहते हैं । पंजाब में गलत किस्म का प्रोपेगेंडा कर के बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है 19 से 22 साल तक के बच्चों ने ही एयरोप्लेन को अगवा किया है । 2 सितम्बर को जो वर्ल्ड सिख कांफरेंस होने जा रही है, उनमें इनवाइट करने के लिए बहुत गुमराह करने वाली चिट्ठियां लिखी जा रही हैं । हम चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा करने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री को इस बारे में ध्यान देना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पब्लिक ओपीनियन लेना चाहती है । पिछले दिनों विरोधी दलों के नेताओं ने आपको इसके बारे में लिख कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं कर सकता था, वह मैंने कर दिया हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसको सरकार के पास भेजा है, तो सरकार का उस पर क्या रीएक्शन है ।

श्री हरीश कुमार मंगवार (पीली भीत) : अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर प्रदेश पिछले चार दिन से बिजली न होने की वजह से अंधकार में है । सब काम ठप्प पड़ा है । लोग तड़प रहे हैं । आप इस बारे में कुछ कराइए । वहां पर बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सबजेक्ट है । वहां पर गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेम्बली है।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : श्रीमन केरल सीमेंट घोटाला के बारे में कब विचार करना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। समय की कमी के कारण, इसे नहीं लिया जा रहा है। अन्यथा सरकार इसके लिए तैयार थी, कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य इस पर चर्चा के लिए तैयार थे। प्रश्न केवल समय का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : कार्य मंत्रणा समिति ने फैसला किया था कि इस अधिवेशन के अन्तिम दिन सातवीं पंच वर्षीय योजना के नीति पत्र पर विचार किया जायेगा। अब मैं देख रहा हूं कि आज की कार्यसूची में यह शामिल नही हैं। ऐसा कैसे हुआ ? किसने फैसला किया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि या तो इस पर चर्चा की जाए या अन्य दो विषयों पर। बाद में हमने यहाँ पर श्री लंका और मूल्य वृद्धि पर चर्चा की थी...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल्य वृद्धि पर तो यह ध्यानाकर्षण था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्होंने योजना को ही छोड़ देने का फैसला कर लिया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो विषय लिये जाने थे। 23 तारीख की कार्यसूची में शामिल था, लेकिन समयाभाव ही एक मात्र कारण है... पहले यह कार्यसूची में शामिल था...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस पर विरोध प्रकट करते हैं। आप अपना विधायी कार्य समाप्त करना चाहते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या कोई सातवी योजना होगी या उन्होंने इसे समाप्त करने का फैसला कर लिया हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगर आप गारंटी दे कि एक अधिवेशन और होगा, तब कोई बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय : एक अधिवेशन अवश्य और होगा। घबराइये नहीं, एक अधिवेशन अवश्य और होगा आप जानते हैं कि मैं कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं हूं। एक अधिवेशन होने जा रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सातवीं लोक सभा का या आठवीं लोक सभा का।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही ऐसा कर लिया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हमें अपहरण किये गये विमान के विमान चालक और कर्मी दल को बिदाई देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : लोग बधाई देंगे :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है, उसके बाद कम से कम सरकार को सातवीं योजना के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए कि वे इस बारे में गम्भीर हैं... **(व्यवधान)** क्या सातवीं योजना बनने जा रही हैं या वे इसे समाप्त करने जा रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, नीमच में सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया के कारखाने में लगातार सीमेंट चोरी की घटनाएं हो रही हैं जिसे रोका जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान न हो ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या सरकार को अधिवेशन एक या दो दिन और बढ़ा देने में कोई गम्भीर आपत्ति है हम सातवीं योजना पर चर्चा कर सकते है । आप के अखबार में आप एक ओर महत्वपूर्ण खबर पायेंगे कि पजाब सरकार ने अभी तक विश्व सिख सम्मेलन के बारे में फैसला नहीं किया हैं । सारा मामला अनिश्चित है आपने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा होगा कि चीनी फौज अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान क्षेत्र हुज में पहुंच गई है । यह एक गम्भीर बात है । मैं चाहता हूं कि सरकार को इन विषयों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्यों नहीं सत्र को एक दिन बढ़ा देते ? क्या सरकार...

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : तो और कौन जानता है इसे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तुरन्त नहीं बता सकता ।

श्री सतीश अग्रवाल : आप संसदीय कार्यों के मन्त्री से पूछिये । राज्य सभा का अधिवेशन 29 तारीख तक है । हम भी 29 तारीख तक बैठ कर इन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन, आदिवासियों के बारे में सातवीं योजना के पैरा अनुसार रिजर्वेशन खत्म हो गया...

अध्यक्ष महोदय : आ गया सारा का सारा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज तो आखिरी दिन है सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बाद में आये, मैं सुन रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, मैं बाद में आया पर सही सलामत आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : भगवान आपको ऐसा ही रखे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सातवीं योजना पर डिस्कशन कराइये आज।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं हो सकता क्योंकि समय नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : सातवीं पंच वर्षीय योजना को लेना चाहिये न कि इस जीवन बीमा निगम विधेयक को।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, समय नहीं है।

श्री सूरज भान : वह पैरा डिलीट होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : केन्द्रीय कक्ष में ब्रिटिश काल के दौरान बनायी गई आदमकद राष्ट्रीय नायकों के चित्र लगे हुए थे। अधिवेशन के समय उन्हें हटा दिया गया है...।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो। मुझे फेक्टस पता नहीं हैं। आप मुझे लिख कर दो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पूर्ण सूचना पहले दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। मैं आपको देख कर बताऊंगा।

श्री जी० भूपति (पद्दापल्ली : अध्यक्ष जी, आन्ध्र प्रदेश में ला एन्ड आर्डर खराब हो गया...।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष जी, जो वायुयान अपहरण कर के... **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, जो वायुयान का अपहरण कर के ले जाया गया...

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया। मैंने सुन ली है यह बात। दो दफा सुन ली। बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर।

श्री राम विलास पासवान : महोदय उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने में भारत सरकार विफल हो गई है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश विधान सभा को सिर्फ इस अर्थ पर... जल्दी बुलाने के लिए प्रो० मधु दंडवते का समर्थन करता हूं और उनसे पूरी तरह सहमत हूं।

(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : महोदय, इस समय आप आन्ध्र प्रदेश के मामले को कैसे अनुमति दे सकते हैं ? यह कार्यवाही में आ गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मजाक में आप से कह रहे थे। यह कार्यवाही में नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, पिछले दिन जीवन बीमा निगम विधेयक पर विचार करने के लिये वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री जर्नादन पुजारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप कार्य सूची में इस मद को उपयुक्त क्रम नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में, मैं कौल तथा डाकघर द्वारा लिखित किताब के पृष्ठ संख्या 57 में एक उद्धरण दूंगा :

> "यह एक प्रतिष्ठापित परम्परा है कि नयी मद लेने से पूर्व कार्य-सूची को रोष को मद लिया जाता है।"

अध्यक्ष महोदय : है तो सही न ?

श्री मूल चन्द डागा : परन्तु इसे कार्य सूची के अन्त में रखा गया है। क्यों नहीं मैं इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इसे सबसे पहलें लिया जाता है तो कार्य-सूची में इसे सर्वप्रथम रखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : कृपया एक मिनट के लिये मेरी बात सुनिये। नियम 72 के अंतर्गत हम अपने संशोधन देते हैं। आप चाहते हैं कि विधेयक को आप ही पुर:स्थापित होना चाहिए और इसे आप ही पारित किया जाना चाहिए बाद में व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगा सकता। न ही वह नियम 79 के अन्तर्गत अपना संशोधन ला सकता है। इसे प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के अनुसार आता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह उचित नहीं है। मैं पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। लेकिन अगर आप लिस्ट कार्य-सूची में देखेंगे उस मद को तो सबसे अन्त में रखा गया हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की आवश्यकताओं तथा मेरे निर्णय पर कार्य-सूची को दुबारा

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अत: यह लिखा जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : जीवन बीमा निगम विधेयक को पारित करने की कोई जल्दी नहीं है। यह इन्तजार कर सकता है। अभी से क्यों हड़बड़ी मचायी जाये ?

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या इसे लिया जायेगा। क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि इसे आज लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं कह सकता हूं कि यह सिर्फ कार्य सूची का हिस्सा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मुसीबत यह है कि रूल 79 आप देखिए। अगर आज आप एक बात करना चाहते हैं तो जो बिजनेस शुरू हो गया है उसको कम्पलीट करने के लिए पहले रखना चाहिए।

(व्यवधान)

महोदय, क्या आप आश्वासन देंगे कि हमें आज लिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं ? बीच में बोलते हैं। बैठ जाइए राकेश जी।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव कमीशन ने सिफारिश की है कि आसाम में चुनाव 71 के एलेक्टोरल रोल को आधार बनाकर होना चाहिए। उसके लिए पीपल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन आज सेशन खत्म हो रहा है। यह संशोधन कब होगा।

एक माननीय सदस्य : नवम्बर में।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती महोदय, श्री वाजपेयी जो कुछ भी कहरहे हैं हम उनका विरोध करते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे दल की ओर से मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में लाना चाहता हूं कि हम इसके विरोध में हैं। निर्वाचन आयोग को राजनैतिक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह राजनैतिक निर्णय है।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : पुलिस के अत्याचार से पीड़ित होकर—**(व्यवधान)**—12 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकला है।

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)···होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि माइनारिटीज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसे वह सदन में पेश करेंगे, उसे पेश नहीं किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी पेश नहीं किया···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुरा) कल बनारस में 77 आदमी गिरफ्तार किए गए। उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ ?

महोदय अध्यक्ष : यह स्टेट सबजेक्ट है, मैं क्या करूं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह स्टेट सबजेक्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहां गई थीं उनके स्वागत के समय यह हुआ। मैं चाहता हूं इस पर विचार किया जाय।

श्री जी. एम. जनत वाला (पोत्तांनी) : महोदय, 1971 की असम मतदाता सूची को अपनाने के बारे में हमें सरकार तथा निर्वाचन आयोग से कड़ी आपत्ति है। हमने 1979 की मतदाता सूची की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके विचार हैं और वह उनके विचार हैं। मुझे इसमें कुछ नहीं करना है.

11.25 म. प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं सरकार द्वारा तथा उसके विरुद्ध मुकदमें बाजी, सुधार संबंधी कुछ सिफारिशों के बारे में विधि आयोग के 100 वें प्रतिवेदन की एक प्रति संभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 8688/84)

दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1983 के अधीन अधिसूचना तथा अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का विवरण तथा कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के प्रतिवेदन, महापत्तन न्यास अधिनियम 1983 के अधीन अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा—पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं० जे० डी० टी (ए)/टी पी० टी०/83 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण), जो 1 दिसम्बर 1983 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के प्रवर्तन की तारीख के बारे में है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना कोसभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखें गये । देखिये संख्या एल. टी. 8689/84)

(3) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड-वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखें ।

(4) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(5) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1979 80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(6) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1980.81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी यथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(7) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(8) कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(9) उपर्युक्त (3) से (8) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 8690/84)

(10) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 842, जो 5 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास परीक्षण गृह (संशोधन) विनियम तथा प्रभारों की अनुसूची, 1982 अनुमोदित की गई है ।

(दो) सा०का०नि० 549 (अ), जो 28 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति संशोधन विनियम, 1984 का अनुमोदित किए गए हैं ।

(तीन) सा०का०नि० 611 (अ), जो 16 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी । भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नित संशोधन विनियम, 1984 का अनुमोदित किए गये हैं ।

(चार) सा०का०नि० 550 (अ), जो 31 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) पहला संशोधम विनियम, 1984 अनुमोदित किये गये हैं ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 8691/84)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अधिसूचना ।

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30 क के अन्तर्गत, न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1984, जो 4 अगस्त 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 846 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा-पटल पर रखता हूं ।

ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल.टी. 8692/84

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना तथा नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1179 के अधीन अधिसूचना

नेशनल काग्रपरेटिव यनियन आफ इण्डिया तथा नेशनल काउनसल फार काअपरेटिव ट्रेनिंग नई दिल्ली के वार्षिक लेख एवं समीक्षा

नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव फेडरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड: नई दिल्ली के के वार्षिक लेख एवं समीक्षा

कम्पनी अधिनियम के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षाए
उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं;

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, अधिसूचना सा० का० नि० 490 (अ) जो 2 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उर्वरकों के देशी निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों वस्तु बोर्डों को 1 अप्रैल 1984 से 30 सितम्बर, 1984 तक अवधि के दौरान की जाने वाली उर्वरकों की सप्लाई संबंधी आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल.टी. 8693/84

(2) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अन्तर्गत, नारियल विकास बोर्ड

भर्ती (संशोधन) विनियम, 1984 की जो 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 625 में प्रकाशित हुए थे। एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 8694/84)

(3) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफइंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परिक्षा प्रतिवेदन।

(5) नेशनल कोआपारेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (3) से (5) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 8695/84)

(7) नेशनल काउन्सिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिग, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नेशनल काउन्सिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिग, नई दिल्ली के वर्ष 1882-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(9) नेशनल काउन्सिल फार कोअपरेटिव ट्रेनिग, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (7) से (9) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 8696/84)

(11) नेशनल एग्रिकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) नेशनल एग्रिकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (11) और (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल· टी. 8669/84)

(14) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्नी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल, के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम मर्यादित, भोपाल, का वर्ष 1976-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पीणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 8698/84)

(ख) (एक) गुजरात कृषि-उद्योग निगम मर्यादित, अहमदाबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यक ण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि-उद्योग निगम मर्यादित, अहमदाबाद, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालयमें रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 8699/84)

(16) वध किये गये पशुओं के वारे में श्री अटलबिहारी वाजपेयी के अतारांकित प्रश्न संख्या 3194 के 13 अगस्त: 1984 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये संख्या एल. टी. 8700/84)

पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कूनूर के प्रतिवेदन और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों एक विवरण।

स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : निम्नलिखित पत्रसभा पटल पर रखती हूं :—

(1) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1979–80 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी मथा अंग्रेजी) संस्करण तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(2) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखें

(3) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(4) पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कूनूर के वर्ष के 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे ।

(5) पास्चर इंस्टीच्यूट कूनूर के वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (1) से (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी: 8701/84)

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वार्षिक लेखे तथा उनकी समीक्षा और पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री

(श्री मल्लिकार्जुन): मैं निम्नलिखित पत्र-सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी 8702/84)

11.27 म.प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1984 को पारित संविधान (48वां संशोधन) विधेयक, 1983, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी संशोधन के पारित किया है ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 1984

को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1984 को पारित संविधान (50 वां संशोधन) विधेयक, 1984, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार, बिना किसी संशोधन के पारित किया है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 अगस्त 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1984 को पारित संविधान (51 वां संशोधन) विधेयक, 1984, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों केअनुसार,बिना किसी संशोधन के, पारित किया हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 अगस्त 1984 को पारित संविधान (52 वां संशोधन) विधेयक, 1984, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, बिना किसी संशोधन के पारित किया हैं।"

(पाँच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1984 को पारित संविधान (53 वां संशोधन) विधेयक, 1984 संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, बिना किसी संशोधन के पारित किया हैं।"

11.28 म. प.

लोक लेखा समिति

228 वां, 229 वां तथा 230 वाँ प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं

(1) बीरमगाम-ओखा पोरबन्दर सेक्शन को बड़ी रेल लाइन में बदलने सम्बन्धी 228 वां प्रतिवेदन।

(2) बाग बाजार कलकत्ता में एक नया स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और रेलवेपुरा (अहमदाबाद) में तीन टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की परियोजनाओं से सम्बन्धित 153 वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में 229 वां प्रतिवेदन।

(3) सीमा शुल्क प्राप्तियां-सुल्क छूट हकदारी योजना के बारे में 230 वां प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

10वाँ प्रतिवेदन

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का दसवां

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

11.29 म. प.

आकाश वाणी और दूरदर्शन पर नियंत्रण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में 31 जुलाई, 1984 को सूचना और प्रसारण मँत्री द्वारा दी गई कतिपय जानकारी के बारे में वक्तव्य

श्री सूरजभान (अम्बाला) : तारांकित प्रश्न संख्या 124, जिसका उत्तर दिनांक 31 जुलाई 1984 को दिया गया, टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित उस समाचार के बारे में था, जिसमें श्री लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा आन्ध्र और कर्नाटक के चुनावों सम्बन्धी आकाश वाणी के प्रसारणों के विश्लेषण का उल्लेख था । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि यह विश्लेषण गलत था । श्री आडवाणी का विश्लेषण संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध रिकार्ड पर आधारित था ।

श्री आडवाणी के विश्लेषण के अनुसार चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय नेताओं को आकाशवाणी के मुख्य समाचार बुलेटिन (9 म०प०) में दिया गया स्थान पक्षपातपूर्ण था और पंक्तियों की दृष्टि से तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आँकड़े इस प्रकार हैं:—

श्रीमती गांधी	243 पक्तियाँ (इनमें से 130 पक्तियां केवल चुनाव से सम्बन्धित थी)
श्री मोरारजी देसाई	7 पंक्तियां
श्री अटल बिहारी बाजपेयी ...	6½ पंक्तियां
श्री ई. एम.एस. नम्बूद्रीपाद ...	13½ पंक्तियां
श्री जगजीवन राम	9½ पंक्तियां

मंत्रालय द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण टिप्पण में निम्नलिखित तथ्य बताये गये हैं —

श्रीमती गाँधी	251 पँक्तियां (इनमें से 137 पंक्तियाँ चूनाव से सम्वन्धित मामलों के बारे में हैं)
श्री मोरारजी देसाई	7 पंक्तियां
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	8 पंक्तियां
श्री ई. एम. एस. नम्बूद्रीपाद	3½ पंक्तियां
श्री जगजीवन राम	10 पंक्तियां

आप इस बात से सहमत होंगे कि यह स्पष्टीकरण काफी हद तक श्री आडवाडी के विश्लेषण की पुष्टि करता है । वास्तव में श्रीमती गांधी को श्री आडवाणी द्वारा बताई गई संख्या

से भी अधिक पंक्तियां दी गई हैं ।

इसके अतिरिक्त श्री आडवाणी के विश्लेषण में कहा गया था कि मुख्य समाचारों में विपक्ष के किसी भी नेता के भाषण को स्थान नहीं दिया गया, जब कि श्रीमती गांधी के भाषणों को नौ बार मुख्य समाचारों में सम्मिलित किया गया । मंत्रालय के स्पष्टीकरण में इस कथन की पुष्टि की गई है :

> "यह सच है कि इस अवधि के दौरान श्रीमती गाँधी के भाषणों को 9 अवसरों पर मुख्य समाचारों में स्थान दिया गया । दूसरी ओर विपक्ष के किसी भी नेता को मुख्य समाचारों में स्थान नहीं दिया गया ।"

इस मुद्दे पर भी मंत्री महोदय का यह दावा कि श्री आडवाणी का विश्लेषण गलत था, स्पष्टीकरण के अनुसार ही निराधार सिद्ध हो जाता है ।

लोक सभा के साइक्लोस्टाइल्ड वाद विवाद की पृष्ठ संख्या 2838 पर मंत्री महोदय ने बहुत से आंकडे दिये थे जिनका न तो मूल प्रश्न से अथवा अनुपूरक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध था । मंत्रालय ने अपने टिप्पण में बताया है कि मंत्री महोदय द्वारा सभा में दिए गए आंकड़े जून, 1984 के "जैन्टलमैन.' में प्रकाशित हुए श्री आडवाणी के एक अन्य लेख के बारे में भी थे । अतः मेरा यह आरोप भी प्रमाणित हो जाता है कि मंत्री महोदय के उत्तर असंगत और भ्रामक थे ।

मैं माँग करता हूं कि मंत्री महोदय सभा में इस स्थिति को स्पष्ट करें ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : लोक सभा के 31.7.1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 124 में 3 जून 1984 के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार, श्री एल. के. आडवाणी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा था कि पैसे की शक्ति और माध्यम शक्ति और चुनाव की निष्पक्षता के लिए कैसे दो मुख्य खतरे बन गए हैं । समाचार से यह भी ध्वनित था कि 15 दिसम्बर, 1982 और 7 जनवरी, 1983 के बीच के आकाववाणी के रात 9.00 बजे के मुख्य अंग्रेजी सभाचार बुलेटिनों के उनके अध्ययन के अनुसार, प्रसारण कवरेज पक्षपातपूर्ण था । समाचार में प्रधान मंत्री तथा विपक्षी नेताओं को दी गई पंक्तियों की संख्या तथा उन अवसरों की संख्या, जिन पर प्रधान मंत्री के भाषणों को मुख्य समाचारों में दिया गया था, का ब्यौरा भी दिया गया था ।

(2) निम्नलिखित प्रश्न उठे अर्थात्

(क) क्या चुनाव प्रसारणों को पक्षपातपूर्ण कहा जा सकता है;

(ख) क्या समाचार में उल्लिखित केवल 4 विपक्षी नेताओं को उस अवधि के ही

दौरान कवर किया गया था; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री के बारे में दिये गए मुख्य समाचार चुनाव मामलों के बारे में थे।

इन सभी तीनों पहलुओं में, श्री आडवाणी के निष्कर्ष, जैसा कि समाचार में उल्लिखित और ध्वनित थे, सही नहीं थे।

(3) उक्त अवधि के दौरान अर्थात् 15 दिसम्बर, 1982 से 7 जनवरी, 1983 तक आकाशवाणी के रात 9.00 बजे के अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों में विपक्षी नेताओं को निम्नानुसार कवर किया गया था :—

1.	श्री वाजपेयी	8 पंक्तियां
2.	श्री मोरारजी देसाई	7 पंक्तियां
3.	श्री जगजीवन राम	10 पंक्तियां
4.	श्री ई. एम. एस. नम्बूदरी पाद	13.5 पंक्तियां
5.	श्री चरण सिंह	7.5 पंक्तियां
6.	श्री चन्द्रशेखर	2.5 पंक्तियां
7.	श्री सुब्रमण्यम स्वामी	4 पंक्तियां
8.	डा. मंगल सैन, भारतीय जनता पार्टी	7 पंक्तियां
9.	श्रीमती विजय राजे सिन्धिया	3 पंक्तियां
10.	श्री श्याम नन्दन मिश्र	4 पंक्तियां
11.	श्री रविराय	7 पंक्तियां
12.	श्री एच. एन. बहुगुणा	6 पंक्तियां
13.	श्री राजेश्वर राव	3 पंक्तियां
		82.5 पंक्तियां

4. समाचार में सर्व श्री वाजपेयी, मोरारजी देसाई जगजीवनराम तथा ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद कोछोड़ कर अन्य विपक्षी नेताओं का कोई उल्लेख नहीं था।

5. उसी अवधि के दौरान, प्रधान मंत्री को 251 पंक्तियां दी गई थी जिनमें से 114 पंक्तियां उनके द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में की गई नीति और अन्य घोषणाओं को दी गई थी।

137 पँक्तियाँ चुनाव अभियान से सम्बन्धित थी। दूसरी ओर, विपक्षी नेताओं को दी गई कुल पंक्तियाँ 82.5 पँक्तियां थी।

6. अन्य सँगत मुद्दा यह है कि चुनाव प्रसारणों की योजना केअन्तर्गत अनेक विपक्षी दलों अर्थात् जनता पार्टी लोक दल, भारतीय जनता पार्टी, इत्यादि के प्रतिनिधियों ने दिसम्बर, दिसम्बर 1982 जनवरी, 1983 में आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रसारण किया था।

7. उक्त से यह पता चलेगा कि यह कहना सही नहीं है कि माध्यम शक्ति चुनावों की निष्पक्षता के लिए खतरा बन गई है या चुनाव प्रसारथ पक्षपात पूर्ण थे।

8. इस अवधि के दौरान प्रधानमन्त्री के बारे में दिए गए मुख्य समाचार चुनाव से सम्बन्धित मामलों पर नहीं थे। वे देश की अखण्डता तथा एकता के हित में की गई घोषणाओं के स्वरूप के थे। मैं प्रधानमन्त्री के बारे में दिए गए कुछ मुख्य समाचारों को नीचे दे रहा हूं:—

(1) प्रधानमन्त्री ने लोगों को देश में विघनकारी ताकतों से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी है (16 दिसम्बर, 1982)।

(2) प्रधान मन्त्री ने कहा है कि पड़ोसी देशों के गम्भीर खतरे का एकमात्र उत्तर है लोगों में एकता और अनुशासन का होना (18 दिसम्बर; 1982)।

(3) प्रधानमन्त्री ने कहा है कि देश लगभग आत्म निर्भर है और यह अपनी आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है (21 दिसम्बर, 1982)।

इन मुख्य समाचारों को पक्षपातपूर्ण या चुनाव प्रचार नहीं कहा जा सकता।

9. समाचार बुलेटिनों में विषयों को उनके समाचारिक महत्व, सामयिकता महत्व इत्यादि के आधार पर मुख्य समाचारों के रूप में दिया जाता है। इसका प्रत्येक अवसर के लिए प्राप्त कुल समाचारों के संदर्भ में प्रत्येक अवसर पर गुणदोष के आधार पर आकलन किया जाता है। इस बात का कि विपक्षी नेताओं के वक्तव्यों को मुख्य समाचारों में नहीं दिया गया, अर्थ यह नही है कि आकाशवाणी पक्षपातपूर्ण रहा।

10. इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैंने बताया था कि श्री आडवाणी द्वारा किया गया विश्लेषण सही नहीं है।

11. एक और बात के बारे में भी उस समाचार में श्री आडवाणी का वक्तव्य गलत और भ्रामक भी था। उन्होंने कहा था कि श्री एन. टी. रामाराव को 7 जनवरी, 1983 को ही रेडियो समाचार बुलेटिनों में स्थान मिला जब उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के सतंदाओं का इस बात के लिए

धन्यवाद किया था कि उन्होंने उन पर विश्वास व्यक्त किया है । इससे यह धारणा दी कि दिसम्बर, 1982 और जनवरी, 1983 के दौरान आकाशवाणी के किसी भी समाचार बुलेटिन में श्री एन. टी. रामाराव का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया । तथ्य भिन्न है । तेलुगु में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों, जो आकाशवाणी, हैदराबाद और विजयवाड़ा से प्रसारित हुए थे, मैं इस अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर श्री एन. टी. रामाराव द्वारा दिए गए भाषणों और वक्तव्यों को 123 पंक्तियां दी गयी थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस अवधि के दौरान, तेलुगु देशम पार्टी को भी 204 पंक्तियां दी गई थी ।

12. मेरा ध्यान श्री एल. के. आडवाणी के उस लेख की ओर भी आकर्षित किया गया था जो "जेन्टलमैन" नामक मासिक पत्रिका के जून, 1984 के अंक में प्रकाशित हुआ था । उस लेख में विश्लेषण में न केवल **टाइम्स आफ इण्डिया** के समाचार में उल्लिखित अवधि का उल्लेख किया गया था, अपितु अन्य अवधि अर्थात 15 दिसम्बर, 1983 से 15 जनवरी, 1984 तक का भी उल्लेख किया गया था । उस अवधि के बारे में ब्यौरा सही नहीं था । इसलिए 31 जुलाई, 1984 को कुछ पूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने अन्य अवधि अर्थात् दिसम्बर, 1983 से जनवरी, 1984 तक का भी तुलनात्मक ब्यौरा दिया था और उस अवधि के श्री आडवाणी द्वारा दिए गए तुलनात्मक आंकड़ों को भी बताया था । श्री आडवाणी ने उस लेख में यह कहा था कि इस अवधि के दौरान विपक्षी दलों को 298.5 पंक्तियाँ दी गई थी, जबकि दी गई पंक्तियों की संख्या 501.5 थी ।

11.35 म. प.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटा सिंह ।

संसदीय कार्य, खेल, तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानिटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिए, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी भी अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और राष्ट्रीय ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित मानिटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिए, जिससे

कि उस क्षेत्र के किसी भी अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बूटा सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमन, क्या आपने आज की कार्यसूची देखी है, अर्थात, मद संख्या 12 से 18 ? पारित करने के लिए आज सात विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं । सरकार अन्तिम दिन इतना कार्य लेकर क्यों आती है ? क्या इन सभी को आज पारित करना सम्भव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं। हम सदैव कठिन कार्यों का सामना करते हैं...और उन्हें करके ही छोड़ते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं भी इसका विरोध करता हूं ।

11.37 **म. प.**

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) यवतमाल-मुर्तिजापुर रेल लाइन का स्वामित्व ब्रिटिश सेन्ट्रल प्रौविन्सेज कम्पनी से ले लेने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : यततमाल और मुर्तिजापुर के बीच रेलवे लाइन वास्तव में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाती है किन्तु इस लाइन का स्वामित्व अभी भी ब्रिटिश सेन्ट्रल प्रोविन्सेज कम्पनी के हाथ में है । उक्त कम्पनी तथा भारतीय रेलों के बीच एक समझोते के अनुसार इस करार को वर्ष 1987 में तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार भारतीय रेलवे को कानूनी तौर पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

मैं, भारत सरकार और रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि मामले को निपटाने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये, ताकि उक्त रेलवे लाइन को हाथ में लिया जा सके और इसे अन्य रेलों की तरह चलाया जा सके उस पर उसी कुशलता के साथ गाड़ियां चलाई जा सके ।

अत: इस बात की तत्काल आवश्यता है कि रेल विभाग इस बारे में जल्दी निर्णय ले और आम जनता के लाभ के लिये उक्त रेलवे लाइन को हाथ में लेने हेतु पहले से ही आरम्भिक तैया-

रियां करे। मुझे आशा है कि भारत सरकार उक्त विदेशी संस्था को और अधिक समय तक इस लाइन का मालिक बने रहने की अनुमति नहीं देगी।

(दो) धुबाल (बिहार) में ग्रेटर महानन्द तटबंध की मरम्मत सेना की सहायता से तत्काल कराने की आवश्यकता

डा० गोलम यजदानी (रायगंज) : इस वर्ष बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों बाढ़ों से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। महानन्दा तटबंध के उस भाग के, जो बिहार में है, धुबाल में टूट जाने के कारण पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के उत्तरी भाग के एक बड़े क्षेत्र में और बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। तटबंध लगभग 2000 फीट तक बिल्कुल टूट गया है। पिछले जून के महीने के प्रथम सप्ताह में मालदा जिले के उत्तरी भागों में, अर्थात हरीशचन्द्रपुर पुलिस थाना क्षेत्र, रतुआ पुलिस थाना क्षेत्र तथा चंचल पुलिस थाना क्षेत्र के अन्दर बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया और तटबंध में अधिक दरार पड़ जाने के कारण गत महीने के मध्य में दूसरी बार गम्भीर बाढ़ आई। बाढ़ अचानक आई और इससे फसलों, घरों तथा अन्य सम्पत्ति का बहुत नुकसान हुआ है धुबाल में दरार बन्द करके सबसे अधिक राहत पहुंचाई जा सकती है। बिहार सरकार दरार की मरम्मत करने की कोशिश कर रही है, परन्तु अभी तक पूरी मरम्मत नही हुई है। आंशिक रूप से मरम्मत के कारण बाढ़ का पानी पहले से कम हो गया है परन्तु फिर भी बाढ़ अभी तक पूरी तरह से कम नहीं हुई है। भविष्य में फसलों को बचाने के लिये दरार की पूर्ण रूप से मरम्मत होनी चाहिये, क्योंकि बिहार के नागरिक अधिकारियों के लिये उसकी मरम्मत करना अभी तक सभव नहीं हो सका है अत: यह वांछनीय है कि इस तटबंध की मरम्मत सैनिकों द्वारा युद्ध स्तर पर की जाए।

मैं माननीय केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाता हूं और वह, पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों तथा अन्य लोगों के हित में धुबाल में तटबंध में जो दरार आई हैं, उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करवाने के लिए तुरन्त कदम उठायें।

(तीन) केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड को पुनर्गठित करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत सरकार का ध्यान सांस्कृतिक प्रदूषण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी।

विज्ञापनों, पोस्टरों, फिल्मों, अश्लील साहित्य द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण का जहर युवा पीढ़ी में फैल रहा है। इसके रोकथाम की मांग करूंगी।

वर्तमान में फिल्मों का माध्यम एक सशक्त माध्यम है, जिसका असर करोड़ों व्यक्तियों पर पड़ता है। पर अभी तक हम समाज में हिंसा फैलाने वाली सैक्स प्रधान फिल्मों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पाये हैं। दक्षिण भारत की फिल्में हिन्दी फिल्मों से भी अधिक बढ़ कर हैं।

(श्री आर० एस० स्पैरों पीठासीन हुए...11.41 म. प. सैंसर बोर्ड पता नहीं कैसे उन्हे पास करता है। यह सत्य है कि अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकारों पर है पर युवा पीढ़ी के लोगों में हिंसा और अपराधी प्रवृति के बढ़ते हुए जहर को

रोकना ही होगा। केन्द्रीय सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर इस प्रकार सख्त मनोरंजन के इस सशक्त माध्यम को विशक्त होने से बचाये। इस कठोर सत्य की ओर अब आंखें नहीं मुंदी जा सकतीं, इसलिये सरकार से मांग करूंगा कि।

1. फिल्म सेंसर बोर्ड को पुनः निर्माण किया जाये।

2. कानूनों में भी संशोधन किया जाना अनिवार्य हो तो संशोधन किया जाये तथा युवा पीढ़ी की बढती हुई अनुशासनहीनता, हिंसा, अपराध प्रवृति पर रोक लगाई जाए.।

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों तथा उनकी सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए एक अलग वेनत समिति गठित केरने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के पांच भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे और अधिनियम में निहित उद्देश्यों के अनुसार ये संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देते आए हैं और इन संस्थानों ने औद्योगिक और वैज्ञानिक आत्म निर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ने में हमारे देश की सहायता की है।

यह एक विडंबना है कि इन संस्थानों के संकाय के साथ उनके वेतन ढांचे के मामले में अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। इस समय आई. आई. टी. के अध्यापकों के वेतनमान् वही हैं जो अन्य महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के है। वस्तुतः 1973 के संशोधित वेतनमानों को लागू करते समय इस आई. आई. टी. संकाय को और भी अधिक वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। वह इसलिए कि केवल आई. आई. टी. के ही ऐसे संस्थान हैं जो अपने संकाय को परीक्षा पारिस्तमिक नहीं देते हैं। समुचित वेतनमान न होने के कारण हमारे वैज्ञानिक बाहर जा रहे हैं। हमारी माननीया प्रधान मन्त्री ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार की नीति न केवल वर्तमान प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को इस देश में ही रोकने की है अपितु उन प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विदों को देश में वापस लाने की है जो विदेशों में बस गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि आई. आई. टी. संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों एवं उनकी सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण करने के लिए एक अलग वेतन समिति गठित की जाए। मैं शिक्षा मन्त्री से इस मामले की जांच करने के लिए अनुरोध करता हूं।

11.41 म. पू.

(श्री आर. एस. स्पैरो पीठासीन हुए)

(पाँच) फूपुर में "इलफकों" सोडा ऐश फैक्टरी की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, सरकार के अनेक आश्वासनों के बाव-

जूदं इफको फूलपुर के सम्बद्ध सोडा ऐश फैक्टरी के स्थापित होने का कोई आसार वहां के निवासियों को नहीं दिखाई दे रहा है। इफको उर्वरक कारखाने को स्थापित करने के लिए वहां के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय उनसे कहा गया था कि जिन किसानों की भूमि ली गई है उन्हें उर्वरक कारखाने में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। जब कारखाने में ऐसे सभी किसानों को रोजगार नहीं दिया जा सका तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि सोडा ऐश फैक्टरी में उन्हें काम दिया जाएगा जो अभी तक भविष्य के अन्धकार में हैं।

30 दिसम्बर, 1981 को माननीया प्रधान मन्त्री ने उर्वरक कारखाने का विधिवत उद्घाटन किया था। उक्त अवसर पर माननीय कृषि मन्त्री ने घोषणा की थी कि कारखाने के साथ शीघ्र ही सोडा ऐश फैक्टरी स्थापित की जाएगी। मैंने इस सम्मानित सदन के माध्यम से पहले भी इस ओरस रकार का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। अन्य माध्यमों द्वारा भी सरकार का ध्यान बार-बार आकृष्ट किया जा है। देश में सोडा ऐश का उत्पादन भी उसकी मांग की अपेक्षा काफी कम है। अधिकांश उत्पादन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा किया जाता है। वे जानबूझ कर उत्पादन का स्तर कम करके कीमतें बढ़ा रहे हैं। परिणामस्वरूप सोडा ऐश की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है और प्राप्ति में कठिनाई होती है।

अतएव मैं माननीय कृषि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपनी घोषणानुसार 'इफको, फूलपुर' से सम्बद्ध सोडा ऐश फैक्टरी स्थापित करने की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

(छः) सीमेंट के मूल्य घटाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, खुले बाजार में सीमेंट की बोरी 65 रु० से 70 रु० की बेची जा रही है क्योंकि सरकार ने भाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्टस और सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार एक बोरी सीमेंट की लागत 21 रु० से 23 रु० प्रति बोरी आती है। विभिन्न प्रकार से टैक्स व किराया लगाकर भी एक बोरी की कीमत 45 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु सरकार बढ़े भाव मंजूर करके प्रति बोरी 20 रु० तथा उससे अधिक मुनाफा निगमों व सीमेंट के निजी क्षेत्र के उत्पादकों को करा रही है। इस प्रकार उन्होंने अरबों रुपया कमा लिया है। इस मुनाफाखोरी को दूर करने के लिए सरकार को सीमेंट का दाम कर करना चाहिए।

(सात) आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार, का आधुनिकरण करने की आवश्यकता

प्रो० अजितकुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, लगभग तीन करोड़ की आबादी उत्तरी बिहार की होने के बावजूद भी मात्र एक आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार, राष्ट्रीयकृत उद्योग है जिसका राष्ट्रीयकरण 20 दिसम्बर, 1980 ई० को पश्चिम बंगाल के पाँच जूट उद्योगों के साथ हुआ है। पश्चिम बंगाल के पाँचो राष्ट्रीयकृत जूट उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत कर एवं अग्रिम देकर आधुनिकीकरण की दिशा में पहल की गई है। परन्तु आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार की मशीन अत्यन्त

पुरानी होने के बावजूद जिसमें 4000 मजदूर कार्यरत हैं आधुनिकीकरण के लिए एक पाई नहीं दी गई है। ये छः जूट उद्योग (पांच पश्चिमी बंगाल एवं एक बिहार का) नेशनल जूट मेन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन ने अपने प्रतिवेदन द्वारा की है। आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार की मशीन बहुत ही पुरानी और कोयले से चलती हैं। जब तक इसकी आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक इसकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। अतः इस पिछड़े औद्योगिक उत्तरी बिहार के आर० बी० एच० एम० के आधुनिकीकरण के लिए आवेदन है।

(आठ) दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 पर राष्ट्रपति की अनुमति रोके जाने की आवश्यकता

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : वर्तमान, दंड प्रक्रिया संहिता विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 1973 में संसद की दोनों सभाओं द्वारा अपनाई गई थी। यह दंड प्रक्रिया संहिता अपराध के मामलों में पूरे देश पर लागू होती है।

इस संहिता की कुछ मूल अभिधारणायें है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना और जहाँ तक संभव हो सके निर्दोष व्यक्तियों को परेशान तथा नजरबन्द न करना।

परन्तु बिहार सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को अपना लिया है जो प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कुछ मूल अभिधारणाओं का विरोध करता है। उन मामलों में जहाँ पुलिस आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करती है, जमानत की मनाही की अधिकतम अवधि को 90 दिन से 180 दिन तक दुगना करने का प्रयास किया गया है जिसे जनता पार्टी की सरकार ने 60 दिन से 90 दिन तक बढ़ाया था। इससे भी अधिक मूल नीति से इस मामले में हटा गया है कि भारतीय दंड प्रक्रिया के अधीन 6 महीने की कैद और/अथवा 1000 रू0 तक का जुर्माना किये जानें वाले मामलों के संबंध में मुकदमा चलाने के अधिकार को न्यायपालिका से छीनकर, उसे कार्यपालिका को सौंप दिया जाए। भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त विशेष कानूनों के अन्तर्गत उन सभी मामलों को, जहां 3 वर्ष के कड़े कारावास का दंड दिया जा सकता हैं, कार्यपालिका को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग करने का जो हमारा मूल सांविधानिक दायित्व है, उसका उल्लंघन होगा और इस प्रकार दंड देने और मुकदमा चलाने की शक्तियां भी कार्यपालिका के हाथों में केन्द्रित हो जायेंगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिहार की कार्यपालिका द्वारा मिलावट, तस्करी, जमाखोरी, भविष्य निधि का रोकना, अस्पृश्यता आदि जैसे आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन दी गई शक्तियों का अभी तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को राष्ट्रपति की सहमति दी जानी बाकी है। मैं यहां सरकार से जोरदार अनुरोध करता हूं कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को अविलम्ब राष्ट्रपति की सहमति देने से सीधे इन्कार कर दे

ताकि वकीलों न्यायाधीशों सहित बिहार की जनता के विभाग में जो अनिश्चितता है उसे समाप्त कर दिया जाए ।

(नौ) पश्चिम बंगाल में तेल की खोज करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बहुत कमी है और पिछले कई वर्षों से तेल उत्पादों में हुई वृद्धि के बावजूद भी हम तेल उत्पादों संबंधी अपनी माँग को पूरा करने के लिये तेल उत्पादों के आयात पर प्रति वर्ष करोड़ों रूपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं । पहले, गालसी, बकुलतला और 24-परगना जिले के विभिन्न स्थानों तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती भागो में केवल 2500 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग का कार्य किया गया था ।

रूसी विशेषज्ञों ने कहा है कि कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भागों में भरपूर तेल है और उन्होंने अपना मत दिया कि वहां 5,500 से 6000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की जानी चाहिये और ऐसा करने पर वहाँ तेल अवश्य मिलना चाहिये ।

पेट्रोलियम उत्पादों की दिशा में आत्म निर्भर बनने तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये और देश के हित के लिए पश्चिम बंगाल के उपर्युक्त स्थानों तथा बंगाल की खाड़ी में 5,500 मीटर से लेकर 6000 मी0 गहराई तक ड्रिल करना आवश्यक है ।

मेरा केन्द्रीय सरकार तथा पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बात की घोषणा करें कि पश्चिम बंगाल में तेल प्राप्त करनेके लिये और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये उपर्युक्त आवश्यक कदम, बिना किसी विलम्ब के, उठाये जायेंगे ।

(दस) राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को दिये गये ऋणों पर ब्याज के बारे में उन्हें दिये गये वचन को पूरा करने की आवश्यकता

श्री वीरबल (गंगानगर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय उठाता हूं । प्रधान मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा प्रयास कर रही हैं कि देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया । किन्तु राजस्थान केनाल एरिया में बने पक्के खाले सिंचाई की रकम पर ब्याज माफ करने बाबत गत 17 अक्तूबर, 1983 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रावतसर में सार्वजनिक सभा हुई थी । इस अवसर पर राजस्थान केनाल एरिया के किसानों ने पक्के खालों की रकम पर आज से पहले का ब्याज माफ करने का अनुरोध किया था ।

मुख्य मंत्री, राजस्थान ने जो उस समय उपस्थित थे, सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि वे एक कमेटी का गठन करेंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज से पहले की मूल रकम का ब्याज माफ किया जायेगा । लेकिन अभी तक किसी भी कमेटी का इस हेतु गठन नहीं किया गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र के गरीब किसानों में भारी बेचैनी है ।

आशा है भारत सरकार राजस्थान सरकार को इस विषय में शीघ्र उचित कार्यवाही करने के निर्देश देगी तथा इस बारे में सदन में घोषणा करेगी ताकि वहां के किसानों में व्याप्त बेचैनी दूर हो।

(ग्यारह) मद्रास हवाई अड्डे पर हाल ही में हुए बम विस्फोट को देखते हुए भारत मे हवाई अड्डों की हिफाजत सुरक्षा तथा उनका कुशल कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु एक प्राधिकरण गठित करने की आवश्यकता

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मद्रास हवाई अड्डे पर आतंकवादी एवं त्रासद घटना तथा तत्पश्चात लोक सभा में उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के हवाई अड्डों पर कई कमियाँ हैं, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों में समवन्य का अभाव है। इस समय 36 अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं केवल वम्बई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से हर वर्ष 125 लाख से अधिक यात्रियों को लाने ले जाने एवं 21,000 टन माल ढोने में संलग्न है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण इन विभिन्न प्रकार की अनेकों समस्याओं एवं शिकायतों को दूर करने में असमर्थ हैं जबकि कानूनी रूप से यह दायित्व इसी का है। यात्रियों, वायुयानों एवँ हवाई पत्तनों की हिफाजत एवँ सुरक्षा के लिए इस विरोधास को शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि 16 सरकारी एजेन्सियाँ, 4 वायुसेवा एजेन्सियाँ, 16 वाणिज्यिक कम्पनियां हैं भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई 3 ठेकेदार जो पत्तन प्राधिकरण के अधीन है, 4 बी.पी.इ. एजेन्सियां हैं जो इन हवाई अड्डों के क्षत्रों में कार्यरत हैं। इससे यह पता चलता हैं कि इन हवाई अड्डों पर कार्य कितना अधिक तथा जटिल है और उसे सँगठित एवं समान्वित रूप में नहीं किया जा रहा है

यह बात बड़ें महत्व की हैं की एक सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण के रुप में केवल एक ही एजेन्सी होनी चाहिये जिसके प्रति अन्य सभी एजेन्सियां अथवा एकक उत्तरदायी हों और उसके अधीनस्थ हों। यदि इसे शीघ्र ही कार्य रुप न दिया गया तो मुझे भय है कि और अनेक त्रासद घटनाएं होंगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र ही एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करें ताकि भारत में हवाई अड्डों की हिफाजत, सुरक्षा एवं कुशल एवं संगठित कार्यचालन का अधिकार भारत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण में निहित किया जा सके।

(बारह) विस्वविद्यालयों शिक्षकों को समूचे देश में समान सुविधायें तथा पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की आवश्वकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस प्रकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों के पदों पर अध्यापकों को रोटेशन

में नियुक्त किया जाता है उसी प्रकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों को नियुक्त किया जाए। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को तो प्रदान की गई हैं किन्तु प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के अदयापकगण उन सुविधाओ से वंचित हैं। अतः सरकार से मेरी मांग है कि बिश्वयिद्यालय अनुदान आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को समान सुविधाएं एवं पदोन्नति आदि के समान अएसर प्रदान किए जाएं।

(तेरह) मध्य प्रदेश में दूर संचार सुविधाओं को सुधारने तथा देश में आधुनिक दूर संचार तकनीक प्रारम्भ करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में दूर संचार प्रणाली को अधिक कार्य-क्षम बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में दूर सँचाराका विस्तार निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। वर्ष 1983-84 की अवधि में 79 दूरभाष केन्द्रों की क्षमता विस्तार का लक्ष्य निश्चित किया गया था। किन्तु विगत वर्ष के लक्ष्य का भी अब तक 29 दूरभाष केन्द्रों का जिसमें उज्जैन, सहित भोपाल, रतलाम, मँदसौर, शाजापुर के दूरभाष केन्द्र सम्मिलित हैं। विस्तार कार्य नहीं किया जा सका है। उज्जैन के दूरभाष केन्द्र का विस्तार विगत चार वर्षों से नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं तो उज्जैन, इन्दौर भोपाल सहित प्रमुख नगरों में दूर संचार व्यवस्था को कार्यक्षम बनाने की आवश्यकता है। आलोट माकरा को ताल से जोड़ा जाना चाहिए। आलोट से ताल के बींच उपलब्ध टेलीफोन लाइन को सुधार कर यह किया जा सकता है। तराना से माकड़ोन के बीच टेलीफोन सेवा में सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बड़नगर खाचरोद, आलोट, महिपुर और तराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष प्रणाली को कार्यक्षम बनाने के उपाय किए जाने चाहिए।

अतएव मेरा सँचार मंत्रालय से आग्रह हैं कि देश में दूर संचार प्रणाली को आधुनिकतम तकनीकी अनुरूप विकसित कर कार्यक्षम बनाया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में दूर सँचार विस्तार के कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरा कर दूर संचार प्रणाली को कारगर बनाया जाए।

12.00 म. प.

(चौदह) हैवी इन्जीनियरिंग, रांची के कर्मकारों की हड़ताल को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री मुखर्जी समर (हावड़ा) : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में 17,000 कर्मकारों द्वारा 9 अगस्त, 1984 को आरम्भ की गई अनिश्चित कालीन हड़ताल पूरी तरह से सफल रही है और अभी तक भी जारी है क्यों कि भारत सरकार इस मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में असफल रही है। एच. ई. सी. अभियान समिति जो हड़ताल का नेतृत्व कर रही है, सभी कर्मकारों का समर्थन प्राप्त है किन्तु फिर भी प्रबन्धक ईटक को मान्यता जारी रखे हुए है जिसके कारण प्रतिदिन 50 लाख रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हो रही है।

अभियान समिति ने 19 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें पदोन्नति नीति में एक तरफ संशोधन वापस लेने, मकान किराया भत्ते नगर प्रति एवं कर भत्ते बकाया भुगतान करके, भूतकाल में कार्मिक रुपयों को उपलब्ध की गई सुविधाएं पुन: देने पीड़ित करने वाले उपाय वापस लेने, तथा कर्मकारों की शिकायत को दूर करने के लिए एक संयुक्त तन्त्र की स्थापना करने की मांगे भी शामिल हैं। जब 23 जुलाई, 1984 को कर्मकार ने एक दिन की पूर्ण हड़ताल की थी तो एच. ई. सी. के प्रबन्धकों ने अभियान समिति के साथ बातचीत करने से इन्कार कर दिया था। इसी रवैये के कारण ही 9 करोड़ रुपये से भी अधिक उत्पादन का अब तक नुकसान हुआ है जब कि यह कर्मकारों की मांगों की कीमत से कई गुना अधिक है। एच. ई सी प्रबन्धकों का रवैया इतना अधिक कठोर है कि रांची के कांग्रेस (इ०) के कतिपय सदस्यों को इस प्रमुख सरकारी उपक्रम की [illegible] न करने के लिए आगे आना पड़ा। रांची शहर में लोगों ने 17 अगस्त, 1984 को एक बंद का आयोजन किया।

मैं उद्योग मन्त्री महोदय से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि हड़ताली कर्मकारों के प्रतिनिधियों से दिल्ली में एक बैठक का आयोजन करें ताकि लम्बे समय से चली आ रही इस हड़ताल को अविलम्ब समाप्त किया जा सके।

(पन्द्रह) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की हटिया इकाई के कर्मकारों की हड़ताल समाप्त कराने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : कार्मिक संघ के नेता की हत्या एवं पुलिस एवं प्रबन्धकों द्वारा फैलाए गये आतंकवाद के बावजूद, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की हटिया इकाई में पूरी तरह और सफल हड़ताल हुई है। 17.000 कर्मकार 9 अगस्त से हड़ताल पर हैं जिससे कारखाने में काम ठप्प हो गया है। कर्मकारों ने इसलिए हड़ताल करने का निर्णय किया कि प्रबन्धकों के साथ उनके मांग पत्र पर वार्ता असफल हो गई थी। सरकार ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। कर्मकारों की मांगों में समय बद्ध पदोन्नति' 1984 के स्थान पर 1982 से सी. सी, जिनके पास क्वाटर नहीं, उन्हें मकान किराया भत्ता देना, कारखाना स्थापित करने के लिए जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है, उनके परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देना शामिल है।

मैं सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस हड़ताल को समाप्त किया जा सके।

सोलह) राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण सम्बन्धी मामले बार बार उठाता रहा हूं। सरकार यह हमेशा वचन देती रही है कि मामले पर विचार किया जायेगा और इस पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। सदन ने अनेक बार इस समस्या पर विचार विमर्श किया है और केन्द्रीय सरकार ने कुछ कार्य भी आरम्भ किए

हैं किन्तु इन कार्यों का लाभ अभी भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचना आरम्भ नहीं हुआ है इन निष्ठावान नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या निराशा के कगार पर खड़ी है क्योंकि केन्द्र सरकार शीघ्र ही कार्यवाही नहीं करती तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र हस्तक्षेप करें और उच्चस्तरीय समिति के निर्णय शीघ्र प्रकाश में लाए। केन्द्र सरकार की नीतियों के राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियन के लिये सरकार द्वारा इन निर्णयों को स्वीकार करना एवं अन्य बड़े उपाय करना आवश्यक है तभी ये सुप्रशिक्षित नागरिक निराशा की स्थिति से उबर सकते हैं और उनके प्रशिक्षण देश के विकास और अखण्डता के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

(सत्रह) केन्द्रीय विधायकों के शिक्षकों की मांगों का शीघ्र निबटारा कराने हेतु सरकार को हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कठवा) : मैं इस सभा का लोक महत्व के एक अविलम्बनीय मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

केन्द्रीय विधालयों के पांच-अध्यापक 30 अगस्त से वोट कलब, नई दिल्ली में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने वाले हैं। यहां पर ग्यारह अध्यापकों के समूह में 48 घन्टे की क्रमिक भूख हड़ताल पहले ही चल रही हैं। 13 तारीख की सुबह को 7 समूहों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल आरम्भ की थी। इन मांगों मैं गर्वनर बोर्ड में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व, पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना, समय बद्ध चयन ग्रेड देना, पर्याप्त अवासीय एवं चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना, योग और परीक्षणाधीन तदर्थ अध्यापकों आदि को नियमित करना भी शामिल है।

इस महीने की 18 तारीख को 495 केन्द्रीय विद्यालयों में से 400 ने एक दिन भी संकेतिक हड़ताल की थी और दिल्ली और देश के सभी बड़े शहरों में अपनी मांगों के समर्थन में रैलियों का आयोजन किया था।

यद्यपि उनकी मांगे उचित हैं और उन्हें पूरा करने के लिये अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता नहीं है और यद्यपि यह मामला लोक सभा में पहली अगस्त को भी उठाया गया था, फिर भी शिक्षा मन्त्री महोदय ने पिछले 34 महीनों की अवधि में केन्द्रीय विद्यालय अध्यापकों की शिकायते सुनने के लिए एक मिनट का समय भी नहीं दिया हैं। इस सन्दर्भ में मैं प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध करता हू कि इससे पहले कि यह पांच अध्यापक 30 अगस्त को अपने जीवन दांव पर लगा दें, बातचीत से समझौते की व्यवस्था करें।

विश्वविद्यालय के छात्रों में व्याप्त असंतोष

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मैं नियम 377 के अधीन निम्न विषय उठाना चाहता हूं।

विश्व-विद्यालयों में छात्रों का बढ़ता हुआ असन्तोष देश के लिए एक खतरा है, खास तौर

से ऐसे विश्व-विद्यालय जैसे कृषि आयुर्वेद, मेडिकल, इत्यादि। हिसार कृषि विश्व-बिद्यालय में छात्रों की सड़ताल व भूख-हड़ताल है। इसी तरह सारे देश में स्थिति है। इसके कारण नीचे लिखे हैं-

(1) अंग्रेजी माध्यम,

(2) बंधा दाखला,

(3) महंगी शिक्षा, तथा

(4) बेरोजगारी,

आशा हैं सरकार इसको मिटाने का प्रयत्न करेगी।

(उन्नीस) राज्य सरकारों के कर्मचारियों और शिक्षकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने तथा उन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष लाने की आवश्यकता

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : पचास लाख राज्य सरकार कर्मचारी अपनी बहुत सी उचित मांगों के माने जाने से लगातार इनकार किए जाने के कारण बहुत नाराज हैं और अब राज्य सरकार के कर्मचारी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में से सबसे कम वेतन पाने वाले हैं। कर्मचारियों के वेतन में कटौती अनियंत्रित मूल्य वृद्धि तथा केन्द्र सरकार की वित्तीय तथा बजट सम्बन्धी नितियों के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर वित्तीय संशाधन केन्द्र सरकार के हाथों में हैं और यदि राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की जाती, तो राज्य सरकारों के लिए राज्यों में विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की, जिनमें राज्य कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देना भी शामिल है, कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मन्त्री को अनेक अभ्यावेदन दिए थे। राज्य सरकार के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करना राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की साँझी जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने 50 लाख राज्य कर्मचारियों तथा अध्यापकों को 4 सितम्बर, 1984 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल करने के लिए आहवान करने का निर्णय किया है और तदनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों को हड़ताल के नोटिस दे दिए गए है। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि वहइसके लिए रास्ते तथा साधन निकाले ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगे पूरी की जा सकें।

(1) केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाना।

(2) राज्य कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस।

(3) राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय ढंग से अन्तरिम सहायता तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समान वेतन।

(4) बकाया राशि के साथ केन्द्रीय मंहगाई भत्ता।

(5) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराना।

(6) उत्पीड़न बन्द करना तथा केन्द्र व राज्यों द्वारा सभी कर्मचारी विरोधी कानूनों को रद्द करना।

(7) राज्य कर्मचारियों को पूरे श्रमिक संघ तथा लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करना।

(बीस) डिफेंस वेहिक्ल फैक्टरी और ग्रे आयरन फांऊंड्री का प्रस्तावित स्थानान्तरण

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, भौगोलिक दृष्टि से, भारत का मध्यबिन्दु है। सुरक्षा का दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण प्रतिरक्षा से सम्बन्धित अनेकों कारखाने यहाँ पर स्थित हैं। लगभग अस्सी हजार कर्मचारी इन सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं। इनमें एक है व्हेक्ल फैक्टरी तथा दूसरा है ग्रे आयरन फाउण्डरी। पहले की स्थापना 1971 में तथा दूसरे की 1974 में हुई थी। क्रमश: 13000 तथा 4000 कर्मचारी अर्थात् कुल 17000 कर्मचारी इनमें कार्यरत हैं।

कुछ समय से यह अफवाह फैल रही है कि इन दो सुरक्षा संस्थानों का प्रबन्ध किसी उपक्रम (अंडरटेकिंग) को दिया जाएगा और यह सम्भावना होगी कि अधिकांश कर्मचारी स्थानांतरित होंगे।

मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अर्थात् विगत 37 वर्षों में प्रतिरक्षा से सम्बन्धित 84 कारखानों में से यही दो कारखाने, जिनमें रक्षा विभाग के लिए जोंगा-जीप, शक्तिमान ट्रक, आदि की निर्मिती होती है, क्यों उपक्रम (अंडरटेकिंग) के लिए छांटे गए।

अत: मेरा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दें। मेरी मांग यह है कि इन दोनों सुरक्षा संस्थानों को अथवा इनमें कार्यरत 17 हजार कर्मचारियों को जबलपुर से न हटाया जाए।

(इक्कीस) पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में व्यापक राहत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिचाई मंत्री का ध्यान देश के सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहता हूं। इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें पानी के अभाव में सूख रही हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा की मुख्य फसलें पानी के अभाव में बर्बाद हो गई हैं।

सिचाई के साधनों का बुरा हाल है। नलकूप और नहरों का होना न होना एक समान

है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं की राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये नए भी नलकूप आज काम नहीं कर रहे हैं। किसी की मशीन खराब है तो किसी से पानी ही नहीं निकलता। बिजली सप्लाई के बारे में कहा जाता है कि किसानों को बिजली आठ घंटे मिलती है पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जौनपुर, गाजीपुर ग्रामीण इलाकों में विगत दो लाह से बिजली की आपूर्ति का औसत दो घंटा से भी कम रहा है। परिणाम स्वरूप राजकीय ट्यूबैल व निजी पंपिग सैट बेकार हैं। सिचाई को कौन कहे पीने के पानी का भी अभाव है।

पशुओं के लिये चारे की समस्या। हरा चारा ही नहीं, बल्कि भूसा भी नहीं है। आदमी और जानवर को जीवन गुजारे यह एक प्रश्न है। एक और मैदानों में तो पानी नहीं है, दूसरी ओर गंगा गोमती, घाघरा, सई, तथा वरुणा आदि नदियों में बाढ़ आई हुई है। नदियों के किनारे की फसलें पानी में डूब गई हैं। बाढ़ के पानी से मकान गिर रहे हैं। लोग शिविरों में रह रहे हैं। मौसम की इस विषमता से तरह तरह की नई बीमारियाँ फैल गई हैं। बाढ़, सूखा और बीमारी से भीषण तबाही है। इतनी भयंकर समस्या कभी देखने में नहीं आई थी।

अत: ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं माननीय सिचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों में सिचाई के साधनों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाय। राज्य सरकार को निर्देश दिये जायं कि किसानों के लगान की वसूली बन्द हो, और नये लगान साफ हो, छात्रों को पुस्तकीय तथा विशेष वित्तीय सहायता देकर उनकी फीस माफ की जाय। बाढ़ पीड़ितों को मकान बनाने के लिये अनुदान दिये जायें। प्रत्येक खण्ड विकास क्षेत्रों में गरीबों, मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिये टेस्ट वर्क चालू कराये जायें।

(बाईस) दिल्ली विश्व विद्यालय के वर्ल्ड यूनीवर्सिटी सर्विसिज सेंटर द्वारा प्रतिबन्धित तत्रा पुराने भंडार की दवाईयों की सप्लाई

श्री राम विलास पासवान (हाजिपुर) : मान्यवर, दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विसिज (डब्ल्यू यू. एस.) मैं ऐसी पुरानी दवाईयाँ दी जाती हैं जिनके उपयोग की तारीख वर्षो पहले खत्म हो चुकी होती है। एक डाक्टर ने इस खतरनाक स्थिति की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चेयरमैन, मैंनेजिंग कमेटी तथा कुलपति का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया। विश्वविद्यालय के कर्मचारी यूनियन और विश्वविद्यालय के के कार्यकरि परिषद के दो सदस्यों ने कुलपति को पत्र लिख कर जाँच कराने की मांग की है। इस तरह की दवाइयाँ अन्य जगहों में भी खुले आम विक रही है। संसद में हम लोगों ने बार बार मांग की है। लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नही की गई।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार ऐकालायर्ड एवं बैन्ड (प्रतिवन्धित) दयाइयों पर रोक लगाये और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे।

(तेईस) महाराष्ट्र के संत गाड़गे बाबा तथा संत कुंवर राम की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्रीमती उषाप्रकाश चौधरी (अमरावती) : मान्यवर, यह हमारे इतिहास और संस्कृति

की विशेषता है कि हमारे देश में राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आजादी के लिए साथ साथ अभियान चला। इस देश में राजनीति और समाज नीति एक अविभाज्य अंग रहा है और उसके लिये हमारे धर्म प्रवर्तक, समाज सुधारकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। हमारा समाज और प्रजातन्त्र उन्हीं के प्रति ऋणी हैं।

ऐसे महान लोगों में से समाज परिवर्तन के अभियान में जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया उनमें श्री संत गाड़गे बाबा और संत कुंवर राम जी भी थे। एक उपेक्षित पिछड़े हुए समाज में और बहुत ही गरीबी में सन्त गाड़गे बाबा का जन्म हुआ था। एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति ने समाज चिंतन से शिक्षा का व्यसन मुक्ति तथा बुरी परम्पराओं से बाहर निकलने का महत्व जाना। उन्होंने पूरा जीवन भ्रमण करके समाज और देश की जन जागृति की। उन्होंने अज्ञान, रूढ़ि, परम्परा कर्म के नाम पर शोषण व व्यसना शक्ति आदि से समाज को बाहर निकालने की की कोशिश की। इस देश की जनता और खास करके महाराष्ट्र जो उनकी जन्म भूमि भी रही है वहां वे श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान बन चुके हैं।

वैसे ही सन्त कंवर राम जी का व्यक्तित्व रह चुका है। लोगों के सुख दुश समझ कर उसको दूर करने की एक सेवाभावी शिक्षा तथा अनुरोध इस महात्मा ने सबको दिया है। ऐसे आदर्श समाज में कायम रहे और उनको सम्मानित करे, यह हमारा फर्ज है। इस साल संत कुंवर राम जी की जन्म शताब्दी है। कई बरसों से संत गाड़गे बाबा तथा सन्त कुंवर राम की डाक टिकट प्रकाशित करके उस माध्यम से लोगों में उनका आदर तथा महत्व पहुंचाने की प्रभावी मांग सरकार से हो रही है। लेकिन हमें खेद हैं कि यह बात शासन के विचारा. धीन है, लेकिन अब तक इन महात्माओं का डाक टिकट प्रकाशित करने की घोषणा शासन ने नहीं की है।

इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लोगों की भावनाओं को समझ कर उक्त दोनों महान व्यक्तियों के डाक—टिकट प्रकाशित करें।

(चौबीस) महाराष्ट्र में मनखुर्द-बेलापुर रेल लाइन का निर्माण कार्य तेज करने के लिए अतिरिक्त धन देने की आवश्यकता

श्रीमती शालिनी वी० पाटिल (सांगली) : महोदय, नई बम्बई के विकास तथा बम्बई की भीड़ भाड़ को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 76 करोड रुपये की लागत से मनखुर्द बेलापुर रेलवे लाइन का निर्माण करने की मंजूरी दी है।

इस परियोजना को वर्ष 1983-84 के रेल बजट में शामिल किया गया है और इसके लिए करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। 1984-85 में 75 लाख रुपए की नाममात्र राशि का प्रावधान किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप प्रस्तावित रेल लाइन की निर्माण की अवधि में अनावश्यक रूप से विलम्ब होगा, क्योंकि स्वीकृत धनराशि से वास्तव में कोई भीप्रगति नहीं हो सकती।

परियोजना के भारी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 1984-86 की अवधि के दौरान 7 करोड़ रुपए उपलब्ध करने की पेशकश की है।

अतएव, मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि मनखुर्द-बेलापुर रेल लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध की जाए तथा परियोजना को पूरा करने की गति को तेज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का भी उपयोग किया जाए।

(पच्चीस) विमानों का अपहरण रोकने हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (नारामूला) : महोदय, विमान अपहरण की घिनौनी घटनाएं देश में आए दिन हो रही हैं। हर बार सरकार एक ही आश्वासन देती हैं कि सुरक्षा प्रबन्धक और कड़े किए जाएगें तथा भविष्य में विमान अपहरण के प्रयत्न विफल किए जाएंगे।

अभी एयरबस का अपहरण करके लाहौर ले जाने की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चल ही रही थी कि 24 अगस्त, 1984 को श्री नगर जा रहे बोइंग 737 का अपहरण करके पहले पाकिस्तान तथा उसके बाद दुबई ले जाया गया।

ऐसा लगता है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में केवल हमारे किसानों के अपहरण की ही घटनाएं अधिक हुई हैं प्रश्न यह है कि जुलाई, 1984 की घटना के बाद सुरक्षा प्रबन्धक और कड़े क्यों नहीं किए जा सके। अपहरण कर्त्ताओं का चंडीगढ़ से विमान में सवार होना, जो कि सीधे अर्द्ध-सैनिक बलों के नियंत्रणाधीन है, पंजाब प्रशासन पर एक लाँछन है, जिसकी कि वर्तमान राज्यपाल सतारावाला के शासन के दौरान सुधरने की आशा थी।

मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्र को यह आश्वासन दे सकती है कि सुरक्षा प्रबन्ध इस सीमा तक कड़े कर दिए जाएंगे कि विमान अपहरण करना असम्भव हो जाए सरकार को समस्या के मूल में भी जाना चाहिए ताकि पंजाब में विद्रोही युवकों को सामाजिक-राजनीतिक परिवेश की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालम) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

व्यवधान

सभापति महोदय : ऐसा नहीं हो सकता। आप बैठ जाइए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बैठ जाइए।

(छब्बीस) नई दिल्ली और गोहाटी के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की

राजधानी सेवा जैसी एक सुपरफास्ट गाड़ी नई दिल्ली और गोहाटी के बीच चलाने की लम्बे समय से की जा रही माँग की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस समय नई दिल्ली ओर गोहाटी के बीच केवल एक तेज गाड़ी तिनसुकिया मेल है जो कि 36 घण्टे से अधिक समय लेती है। यह सफर बहुत ज्यादा समय लेने वाला एवं थकाने वाला है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोहाटी एक महत्वपूर्ण स्थान हैं अत: यह आवश्यक है कि रेल संचार के मामले में वहां के लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। अत: मैं निवेदन करूंगा कि नई दिल्ली से बम्बई तथा नई दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की भांति ही नई दिल्ली से गोहाटी तक सीमित स्टाप वाली राजधानी एक्सप्रेस शुरू की जाए।

इसके दूर-दराज का क्षेत्र होने के कारण अगर यह रेल सेवा यहां शुरू की जाती है तो आवश्यकता के समय सैनिक तथा असैनिक कर्मियों को वहाँ तैनात करने में सहायता होगी तथा सामान्य जनता भी आराम से तथा कम से कम समय में सफर कर सकेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि गोहाटी के लिये राजधानी सेवा शुरू करने से यह पुर्वोत्तर क्षेत्र के सम्पूर्ण लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में मिलायेगी तथा राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ाने में भी मदद करेगी जो कि समय की माँग है। शुरू में यह सेवा सप्ताह में दो दिवसीय हो सकती है जिसे धीरे धीरे बाद में यात्रियों की संख्या देखते हुये बढ़ाया जा सकता है।

(सत्ताईस) खड़गपुर और मद्रास के बीच प्रस्तावित शटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालसोर) : दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने खड़गपुर और भद्रक के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का निर्णय अप्रैल 1984 में किया था। लम्बे समय से लोगों द्वारा उठाई जा रही वास्तबिक दिक्कतों पर विचार करते हुये दक्षिण पूर्व रेल के महाप्रबन्धक तथा उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने बालासोर में 13.4.84 को एक जनसभा में यह घोषणा की थी। उड़ीसा राज्य सरकार तथा आम जनता की बार-बार की जा रही माँग के कारण, मण्डलीय स्तर तथा प्रभागीय स्तर पर दक्षिण—पूर्व रेलवे प्राधिकरण ने जुलाइ, 1984 में इस गाड़ी को चलाने का लिखित में आश्वासन दिया था जिसके लिज समय—सारिणी, स्टाप तथा अन्य ब्यौरे आदि मुक्तेश्वर में 4.7-84 को महाप्रबन्धक सी. ओ. पी. एस. तथा सम्बन्धित डी. आर. एम. एस. तथा दूसरों की उपस्थिति में उड़ीसा के संसद सदस्यों की औपचारिक मण्डलीय रेलवे परामर्श समिति की बैठक में निश्चित किये गये थे। परन्तु यह गाड़ी अभी तक नहीं चलाई गई है। महा-प्रबन्धक से निजी तौर पर बातचीत करने पर उन्होंने पुन: आश्वासन दिया कि यह गाड़ी 15 अगस्त, से पहले चला दी जायेगी और इस गाड़ो के लिए डिब्बे पहले ही तैयार हो गये हैं और वे खड़गपुर रेलवे यार्ड में पिछले 5 महीनों से अधिक समय से पड़े हैं ताकि किसी भी वक्त रेल को चला दिया जाये। यह गाड़ी न चलाने से उस क्षेत्र के लोगों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है,

जिसे रेलवे अधिकारियों के आश्वासन से ही रोका जा सकता है।

इन परिस्थितियों में मेरा रेलवे मन्त्रालय से अनुरोध है यह एक्सप्रेस गाड़ी इस महीने के अन्त से पहले चलाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये ताकि प्रयोक्ताओं की चिरकाल से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके।

(अठ्ठाईस) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदत, भारत को स्वतंत्र हुए 37 साल हो चुके हैं परन्तु पीने के पानी की समस्या का अभी तक सम्पूर्ण निदान नहीं हुआ है।

देश में रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के कई समस्याप्रद ग्रामों के पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई है। अभी भी ग्रामीणों को 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों में नलकूप सफल हुए हैं। परन्तु अधिकांश स्थानों में या तो पानी खारा है या अपर्याप्त है जिसमे समस्या की स्थायी निदान नहीं हो सकता है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए राजस्थान नहर बरवान के रूप में आई है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर चूरू, एवं गंगानगर जिलों में पीनेके पानी की स्थायी हल राजस्थान नहर ही है।

अत: निवेदन है कि केन्द्र सरकार राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर जिलों में पीने के पानी के स्थायी हल के लिए राजस्थान नहर के लिफ्ट एवं फ्लो कैनाल द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पानी पहुंचाने और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये पूरा प्रावधान करावे और पीने के पानी को सबसे अधिक प्राथमिकता दे।

(उन्नीस) बर-विलाड़ा रेल लाइन का निर्माण कार्य आगामी वर्ष तक पूरा करने की आवश्वकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, देश में पिछले दो वर्षों में अनेक नई रेलें चलाई गई हैं जिससे जनता को लाभ पहुंचा है और इसी आशा को रखकर एक रेलवे लाइन, बर से विलाड़ा तक का मई 1983 में सर्वे पूरा हुआ। इस सर्वे के आधार पर नई रेलवे लाइन डालने में सरकार का केवल 10.97 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार का यह कहना कि यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होगी, ठीक नहीं है। यह रेल जिस क्षेत्र से गुजरेगी वह आर्थिक दृष्टि से भरा-पूरा क्षेत्र है। तीन-तीन फसलें यह क्षेत्र पैदा करता है और वाणिज्यिक फसलें पैदा होती हैं तथा देश कौने-कौने में मेंहदी, जीरा, कपास, तिलहन आदि फसलें जाती हैं। धरती बहुत उपजाऊ है और इस रेल लाइन के किनारे-किनारे छोटे और बड़े अनेकों कस्बे हैं। जैसे कालूपुर, निमाच, जैतारण, कुशालपुरा, देवरिया, तालकिया, विराटियां, बर, विलाड़ा आदि।

यह कि जिन लोगों को दिल्ली से जोधपुर जाना होता है, उन्हें मारवाड़ जक्शन होकर जाना पड़ता है। जब यह नई रेलवे लाइन बन जायेगी तो सभी यात्री सीधे बर से बिलाड़ा होते हुए जोधपुर चलें जायेंगे तथा उनके जो 8 घण्टे का समय बर्बाद होता है, वह भी बच सकेगा। आर्थिक दृष्टि से यह रेलवे लाइन लाभप्रद तथा इसमें कोई घाटा रेलवे को नहीं होगा।

अत: मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छोटी सी लागत से बनने वाली इस रेलवे लाइन, जिसका सर्वे डेढ़ वर्ष पूर्व हो चुका है, का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में पूरा कराने की घोषणा सदन में करें।

(तीस) 1984-85 के दौरान मयूरमंज, उड़ीसा में झारदी में प्रस्तावित फैरोवेनेडियम संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मनमोहन टुडू (मयूरमंज) : सरकार का उड़ीसा के मयूरमंज जिले में रायरंगपुर के निकट झारदी में एक फेरो वेनेडियम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। यह योजना तीन दशक पहले बनायी गयी थी। मयूरमंज निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य होने के नाते यह जानने के लिए कि परियोजना इस को स्थापित करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं मैंने कई बार इस मामले को उठाया है। सन् 1983 में मेरे एक अतांराकित प्रश्न के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह संयंत्र 1983-84 के वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित हो जायेगा। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गयी है।

मयूरमंज जिले में खनिजों की आधिकता है तथा रायरंगपुर। फैरो वेनेडियम संयंत्र के लिये उपयुक्त स्थान है। अन्य स्थानों की तुलना में वहां पर कम लागत पर सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं। अगर संयंत्र स्थापित हो जाता है तो स्थानीय युवकों के लिये इससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। चूंकि यह जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और जनजातिय क्षेत्र में स्थित है, फैरो वेनेडियम संयंत्र यहां जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाना चाहिये। संयंत्र की स्थापना में अत्याधिक विलम्ब होने के कारण स्थानीय लोग अत्याधिक उत्तेजित हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा के मयूरमंज जिले में रायरंगपुर के निकट झरादी में फैरो वेनेडियम संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिये।

(इकत्तीस) रक्तदान हेतु संहिता बनाने तथा रक्त संबंधी नीति बनाने की आवश्यकता

श्री सी. चिन्ना स्वामी (गोबिचेट्टीपलयम) : महोदय, सरकार को 'रक्त नीति' बनाने की आवश्यकता की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। जैसी कि आज स्थिति है, भारत में रक्त चढ़ाने की गुणवक्ता तथा स्तर में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। भारत में रक्त दान करने वाले लोगों में लगभग 30 प्रतिशत वे लोग हैं जो पैसे के लिये रक्त बेचने हैं और चिकित्सक समाज को इस बुरी प्रथा के दुष्प्रभावों की जानकारी है। चिकित्सकों की राय में इस तरह पैसा कमाने के लिये रक्त दान देने के परिणामस्वरूप कुछ बीमारियाँ और लोगों में फैल सकती हैं। रक्त के

बैंक बनाने के मामले में नीति संबंधी कोई नियमावली होनी चाहिये और एक रक्त नीति बनाई जानी चाहिये। रक्त दान करने की जिम्मेदारी एक सामुदायिक जिम्मेदारी बनाकर, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय सक्षमता भी शामिल हो, एक राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। इसके रक्त देना रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता, दोनों के लिये ही सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में एक स्वैच्छिक रक्त दान प्रणाली बनाने की आवश्यकता है और यदि प्रत्येक स्वरूप व्यक्ति अपने जीवन में केवल कुछ बार भी रक्त दान करें दें तो इस प्रणाली में काफी सुधार लाया जा सकता है।

(बत्तीस) उत्तर प्रदेश के ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी बिजलीघरों में हड़ताल

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी बिजलीघरों में कई दिनों से हड़ताल चल रही है। उसकी वजह से समूचा उत्तर प्रदेश अन्धकार में डूबा हुआ है। अब उस हड़ताल में इन्जीनियर और जूनियर इन्जीनियर भी शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में भारी कटौती कर दी गई है। इसका परिणाम यह है कि मिलों, कारखानों और फैक्टरियों में उत्पादन ठप्प हो गया है।

यही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा भी पड़ रहा है। नलकूपों को बिजली नहीं मिल रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करायें जिससे वहां का अन्धेरा दूर हो तथा उद्योग धन्धों और कृषि कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई हो सके।

सभापति महोदय : जो कुछ आप कहना चाहते थे आपने कह दिया परन्तु यह राज्य का विषय है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाया है। कल मैं लखनऊ में था। दो मंत्री जी गये थे परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। सम्पूर्ण राज्य .....

सभापति महोदय : प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। उन्होंने अपनी बात कह दी है। वह इसमें है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। वास्तव में सरकार वहां पर कोई भी हल ढूंढने में विफल रही है। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

सभापति महोदय : आपकी टिप्पणी का इससे कोई मतलब नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहना था वह पहले ही कह चुके हैं। आप क्यों चिंतत है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उस राज्य से हूं। मेरी जनता पीड़ीत है। कृपया इस संबंध में सरकार से कुछ करने के लिए कहिये। कम से कम उतना तो आपको कहना ही चाहिये।

सभापति महोदय : बात कह दी गई है और यही काफी है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा।

(तेतीस) बिहार में पारसनाथ पहाड़ी पर एक उच्च शक्ति वाला टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि बिहार के गिरिडीह, हजारीबाग एवं संथाल परगना के 4 जिलों को हर विकास कार्यक्रमों के प्रारंभ में उपेक्षित रखा जाता है, यहीं कारण है कि ये 6 जिले सबसे पिछड़े हैं। इस क्षेत्र में कोयला अभ्रक, वन-सम्पदा, बौक्साइट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट आदि का भारी खजाना है। यहां लगभग 85 लाख लोग निवास करते हैं। इनमें हरिजन आदिवासी एवं कमजोर वर्गीय लोगों की जनसंख्या लगभग 75 प्रतिशत है। मजदूरों की भारी संख्या है।

दूर दर्शन केन्द्रों की स्थापना में ये जिले सूचीवद्ध थे किन्तु अभी तक कहीं स्थापना की कोई सुगबुगाहट नहीं है। आम जनता में भारी असतोष पनप रहा है।

मेरा सुझाव है कि बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ है उसकी ऊंचाई 4229 भीट है और जिस पर चढ़ने के लिए वन-विभागीय मार्ग भी हैं इस पर एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर जो 125 किलोमीटर की परिधि में दूर दर्शन प्रसारण कर सके, लगाया जाय। हमने कई जिलों में अलग दूर दर्शन केन्द्र लगाने के अत्यधिक अपव्यय, अधिक नियोजन आदि की समस्याओं से बच कर एक ही केन्द्र से सभी जिलों के निवासियों को दूर दर्शन की सुविधा प्रदान की जा सकती है। वह जनहित में अत्यावश्यक है और 1984 के अन्दर पारसनाथ पर्वत पर दूर दर्शन केन्द्र लगाया जाय।

यही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा भी पड़ रहा हैं। नलकूपों को बिजली नहीं मिल रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करे और बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करायें जिस से वहां का अन्धेरा दूर हो तथा उद्योग धन्धों और कृषि के लिए बिजली की सप्लाई हो सके।

(चौंतीस) पूनामाली को रेल लाइन तथा अवाड़ी के साथ जोड़ने की आवश्यकता

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : मैं समझता हूं कि मद्रास मैट्रोपोलिटन सर्कुलर रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। रेल इंजीनियरिंग अधिकारी परियोजना का विस्तृत मान-चित्र तैयार कर रहे हैं। मुझे पता चला हैं कि यह सर्कुलर रेल लाइन तम्बरम से अन्नानगर होती हुई अबाड़ी तक बिछाई जायेगी। अन्नानगर में अधिकतर अमीर लोग रहते हैं, जिनके पास अपनी यातायात सुविधाएं हैं। इसलिए रेल लाइन को अन्नानगर से निकालने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक लाभ नहीं होगा। इसलिए, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि तम्बरम से अन्नानगर से होती हुई अबड़ी को यह लाइन निकालने की बजाय, यह रेल लाइन तम्बरम से पूनमअल्ली तक ले जायी जाए ओर इसे अवड़ी भी जोड़ा जा सकता है।

पूनमअल्ली एक बड़ा शहर है, इसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, इसके अलावा बाहर से भी लोग आते रहते हैं। पूनम अल्ली, अवड़ी की औद्योगिक पट्टी पर स्थित है और इसलिए बहुत से मजदूर जो कि अम्बेटूर और विल्लविक्कम की फैक्ट्रियों में कार्य करते है. पूनमअल्ली में

रहते हैं। पूनमअल्ली में बस यातायात बहुत अधिक हैं और जनता को विशेषकर भीड़ भाड़ के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है

पूनम अल्ली को अवाड़ी तक रेल लाइन द्वारा जोड़ने का पहले ही एक प्रस्ताव था और मैं समझता हूं कि दस वर्ष पहले ही इस कार्य के लिए सर्वेक्षण कार्य और अन्य औपचारिताएं पूरी हो चुकी हैं। अगर तम्बरम से बिछायी जाने वाली रेल लाइन पूनमअल्ली तक जोड़ दी जाये तो इससे जनता को बहुत लाभ होगा।

इसलिए मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित मद्रास, मैट्रोपोलिटन सर्कुलर रेल परियोजना के तहत तम्बरम से पूनमअल्ली को अवाड़ी तक जोड़ने के लिए मानचित्र तैयार करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उहयुक्त अनुदेश दें।

———

सभापति महोदय : सभा अब अगले विषय-वक्फ (संशोधन) विधेयक—पर, विचार करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि समाचार पत्रों में छपी है·····*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अभी उत्तर दिया है। आप कृपया बैठ जाइये। मैं समझाता हूं और प्रत्येक इस बारे में जानता है। इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं? मेरे पास जो कार्य सूची है, उसके अनुसार मुझे अपना कर्त्तव्य वहन करना है। हर बात का अपना एक स्थान होता है। कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपकी अनुमति से मैंने यह बिषय उठाया था।

सभापति महोदय : हम एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझें।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है,

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री इन्द्रजीत यादव : एक दफा कार्य सूची में सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा की मद छपी थी और कार्यमंत्रण समिति इस बात से सहमत थी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र पर विचार किया जाए·····

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह प्रश्न पहले ही उटाया गया था और निपटा दिया गया था । इस पर और अधिक·····इस समय नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं निर्णय जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही इस प्रश्न को निटपा दिया हे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : किस तरह से इसे निपटाया गया ?

सभापति महोदय : मेरे साथ तर्क मत कीजिए । कृपया अध्यक्ष से पूछिये । यहां पर यह बिल्कुल संगत नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं अध्यक्ष का निर्णय जानना चाहता हूं ।

यह कैसे हुआ ? कार्य मन्त्रणा समिति में सहमति हुई थी और इसे कार्य सूची में रखा गया था लेकिन अब यह इसमें शामिल नहीं है । कार्य सूची से यह कैसे गायब हो गई—कम से कम मुझे इतना बता दीजिए ।·····मुझे यह जानने का अधिकार है, क्योंकि आज मैं केवल इसी चर्चा के लिए आया हूं ।

सभापति महोदय : 23 तारीख को इस पर विचार किया गया था और इसे कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था इसके बाद यह विचार किया गया कि और जो कुछ हुआ उसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता । अब यह कार्य सूची है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : किसने विचार किया ?

सभापति महोदय : समिति और अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक दफा कार्य सूची में यह छपा था और 24 तारीख को चर्चा होनी थी । फिर इसके बाद मन्त्री महोदय ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयकों के कारण वे इसमें देरी कर रहे हैं । 24 तारीख अन्तिम दिन था । अचानक आज प्रात: मैंने देखा कि यह कार्य सूची में शामिल नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा क्यों समाप्त किया गया है ।

सभापति महोदय : जहां तक मैं जानता हूं, अध्यक्ष महोदय पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और कार्यवाही वृतांत भी देखी जा सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : कार्यवाही वृतांत क्या है ?

सभापति महोदय : आप मुझे से इस तरह से नहीं पूछ सकते ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपकी सूचना के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलायी गई थी, अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया । अध्यक्ष द्वारा कई मदों के लिए समय निर्धारित किया गया था ।

सभापति महोदय : मैं अपनी बात समझ गया हूं ।...कृपया मुझे सुनिए । इस समय यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । अध्यन इनसे निपट चुके हैं । मैं विना तैयारी के इसे अचानक नहीं ले सकता और इसी क्षण मैं इसे विचार के लिए नहीं ले सकता । कृपया यह बात हम दोनों को समझ लेनी चाहिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : तत्काल की तो कोई बात ही नहीं है । महासचिव जो कि यहां बैठे हैं, वह आपको बता सकते हैं कि यह कैसे हुआ । वह कार्य मंत्रण समित की बैठक में भी उपस्थित थे । वह उस बैठक में थे और आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं । कार्य मंत्रण समिति ने इस निर्णय को बदला नहीं है । सभा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह कैसे हुआ.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मिनट, मैंने आपकी बात समझ ली है । मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कार्यवाही वृतांत देखें और अगर आप कोई कमी देखें, तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, आप पहले कार्यवाही वृतांत देखिए फिर बोलिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : कार्यवाही वृतांत का प्रश्न ही नहीं है यह तो कार्य मंत्रण समिति की बात है जिसने निर्णय लिया और यह कार्यसूची में सम्मिलित किया गया हैं और यह आज की कार्यसूची का अंग है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक बार यह सभा की सम्पति हो जाता है तो कौन निर्णय बदल सकता है । इसलिए मुझे पूरा अधिकार है कि में उन परिस्थितियों के बारें में जानकारी प्राप्त करूं ।

सभापति महोदय : यह मामला उठाया गया था । इसे बार बार नहीं उठाया जा सकता । मुझे खेद है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभा को कृपया यह बताइये कि अध्यक्ष का फैसला क्या है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर अध्यक्ष ने कार्यवाही की है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या अध्यक्ष ने कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पर कोई चर्चा नहीं होगी ?

सभापति महोदय : जो कुछ भी है, अध्यक्ष पहले ही इसे निपटा चुके हैं । अभी मैं इस बारे में कोई भी उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन, इस अधिवेशन के पहले दिन से यह निश्चय किया गया था कि पांच विषयों पर चर्चा की जाएगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना उनमें एक विषय है । सभा में अध्यक्ष ने इन पाँच विषयों का जिक्र किया था । उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक सप्ताह इनमें से एक पर चर्चा की जायेगी । इसके बाद इसे कार्यसूची में शामिल किया गया । तारीख

निश्चित की गई और हमें चर्चा करने का अवसर दिया जाना था। सरकार ने अनुरोध किया था कि महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने हैं और हम इस पर सहमत हो गये थे। वास्तव में आज केवल सातवीं पंच वर्षीय योजना पर चर्चा के लिए ही आया था, अन्यथा मैं शायद न आता। जब मैंने कार्यसूची देखी, तो यह विषय उसमें नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कैसे परिवर्तित किया गया। अध्यक्ष का निर्णय क्या है ? यह जानने का मुझे पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : मैं यह जान पाया हूं कि अध्यक्ष ने इस प्रश्न को पहले ही निपटा दिया हैं। और आप अब इसे पुन: नहीं उठा सकते। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कार्यवाही वृतांत देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस प्रश्न को उठाना चाहें तो निश्चय अध्यक्ष के पास उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : क्या अध्यक्ष महोदय आज आयेंगे ?

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय कभी भी गायब नहीं होते। वह हमेशा यहाँ होते हैं। मैं जो कुछ उत्तर दे सकता था वह मैंने दे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन आप इसे इस तरह नहीं निपटा सकते। मैं सभा को बताना चाहता हू कि कार्य मन्त्रणा समिति की मर्जी से कुछ भी नहीं किया गया है। मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सदस्य हूं... **(व्यवधान)**

दुर्भाग्य, से अब सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा समेत सभी बातें कार्य मन्त्रणा समिति की मर्जी के बिना की जाती हैं। अध्यक्ष समेत सभी दलों के नेता उपस्थित थे और यह फैसला किया गया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा की जायेगी। इस पर सहमति भी हो गई थी।

12.44 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप स्थिति को अच्छी प्रकार से समझते हैं। यह निर्णय किया गया था कि...

उपाध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो क्या आप उस समय सभा में उपस्थित थे ? अध्यक्ष महोदय ने कहा था ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के निर्णय या विनिर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते। मैं विषय को पुन: उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। अब श्री कौशल...

श्री चन्द्रजीत यादव : इस प्रकार प्रश्नों पर यह विनिर्णय नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह विनिर्णय हो अथवा अनियत, यह निर्णय पहले ही हो चुका है । आप सब अनुभवी माननीय सदस्य हैं जिनसे मैं सीखना चाहता हूं । अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मामले को फिर से मत उठायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जगन्नाथ कौशल विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

12.45 म. प.

वक्फ (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वक्फ अधिनियम 1984 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

महोदय, वक्फ अधिनियम 1954 में जो वक्फ के बेहतर प्रशासन तथा पारवेक्षण के लिए बनाया गया था, तीन बार संशोधन किया गया है । और जिस समय राज्य सभा में वक्फ संशोधन विधेयक विचाराधीन था, उस समय यह माँग की गई थी कि वक्फ प्रशासन की जांच के और वक्फ के बेहतर प्रशासन और पर्यवेक्षण हेतु अधिनियम में कौन से संभव परिवर्तन किये जाने चाहियें, इस बारे में भी जांच करने के लिए, एक समिति की नियुक्ति की जाये । उक्त मांग के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वक्फ जाँच समिति की नियुक्ति की गई थी । उस जाँच समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट 1973 में और अन्तिम रिपोर्ट फरवरी, 1976 में प्रस्तुत की थी । समिति द्वारा प्रस्तुत की गई दोनों रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं में सभा पटलों पर रखी जा चुकी हैं और उन्हें राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद को उनकी टिप्पणी के लिये भी भेजा गया था ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सभा में गणपूर्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति है । मन्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जगन्नाथ कौशल : वक्फ जाँच समिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय वक्फ परिषद, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा और इसके साथ साथ जमत-उलमा-ए-हिन्द के तत्वाधान में हुए अखिल भारतीय वक्फ सम्मेलन तथा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी विचार किया गया था । मेरे से पहले जो मन्त्री थे उन्होंने भी संसद के मुसलमान सदस्यों के साथ वक्फ जांच समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया था ।

इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इन संगठनों तथा संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारशों से यह पता चलता है। कि वे किसी भी सिफारिश के संबंध में एक मत नहीं थे ; और उन सिफारिशों से यह भी पता चला कि वक्फों के अच्छे प्रशासन को सुनिश्चत करने की मूल योजना के बारे मे दी गयी राय के विभिन्न पहलुओं का भी उन्होंने, कभी-कभी तो, विरोध किया था। न केवल वक्फ जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर, बल्कि केन्द्रिय वक्फ परिषद की स्थायी समिति तथा उप-समिति, अखिल भारतीय वक्फ सम्मेलन, संसद सदस्यों, अल्प संख्यक आयोग और प्रतिनिधिक संगठनों तथा व्यक्ति विशेष के विचारों के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों में समता तथा एक रूपता लाने हेतु एक सूत्र तैयार करने के लिए इन मामलों पर कार्यवाही करने के बारे में सर्वसम्मत दृष्टि को तैयार करने के प्रयास में असफल रहने पर सरकार के पास केवल एक ही रास्ता रह गया और एह यह कि वक्फ जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर एक विधेयक प्रस्तुत किया जाए और उसके द्वारा सभी प्रस्तावों को संसद के समक्ष रखा जाए ताकि परस्पर विरोधी विचारों के संबंध में अन्तिम रूप से विचार किया जा सके।

फिर भी सरकार कुछ मामलों के संबंध में वक्फ जांच समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकी, अर्थात :

(एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद को समाप्त करना

(दो) "वक्फ में रूचि रखने वाला व्यक्ति" पदावली की परिभाषा को व्यापक बनना

(तीन) पुराने मुतवल्लियों पर उनके पिछले कुकृत्यों के लिये अभियोजना अथवा उनको दंड देना, क्यों कि ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 20 के खण्ड (1) के उपबन्धों का उल्लघन होगी ;

(चार) आरंम्भ में राज्य वक्फ बोर्डों के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों व अन्य परिश्रमिकों का राज्य की संचित निधि से भुगतान क्यों कि राज्य की संचित निधि से विधियोजना का कोई प्रावधान संसद द्वारा नहीं किया जा सकता ;

(पाँच) इस आशय का प्रावधान जोड़ना कि सम्पत्ति का कोई अर्जन रद्द हो जायेगा यदि ऐसे अर्जन का उद्देश्य या प्रभाव किसी दरगाह या इमाम बाड़े को वास्तविक रूप में क्षति पहुचना हो, क्यों कि यह मामला संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये प्रशासनिक आदेशों के द्वारा नियिमित किया जा रहा है ;

(छ) यह प्रस्ताव कि इस आशय का प्रावधान होना चाहिये कि वक्फ से संबंधित किसी अचल सम्पत्ति के कब्जे की बहाली के लिए कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के लिये कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए।

वक्फ जांच समिति की इस सिफारिश को भी स्वीकार नही किया जा रहा है कि वक्फ आयुक्त, वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि वक्फ आयुक्त राज्य वक्फ बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा और बोर्ड के सदस्य, वक्फ आयुक्त को छोड़

कर अपने में से किसी एक का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करेगें।

इस बारे में मत भेद था कि क्या राज्य वक्फ बोर्ड में केवल नामजद सदस्य होने चाहिए। विधेयक में यह उपबन्ध करके कि बोर्ड में कुछ चुने हुए सदस्य और कुछ नामजद सदस्य होंगे, इन दो अत्याधिक भिन्न विचारों में सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है अतः विधेयक में यह उप बन्ध किया गया है कि बोर्ड के ग्यारह सदस्यों में से चार चुने हुए सदस्य होंगे और छः सदस्य विधेयक में विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों में से राज्य सरकारों द्वारा नामजद किये जाँएगे और वक्फ आयुक्त बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा।

चुने हुए सदस्यों में से दो संसद के मुसलमान सदस्यों द्वारा चुना जायेगा और उन्हीं में से दो सदस्य ऐसे होंगे जो राज्यों को विधान मण्डलों के सदस्यों द्वारा चुने जायेगें। विधेयक की मुख्य विशेषताओं का मैंने पहले से ही उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित कर दिया है और इसलिये उन्हें दोहरा कर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपूर) महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री राम विलास पासवान : नियम 376 के अधीन। यह आपके हित में है।

आज जो आइटम्स रखे गये हैं, उन में वक्फ पर दो घंटे रखे गयें हैं, फैमली कोर्टस बिल पर 3 घंटे रखे गये हैं, कापी राईट विल पर 2 घंटे रखे गये हैं, एडमिनिस्टेटिव ट्रिब्यनल्स पर कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, सिक्किम वाले बिल पर 2 घंटा रखा गया है, पंजाब बारे में जो बिल है, उसके लिए दो घंटा रखा गया है, एल० आई० सी के संबंध में ढाई घंटे रखे गयें हैं और नेशनल कैपीटल रीजन वाले विल पर कोई समय नहीं रखा गया है। इस तरह से कुल 17 घंटे बैठते हैं और अब 1 वज रहा है इस तरह से कल सुबह 6 बजे तक हम बैठेगें, जो आप ने टाइम रखा है यह किस तरह पासीबिल हो सकता है।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह कैसे सम्भव है ? क्या हम आपके गुलाम हैं ? कि लगातार काम करते रहें ? यह तो एक तरह की गुलामी है !

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : दो दिन की कार्यवाही को एक दिन की कार्यसूची में शामिल किया गया है और सरकारी अनुमान भी 17 घंटे का है। सभा किस समय स्थगित होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम इस बारे में विचार करेंगे। कृपया मुझे सहयोग दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हम सहयोग दे रहे हैं परन्तु हमें कितनी देर तक बैठना होगा।

श्री रामविलास पासवान : मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । कृपया इसे गंभीरता से लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है वह अध्यक्ष द्वारा नोट कर लिया गया है, हालांकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति नहीं है । मैंने गिनती कर ली है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : न गणपूर्ति है, न शालीनता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों का यह रवैया है तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह वक्फ विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है । राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है । यह हमारे देश में अल्प संख्यकों के बारे में । लोगों को यह नहीं कहने दें कि अल्पसंख्यकों केमामले पर इस सदन में उचित प्रकार से चर्चा नहीं की गई थी । मैं आपसे अपील करता हूं ।

श्री हुसैन आप जारी रखें । अन्य सदस्य जो कुछ कहते हैं उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न करें ।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुसैन मैंने आपको बोलने के लिये कहा है । अन्य सदस्य अपनी सीट पर बैठ जायें ।

श्री एन०के०शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, यह बड़ी अजीब बात है कि अन्य सदस्य जो कह रहे हैं उसे आप नहीं सुन रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर, मैंने कहा है कि पीठासीन अधिकारी ने इसे नोट कर लिया है । अब आप क्या चाहते हैं ? कृपया मुझे बताइये । कृपया मेरा मार्ग दर्शन करें । कृपया अन्य सभी बैठ जायें ।

श्री एन०के० शेजवलकर : माननीय सदस्यों के परामर्श से आप निर्णय कर सकते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया है कि पीठासीन अधिकारी ने इसे नोट कर लिया है और मैं इसे अध्यक्ष के नोटिस में ला दूंगा । इसका क्या आशय है ? इसका आशय है कि मैं इसे अध्यक्ष के नोटिस में ला दूंगा । हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यथासंभव शीघ्र ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है कि आपने जो विचार व्यक्त किये हैं उसे पीठासीन

कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अधिकारी ने नोट कर लिया है मैं अध्यक्ष महोदय को बता दूंगा। हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या यह मानवीय रूप से संभव है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है। आपने पहले जो कुछ कहा हैं, पीठासीन अधिकारी ने उसे नोट कर लिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे समझने में आपको कुछ समय लगता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस पर विचार विमर्श करने के बाद आप सभा को सूचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है और अध्यक्ष महोदय को भी इसका पता हैं। क्या सूची में दिये गये कुछ विधेयकों में हमारी रूचि नहीं हैं ?

श्री अटल विहारी बाजपेयी : इस प्रकार की धारणा नहीं बननी चाहिये। आपकी टिप्पणी से यह धारणा बनी है कि कुछ विधेयकों में हमारी रुचि नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इस रिपोर्ट में इन बिलों के लिये 17 घंटे टाइम अलोट किया हुआ है। ये 17 घंटे कल सवेरे 6 बजे तक होंगे।

इतनी देर तक बैठना किस प्रकार संभव है ? आज इस सत्र का अन्तिम दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपको बता दिया हैं कि पीठासीन अधिकारी ने इसे नोट कर लिया है। आप मुझे थोड़ा समय और क्यों नहीं देते ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जब तक आप दो बजे तक न बैठे तब तक आप ऐसा नही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ बातों पर यहां पर ही निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं अध्यक्ष को मिलूंगा और निश्चित रूप से आपकी भावनायें उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : पीठासीन अधिकारी द्वारा यह समय निर्धारित किया गया है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) जैसा कि आप जानते हैं, कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन इस सभा को 17 तारीख को प्रस्तुत किया गया था जिसका आशय है कि यह लगभग 8 अथवा 9 दिन पहले दिया गया था। उस समय कार्य मंत्रण समिति द्वारा यह समय निर्धारित किया गया था। इस बीच माननीय सदस्यों तथा विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को पूरी तरह से पता है कि विभिन्न मामलों के लिये निर्धारित तीन घंटे के समय को

तुलना में—मैं यह नहीं कहता हूं कि इन मामलों को नहीं लाना चाहिये सात घंटे का समय लिया गया था और एक अन्य मामले में निर्धारित समय 4 घंटे था जब कि इसके लिये 8 घंटे से अधिक समय लिया गया था। हमने इन मामलों पर ही इतना अधिक समय ले लिया है जब कि हमने दो घंटे निर्धारित किये थे हमने चार घन्टे लिये थे और जहां हमने 4 घंटे निर्धारित किये थे हमने 7 अथवा 8 घन्टे लिये हैं।

1.00 म.प.

स्वाभाविक रूप से इसका संचित प्रभाव कार्य सूची पर पड़ेगा। अत: हमने आज की कार्य सूची, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है है, इसी के अनुसार निर्धारित की है। यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा 9 दिन पूर्व बनाई गई अनुसूची के अनुसार निर्धारित की गई थी। अब इस सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण यह पूरी सभा को विचार करना है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा स्वीकृत कार्य को लिया जाये। हम देर रात तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री रामविलास पासवान : कितनी देर तक ?

श्री बूटासिंह : यदि माननीय सदस्यों ने चर्चा की अनुमति दी होती तो मुझ विश्वास हैं कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित हो गया होता।

(व्यवधान)

आज के सन्दर्भ समय का निर्धारित असंगत है।

श्री रामविलास पासवान : क्यों

श्री बूटासिंह : क्यों कि जैसा मैंने कहा है इस सभा में लिये गये अन्य कार्य के लिये निर्धारित समय का उन्होंने पालन नहीं किया था और हम यथा संभव अधिक से अधिक विधेयकों लेने का प्रयास कर रहे हैं और हम देर रात तक बैठेंगे। हम किसी सदस्य को बोलने से मना नहीं कर रहे हैं हम समय में कटौती नहीं करेंगे तथा हम यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकते हैं।

श्री एन०के० शेजवलकर : : कृपया कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का सम्मान करें। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि यह संगत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। मेरा पहला प्वाइंट यह है कि स्टेट की जो वक्फ प्रापर्टी है, इसका ओवर-आल सुपरवीजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स का होना चाहिए। आप जो बोर्ड बना रहे हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर स्टेट के ही हैं, फिर भी आप ये सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत बना रहे हैं। यह एक्ट लागू होने के बाद वैस्ट बंगाल का वक्फ एक्ट खत्म हो जाता है। मेरा कहना यह है कि इस सेंट्रल वक्फ एक्ट हमारा वेस्ट बंगाल का वक्फ एक्ट बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ऐसे प्रावीजन्स हैं जिनसे जल्द से जल्द वक्फ प्रापर्टी रिकवरी का इंतजाम हो सकता है। यह प्रावधान आपके सेंट्रल वक्फ एक्ट में नहीं

था और अब भी जो एक्ट आप ला रहे हैं उसमें भी ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बरनी कमेटी की रिपोर्ट को बहुत पहले आप लागू कर सकते थे। तो वैस्ट बंगाल के एक्ट में जो अच्छे प्रावीजन थे, उनको भी आप खत्म कर रहे हैं। यह धार्मिक सम्पत्ति से संबधित है।

लेकिन आप जो नया अमेंडमेंट लाए हैं, इसमें आप वेस्टर्न इंट्रेस्ट के हाथ में एक नया हथियार दे रहे हैं। वक्फ का जो डेफीनेशन पोरशन है इस पर आप आमेंडमेंट लाए हैं—

"वक्फ" से इस्लाम के अनुयायी किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी जंगल या स्थाविर सम्पति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत हैं आदि।

आप इसमें छोटा सा अमेंडमेंट लाए हैं। प्राम्भिरक प्रभाग में "इस्तमाल के अनुयायी किसी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात "या किसी अन्य व्यक्ति रखे जाएंगे"।

इसमें जो गैर-मुस्लिम हैं, वे भी इसके अंतर्गत वक्फ कर सकते हैं। इसका यही मतलब निकलता है। सुनने में बहुत अच्छा है कम्युनल हारमनी के तौर पर सुनने में बहुत अच्छा है।

जो प्रोविजो आपने एड किया है, वह मैं बताना चाहता हूं।

> "परन्तु ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस्लाम का अनुयायी नहीं है, समर्पण की दशा में वक्फ शून्य हो जाएगी यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, ऐसे समर्पण के प्रति कोई आक्षेप उसके एक या अधिक विधि प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत क्या है? जिन वेस्टेड इंटरेस्ट की जमीन सीलिंग से ज्यादा है, उनको आपने मौका दे दिया। उसका अगर इन्तकाल हो जाता है तो उसके लड़के फिर जमीन मांगेंगे, अगर कोई एतराज करता है ता फिर वह जमीन नहीं मिलेगी। रिलिजियस एक्ट को आप वेस्टेड इन्टरेस्ट के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नीयत साफ होती तो आप यह प्रोविजो नहीं आते। क्या आप इस प्रोविजो को हटाने के लिए तैयार हैं? मस्जिद बनेगी तो उसमें डे-टू-डे इंटरफियरेंस होगा। मस्जिद तो बन जायेगी लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। मुझे डर है कि कहीं दोबारा मुरादाबाद न बन जाए। आप इस बारे में सोचिए और इस अमेंडमेंट को हटाने की कोशिश कीजिए। सैक्शन-6 को आप देखिए।

> "यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या धारा 5 के अधीन प्रकाशित वक्फ सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में विनिदिष्ट कोई विशिष्ट सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं या ऐसी सूची में विनिदिष्ट कोई वक्फ शिया वक्फ है अथवा शुन्नी वक्फ....."आदि आदि।

कमिश्नर साहब डिसीजन लेंगे। जो, बड़ी प्रापर्टी के मालिक होंगे, वे कमिश्नर साहब के साथ साठ-गाठ कर लेंगे। यह डिक्लेयर करने के लिए कहेंगे कि यह वक्फ की प्रापर्टी नहीं है। इसको चेलेंज करने का जो मौका था, वह आपने खत्म कर दिया। इस अमेंडमेंट में कहा गया है :

"किसी राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ से ही कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के सम्बन्ध में उस राज्य में के किसी सिविल न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ नहीं की जायेगी

सिविल कोर्ट में चैलेंज करने का मौका खत्म हो गया। कोई अगर कहे कि मेरी प्रापर्टी नहीं है और उसकी साँठ-गाँठ हो गई हो तो इसको चैलेंज करने का मौका नहीं आयेगा। आप तो यही कहेंगे कि एक महीने के अन्दर ट्रिब्युनल में जाना चाहिए। अब एक और क्लाज के बारे में बताना चाहता हूं।

धारा 41 (छ) में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई मुतवल्ली वक्फ आदि····· का पंजीकरण कराने में असफल रहेगा·····तो वह उस दशा के सिवाय जब वह न्यायालय का समाधान कर देता कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था :

"तो तो कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।"

इसमें छोटे-छोटे प्रोवीजन्स रखे गए है, कि यह नहीं हो सकता, वह होना चाहिए, वह नहीं हो सकता, यह होना चाहिए। इससे पहले आपके सैन्ट्रल वक्फ एक्ट में प्रावधन था कि अगर कोई मुतवल्ली कन्ट्रीब्यूशन का पैसा न दे तो उसके अगेन्स्ट क्रीमिनल केस आयद होगा और वैसा प्रावधान हमारे बंगाल वक्फ एक्ट में भी है, एक्ट के सैक्शन 40 को यदि आप देखें तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे मुतवल्ली के खिलाफ कोई क्रीमिनल केस आयद करने का रास्ता आपने 1964 के अमैंडमैंट में खत्म कर दिया। आज जो काम्प्रीहैन्सिव बिल आप ला रहे हैं,। उसमें भी आपने इसको इन्कलूड नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि जो मुतवल्ली डैली ब्रेटली कन्ट्रीब्यूशन का पैसा वक्फ बोर्ड में जमा नहीं करेगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की आपकी नियत नजर नहीं आती।

यदि आप सेक्शन 43 को देखें तो उसमें रिमूबल आंफ मुतवल्ली का जिक्र हैं। उसमें छोटे छोटे कन्डीशन्स दिए हुए हैं, जिनके आधार पर मुतवल्ली को रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ ही आपने कुछ डेजरस प्रौवीजन्स भी इस बार आप लाये हैं—

मुतवल्लियों को हटाया जाना : किसी अन्य विधि या वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड किसी मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकेगी यदि ऐसा मुतवल्ली —

(ग) वक्फ की सम्पत्तियों को दुर्विनियोग करता है अथवा उनके विषय में अनुचित कार्रवाई करता है; अथवा

(ड़) धारा 46 के अधीन अपने द्वारा किया जाने वाला अंशदान उचित कारण के बिना लगातार दो वर्ष तक करने में असफल रहा है।

यानि जो कोई वक्फ प्रोपर्टी का मिस-एप्रोप्रिएट करने का दोषी होगा, जो कन्टीब्यूशन

का पैसा नहीं देगा, उसकी मुतवल्लीशिप खत्म करने का रास्ता था, अब आप उसको भी बन्द करने जा रहे हैं। इसी कारण मैंने कहा कि मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। क्यों कि इस तरह से इस बिल को वेस्टेड इंटरैस्ट के हाथों का हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे वक्फ प्रोपर्टी का प्रौपर यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगा। मुझे फखर हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल वक्फ एक्ट के प्रौवीजन्स और वहां की सरकार की नियत दोनों के काम्बीनेशन से वक्फ प्रौपर्टी का प्रोटेक्शन हो रहा हैं।

यहाँ पहाड़गंज में काजी वाली मस्जिद में होटल चल रहा है। यहाँ के वक्फ बोर्ड ने उसकी परमीशन दी है और कार्पोरेशन से उसे लाइसेंस मिला हुआ है। इसके अलावा डी डी ए ने यहां पर ज्यादा से ज्यादा वक्फ प्रौपर्टी पर अपना कब्जा बना रखा है। उसका अभी तक कोई सर्वे भी नहीं हुआ है। उस वक्फ प्रौपर्टी को डी डी के हाथों से निकालने की मुझे कोई साफ नियत दिखाई नही देती। इसी कारण सैक्शन 15 में आपने कुछ ऐसे बड़े प्रोवीजनन्स लाने की कोशिश की है, ताकि यह प्रोपर्टी कभी वापस न हो सके।

जहां जहां सैन्ट्रल वक्फ एक्ट लागू है, वहां आप देख लीजिए क्या नतीजा हो रहा है। पंजाब हरियाणा आदि में बहुत सी वक्फ प्रोपर्टी थी, उसमें से कुछ इवैक्यूई प्रोपर्टी हो गई और पंजाब मैं वक्फ बोर्ड की मस्जिद और कब्रगाह सब दूसरों के पास है। मेरे पास एक पत्र है जो कि हरियाणा के वक्फ मिनिस्टर ने यहां केन्द्र में श्री गुलाम नबी आजाद, डिप्टी मिनिस्टर आफ लॉ एण्ड जस्टिस को लिखा था, जिसको मैं यहां पूरा कोट नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें लिखा है कि ...

वहां की मुस्लिम पौपूलेशन के हाथ के बाहर हैं। आपका सैन्ट्रल बक्फ बोर्ड था क्या आपने इसको रिकवर करने की कोशिश की? आपको सुनकर खुशी होगी वेस्ट बंगाल में हावड़ा की ईदगाह में जहां पार्टीशन के बाद से ईद की नवाज बन्द हो गई थी, हमारी लेफ्ट फ्रान्ट गवर्नमैंट आने के बाद 1979 से दुबारा ईद की नवाज चालू हुई। अगर वक्फ बोर्ड और सरकार की नीयत न हो तो कोई काम नहीं बन सकता।

सैक्शन 55 (ई) में आपने एक छोटा सा प्रोवीजन किया है कि जो प्रोपर्टी ऐनरोल्ड नहीं है वक्फ बोर्ड है उसके बारे में कोई भी केस नहीं होगा। मेरा पर्सनल ऐक्सीपीरियेंस है जहां बहुत छोटी छोटी प्रोपर्टी है, 1,2 बीघा जमीन है मस्जिद के साथ कंटीब्यूशन का पैसा देने से डरते है। इसलिये वह ऐनरोल नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है इसलिये ऐनरोल नहीं करते हैं। तो यह प्रोपर्टी अगर कोई मुतवल्ली बेच दे, या दूसरा कोई कब्जा कर ले तो यह प्रोपर्टी नहीं बचायी जा सकती है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि पहले जैसा था वैसा रखने की कोशिश कीजिये और इस प्रोवीजन को हटाइये। ऐनरोल हो या न हो वह वक्फ प्रोपर्टी है और उसको रिलीफ मिलनी चाहिए।

माननीय गुलशेर अहमद ने कुछ अमैंडमैंट दिये हैं जिनको मैंने देखा है इवे कुई प्रोपर्टी के

बारे में संशोधन हैं इस ऐक्ट में कोई स्पोसिफिक प्रोवीजन नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल वक्फ ऐक्ट में इसका प्रोवीजन है :

"किसी वक्फ के मामले में जिसका मुतवल्ली नहीं है अथवा जहां मुतवल्ली उपलब्ध नही है अथवा किसी विलेख अथवा प्रपत्र के अधीन नियुक्त किया गया मुतवल्ली भारत का नागरिक नहीं है अथवा बोर्ड के मत में मुतवल्ली इस प्रकार का कार्य करने में मुतवल्ली इस प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं है अथवा जहां मुतवल्ली की नियुक्ति के लिये बोर्ड को बाधा प्रतीत हो तो बोर्ड उतनी अवधि के लिये, जितनी वह उपयुक्त समझें, मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।"

हाँ, तो यह सच है कि मुतवल्ली अगर पाकिस्तान चला गया, तो मस्जिद तो नहीं गई।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : लेकिन आपका कोई संशोधन निष्क्रान्त सम्पति के बारे में में है, इसके लिये नहीं।

श्री सैयद नसूदल हुसैन : जैसे वेस्ट बंगाल ऐक्ट में प्रोवीजन है ऐसा कोई प्रोवीजन है सेन्ट्रल वक्फ ऐक्ट में नहीं है जो कि होना चाहिए। मुतवल्ली पाकिस्तान में जाय या जहन्नुम में जाय, मस्जिद तो नहीं गई। मस्जिद तो वहीं है। हाँ कुछ मुतवल्ली हैं जिन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। कुछ मुतवल्लियों के लिए वक्फ प्रोपर्टी एक जनता बिजनेस हो गया है।

अल्ला के नाम पर जो जमीन देते हैं, अल्ला उसे खाने नहीं आते। मुतवल्ली उसे खा जाते हैं।

आचार्य भगनान देव (अजमेर) : आप अल्ला को जानते हैं ?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आप मानते हैं ?

आचार्य भगवानदेव : हां, मैं मानता हूं।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : आपने कहा कि मैं अल्ला को मानता हूं।

मेरा कहना यह है कि सैक्शन 40 में जो प्रोवीजन है, उसमें ऐसा प्रोवीजन कीजिए क्योंकि मुतवल्ली का वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं है।

वह सिर्फ केअर टेकर है, वह एक ट्रस्टी भी नहीं हैं।

लिमिटेशन के बारे में आपका क्या अमैंडमैंट है ? 30 ईअर्स की लिमिट है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं।

श्री गुलशेर अहमद : मेरा अमैंडमैंट मूव किया हुआ है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : लेकिन मुझे डर है। कि वक्फ की प्रोपर्टी से ज्यादा प्यारी मुझे इंसान की जिन्दगी है। कहीं मुरादाबाद की घटना न हो जाये, 30 साल से अगर कोई जमीन दखल किये हुए हैं, अगर फिर उस जमीन को वापिस लेने की कोशिश करें, यह मकबरा हो या

मन्दिर हो, यह झंझट दीवार पैदा हो जाये तो मुश्किल है।

श्री गुलशेर अहमद : मेरा अमैंडमैंट है।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : मैं आपके अमैंडमैंट का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ डर भी है। एक लिमिटेशन का प्रावीजन होना चाहिए। जैसे डी०डी०ए० दखल किये हुए बैठी हुई है, कभी वापिस नहीं आयेगी। प्रापर्टी वापस लेते हुए अगर झंझट हो जाये, फिसाद हो जाये तो इसके बारे में आप सोचें।

पंजाब और हरयाणा वक्फ प्रापर्टी के बारे में एक छोटा सा सुझाव है। वहां पर बहुत सी वक्फ प्रापर्टी हैं। वहां से मुसलमान हट गए। दुबारा मुसलमानों की आबादी होगी, या नहींयह बहुत बड़ा सवाल है। हम उस पर जाते भी नही, लेकिन इस प्रापर्टी का प्रापर्टी कम्पसैशन सैंट्रल बोर्ड में आना चाहिए। मैंने सुना हैं मुझे पूरा पता नहीं, कि पंजाब बक्फ बोर्ड के हाथ में लगभग 25 करोड़ रुपया ऐसा है। यह रूपया सैंट्रल वक्फ बोर्ड के हाथ में आना चाहिये। पोपूलेशन के मुताबिक यह स्टेट वक्फ बोर्ड को देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं यह कह रहा हूं कि आपकी यह इन्फार्मेशन है वहां लगभग 25 करोड़ रूपया वक्फ प्रापर्टी का हैं और वहां बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी होने की उम्मीद नहीं है। मस्जिद और कबरिस्तान जैसी जगहों को रहने दीजिये, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको जल्दी से जल्दी देचनें का इंतजाम कीजिये और सैंट्रल बोर्ड में उसका पैसा जाम कीजिये। कौन क्या करते हैं, इसका पता नहीं, लेकिन सैंट्रल वक्फ बोर्ड में अगर बह पैसा आ जाये और वह पैसा बोर्ड को दे दें तो जहां जहां वक्फ प्रापर्टी है, उसे बचाने के लिये वह बोर्ड अपना कान कर सकता है।

हमने उमीद की थी कि वक्फ बिल एक अच्छा बिल होगा, लेकिन इसमें ऐसे प्राविजन रखे गये हैं जिससे यह कानून वैस्टेड इंटेस्टस का हथियार बन गया है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही अपने दोस्त विधि मन्त्री महोदय को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। परसों मैं इस सम्बन्ध में बिल्कुल आशा खो चुका था कि इस सदन के समक्ष यह विधेयक आ पायेगा किन्तु उनके तथा उनके दिमाग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह विधेयक आज लोक सभा के सामने लाया जा सकता है। आज चूंकि सत्र का अन्तिम दिन है। यदि इस विधेयक को आज न लाया जाता तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या होता, यद्यपि इसे राज्य सभा में पारित किया जा चुका है।

महोदय, पिछले 14 वर्षों से, जब से 1970 में वक्फ जांच समिति का गठन किया गया था, इस देश के मुसलमान वक्फ सम्पत्ति की समस्याओं के बारे में सोच विचार करते रहे हैं। इसकी अध्यक्षता संसद सदस्य श्री सय्यद अहमद ने की थी। समिति में दो और भी सदस्य थे। समिति ने नवम्बर, 1973 में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और अपना अन्तिम प्रति-

वेदन अप्रैल, 1976 में दिया । जैसा कि मंत्री जी ने कहा है 1976 के बाद इस वक्फ जाँच समिति के प्रतिवेदन, की जांच केन्द्रीय वक्फ परिषद, अल्पसंख्यक आयोग, विभिन्न राज्यों तथा अन्य संगठनों के वक्फ मंडलों के अध्यक्षों द्वारा की गई है । मन्त्री महोदय ने सूचित किया है कि प्रत्येक मुद्दे पर मतभेद था । इसलिए वक्फ जाँच समिति के प्रतिवेदन पर निर्भय करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था । अतः तीन अथवा चार सिफारिशों को छोड़कर, यह विधेयक वक्फ जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित है । सरकार ने इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सावधानी बरती है, क्योंकि वक्फ अधिनियम अल्प संख्यक जाति को प्रभावित करने जा रहा था । इसलिए इसमें लम्बा समय लग गया । इस विषय को 1976 से लेकर अब तक खुली चर्चा के लिए रखा गया था । इसका उद्देश्य मुसलमानों में आम सहमति हो जाने के बाद ही वक्फ विधान पारित करना था ।

महोदय, इस विधेयक के अधिकांश उपलब्ध बड़े विलक्षण हैं । यदि यह विधेयक पारित हो गया तो जिन उद्देश्यों के लिये समिति का गठन किया गया था वे न्यूनाधिक रूप में पूरे हो जाएंगे ।

महोदय, सीमा सम्बन्धी मेरे संशोधन के स्वीकृत हो जाने के बाद, वक्फ जांच समिति की चार अथवा पांच सिफारिशों का ही कार्यान्वयन शेष रह जाएगा ।

एक सिफारिश वक्फ परिषद को समाप्त करने के बारे में हैं। इस मामले के बारे में लगभग सभी समितियों तथा अन्य व्यक्तियों, जिनसे परामर्श किया गया है, एक मन से कहा है कि इस परिषद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । मेरे विचार से विभिन्न समितियों एवं व्यक्तियों की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वक्फ जांच समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हैं ।

वक्फ जांच समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि यदि किसी मुतवल्ली ने भूत-काल में गबन का अपराध किया हो तो उसे दंडित किया जा सकता हैं । उस सिफारिश को सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है । उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कारण दिया है कि अपराधिक कानून के दर्शन के अनुसार इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जा सकता और मेरे विचार से उन्होंने ठीक किया है जो उन्होंने वक्फ जांच समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया ।

सरकार ने जिस एक दूसरी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया वह यह है कि वेतन राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिए । यह सिफारिश वक्फ जांच समिति ने इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने राज्य के किसी अधिनियम में इस प्रकार का उपबन्ध देखा था कि आरम्भ में बोर्ड कर्मचारियों को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता था किन्तु जैसा कि यह कानून यहां नहीं बनाया जा सकता, राज्य विधान मंडल इस प्रकार का कानून बना सकता है कि वेतन राज्य की संचित निधि में दिये जायेगे । किन्तु इसे संसद में नहीं बताया जा सकता और इसलिये उन्होंने वक्फ जांच समिति की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है ।

वक्फ जांच समिति की अन्य सिफारिश, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, वह यह है कि यदि कोई सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति होती हैं, तो उसें भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत

अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि सम्पति का अर्जन किया जाता है तो जाता है इसे रद्द माना जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना यह है कि कार्यकारी स्वरूप के विभिन्न निर्देश सभी राज्य सरकारों को जारी किये जा चुके है कि धार्मिक समूहों अथवा धार्मिक सम्पत्तियों का किसी भी कीमत पर अर्जन नहीं किया जाना चाहिए। इसी-लिए उन्होंने अनुभव किया कि वक्फ अधिनियम में किसी प्रकार के स्वीकृत उपबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य तर्क यह है कि यदि इस उद्देश्य को पूरा करना है तो भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए वक्फ अधिनियम में इसकी आवश्यकता नही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकारी निर्देश तो ठीक है किन्तु भूमि अर्जन अधिनियम में किसी न किसी तरह से संशोधन किया ही जा सकता है। भविष्य में सरकार को इस सम्बन्ध में प्रयत्न करना चाहिए और इसका एक लिखित कानून होना चाहिए कि मन्दिर, मसजिद अथवा कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थानों की भूमि का बिल्कुल अर्जन नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हैं और वक्फ अधिनियम में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जा सकता किन्तु भूमि अर्जन अधिनियम में इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए।

वक्फ जाँच समिति की अन्तिम सिफारिश, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया, वह यह है कि आयुक्त को बोर्ड का अध्यक्ष बनाना जाना चाहिए। जब कभी भी विभिन्न समितियों एवं संघों में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है, वक्फ समिति की इस सिफारिश का पूरी तरह विरोध किया गया हैं। समझौते के रूप में सरकार ने यह स्वीकार किया हैं कि वह केवल एक सदस्य तथा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रहेगा और मेरे विचार से सरकार ने यह एक बहुत अच्छा समझौता किया है और आक्युत को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया हैं।

(व्यवधान)

वक्फ जांच समिति ने सिफारिश की थी कि उसे अध्यक्ष बनाया जाए। किन्तु आपके कारण उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उसे वही अधिकार दिया गया है क्योंकि वक्फ जांच समिति ने इस समस्या का व्यापक अध्ययन किया था और उन्होंने तमिलनाडु हिन्दू धर्मस्व अधिनियम और आन्ध्र प्रदेश हिन्दू धर्मस्व अधिनियम जैसे अन्य धर्मार्थ अधिनियमों से आयुक्त का पद लिया था। उन्होनेइन सभी अधिनियमों का अध्ययन किया था और आयुक्त का पद इनसे लिया था।

मैने तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं और मेरी राय में यह तीनों संशोधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक संशोधन ही प्रस्तुत किये हैं। पहला सीमा सम्बद्ध है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, सीमा अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति से गैर-कानूनी ढंग से किसी सम्पत्ति पर कब्जा कर रखा है और 12 वर्षों से भी अधिक अवधि से उसका मालिक होने का दावा करता है तो वह उस सम्पत्ति का मालिक बन जाता है। असली मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता हैं और एक नया अधिकार अस्तित्व में आ जाता है। सीमा अधिनियम की धारा 28 जो कि अब धारा 27 है के अन्तर्गत ही अधिकार

अस्तित्व में आते हैं और अधिकार समाप्त हो ते है। वक्फ की अधिकाँश सम्पत्ति भी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लोगों ने उस पर गैर-कानूनी कब्जा कर लिया। अब, इस कानून के कारण, यदि व्यक्ति का 12 वर्ष की अधिक अवधि के लिए किसी सम्पत्ति पर कब्जा रहता है तो वह उसका मालिक बन जाता है यह मसजिद भी हों सकती है, इमामबाड़ा भी हो सकता है। अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के उपबन्ध बनाने की आवश्यकता हैं।

विभाजन के पश्चात, जो लोग ऐसी सम्पत्तियों की देखभाल कर रहे थे चले गये। वक्फ सम्पत्ति में कोई भीज्यादा रूचि नहीं लेता दिखाई देता। लोग तो हैं किन्तु वह इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी ने उसका कब्जा लिया है अथवा नहीं। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह समय सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी जाए। यह एक बहुत ही तर्क-संगत संशोधन है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा के लिए जिस पर मुसलमानों की बहुत आशा रहती है यदि इन सम्पत्तियों पर उनका नियंत्रण रहेगा तो इससे बहुत आय होगी जिससे इस जाति का सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन दूर हो सकेगा। यह बहुत आवश्यक है ओर इसके लिए तर्क संगत आधार है।

विभाजन के पश्चात 37 वर्ष बीत गये हैं। यह अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। अधिकांश राज्यों ने वक्फ सम्पति का निर्धारण नहीं किया है। इसकी सूचियां तैयार नहीं की गई हैं। अत: समय सीमा बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

मैं विभिन्न राज्यों में बने अधिनियमों के उपबन्धों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मद्रास हिन्दू धार्मिक और धर्मस्व अधिनियम, 1959

"किसी परिसीमन विधि में किसी बात के होते हुए किसी भी व्यक्ति में किसी भी धार्मिक संस्थान की सम्पत्ति अथवा निधि, जो 30 सितम्बर, 1951 से पहले ऐसे व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारी में निहित नहीं हुई, निहित नहीं मानी जाएगी।"

धारा 52 क, बम्बई लोक न्यास अधिनियम (1950 का 29 वां) :

"भारतीय परसिीमन अधिनियम, 1960 में किसी बात के होते हुए, ऐसे लोक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति के मूल्यवान प्रतिकार के लिये किसी अभ्यर्पिती के विरुद्ध कोइ वाद, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है, अथवा पंजीकृत माना गया है, अथवा अथवा उसके हाथों में देने के उद्देश्य से, ऐसी सम्पत्ति अथवा उससे होने वाली आय अथवा इस प्रकार की सम्पत्ति अथवा उसके लाभ के लेखे के लिए, किसी भी समयाविध के लिए बाधित होगा।"

सार्वजनिक न्याय विधेयक, 1968 की खंड 53 :

"परिसीमन अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुए।

क) मुतावल्ली अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिकार अथवा अन्यथा रूप में वक्फ की किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण को रद्द करने का कोई वाद :

ख) वक्फ की किसी सम्पत्ति अथवा उस सम्पत्ति में इस प्रकार के अधिकार, जिससे मुतावल्ली अथवा अन्य किसी व्यक्ति. जिसे इस प्रकार के वाद का अधिकार है, और ऐसी सम्पत्ति के कब्ज से वंचित कर दिया गया हैं, अथवा वह किसी व्यक्ति के गैर—कानूनी कब्जे में है, के कब्जे के लिये कोई वाद ।

किसी परिसीमन अवधि से बाधित नहीं होता बशर्ते रद्द किया जाने वाला हस्तान्तरण 14 अगस्त, 1947 के पश्चात किया गया हो।"

महोदय, अब मैं अपने विद्वान मित्र के राज्य पश्चिम बंगाल के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिनियम से उद्धृत कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध है । मैं बंगाल अधिनियम की धारा 72 (2) उद्धृत कर रहा हूं . इसमें यह व्यवस्था है कि गलत ढंग से कब्जा की गई, बेची गई अथवा पट्टे पर दी गई वक्फ की सम्पत्ति को वापस लेने के लिये मुकदमा "समय सीमा से बाधित नहीं माना जाएगा यदि यह मुकदमा 15 अगस्त, 1947 से इस प्रकार बाधित नहीं थाना गया था ।" मेरा निवेदन यह है कि मैंने सरकार से यह अनुरोध किया है कि राज्यों में उसी प्रकार के अन्य अधिनियमों में वर्तमान उपबधों के अनुरूप संशोधन किया जाए । यह बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । इसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए ।

मैंने धारा 6 में संशोधन के लिए भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं । धारा 6 वक्फ सम्पत्ति को पट्टे पर देने के बारे में है । इसमें यह व्यवस्था है कि आयुक्तम एक सूची तैयार करेंगे और उसे बोर्ड को भेजेगें । बोर्ड उस सूची को सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और सूची के सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने के बाद यदि किसी व्यक्ति का किसी सम्पत्ति में अधिकार हो तो वह एक वर्ष की अवधि में सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है । यदि वह ऐसा करने में असफल रहता हैं तो सूची अन्तिम रूप ग्रहण कर लेती हैं । एक वर्ष के बाद वह उश सूची चुनोती को नहीं दे सकता : धारा 6 इस प्रकार हैं :

"(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी सम्पत्ति विशेष की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट बक्फों की सूची में वक्फ की सम्पत्ति माना गया है अथवा नहीं, अथवा इस प्रकार की सूची में कोई वक्फ विशेष शिया वक्फ है अथवा सुन्नी वक्फ हे, तो बोर्ड अथवा वक्फ का मुतावल्ली अथवा उनमें हितबद्ध कोई व्यक्ति इस प्रश्न के निर्णय के लिये सक्षम क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है···।"

इस धारा के सम्बन्ध में एक मामला उच्चतम न्यायालय में गया । किसी व्यक्ति ने, जो मुसलमान नहीं था, कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं; मैं हिन्दू हुं और इसलिए यह मुझ पर लागू नहीं होगा । वक्फ अधिनियम की परिभाषा के अनुसार मैं 'उसमें दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति' नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हू । अत: इससे मैं प्रभावित नहीं हूंगा । यदि मैं एक वर्ष के भीतर मुकदमा दायर नहीं करता हूं तो यह मुझ पर लागू नहीं हो सकता । उन्होंने यही

व्यक्ति दी। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'उसमें दिलचस्पी रखने वाला कोई व्यक्ति' वक्फ से सम्बन्ध रखेगा और वक्फ सम्पत्ति से नहीं। इसने यह भी निर्णय दिया कि चूंकि वह मुसलमान नहीं है इसलिए यह उसके मामले में लागू नहीं हो सकता। यदि सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि उसने एक वर्ष के भीतर दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया तो यह धारा उस पर लागू नहीं होगी, अतः इस धारा को सभी लोगों पर लागू करने के प्रयोजन से मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव किया है। यदि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी, तो क्या होगा? मुतवल्ली एक चालाक व्यक्ति है। वह गैर मुसलिम को संपत्ति हस्तातरित कर सकता है। वह संपति उसके कब्जे में होगी। और फिर बाद में वह संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज की जाती है। सभी औपचारिकतायें पूरी की जाती है परन्तु वह चुप रहता है। कुछ समय के बाद वक्फ अधिकारी कहते हैं, देखिये इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है और इसलिए आपको यह छोड़नी पड़ेगी। वह कहेगा, 'नहीं यह मुझ पर लागू नहीं होता है क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं।'

इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव किया है और मुझे आशा है कि विधि मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

तीसरे संशोधन, जो कि एक महत्वतूर्ण संशोधन है, का प्रस्ताव पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय फलस्वरूप किया गया है। पंजाब उच्चन्यायालय की एक पूरी न्यायापीठ ने फरवरी, 1984 में अपना निर्णय दिया था देखिए ए आई आर 1984, फरवरी पृष्ठ 68। उस पूरी न्यायपीठ के मामले में तीन न्यायाधीश थे-एक ने इसका विरोध किया और दो न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि उन वक्फ संपत्तियों के बारे में, जो निष्क्रांत संपत्तियाँ हो गई हैं और इस कारण अभिरक्षक उन संपत्तियों का न्यासी हो जाता है और संपत्तियां उसके कब्जे में आ जाती हैं, वक्फ कोई कोई मुकदमा नहीं चला सकता है।

पंजाब और हरियाणा के न्यायालय में अनेक मामले लम्बित हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की पूरी न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया है कि वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं चला सकता है जो कि अभिरक्षक के अधीन हैं और केवल अभिरक्षक मुकदमा दायर कर सकता हैं। इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया गया। परिणाम यह होगा कि न्यायालय में लम्बित अनेक मुकदमों की भी यही स्थिति होगी।

अतः इस स्थिति से बचने के लिए मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। मैं सरकार का बहुत आभारी हूं क्योंकि जब मैंने उसका ध्यान इस मामले की ओर दिलाया तो उसने एकदम कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने जा रही है। उसने उच्चत्तम न्यायलय एक अपील दायर की है। यह वहाँ लम्बित है। उच्चत्तम न्यायालय में कुछ समय लग सकता है। पंजाब और हरियाणा की छोटी अदालतें मुकदमें इस आधार पर खारिज कर सकती हैं कि वक्फ बोर्ड अभिरक्षक के कब्जे में रहने वाली संपत्तियों के मामले में मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। अतः काफी सावधानी बरतने के बाद मैंने यह संशोधन पेश किया है।

मुझे पूरी आशा है कि मेरे विद्वान मित्र, जिन्हें मैं पिछले 30 वर्षों से जानता हूं, क्योंकि

1956 में हम दोनों राज्य सभा में एक साथ थे और हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं मुझ पर मित्र होने के नाते कृपा करेगें और मेरे संशोधन का स्वीकार करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आज पास होने वाला हैं उसके प्रत्येक खण्ड को मैंने पढ़ा है। मैंने वक्फ जांच समिति का प्रतिवेदन कई बार पढ़ा है और मैं यहां की और वहां की समिति से सम्बद्ध भी रहा है। जो भी बेहतर कार्यवाही की जा सकती थी वह की गयी हैं सिवाय उस बात के जो भूमि अर्जन संशोधन के बारे में मैंने कही थी और मुझे मालूम है कि यह भविष्य में किसी समय किया जा सकता है। यद्यपि राज्य सरकारों को इन सपत्तियों के अर्जन न करने के बारे में अनुदेश हैं, अधिनियम में कुछ विशेष उपबन्ध होने चाहिए। मेरे विचार में समूचा विधेयक एक अजीब सा विधेयक हैं और मैं महसूस करता हूं कि सभा इसे पारित करेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस विधेयक के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकों मौका मिलेगा। आप चिन्ता क्यों करते हैं ? मैं पहले अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। इसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह भी राजनीतिक अल्पसंख्यक हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इस वाद विवाद का स्वरुप धर्म निरपेक्ष हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का कारण यह है कि आपको इसके बारे मैं अधिक जानकारी नहीं है।

श्री गयूरअली खाँ (मुजफ्फरनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुगल राज खत्म हुआ तो उस के बाद ब्रिटिश राज आया। जब तक मुगलराज रहा, हिन्दुस्तान में वक्फ की हालत बहुत अच्छी थी। काजी लोग उनका इन्तजाम करते थे और उनके मुताल्लिक जो झगड़े होते थे, उनको खुद काजी लोग तय करते थे। लेकिन ब्रिटिश राज आने के बाद अंग्रेजों ने वक्फ के इन्तजाम में दखल देना शुरू किया, जो बात मुसलमानों के लिए काबिले-एतराज थी, लिहाजा उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसका नतीजा यह हुआ कि 1923 में वे वक्फ के लिए एक कानून लाए जिसको उन्होंने पास किया। लेकिन उससे भी वक्फ के हालत नहीं सुधरे और मुसलमान लोग उससे भी मुतमईन नहीं हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, सन् 1947 में मुल्क तकसीम हुआ और हमारे मुल्क के वक्फ जायदाद के बहुत से मुतबल्ली पाकिस्तान चले गये और इस तरीके से वक्फ प्रोपर्टीज को बगर किसी को सुपुर्द किए हुए वैसे ही छोड़ गए और उनका कोई इन्तजाम न हो सका, जिन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए, रन्कोचमेंट कर लिए और इस तरीके से वक्फ की करोड़ों रुपए की जायदाद

नाजायज कब्जे में चली गई, उन पर लोगों के नाजायज कब्जे हो गए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सन् 1954 में जो वक्फ बिल इस हाऊस में पास हुआ था, उसमें एमेंडमेंट करने के लिए आज इस हाऊस में इस बिल पर हम बहस कर रहे हैं और मैं यह समझता हूं कि इस बिल के पास होने से शायद औकाफ की जायदाद को कुछ राहत मिल सकेगी या कुछ उसके लिए अच्छा हो सकेगा क्योंकि जो लोग नाजायज कब्जे किये हुए हैं और वक्फ की जायदाद को हजम किए हैं, उनके हाथों से शायद वह निकल सकेगी। अगर हमारी सरकार इस मामले में कुछ मजबूत रही, तो इस कानून के पास होने से, हो सकता है कि जो जमीनें हजम कर ली गई हैं, वे वापस आ सकेंगी । ऐसा है कि इसके लिए कई कमेटियां बनाई गई ।

एक वक्फ इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, एक एम.पी. साहबान की कमेटी बनाई गई और माइनोरिटीज कमीशन से भी इस के अन्दर कुछ मदद ली गई, उनकी भी रिपोर्ट ली गई और अब सन् 1954 के बिल में तरमीम की जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि यह तरमीम कारगर होगी और ओकाफ की जो जायदाद है उसके निकलने के लिए, उसके फिर हटकर हासिल होने के लिए, कारगर साबित होगी । में इस बिल से इत्तिफाक करता हूं और सरकार ने इस पर मजबूती से कदम उठाया और ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया, तो मुझे उम्मीद है कि जितनी वक्फ जायदाद लोगों के नाजायज कब्जे में चली गई है, वह वापस आ सकेगी ।

वक्फ जायदादों के मुतवल्लियों के पाकिस्तान चले जाने से जो जायदाद कस्टोडियन के कब्जे में चली गई थी या कस्टोडियन्स ने उनको नीलाम करके उनसे पैसा वसूल किया, मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वह पूरी जायदाद वक्फ की फिर से वापस दिलाई जाए और वक्फ का उस पर कब्जा कराया जाए ।

वक्फ चैरिटएबित परपजेज के लिए है, ऐसे कामों के लिए है । जैसे बच्चों को तालीम दी जाए, बेवाओं को तन्खवाह दी जाए, यतीम बच्चों की मदद की जाए और ऐसे लोगों की मदद की जाए, जोकि बेरोजगार हैं । अगर पूरे वक्फ की जायदाद वापस आ गई. तो मैं समझता हूं, कई सौ करोड़ रुपए की, 500-700 करोड़ रुपये की वह हैसियत रखती है और उसकी सालाना आमदनी 20-30 करोड़ रुपये हो सकती है, जिससे गरीबों की, बेवाओं की, नादारों की, यतीम बच्चों की और जिनका कोई वारिश नहीं हैं, उनकी मदद हो सकती है और उससे तालीम के लिए बच्चों को वजायफ दिए जा सकते हैं और वे तालीम हासिल कर सकते हैं ।

मैं उसूली तौर पर इस बिल के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जैसाकि होता आया है । आज इस हुकूमत को आए 37 साल गुजर गए हैं और इन 37 सालों के अन्दर वक्फ जायदाद की तरफ से लापरवाही बरती गई है। दिल्ली में डी.डी.ए. ने ऐसी जायदादों पर काफी कब्जे कर लिए हैं और उन पर फ्लेट बनाकर काफी कीमत में लोगों को फरोख्त किए हैं ।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : जो जायदादें ले ली गई थीं, वे ज्यादातर वापस कर दी गई हैं और जो उनके कब्जे में हैं, उन को किराये पर देंगे आगे चलकर ।

1.55 म.प.

(श्री एफ.एच. मोहसिन पीठासीन हुए)

श्री गयूर अली खां : मैं यह चाहता हूं कि जो वक्फ की जायदादें ली गई है और खाली पड़ी हैं। उनको वापस किया जाए जिन जमीनों पर डी.डी.ए. ने मकान वगैरह: बना लिए हैं उनकी मार्किट रेट पर कीमतें वक्फ को अदा करें जिससे कि वक्फ को फायदा हो सके और लोगों को भी फायदा हो सके।

एक जो आपने वक्फ कमेटियां बनाई हैं, जिलों के अन्दर, सूबों के अन्दर, सेन्टर में, मैं चाहता हूं कि इनमें ज्यादा से ज्यादा ईमानदार, दयानतदार, और मेहनती आदमी नोमिनेटिड हों। ऐसे ही आदमी नोमिनेटिड होकर वक्फ के लिए काम कर सकेंगे।

वे मेहनत, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करेंगे। जो इलेक्शन में हारे हुए मोहरे हैं, या जो रिटायर्ड आफिसर हैं जिनके कि दिमाग फाइलें चाट जाती हैं, जिनमे कोई हिम्मत नहीं रहती, जिनके अन्दर कोई ताकत नहीं रहती, ऐसे आदमियों को वक्फ में नोमिनेट कर देन से वक्फ का काम ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। जब ऐसे लोगों को नोमिनेट कर दिया जाता है तो लोग अपनी जिंदगी आराम से बसर करने के लिए वक्फ को लूटते और खाते हैं। उनमें काम करने की हिम्मत बाकी नहीं रहती है।

मैं चाहता हूं कि वक्फ में नौजवान आदमियों को मुकर्रर किया जाए जो मेहनत से काम कर सके, भागदौड़ कर सकें। ऐसे लोगों को ही वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया जाए। सेन्टर में भी ऐसे लोगों को ही रखा जाए जो अच्छी तरह से देखभाल कर सकें।

मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे और वक्फ बोर्ड की ज्यादा से ज्यादा वहबूदी के लिए कोशिश करेंगे।

धन्यवाद

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : जनाब, चेअरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं मोहतरमा वजीरे आजम साहिबा और ला मिनिस्टर साहिब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी न ली होती तो शायद यह बिल इस सेशन में न आता। इन लोगों के बहुत दिलचस्पी लेने की वजह से ही यह बिल आज इस सेशन में आ सका है।

इस बिल का हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। पिछले कई सेशन में हम लोग यह मांग कर रहे थे कि यह बिल पेश किया जाए। लेकिन जैसा कि ला मिनिस्टर साहब ने फरमाया, कई जगहों पर इस बिल के बारे में गौरो-खास किया गया और हर जगह पर गवर्नमेंट की यह मंशा रही कि बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इत्तिफाके राय हो तभी इस बिल को लाया जाए।

चूंकि इस बिल पर इत्तिफाके राय नहीं हो सकी थी, और लोगों की अपनी-अपनी राय

थी लेकिन उसके बावजूद भी ला मिनिस्टर साहब आज यह बिल ले आए। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत हद तक लोगों को काबिले-कुबूल होगा।

अभी पिछले दिनों हम पालियामेंट के मुस्लिम मेम्बरान ने एक मीटिंग की थी और यह मीटिंग ला मिनिस्टर की इस यकीनदहानी के बाद की गई थी जो उन्होंने राज्य सभा में दी थी कि अगर मुस्लिम मेम्बरान आफ पार्लियामेंट इत्तिफाके राय से कोई अमेंडमेंट देंगे तो उसे हुकूमत मंजूर कर लेगी। इस बिल के बारे में हम लोगों ने तबादलाए ख्याल किया। बहुत-सी बातों पर तो हम लोग एक राय नहीं हो सके लेकिन कुछ बातों में हम लोग एक राय हुए। हम लोगों में कंसेन्सश बना और कन्सेन्शस के मुताबिक हमारे मोहतरम साथी श्री गुलशेर अहमद साहब ने अमेंडमेंट पेश किए हैं।

2.00 त.प.

मुझे यकीन है कि ला मिनिस्टर साहब इस अमेंडमेंट्स को मंजूर कर लेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इनको मंजूर कर लें।

इसके अलावा दो बातों की तरफ मैं ला मिनिस्टर साहब को तवज्जह दिलाऊंगा। एक काफीबात की तरफ मुझ से पहले बोलने वाले श्री हुसैन साहब जो पश्चिम बंगाल के मेंबर हैं,उन्होंने तवज्जह दी है। वह यह कि जिन लोगों ने गैर-मुस्लिम लोगों से मकबरों के लिए, खानकातों के के लिए, कब्रगाहों के लिए, इबादतगाहों के लिए या दूसरे मकसदों के लिए अपनी जायदादें वक्फ की है, अगर उनके वारिश उनको अलग करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं।

ये प्रावीजन रखा गया है। इसका बड़ा खराब असर पड़ने वाला है। यह प्रावीज़न दो तरफ से झगड़ा पैदा करेगा। दे लोग जिन्होंने किसी कब्रगाह के लिए था किसी खानकाह के लिए, किसी फकीर के मकबरे के लिए अकादत की वजह से जायदादें वक्फ कर दी उस काम के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, अब अगर उनके वारिस उस काम में अकीदत नहीं रखते हैं और वे वापिस लेना चाहेंगे, जो सौ साल से या 50 साल से जो उनके लिए वक्फ हैं, अगर उसको निकालना चाहेंगे तो कानून आप उसकी इजाजत दे रहे हैं। तो इसमें काफी झगड़ा पैदा होगा। जगह-जगह झगड़ा खड़ा हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कि गैर-मुस्लिमों ने और खासकर हिन्दू भाइयों ने इस काम के लिए अपनी जायदादें वक्फ न की हों।

सभापति महोदय : हो सकता है कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू न हो।

श्री जैनुल बशर : आप एक वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं। इसमें यह नहीं लिखा है कि यह भूतल प्रभाव से लागू नहीं होगा। मुझे कानून की जानकारी नहीं है।

श्री संतोश अग्रवाल (जयपुर) : मैं सभापति महोदय के विचार की पुष्टि करता हूं।

श्री जैनुल बशर : यह अच्छी बात है।

लेकिन आगे भी एक खतरा पैदा हो सकता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अरबन सीलिंग एक्ट से बचने के लिए, लैण्ड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए और दूसरे कानूनों से बचने के लिए जो जायदादों पर पाबन्दी लगाने के हैं, उनसे बचने के लिए कुछ लोग वक्फ कर सकते है। इस उम्मीद में कि उनके 4 लड़के जब बालिग हो जाएंगे तो वो उसको फिर वापिस ले लेंगे। ये झगड़ा फिर पैदा हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

एक और बात की तरफ मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जो कमिश्नर मुकरर किए गए हैं, उनके अख्तियारात के बारे में तवज्जह दिलाना चाहता हूं। कमिश्नर को जो बहुत सारे अख्तियारात दिए गए हैं, वक्फ बोर्ड की बातों को न मानें, किन-किन हालात में वक्फ बोर्ड की बात को नहीं मानेगा और उसे न मानने की वजह को वह स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दे और स्टेट गवर्नमेंट अपना इसमें आखिरी फैसला देगी। उसमें एक बात और लिखी है—

इससे दंगा भड़क सकता है या शान्ति भंग हो सकती है।'

तो चेयरमैन साहब, आप जानते हैं ला मिनिस्टर साहब भी कि वक्फ की जायदादें कहीं भी हों, वो बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जे में हैं।

इस वजह से क्यों है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बहुत सी जगहों पर मुसलमान पाकिस्तान चले गए। बहुत से गाँव ऐसे हैं, जहाँ पांच-दस घरों की आबादी मुसलमानों की बच गई। वे लोग किसी दूसरे कस्बे या शहर में आबाद हो गए और वक्फ की जो जायदाद है, उन पर गैर-कानूनी लोगों ने कब्जा कर लिया। हर जगह बड़े पैमाने पर यह कब्जा है। इस अमेंडमेंट बिल को जिसे अच्छी तरह से बनाया गया है और जो अख्तियारात खाली कराने के लिए दिए गए हैं, वह सारी की सारी चीजें, कमिश्नर की जो पावर्स है, उसको खत्म कर सकती है। जब भी उन जायदादों को खाली कराने के लिए जाएंगे तो ला एण्ड आर्डर की प्राबलम हो जाएगी वहां पीस डिस्टर्ब होगी, चाहे वह कब्जा हो सकता है।

गैर-मुस्लिम ने किया हो तो कम्युनल सिचुएशन पैदा हो सकती है। सिया का वक्फ है, सुन्नी ने किया है तो भी कम्युनल सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर सिया ने किया है तो भी कम्युनल सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर एक ही कम्युनिटि के किसी आदमी ने किया है तब भी ला एण्ड आर्डर की प्राबलम हो सकती है।

डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट क्यों झगड़े में पड़ने जाएंगे। वे तो लिखकर भेज देंगे कि ब्रीच आफ पीस का अन्देशा है। तब तो आप कोई भी जायदाद खाली नहीं करा पाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद भी ला एण्ड आर्डर की समस्या बनी ही रहेगी। में समझता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसको लिख देने से अगर खतरा न भी पैदा हो तो खतरा पैदा करने की कोशिश की जायेगी ऐसा माहौल बनाया जायेगा जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पर ब्रीच आफ पीस का खतरा है। यह माहौल बनाकर लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और वक्फ की जो जायदाद है, उस पर गैर-

कानूनी कब्जा हटाने में वह रोड़ा अटका सकते हैं। मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि अगर वह इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे तो इस एक्ट की मन्शा पूरी होने में बहुत आसानी हो जायेगी।

वक्फ की जायदादों से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जहाँ भी लोग बैठते हैं, इस बात की चर्चा होती हैं कि यह अरबों रूपयों का वक्फ है और अगर इसका ठीक से इन्तजाम किया जाये तो मुसलमानों को तालीम दिलाने और रोजगार दिलाने के मामले में बहुत काम किए जा सकते हैं। अस्पताल खोले जाने, मेडिकल और टैक्नीकल कालेजेस खोले जाने के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते है और जो गवर्नमेंट के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

"अपोजीशन में जो हमारे भाई बैठें हैं, वह भी यही चाहते हैं कि मुसलमान तालीम के मामलें में आगे आए। ये काम वक्फ की जायदादों और आमदनी से किए जा सकते है। जो मुतवल्ली हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ज्यादातर ऐसे हैं जो वक्फ की जायदाद से कमाई कर रहे हैं। उन पर कोई कार्यवाही करने वाला नहीं हैं। गुलशेर साहब लॉ मिनिस्टर साहब ने वताया कि मुतवल्ली ने कोई गबन किया है तो उसके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही नहीं हो सकती।

पता नहीं कौन सी कानूनी अड़चन है ? मैं तो कानून नहीं जानता कि क्यों कार्यवाही नहीं हो सकती। आखिर मुतवल्ली के दिल में डर कैसे पैदा होगा कि वह वक्फ को न लूटे, वक्फ को न खसोटे। इसलिए यदि इस तरह का प्रोवीजन अभी नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप कानूनी तौर से उसको एकजामिन करवा लें और कम से कम इस तरह के लोगों के अंदर डर रखने का प्रौबीजन जरूर होना चाहिए, जिसके तहत कोई मुतवल्ली वक्फ जायदाद को लूटने और खसोटने का काम न कर सके।

जहां तक वक्फ जायदादों पर गैर-कानूनी कब्जा हटाने की बात है, सबसे पहले उसकी शुरूवात सरकार की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि वक्फ जायदाद पर सरकार का भी कब्जा है, सरकारी एजेन्सियों का भी है और प्राइवेट लोगों का भी है। लेकिन इधर देखने में आया है कि सरकार की ओर से कुछ काम हुआ है, पिछली बार हम लोगों ने भी इस मामले को काफी जोर-शोर से उठाया था और बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक डी. डी. ए. और सी. पी. डब्ल्यू. डी. से कुछ जमीनों के कब्जे वापस वक्फ बोर्ड को मिल गए थे। लेकिन अभी तक उनके बहुत से वक्फ जायदाद पर कब्जे बाकी हैं।

यह सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है, अन्य स्टेटों में भी वक्फ जायदादों पर सैन्ट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटस और स्टेट गवर्नमेंट के के डिपार्टमेंटस ने कब्जे किए हुए हैं। इसलिए मैं मौहतरिम वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगा क्योंकि आप बड़ी दिलचस्पी और मेहनत के साथ इस मामले में काम कर रहे हैं, हम लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप कुछ ऐसे प्रोवीजन करें ताकि सरकारी अपना कब्जा खाली कर देगी तो उसके बाद सरकार एजेन्सियों और प्राइवेट लोगों से कब्जा खाली कराने में आसानी होगी।

चेयरमैन साहब, इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की वक्फ जायदादों से जो उम्मीदें बाबस्ता हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह बिल काफी मददगार साबित होगा। क्योंकि कोई भी बिल यदि पास कर दिया जाए तो भी तब तक वह कारगर नहीं हो सकता, जब तक कि सरकार की नियत साफ न हो। यदि सरकार की नियत ठीक होगी तो अच्छे से अच्छा बिल कारगर साबित हो सकता है, यदि सरकार की नियत ठीक नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा बिल भी कारगर साबित नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि इस सरकार की नियत ठीक है और तभी यह बिल यहां आया है, मुझे इस बिल पर भरोसा है और उसी भरोसे के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सटे (मंजेरी): सभापति महोदय, मैं विधि मंत्री श्री कौशल के प्रयासों की बहुत सराहना करता हूं। यदि वह नहीं होते तो यह विधेयक लाया नहीं जाता। परन्तु मैं यह स्पष्ट कहता हूं कि यह विधेयक अत्यन्त असंतोषजनक है और श्री कौशल स्वयं अपनी सरकार के प्रतिबन्धों के शिकार हुए हैं जिससे इस विधेयक का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। महोदय आप भली भांति जानते हैं कि 1953 का वर्तमान वक्फ अधिनियम गत 30 वर्षों से लागू है। यद्यपि इसका उद्देश्य अच्छा हैं, वर्तमान अधिनियम दोषपूर्ण पाया गया है और इससे वक्फ की स्थिति में न तो कोई सुधार हुआ है न वक्फ संपत्तियों का हस्तांतरण हीं रूका है। वर्तमान अधिनियम से न तो सरकारी एजेन्सियों से और न गैरसरकारी एजेन्सियों के गैरकानूनी कब्जे से वक्फ सम्पत्तियों को हम नहीं ले सके हैं।

अत: महोदय अब पिछले एक दशक से अधिक लक्ष्य से निरंतर यह मांग को जानी रही है कि हमें एक अन्य प्रतिस्थापन वक्फ अधिनियम बनाना चाहिए जो कि मुसलमान समुदाय की आकांक्षाओं के अनुसार हो जिससे वक्फ संपत्तियों का विकास और सुधार हो और जिससे वक्फ निधि का दुरूपयोग और वक्फ सम्पत्ति का हस्तांतरण रूके और जिसके द्वारा हम सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों के गैरकानूनी कब्जे से सभी वक्फ सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले सके और इस तरह से वक्फ की स्थिति में सुधार आएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम एक नए वक्फ अधिनियम को लाने की माँग कर रहे हैं।

जैसा कि यहां कहा गया है कि वक्फ जाँच समिति का गठन 1969 में किया गया था और इस समिति ने सात वर्ष की लम्बी अवधि के बाद एक प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसके दो वर्ष के बाद अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अब इस जाँच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद सरकार ने 8 वर्ष से अधिक समय सिफारिशें तैयार करने और इस सम्मानित सभा के समक्ष इस विधेयक को पेश करने में लगाए हैं।

मैं अब यह अवश्य कहूंगा कि इस विधेयक में कोई त्रुटियां, कमियां और भूले हैं और इस से मुसलमान समुदाय की मांगों और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती और यदि इसे वर्तमान रूप में पारित कर दिया जाता है तो इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि हमारे संशोधन को स्वीकार

किया जाता है तब तो ठीक है यदि इसी रूप में पारित कर दिया जाता है तो इससे बुनियादी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं पुन: कहता हूं कि इससे वक्फ सम्पत्ति का सरक्षण नहीं होगा, वक्फ निधि का समुदाय के कल्याण और प्रगति के लिए बेहतर उपयोग नहीं होगा और वक्फ प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण नहीं होगा।

इस महत्वपूर्ण विधान के दूरगामी परिणाम होंगे। यह विधान एक दशक से अधिक के प्रयासों और विचार-विमर्श का परिणाम है परन्तु अब इसे पेश करने में जल्दी की गई हैं। वर्तमान सत्र के प्रथम दिन इसे राज्य सभा में पेश किया गया था और विपक्ष के बहिगमन का लाभ उठाते हुए कुछ मिनटों में ही इसे पारित कर दिया गया था। हमें सरकार के एक जिम्मेवार व्यक्ति ने बताया था कि इस विधेयक को पेश ही नही किया जाएगा परन्तु अब इसे अचानक पेश कर दिया गया है और हमें अधिक संशोधन पेश करने के लिए समय ही नहीं दिया गया। यहाँ भी सरकार केवल दो घंटे का समय देना चाहती है और इसे पारित करना चाहती है। सरकार का ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है।

विधि मन्त्री द्वारा यहां एक बात कही गई है कि मुसलमान नेताओं, संसद सदस्यों, केन्द्रीय वक्फ के सदस्यों तथा अन्यों में इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में कोई सहमति नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह हैं कि अधिकांश उपबन्धों सहमति है। हमारा कुछ उपबन्धों पर ही मतभेद था और वह भी निस्सन्देह बुनियादी उपबन्धों पर।

हाल ही में श्री कौशल ने क्या कहा है ? उन्होंने एक पावन वचन दिया था। राज्य सभा में जब इस विधेयक को एकाएक पारित कर दिया गया और कई सदस्यों ने आपत्ति उठाई तो तब हमारे विधि मन्त्री श्री कौशल ने एक वचन दिया थाकि यदि लोक सभा के मुसलमान सदस्य कतिपय सर्व सम्मत संशोधन रखते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा और वक्फ अधिनियम में शामिल किया जाएगा। परन्तु बाद में क्या हुआ ? संसद के मुसलमान सदस्यों की बैठक हुई और हमारे में से 36 सदस्यों ने सर्व सम्मति से 24 संशोधन बनाए और उन पर हस्ताक्षर किए। उनमें से एक संशोधन को भी सम्मिलित नही किया गया है। अब आप हमारे विरुद्ध यह शिकायत नहीं कर सकते कि हम में सर्वसम्मति नही थी श्री गुलशेर अहमद साहब उस बातचीत के दौरान, जब हम 36 सदस्यों ने इन 24 सशोधनों को बनाया और उन पर हस्ताक्षर किए भी उपस्थित थे यदि सरकार इतनी निष्ठापूर्वक थी और इतने ईमानदार थी और यदि मत्री महोदय राज्य सभा में दिए गए अपने वचन को पूरा करना चाहते थे तो सरकार को स्वयं इन संशोधनों को स्वीकार और पुर: स्थापित करना चाहिए था। परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों यही सार है और हम पर यह आरोप लगाना कि हमी एकमत नहीं थे और इसीलिए विधेयक लाने में विलम्ब हुआ सही नहीं है।

जहां तक इस मत का प्रश्न है कि विधेयक वक्फ जांच समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरुप है, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि वक्फ जांच समिति द्वारा दिए गए कई कई सुझाव नहीं

किए गए हैं। कई नए उपबन्ध किए गए हैं। अत: यह विधेयक मुसलमान समुदाय की आकांक्षाओं के अनुरुप नहीं है। इसे स्पष्ट करना होगा।

बोर्ड के अधिकांश सदस्य नामजद होते हैं इसमें शायद दो संसद सदस्य होते है, वह भी उचित नहीं है। हमारी अन्य प्रत्येक समिति में अथवा बोर्ड में, उदाहरण के लिए हम समिति में, लोक सभा के 2 सदस्यों और राज्य सभा के 2सदस्य प्रतिनिधित्व होता है अपने;अपने संसद सदस्यों का जिक्र किया है लेकिन यह नहीं बताया कि लोक सभा के कितने सदस्य हैं और राज्य सभा के कितने। हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि हम सदस्य लोक सभा से लेते हैं और सदस्य राज्य सभा का। (**व्यवधान**) लेकिन यहां आपने कहा कि कुल 2 सदस्य होंगे। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वक्फ बोर्ड एक निर्वाचित संस्था हैं। उसमें मात्र 4 सदस्य होते हैं। 2 संसद सदस्य और 2 विधान सभा के सदस्य। अन्य सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। अत मनोनीत सदस्यों के पास मनोनीत वक्फ आयुक्तों के माध्यम से राज्य सरकारों की शक्तियों सहित अत्याधिक अधिकार है। श्री गुलशेर अहमद ने कहा कि वक्फ आयुक्त मात्र एक सदस्य होगा। नहीं। उसे अत्याधिक प्राप्त हैं। वह तानाशाह है, हिटलर है, वह किसी भी व्यक्ति, किसी भी सदस्य और पूरे बोर्ड का दमन कर सकता है। इस अधिनियम के अतर्गत आने वाले सदस्यों को मात्र परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। इससे अधिक कुछ नहीं। यह स्थिति है। आपकी यह पूर्ण धारणा है कि संसद के निर्वाचित सदस्य तथा अन्य सब बेईमान हो जायेंगे और क्या पूरे विश्व में केवल यह विशिष्ट व्यक्ति, यह आयुक्त ही ईमानदार हो सकता है? एक सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह, एक अधिकारी ही विश्व में केवल ईदानदार हो सकता है। अन्य सब लोग, जनता के प्रतिनिधि संसद सदस्य बेईमान हो सकते हैं। इस तरह की धारणा खतरनाक है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाय नौकरशाहों पर अधिक विश्वास करती है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उन्हें नौकर शाह पसंद हैं, वे चाहते है कि नौकर शाहों को ही सबसे ऊपर रखा जाए, और उनके माध्यम से वे वक्फ पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हमें इसे गुप्त रूप से वक्फ संस्थान को राष्ट्रीयकृत करने का प्रयास मानते हैं।

अब मैं वक्फ बोर्ड के सदस्यों के बारे में कहूंगा। उन्हें किस बात की अनुमति है? उनके अधिकार क्या हैं; वे क्या कर सकते हैं? वे मात्र प्रदर्शन की वस्तुए हैं। उससे अधिक कुछ नहीं वक्फ आयुक्त उन्हें वर्ष में दो तीन बार बुला सकता है और वेउ नसे बातचीत कर सकते हैं और कुछ सिफारिशें कर सकते हैं उससे अधिक कुछ नहीं, सभी अधिकार वक्फ आयुक्त को दे दिए गए हैं।

हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास अधिक अधिकार होने चाहिए। श्री जैनुल बशर ने पथभ्रष्ट मुतवल्लियों के बारे में कहा। उनका विचार था कि पथभ्रष्ट मुतवल्लियों को जो कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, न केवल छ जुर्माना करना चाहिए बल्कि उन्हें कैद की सजा

भी मिलनी चाहिए । लेकिन बोर्ड को कोइ अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं । उनकी क्षमता मात्र परामर्श देने तक की है और समूचे अधिकार वक्फ आयुक्त के हाथ में होंगे ।

खंड 21 घ में जो कहा गया है मैं उसे उद्दत करता हूं ।

"जहाँ वक्फ आयुक्त का विचार है कि बोर्ड द्वारा पारित कोई आदेश या संकल्प—

(क) विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों के बाहार है या उनका जो दुरुपयोग है : या

(ग) यदि कार्यान्वित किया जाता है तो उससे····· संभावना है ।"

इसका निर्णय वक्फ आयुक्त करता है कि बोर्ड के 2 "सदस्य । निर्णय करने के सभी अधिकार उसे प्राप्त हैं यदि वह समझता है कि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित सभी या किसी आदेश अथवा संकल्प से—

(i) बोर्ड को या सम्बद्ध वक्फ को या साधरणतया वक्फों को वित्तिय हानि होने की संभावना है, या

(ii) मानव जीवन, स्वास्थ या सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है, या

(iii) बलवा या शांति भंग होने की संभावना है·····

तो वह बोर्ड के आदेशों और निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है मान लीजिये कि कोई वक्फ संपत्ति है सरकार इसे अपने अधिकार में लेना चाहती है । वक्फ बोर्ड इसे अपने अधिकार लेना चाहता है तब कुछ लोग इकठ्ठे होकर नारे लगाते हैं उससे शांति भंग होती है । ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती हैं और तब अयुक्त बोर्ड के निर्णयों को रदद् कर देगा । सभी अधिकार आयुक्त को प्राप्त है । वह जैसा चाहे कर सकता है । यहाँ तक कि यदि बोर्ड के सदस्यों ने यह निर्णय किया हैं कि कोई संपत्ति अपने आधिकार में ली जाए तो वह कह सकता है । कि आप इसे अपने अधिकार में नही ले सकते क्योंकि आयुक्त इसी विरुद्ध है ।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : अधिकार बोर्ड के हाथ में है और यह आयुक्त को नहीं दिए गए हैं । यदि वह कोई आदेश पारित करता है तो वे सब डिविजनल मैंजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं । वह इसे रद्द कर देगा ।

श्री इब्राहीम सुलेमान (सेट) : उसे निर्णय के कार्यान्वित को रोकने का अधिकार प्राप्त है । इसे दंगे होंगे अथवा शांति भंग होगी वह जानता है कि ऐसा होगा । वह बोर्ड के निर्णय को रोक सकता हैं । सामान्यत: यह वक्फ के लिए लाभदायक नहीं है । इस निर्णय भी आयुक्त कर सकता है । यदि समूचा बोर्ड यह निर्णय करता है कि कोई विशेष संपत्तित वक्फ को संपत्ति बना दी जाए वक्फ आयुक्त उसे रद्द कर सकता है, वह कह सकता है कि किसी संपत्ति को अपने अधिकार में लेना वक्फ के हित में नहीं हैं ।

आयुक्त इस तरह से काम करेगा बोर्ड के सदस्य "मुकाबले वह स्वयं को सबसे समझदार समझेगा।

वर्तमान वक्फ विधेयक वक्फ को परिसीन अधिनियम से मुक्त नहीं करता। श्री गुलेशेर अहमद ने कहा है कि वह एक संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि परसीमन अवधि 12 वर्ष की बजाय 30 वर्ष तक होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि वक्फ संपत्ति के लिए परिसीमा कैसे निर्धारित की जा सकती है और किसी भी समय उसके प्रतिकूल कब्जा किया जा सकता है ? कोई भी वक्फ संपत्ति ही रहती है' आप यह नहीं कह सकते कि यह 12 वर्ष या 30 वर्ष के बाद वक्फ संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी मान लीजिए यदि परिसीमा अवधि निर्धारित कर दी जाती हैं, तो यह वक्फ संपत्ति केहित के विरुद्ध होगी। हम, 36 संसद सदस्यों की सहमति से श्री गुलशेर अहमद ने एक संशोधन सुत्रबद्ध किया और तब इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संशोधन में कहा गया है :-

"भारतीत परिसीमन विधी अधिनियम 1963 में अथवा मुकमदा दायर करने पर परिसीमन विहित करने वाली किसी अन्यविधी में अथवा किसी अन्य विधिक कार्यवाही में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध वक्फ की धारा 3 के खंड (1) में यथापरिभाषित किसी ऐसी चल सम्पत्ति के कब्जे या उसके धारण के लिए मुकदमा दायर नही किया जा सकेगा अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो उसे धारण करने के प्रयायोजन से इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है अथवा पंजीकृत मानी गई है ओर ऐसी संपत्ति का हिसाब रखने या उसकी आय पर समय सीमा लागू नहीं होगी।"

इस तरह से संसद सदस्यों ने सहमति दी सरकार ने यह संशोधन स्वीकार क्यों नहीं किया हम वक्फ संपत्ति पर परिसीमा अवधि निर्धारित करने पर सहमाते कैसे दे सकते है। और 30 वर्ष की अवधि के बाद इस पर कब्जा करने की बात कैसे स्वीकार कर सकते है ? मैं विधि मंत्री से यही जानना चाहता हूं। एक बार यदि वक्फ संपत्ति की परिसीमा निर्धारित कर दी जाती है तो वह वक्फ संपत्ति के हित में नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों को किराया नियन्त्रण कानून से भी मुक्त नहीं किया गया है। इस तरह की छूट दी जानी चाहिए।

कुछ राज्यों में वइफ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानून से युक्त रखा गया है और कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। इस विधेयक में ऐसी छूट दी जानी चाहिए। यह अच्छा अवसर है।

सभापति महोदय :वह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में होगा। केन्द्र सरकार वह कानून पारित नहीं कर सकती।

श्री इब्राहीम सुलेसान (सेट) : आप राज्य सरकार से परामर्श कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में वर्तमान कराधान प्रणाली में नए वक्फ गठित नहीं किए जा सकते हमारे पूर्वाधिकारियों ने बहुत समय पहले वक्फों की स्थापना की थी और समुदाय की आर्थिक शैक्षणिक तथा समाजिक प्रगति के लिए वे समुदाय की आशा हैं। जबतक इन सम्पत्तियों को भाटक नियन्त्रण अधिनियम से

वियुक्त नहीं किया जाता तब तक आप वक्फ सम्पत्ति की स्थित नहीं सुधार सकते तथा इसकी आय में वृद्धि नहीं कर सकते । उसके अतिरिक्त, विधेयक में भूमि अधिकतम सीमा से छूट नहीं है यदि वे वक्फ को भूमि की अधिकतम सीमा से विमुक्त नहीं करते तो ये लुप्त हो जाएगे और जैसे कि श्री गुलशेर अहमद ने कहा है अधिग्रहण से भी कोई छूट नहीं है ।

सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के विरुद्ध कोई छूट नही दी गई है । यह सुझाव है कि यह विषय भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत आना चाहिए । पिछले शनिवार को इस मामले पर इसी सदन में चर्चा हुई थी मेरे साथी श्री बनात वाला ने इलाहबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ पीठ के 1978 के निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था, जिसमें न्यायालय ने यह निर्णय देना उचित समझा है पूजा स्थलों भी लोक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है । हमने उसके विरुद्ध विरोध प्रकट किया है । इस मामले में तीव्र भावनाओं को समझते हुए सरकार ने इस निर्णय को रोक दिया है । और यहां हमारे विद्वान मित्र, श्री गुलेशर अहमद ने कहा है कि अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । इसका क्या फायदा है ? अनुदेश कानून का स्थान नहीं ले सकते । इस विधेयक में पूजा स्थलों को अधिग्रहण से विमुक्त रखने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था । सरकार ने न तो अर्जन अधिनियम में और न ही वक्फ अधिनियम में यह प्रावधान किया है ।

मैं यह नहीं कहता कि केवल मसजिदों को इससे विमुक्त रखा जाए । मैं चाहता हूं कि मस्जिदों, गुरुद्वारों, मन्दिरों चर्चों-सभी पूजा स्थलों को अर्जन अधिनियम के क्षेत्राधिकार से विमुक्त रखा जाना चाहिए ।यह भी नहीं किया गया है । विभिन्न बातें जिनका हम इस विधेयक में समावेस करना चाहते थे, इसमें नहीं हैं । इसमें परिसीमन से कोई विमुक्ति नहीं है, इसमें भाटक नियंत्रण अधिनियम से कोई विमुक्ति नही है इसमें भूमि की अधिकतम सीमा से कोई विमुक्ति नहीं है तथा इसमें भूमि अर्जन से भी कोई विमुक्ति नहीं है-तो इस विधेयक से हमें क्या मिलेगा-कुछ भी नहीं । वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा तथा बेहतर प्रशासन के लिए, ये सभी चीजें आवश्यक हैं । इस विधेयक में एक बात बहुत प्रमुख है । सभी जगह यह कहा गया है कि "बोर्ड" के स्थान पर वक्फ आयुक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि समूचा नियंत्रण वक्फ आयुक्त के हाथों में होगा । और, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, वह वक्फ संस्थाओं का चोरी छिपे राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास है और इस प्रकार सरकार उन पर नियन्त्रण करना चाहती है । स्थिति । यह है

सभापति महोदय : क्या आपने कोई संशोधन पेश किया है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान (सेट) : जी हाँ मैंने संशोधन रखें हैं ।

मैं विधि मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दें । जहां तक अवधि का सम्बन्ध हैं, इसमें 30 वर्ष सीमा नहीं होनी चाहिए तथा इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होनी चाहिए । वक्फ की सम्पति को परिसीमन अवधि के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता । यह एक बहुत मूल मुद्दा है ।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री गुलशेर अहमद ने पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है तथा उसे निष्प्रभावी करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वक्फ सम्पत्ति को शरणार्थी सम्पति घोषित किया जा सकता हैं, लेकिन यह वक्फ बोर्ड के अधीन होनी चाहिए, संरक्षक के नियंत्रणाधीन नहीं। संरक्षक भी सरकार के नियंत्रणाधीन होगा। उन्होंने कहा है कि पंजाब उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधन का भी स्वागत करता हूं जिसके अन्तर्गत वक्फ शरणार्थी सम्पति को बोर्ड के नियंत्रणाधीन लाने का प्रावधान है।

इन सभी कारणों से मैं विधि मन्त्री से अनुरोध करूँगा कि वह इन मुद्दों पर पुनर्विचार करें। वह हमारे कुछ संविधानों को स्वीकार कर ले और जहां तक समय सीमा का सम्बन्ध है, बिना कोई अवधि निर्धारित करते हुए इससे विमुक्ति दी जाए। भाटक नियंत्रण अधिनियम तथा भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से विमुक्ति देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि यह सभी कुछ कर दिया जाता है केवल तभी इस विधेयक को स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय : मन्त्री ने उन्हें यह बता दिया होगा।

श्री अमिलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरिय चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपसे मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने वजीरे आजम का और साथ-साथ ला मिनिस्टर का जो इस बिल को लाए हैं, इस उमीद से कि यह मुतफिका तौर पर पास होगा।

मामला वक्फ जायदाद का है और बिल भी अच्छी नीति से लाया गया है—इसमें कोई शबहा नहीं है। यह बिल काफी गौर व खोज के साथ लाया गया है। काफी कमेटीज बनी हैं जिन पर हमारे दूसरे दोस्तों ने रोशनी डाली है। हमारे ला मिनिस्टर तो उर्दू के अच्छे जानकार हैं और अच्छे कानूनदां भी हैं लेकिन मैं उनसे इस बात पर इत्तफाक नहीं करता, जैसा कोई वर्ड मोहमडन ला में नहीं है, "ward" वर्ड है। आप तो उर्दूदां हैं, आप अगर K को बदलकर Q कर दें तो मैं समझता हूं बहुत दुरुस्त व अच्छा रहेगा। बिल में यह गलत प्रोनाउसमेंट हुआ है और इतने बड़े एवान से यह बिल पास होने जा रहा है इसलिए इसमें ऐसी गलती नहीं रहनी चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मोहमडन ला को मद्देनजर रखते हुए K को Q से तब्दील कर दीजिए। यह ला बन रहा है इसको सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी पढ़ने वाले लोग होंगे। इसकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे अर्ज किया है कि यह कंसल्टेटिव कमेटी में भी डिस्कस हुआ है, फिर बर्नी कमेटी बनी और इस तरह से तमाम बातों को मद्दे नजर रखते हुए यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और आज लोकसभा में पास होने को है। मैं वजीरे कानून से इस्तदुआ करूंगा कि वे इन बातों पर गौर करें। इसके पेज 3 पर जो क्लाज (ई) है उससे मुझे थोड़ा खतरा जाहिर हो रहा है।

(ङ) उपखंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो इस्लाम का अनुयायी नहीं है, समर्पण की दशा में वक्फ शून्य हो जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, ऐसे समर्पण के प्रति कोई आक्षेप उसके एक या अधिक विधि प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।"

जैसा कि दूसरे दोस्तों ने भी जिक्र किया है, बहुत सारे गैर-मुस्लिम पुराने जमाने के जो भाई थे या अभी भी जो हैं उन्होंने कब्रिस्तान, खानकाह या दरगाह में और दूसरी जगह खुशनूदी के लिए जायदाद दी हैं इसलिए कहीं ऐसा न हो कि यह बिल जो पास होने वाला है, इसका नाजायज फायदा उठाकर उस पर झगड़ा खड़ा किया जाए। मैं मोहतरम चेयरमैन साहब और मोहतराम वजीर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि अभी दिल्ली में दरियागंज में एक मुस्लिम प्रापर्टी रिलीज की गई जो कि फ्री फ्राम एन्कमबरेंस जायदाद है लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ से इन्ट्रस्टेड जो लोग हैं उन्होंने वहां कुछ अच्छे काम के लिए मकान वगैरह बनाना चाहा तो गैर-मुस्लिमों ने गलत सहारा लेकर मुकदमा दायर कर दिया और वहां पर जो काम मुसलमानों की बहबूदी के लिए हो सकता था, वह रुका पड़ा हुआ है। इसलिए शंका इस बात की है कि आगे चलकर कहीं लोग इसका गलत इस्तेमाल न करें। इसकी तरफ मैं वजीर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हमारी सरकार की नीयत तो बिल्कुल साफ है लेकिन दरियागंज का जो मसला है वह हमारे सामने मौजूद है और राजधानी में इस बात से बड़ी परेशानी है कि सरकार के जायदाद छोड़ देने के बावजूद गैर-मुसलिमों ने गलत ढंग से मुकदमा करके स्टे-आर्डर ले आया गया जिससे मुसलमानों की बहबूदी के लिए जो काम होने वाला था इस्टीट्यूशन का वह बन्द पड़ा है।

छः छः दस-दस महीने से पड़े हुए हैं; इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि कहीं इसका नजायज फायदा उठा न लिया जाए। इस लिए इस पर आपका ध्यान जाना जरूरी है।

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान और खींचना चाहता हूं। सब-क्लाज-15, पेज-8 के बारे में मोहतरिम चेयरमैन और वजीर साहब को मालूम है। यह बदकिस्मती की बात है कि आजादी के वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद बहुत से लोग इधर रह गए और बहत से लोग उधर चले गए। उस वक्त के हलात के मुताबिक 1946-47 में वे लोग एक गाँव को छोड़ कर दूसरे गाँव में चले गए। जहां वे लोग अच्छा समझते थे, वहाँ चले गए। 1971 के बाद हालात में सुधार आया। सुधार आने के बाद वे अपनी-अपनी साबक जगहों पर आ कर बस गए। बस कर जहाँ उनकी मस्जिदें थी, कब्रिस्तान थे; उनका इस्तेमाल करने लगे। उन जगहों पर आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट वाले लोग उन सारी जगहों को मानुमेंट के नाम से कब्जा कर के रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में ही एक मस्जिद है, जहां पर आर्केलोजिकल डिपार्टमैंट वालों का कब्जा होने की वजह से वे लोग वहां जाकर नमाज अदा नही कर सकते हैं। दरगाह में जाने में उरको दिक्कत होती है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसको दफनाने में परेशानी होती। आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट से यह कहना चाहिए कि जहां पर लोग आकर फिर से बस गए हैं, ओरिजिनल जगह पर वह एग्जैम्ट होनी चाहिए। तब जाकर मायनों में आपका

मकसद पूरा हो सकता है।

बिल के पेज 17, क्लाज-221-डी, जिसमें कमिश्नर की पावर के बारे में तजकीरा हुआ है। इस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हू पद पर खुदा के वास्ते किसी रिटायर्ड व्यक्ति को नियुक्त न करें। क्योंकि चालीस वर्ष तक सरकारी मुलाजमत में काम करने का तरीका बात करने का तरीका और अन्य तौर तरीके रुल्स के मुताबिक ढल कर बन जाते हैं। वह यह समझता है। कि पैंशन तो सरकार से मिल रही है तो सोसायटी के हित के लिए काम नहीं करेगा। नौजवान मुस्लिम आफिसर हैं, जो दोड़-धूप करके काम कर सकता है उस को मौका दिया जाना चाहिए। इस लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि रिटार्ड आफिसर से आप हमारी जान छुड़वायें। जिस मकसद के लिए आप यह बिल बना रहें हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए मकसद यह कि मुसलमानों को तालीम का फायदा हो, स्कूल बनें कालेज बने हास्पिटल बने औरतों के लिए तालीम के दरवाजे खुलें। ये सब चीजें रिटायर्ड आदमी के ध्यान में नहीं आ सकती हैं।

(श्री जगन्ननाथ कौशल) : इसमें रिटायर्ड आदमी नहीं हो सकता है।

श्री जमीलुर्रहमान : यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था क्योंकि क्लाज एक दो तीन में इस बात पर सन्देह होता है। अभी जैसा मैंने आपको दरियागंज का इशारा किया है। अगर सब उनकी मर्जी पर किया जाएगा तो मुश्किल पेश आ सकती है यह कार्य तभी सफल हो सकता है, जब बोर्ड की यूनेनिमस राय लेकर किया जाए और उसको इम्पलीमेंट करने का अख्तियार मिले। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है लेकिन सरकारी पावर कमीशनर को दे दी गई तो बोर्ड को सुपर-फल्यूसस होकर रह जाएगा। इसलिए इसका मकसद यह नही होना चाहिए चेयरमैन साहब जैसा अभी मैंने अर्ज किया।

जहां तक लिमिटेशन का ताल्लुक हैं, मैं मोहतरिम गुलेशर भाई इतिफाक करता हूं। लिमिटेशन की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिए और कभी मजबूती के साथ जाना चाहिए।

क्यों ? आप को याद होगा पिछली मर्तबा जब वक्फ अमेण्डमेंट विल के एक्सटेशन्सन की बांत आई थी- जायदाद की रिकवरी के लिए मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी एक मिसाल आप को दे रहा हूं किलोखरी (दिल्ली) में एक मजार है। जहाँ तक मुझे याद है उस के साथ 12 13 बीघे जमीन थी। उस को हासिल करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सूट फाइल किया और आनरेबिल जज ने स्टेआर्डर दे दिया था। मैंने उस स्टे-आर्डर को देखा था, इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। स्टे-आर्डर के बावजूद बड़े दुख बात है कि डी० डी० ए० ने उसकी जमीन पर मकानात बना दिये। नतीजा यह है कि किलोखरी की उस मजार के पास, जिस पर आन्ध्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल से मुरीदैन लोग आते हैं। साल में एक बार उर्स होता है। सिर्फ 10-5 कटे जमीन रह गई है और बाकी पर डी० डी० ए० के मकान बन गए हैं। सरकार की नीयत साफ है उस पर हमें शको शुब्हा नही है लेकिन जो चीज आज बन गई है वह टूट नहीं नहीं सकती है। इस लिए मोहतरिम चेअरमैन वजीरे कानून से आप के जरिये इल्तदुआ करता हूं कि उस जमीन का पूरा कम्पेन्सेशन फुल-मार्किट-वैल्यू के उस दरगाह को मिलना चाहिए वहाँ के मुतवल्ली को मिलना चाहिए ताकि जो जायरीन वहां आते हैं उन के रहने सहने, खाने-पीने और दूसरी सुविधाओं पर वह रकम खर्च हो सके। उस को मौजूदा मार्केट-वैल्यू के हिसाब से दाम

दिए जाये ताकि वह रकम जायरीन को सुविधाएं देने के साथ-साथ उस दरगाह की मैंन्टेनेन्स पर भी खर्च हो सके। जहां तक लिमिटेशन का ताल्लुक है जैसा गुलशेर भाई ने कहना है इस को कम से कम 30 साल बढ़ा दीजिये, ताकि जो प्रापर्टी चली गई है उस को वापस लेने में आसानी हो।

जैसा मैंने अभी अर्ज किया था-जो जायदांद आर्केलाजी डिपार्टमेंट के पास चली गई है और जहां पर मुस्लिम लोग वापस लौट आए हैं वह जायदाद डेफिनेटली वक्फ बोर्ड को वापस होनी चाहिए। दिल्ली में तो खास तौर से इस तरफ तवज्जह दी जानी चाहिये, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है और सारे हिन्दुस्तान की निगाह उसकी तरफ लगी हुई है। सारे लोग देखते हैं कि इस मुल्क में सैकुलरिज्म का राज है और इसको बरकरार रखा जाय। 10-20 मस्जिदें अगर रिलीज हो जांय, आर्केलाजी डिपार्टमेंट उनको छोड दे और जो मुसलमान वापस आ गये हैं उन को वापस हो जाय तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो जायदाद चली गई है, चाहे इवैक्यूई प्रापर्टी के शक्ल में गई हो, डी० डी० ए० के पास हो या किसी प्राईवेट आदमी के पास हो उस को वापस लेने में इस एक्ट के जरिये आसानी होगी, इस लिये इसका लिमिटेशन पीरियड जरूर बढ़ाया जाय। लैंड एक्वीजीशन एक्ट के सिलसिले में जैसा मेरे लायक दोस्तों ने कहा है—उसमें एक सूटेबिल अमेंण्डमैंट अगले सेशन में हो ताकि जायदाद का जो सही मकसद है वह पूरा हो सके, क्योंकि इस सिलसिले में एक बड़ी कन्टोवर्सी खड़ी हो गई है—लखनख जजमैंट के बाद। उस जजमैंट में यह कह दिया गया है कि मस्जिद कब्रिस्तान भी एक्वायर हो सकते हैं। इस पर लायक वजीर साहब को, जो एक बहुत अच्छे कानून दां हैं' गौर करना चाहिये।

मैं एक बात कह कर अपनी बात को खत्म करता हु। रेन्ट की बात कही गई है। वक्फ प्रापर्टी को रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। मोहतरम साहब अपने इस बात को कहा है कि यह स्टेट सवजेक्ट है। यह सही बात है। क्या कोई ऐसा प्रोविजों या कोई ऐसी गुन्जाइश नहीं हो सकती है जिससे कि वक्फ की जायदाद की भलाई के लिए सेन्ट्रल गवर्नमैंट की मन्शा स्टेट गवर्नमेंट्स पर जाहिर हो जाए स मैं इसे कम्पलसरी करने के लिए नहीं कहता लेकिन ऐसा कोई अमैंडमेंट हो जाए या ऐसा कोई प्रोविजो इसमें रख दिया जाए जिससे यह लगे कि वक्फ जायदाद के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह मकसद है और उसके बारे में हमारी स्टेट्स भी सोचें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह मकसद कि वक्फ प्रोपर्टी का रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट से वरी कर दिया जाए ऐसी कोई बात इसमें आ जाये तो इसका फायदा हिन्दुस्तान के मुसलमानों को होगा। ऐसा कोई इसमें अमैंडमैंट हो जिससे कि इकोनोमिकल्ली और सोशल्ली मुसलमानों को फायदा हो।

यह विल वहुत अच्छे तरीके में लाया गया है। मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं। सिर्फ एक गुजारिश है कि हम लोगों ने एक ज्वाइन्ट अमेंडमेंट दियाँ है, वहुत सारे साथियों ने मिलकर दिया है, अगर आप उस पर गौर करें, उसको देखे तो एक अच्छी बात होगी। हमारे हिन्दुस्तान की आंकलयत के लोग हमारी नेता की तरफ देख रहे हैं। इससे उनका दिली मकसद हो सकेगा और वक्फ की जायदाद वच सकेगी। वक्फ बोर्ड ताकतवर हो सकेगा। हम लोग सोशल्ली, इकोनोमिकल्ली और एजूकेशनल्ली ऊपर उठे और हमारे वच्चे तालीम पावे यह हमारी पार्टी का मकसद है और यह हमारा मेनिफैस्टो भी है। इस पर आप गौर फरमाएं।'

हमारे गुलशेर अहमद भाई ने जो हमारे एक अच्छे कानून दाँ भी है, एक अमेंडमेंट दिया है। मैं उसकी तहेदिल से ताईद करता हूं। अगर आप इसको मान लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम 30-40 मैम्बरान पार्लियमैंट ने इसको दिया है, लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बरान ने मिलकर दिया है अमेंडमैंट इस बिल में आ जावे। इससे बहुत बड़ा मकसद वक्फ जायदाद का पूरा होगा।

इन अलफाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

सभापति महोदय : चूंकि मैं अध्यक्षपीठ पर हूं, मैं नहीं बोल सकता. इसलिए अगले सदस्य का नाम पुकारने से पहले मैं मन्त्री का ध्यान इस पुस्तक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। कुछ ऐसी भूमियां हैं जिन्हें गैर-मुसलमानों ने वक्फ के रूप में दिया है। यह ऐसी भूमियाँ हैं जिन पर कब्रें तथा मसजिदें हैं। मान लीजिए उत्तराधिकारी इस पर दावा करता है या इसे देने से इनकार करता है, तो उस स्थिति में वाद खड़ा हो सकता है तथा एक बहुत ही उलझन पूर्ण स्थिति भी पैदा हो सकती है. अतएव, यहां आपकी मंशा क्या है. इस मुद्दे को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बहुत से माननीय सदस्य इस परन्तुक पर बोले हैं, विशेषकर इसलिए कि इसे चुनौती देने की समय-सीमा नहीं दी गई है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस मुद्दे पर प्रकाश डालें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : (श्रीनगर) चेयरमैन साहब, सरकार यह जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 1984 लोक सभा के सामने लाई है, इस पर बड़ी तफसील से चर्चा हुई है। इस कानून के तहत मेंबरान से कहा जा रहा है कि इसको मँजूर कीजिए। चेयरमैन साहब, मैं मोहतरम कौशल साहब से चाहूंगा कि वे हमें समझाएं कि एक तरफ तो वे हमारा एतमाद चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है। कमेटी की सिफारिशों के 8 साल के बाद यह बिल लाया गया है। मन्त्री जी तवक्को करते हैं कि हम इस बिल को पास करें। लेकिन यहाँ के 36 मेंबरान ने दस्तखत मुहिम चलाकर बाकायदा उनके सामने सिफारिश की और कुछ तरमीमों के लिए उनसे दरख्वास्त की। लेकिन उनमें से एक भी तरमीम को यहां नहीं लाया गया है। इससे मैं समझता हूं कि जहां आनरेबल मिनिस्टर चाह रहे हैं कि हमारा ऐतमाद हो, हमारा सहयोग उनको मिले, वहीं जब पार्लियामेंट के मेंबरों ने, मुसलमान मेंबरो ने सिफारिश की, उसकी नजर अंदाज किया गया। तो यह मैं समझता हूं कि बड़ा ही एक किस्म का कॉंट्रीडिक्शन है।

2-56 म.प.

श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए : वक्फ बोर्ड जो बनाए गए और जिस तरह से काम इस मुल्क में चल रहा है, इसमें पोलीटिकल ज्यादा लाई गई हैं, सरकार ने पिछले 37 वर्षों में वक्फ बोर्ड में अपनी सियासत को दाखिल करके उस मकसद को नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने ये जायदादें कायम कीं। उन्होंने यह तवक्को की थी कि जो भी लोग आगे आकर इसको चलाएंगे, सरकार की रहनुमाई में ऐसा होगा, लेकिन ये जायदादें उन गरीब मुसलमानों

मोहताजों, गरीबों के लिए सहायक होंगी । क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान में तालामी और इकनामिक लिहाज से पसमांदा है, गरीब हैं और तालीम के मामले में बहुत पीछे रह गया है, तो इनका भलाई के लिए इन्होंने इनकी बेहतरी के लिए यह वक्फ बनाया और इस तरीके से लोगों ने रजामन्दी से बहुत सी ऐसी जमीनें और जायदाद दी, लोगों ने सारी जिन्दगी जो कुछ कमाया था वह इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया । मैं आनरेबल मिनिस्टर से जानना चाहूंगा कि 37 वर्ष के इस अर्से में सरकार ने इस जायदादों के मामलें बाकायदा कोई रिपोर्ट तैयार की है ताकि वह इस ऐवान को कान्फीडेंस में ले । जो अरबों रुपए की जायदादें मुख्तलिफ मकानात पर बिखरी पड़ी है, उनका इन्तजाम और सही इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं । क्या बाकायदा कोई हमारे सामने तहरीरी तौर पर कोई रिपोर्ट पेश कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कीमती जायदादें किस हद तक फायदे बन्द साबित हुई है और किस हद तक वह मकसद पूरा हुआ हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ के लिए अपनी जायदादें दी ।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल कानून पेश करने से ही मकसद पूरा नहीं होगा । तकसीम का वक्त बहुत ही अफरी-तफरी का था । उस वक्त मुसलमानों के गांव के गांव खाली हो गए । जायदादे पड़ी रह गई । हिन्दू और सिख जो इधर आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन चूंकि बात मुसलमानों से संबंधित हो रही है, इसलिए वही बात कहना चाहता हूं । गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि सन 1947 के बाद जो मुल्क में अफरा-तफरी का आलम था और जायदादें गलत हाथों में गई हैं, उनकी ओर तवज्जह देनी चाहिए थी । मैंने कई जगहों का दौरा किया है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अपनी आंखों से देखा है कि ये सारी जायदादें हैं जो कि कुछ लोगों ने, मुलसमानों में से कुछ लोगों ने मुतवई होने के नाते कब्जे में ली है ।

3.00 म. प.

अपनी जाती दौलत को बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, जिससे आम मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है । किसी जगह पर तो जोरावर तबके जिस में सरकार भी शामिल है ने गासिबाना कब्जा किया है । उसने हिन्दुस्तान की सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाया है । मुसलमानों की जायदादें गैर-मुस्लिमों के हाथ में आ गई इसके लिए को इल्जाम नहीं दिया जा सकता ताहम जिन लोगों ने ऐसा किया या सरकार ने इस किस्म की गलती की और उस जमीन पर कब्जा जमाया तो इससे मुल्क में एक नफसियाती और साइक्लोजिकल मसला पैदा हुआ कि क्या हिन्दुस्तान के मुसलमान की जायदादें इस सरकार के पास महफूज हैं ? या सरकार का फर्ज बनता है, यह पता लगाए कि ये जायदादें कहां कहां गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं ।दिल्ली इस मुल्क की राजधानी है । यहा पर डी. डी. ए. ने जिस ढंग से कानून को बलाए ताक पर रख कर और वक्फ के बुनियादी उसूलों को नजर अन्दाज करके जमीनों पर कब्जा जमाया जिससे हिन्दुस्तान की सिक्युलिरिज्म और इज्जत को धक्का पहुंचा और हिन्दुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के जजबात को ठेस पहुंची है । दिल्ली से जो भी बात चलेगी, वह पूरे मुल्क में फैलेगी ।

इसलिए, जब मुलमान अपनी जायदादों को डी. डी. ए. की जानब से किया गया आमराना तरीका देखते हैं, जिसके लिए कांग्रेस के एम. पीज. ने भी कहा, वह बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पर नवादिरात आरकेलाजिकल डिपार्टमेंट के जेरे इन्तजाम है। हमारे नवाबों या बुजुर्गों ने जो मस्जिदें बनाई, वे पत्ते-तामीर का नमूना हैं। हिन्दुस्तान की कारीगरी और फ़ने-तामीर के कारनामें उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिए। दिल्ली की जामा-मस्जिद न सिर्फ इबादतगाह है बल्कि खूबसूरती सजावट और अजीम कारीगरी का एक नमूना भी है। दिल्ली में तकरीबन 35 मस्जिदें अब भी आरकेलाजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में है। उन्होंने उनको सिर्फ शो-पीस के तौर पर रखा है कि ये पुराने तरह की कारीगरी है। वे मस्जिदें सिर्फ दिखावट की चीज नहीं हैं बल्कि इबादत की जगह भी हैं सरकार का फर्ज कि उनको कौमी जायदाद समझ कर उनकी कद्र करे किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे कि उनको नुकसान पहुंचाए क्योंकि सारे मुल्क का कौमी सरमाया है। जहाँ इबादत का मामला है, वहां गवर्नमेंट को मुसलमानों के जजबात की कद्र करनी चाहिए। सफदरजंग की मस्जिद का मामला बड़ा ही हंगामा खेज सूरत हाल की मुजहिर है। हिन्दुस्तान के बड़े मुदब्बिर और जिम्मेदार मुसलमानों ने सरकार से यह अपील की है कि इस मस्जिद को इबादत के लिए छोड़ दिया जाए। सरकार ने उसमें खुद तसलीम किया। जुमे के दिन वहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगाकि जुमे के दिन तीन वक्त। नमाज की इजाजत आपने दे दी लेकिन पूरे हफ्ते के लिए बंद करने का आपके पास क्या जवाज है? पूरे हफ्ते की पाँच वक्त की नमाज रोकने का आपका क्या हक बनता है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको देखें। हम इसको सियासत का मामला नही बनाना चाहते। हिन्दुस्तान की सिक्युलर इमेज, इस मुल्क के तर्ज निमाज और जो हमारे मजहबीं जजबात हैं इनका अपना मुकाम है, हर कदम पर इसकी आजमाइश होगी। इनकी कद्र होनी चाहिए।

आखिर में, यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहाँ तक वक्फ कमिश्नर का ताल्लुक है, यहां एक नाम दिया गया है और आपने इसमें दो मैम्बराने पार्लियमेंट को रखा है। जैसा यहां पर सुलेमान सेट साहब ने कहा हमारे यहां अव्वल तो रवायत थी कि जब दो लोक सभा के मैम्बर हो तो वहां एक मैम्बर राज्य सभा से भी होना चाहिए, लेकिन यहां आपने इसकी सूरत बदल दी। मेरे ख्याल में आप इसमें कोई तब्दीली न करे और इसको पुरानी सूरत में ही रहने दें, इसमें कोई चेन्ज न करें। दूसरी बात, आपने इसमें दो मैम्बरान असैम्बली को रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां नौमिनेटिड मैम्बर्स हैं, जहां आपके अख्तयार वसी हैं, बाद में यही इंम्टीट्यूट जिसको बिल्कुल गैर-जानिबदार होना चाहिए, सरकार के हाथ में एक खिलौना बन कर रह जायेगा और सरकार जिस ढंग से चाहेगी, उसका इस्तेमाल करेगी।

यहाँ कमिश्नर को कुछ बेजा अख्तयारात दिए गए हैं मैं उनसे खतरा महसूस करता हूं। या तो ये कमिश्नर मिसयूज आफ आफिस करेंगे या फिर सरकार मिसयूज आफ आफिस करेगी, क्यों कि वही उनको तैनात करेगी। वैसे तो बोर्ड बना हुआ है लेकिन बोर्ड के इतने मुकम्मल अख्तयार नहीं हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले में कुछ कानूनी पहलू उभारे गए हैं, कुछ कानूनी नुक्ते हैं, जैसे लिमिटेशन का मामला है, इसमें कुछ तब्दीली होना चाहिए। सरकार

के पास बेजा अख्तयारात हैं। इसके अलावा कानूनी नाइसाफिटन हो रही हैं इस मुल्क में जहां भी सरकार चाहती है वक्फ जायदाद पर कब्जा करती है। लेकिन इससे जो नतीजे निकलते हैं, उससे अहसासात को ठेस पहुचती है। क्योंकि इससे टैम्परेरी किस्म के, फायदे आपको मिलते हैं। मैं चेयरमैन साहब, आपके जरिए आनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप यह बिल यहां लाये हैं, भले ही कितनी नेक नियती से लाये हों, लेकिन मैं उससे मुत्तमइन नहीं हूं।

इसमें अभी बड़ी कमी हैं, खामियां हैं और मैं चाहता हूं कि उनको पूरा करने के लिए आप किसी किस्म की जल्दबाजी न करें। जल्दी में इस कानून को पास न करें, बल्कि एक ज्वाइन्ट सलैक्ट कमेटी बनाई जाए, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के मैम्बरानों को रखा जाए और उसको आप कुछ वक्फा दें ताकि वह कमेटी इसकी बारीकियों को देखकर इसकी कोताही को दूर करने की कोशिश करे। क्योंकि हिन्दुस्तान भर में 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात इस बिल से बाबस्ता हैं इसलिए यह कोई मामूली बिल नहीं है, बहुत अहम बिल है। मैं चाहता हूं कि इसको पास करने में सरकार बिलकुल जल्दी न बरते।

आखिर में, इस बिल के विषय में जो मेरे जजबात थे, वह मैंने आप को बता दिए, मैं समझता हूं आप उनकी कद्र करेंगे और इस मामले में पूरे हाउस को एतमात में लेंगे। आपको सही मायनों में यह देखना चाहिए कि इस बिल के साथ हिन्दुस्तान की सैकूलर इमेज भी जुड़ी हुई है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर मैं इतने अधिकार पूर्वक नहीं बोल सकता हूं जितना कि इस विधेयक पर मेरे अन्य विद्वान साथी श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ ओर श्री गुलशेर अहमद बोल चुके हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

जैसा कि कहा गया है—देर से आये दुरुस्त आये। इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच करने के लिए 1969 में गठित की गई समिति द्वारा 1977 में अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन से, अन्ततोगत्वा यह विशेष उपाय स्पष्ट रूप से प्रकाश में त आया है मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता है कि माननीय विधि मंत्री ने भी संसद के दोनों सदनों के अनेक मुसलमान सदस्यों से भी इस बारे में अनेकबार सलाह ली थी। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि अनेक महत्वपूर्ण मामलों में एक राय नहीं हो पाई है जैसा कि माननीय श्री गुलशेद अहमद तथा अनेक अन्य सदस्य इस सभा में स्पष्ट कर चुके हैं। फिर भी, मुझे आशा है कि इस स्थिति में भी माननीय विधि मंत्री संसद में अनेक सदस्यों द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर विचार करेंगे।

इस समय, मैं एक विशेष बात देखता हूं कि इस बात से इन्कार नहीं किगा जा सकता कि वक्फ सम्पत्ति के संबंध में बिल्कुल भी समुचित प्रबंध नही किया जा रहा है। अवैध रूप से अनेक दुर्विनियोग तथा असंगतियां की गई हैं। वक्फ सम्पत्तियां सृजित करने तथा इस प्रकार के कानून बनाने तथा इस प्रकार के कानून बनाने के विशेष प्रायोजन से इन मामलों में कोई सहायता नहीं मिली है।

इसके संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस मामले के एक विशेष पहलू की ओर

आकर्षित करना चाहूंगा । वक्फ सम्पत्ति ले संबंधित विवादों, प्रश्नों अथवा अन्य मामलों का शीघ्रता पूर्वक निर्धारण के लिये नियुक्त न्यायाधिकरणों के बारे में धारा 51 द्वारा कुछ संशोधन किये गये हैं अथवा एक उपबंध जोड़ा गया है। इस प्रकार का विशेष न्यायाधिकरण राज्ब सरकार द्वारा गठित किये जाते है ।

राजस्थान में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई । विधान सभा के सदस्य होने के नाते जिस मकान पर एक वर्ष से मेरा अधिकार था, उस मकान के सामने बहुत बड़ी वक्फ सम्पत्ति है जिसका मूल्य इस समय करोड़ों रुपये में है। राजस्थान सरकाद द्वारा वटफ वोर्ड के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया।

श्री वर्कतुल्ला खाँ विधि मन्त्री थे। राज्य सरकार द्वारा इस विशेष मामले में राज्य की ओर से मुझे उपस्थित होने तथा राज्य सरकार का वकील होने का अनुरोध किया गया था। चूंकि मैं विरोधी दल का सदस्य था, अत: इस विशेष मामले में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैंने कहा—"राज्य सरकार की ओर से मैं वकालत करने को तैयार नहीं हूं। मुझे गलत समझा जा सकता है।" फिर भी बकालत करने के लिए मुझ पर बहुत अधिक दबाव डाला गया और मैं राजस्थान की राज्य सरकार की ओर से वकील नियुक्त किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य मन्त्री की हैसियत से स्व० श्री सुखाड़िया तथा विधि मन्त्री की हैसियत से श्री वर्कतुल्ला खां थे। श्री वर्कतुल्ला खां उस समय वक्फ मन्त्री भी थे। उस समय एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी ऐसी स्थिति से निपटने के लिये इस विधेयक में क्या उपाय किये गये हैं ? राजस्थान की राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था और वह मामला सम्भवत: अभी तक जिला न्यायालय में निर्णयाधीन पड़ा है। राजस्थान सरकार से मैं न्यायालय में उपस्थित हुआ था। काफी मुकदमेबाजी अभी भी चल रहीं हैं ।

मूल रुप से यह शिकायत थी कि वक्फ सम्पत्तियों का प्रबंध ठीक नहीं है और गलत ढंग से उनका हस्तान्त्रण किया जा रहा हैं। सैकड़ों और हजारों रुपयों के किराये की सम्पत्ति केवल 100 अथवा 150 रुपये पर किराये पर अथवा पट्टे पर उठाई गई थी। अभी हाल ही में मुझे जयपुर की एक महिला की एक शिकायत मिली है, जिसे दुर्भाग्यवश मैं यहाँ लाना भूल गया हूं यदि आप चाहें, तो मैं उसे आपके और अपने माननीय मित्र श्री गुलशेर अहमद के पास भेज सकत हूं। वह न्याय चाहती हैं। उसने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था और उन्होंने उसकी प्रति मुझे भेजी है। किन्तु इस मामले में मैं जान बूझकर बीच में नहीं पड़ा इसका विशेष कारण यह है कि इस प्रकार के मामले बहुत ही संवेदन शील होते है और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि उस मामले में मैं वक्फ बोर्ड के विरुद्ध राजस्थान की राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वक्फ बोर्ड के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड ने अनेक व्यक्तियों से नाजायज रुप से रुपया लेकर कुछ व्यक्तियों को सम्पत्ति दे दी है···

श्री गुलशेर अहमद : इसीलिये आयुक्त की नियुक्ति की गई है।

श्री सतीश अग्रवाल : ···जिन लोगों की लाखों रुपयों की सम्पत्ति 100 अथवा 150

अथवा 200 रुपये में दी गई थी, राजस्थान के सत्तारूढ़ दल में उनका कुछ प्रभाव था।

यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है। वर्तमान स्थिति यह है कि वास्तव में यदि आप आज उस सम्पत्ति को नीलाम करना चाहे तो आपको 5 करोड़ रुपये से कम नहीं मिलेगा। यह सम्पत्ति मुख्यत: मिर्जा इस्माइल रोड पर स्थित है। इस विशेष सम्पत्ति में एक मस्जिद है जो खस्ता हालत में हैं। उस मस्जिद में कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। आपको वहां सभी प्रकार की कबाड़ी दुकाने, छोटे कारीगरों की दुकानें, मोटर की वर्कशाप और न जाने क्या-क्या मिलेंगे। वहाँ का वातावरण आप देखना नहीं चाहेंगे। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे वातावरण में कोई मस्जिद भी हो सकती है।

विभिन्न राज्यों में ये वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों को कितना दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी ओर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया और इस स्थिति को ठीक करने के लिए दुर्भाग्यवश अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

श्री गुलशेर अहमद : अब सही कदम उठाया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल : इसीलिये मैं इस विधेयक का स्वागत कर रहा हूं। तथापि इससे मेरे सभी मुसलमान मित्र संतुष्ट नहीं हो जायेंगे, किन्तु फिर भी सही दिशा में कोई न कोई कदम तो उठाया ही गया है।

श्री गुलशेर अहमद : इससे सभी को संतुष्टि होगी।

श्री सतीश अग्रवाल : साथ ही इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि सुचारू व्यवस्था बनायी जा रही है।

श्री बनात वाला, जैसा कि मैं आरम्भ ही कह चुका हूं। मैं इस विषय पर अधिकार से नहीं बोल सकता हूं। किन्तु एक बार में वक्फ सम्पत्ति से संबंधित उस मामले से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है जिसका प्रतिनिधित्व अपने व्यक्ति रुप से नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से मैंने किया था और उसी के आधार पर- इस विधेयक के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं।

मैं इतना कहूंगा कि ठीक व्यवस्था करने की दिशा में इस विधेयक के द्वारा कम से कम एक कदम तो उठाया गया है। इस विधेयक से यदि मेरे अन्य साथी संतुष्ट नहीं है, तो मुझे खेद है। इस विशेष मामले में यदि उनका दृष्टिकोण शामिल किया गया है तो वह भी स्वागत के योग्य है।

समय सीमा के बारे में श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ तथा श्री जमीलुर रहमान ने एक और आपत्ति उठाई है। समय की सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। मूल्य निर्धारण का कार्य पूरा करने के लिए आय-कर नियम में चार वर्ष का प्रावधान है।

अवैध कब्जे के सम्बन्ध में निजी मामलों में 12 वर्ष तथा सरकारी सम्पत्ति के मामलों में 30 वर्ष की सीमा विधि सम्मत है। यदि कोई उपबन्ध न किया जाये तो प्रवृति यह रहेगी कि

अवैध अनधिकृत कब्जों के मामले में बेदखली के लिये 60 वर्ष तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। 39 वें वर्ष में जब मुकदमा चलाया जाय तब तक कार्य पूरा हो जायेगा।

इस विशेष उपबन्ध के पीछे यह भावना हो सकती है। अन्यथा, व्यक्तिगत रुप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कभी-कभी वे कार्यकारी प्राधिकारी को निर्धारित समय के भीतर ही समुचित वैद्य कार्यवाही करने का आदेश देते हैं। अन्यथा मुकदमा समय-रोधक हो जायेगा। इसके पीछे यही भावना प्रतीत होती है।

समय-सीमा के इस विशेष उपबंध के सम्बन्ध में, व्यक्तिगत रुप से मेरी कोई विशेष आपत्ति नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्यों को इसके सम्बन्ध में यदि कोई तीव्र प्रक्रिया है तो मेरी ऐसी कोई प्रवृति नहीं है।

इसलिये, जहां तक इन उपबन्धों का सम्बन्ध है। उसके बारे में माननीय विधि मन्त्री जी स्पष्टीकरण देंगे। इस विधेयक से संबधित अन्य विभिन्न उपबंधों के बारे में मैंने व्यक्तिग रुप से अध्ययन कर लिया है।

श्री जगन्नाथ कौशल : गुलशेर साहब 30 साल चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लिमिटेशन 30 साल कर दी जाये।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं कि समय सीमा 30 ही वर्ष क्यों होनी चाहिए क्योकि विधि के अनुसार सरकारी सम्पत्ति के अवैध कब्जे अथवा गलत रुप से कब्जे किये जाने के मामले में समय की सीमा 60 वर्ष रखी गई थी जिसे संशोधित समय सीमा अधिनियम के अन्तर्गत घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है।

श्री गुलशेर अहमद : इसीलिये मैंने 30 वर्ष का समय रखा है !

श्री सतीश अग्रवाल : इस मामले में मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। अन्यथा बेदखली के लिये लोग कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। वे लोग 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या माननीय मन्त्री जी को यह संशोधन स्वीकार हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे विचार से शायद स्वीकृत हो।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप यह बात इस समय कहेंगे, तो वह आपके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रो० दण्डवते इस बारे में विशेषज्ञ हैं। आपका अधिक समय न लेते हुए मैं यह कहना चाहूंगा और मुझे आशा है कि वक्फ कानून में इस समय जो भी संशोधन किये जा रहे हैं उससे देश भर की वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्रशासक बेहतर होगा और इन संशोधनों से इस समय सभी प्रकार की वक्फ सम्पत्तियों में समग्र रुप से व्याप्त कुप्रबंध पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा। कुछ व्यक्तियों ने वक्फ सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बना रखा है। वे लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इन सम्पत्तियों से वे लोग काफी धन कमा रहे हैं और निर्धन व्यक्ति इन सम्पत्तियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिन लोगों ने अच्छे उद्देश्यों के

लिये ये सम्पत्तियाँ दान में दी हैं। उनके स्वप्न इस प्रकार साकार नहीं हो पाये हैं।

मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि सरकार इन उपायों को अधिक कारगर ढंग से लागू करे और यह सुनिश्चित करे कि इस विधेयक के उपबंध यथा शीघ्र लागू किये जायें और निष्ठा-पूवक कार्यान्वित किये जायें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एम राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, अभी श्री काबुली ने अपनी तकरीर में कहा है कि सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड में सियासत लाई जा रही है। यह बिल्कुल गलत है। जिस तरह की सैकुलर गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में है, वैसी गवर्नमेंट श्री काबुली की और किसी मुल्क में नहीं मिलेगी। मुसलमानों और वक्फ की प्रापर्टी के बारे में न सिर्फ मुसलमान मेम्बरों को अपनी राय देनी है, बल्कि इस हाउस के सब मेम्बरान को भी अपनी राय देनी है। काँग्रेस पार्टी एक सैकुलर पार्टी है और उसके सदस्य मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं।

मेरे जिले निजामाबाद में वक्फ की काफी प्रापर्टीज हैं, जो दूसरे लोगों के कब्जे में थी। वक्फ के चेयरमैन ने जिस प्रापर्टी के बारे में बताया, हमने उन सब को खाली कराया है और वक्फ बोर्ड को दिया है। पहले वक्फ बोर्ड की आमदनी एक लाख रुपए से कम थी, जब कि अच्छा इन्तजाम करने की वजह से वह पचास लाख रुपए के करीब पहुच गई है। वहाँ पर दो करोड़ रुपए की मालियत की दुकानें बनाई जा रही है। श्री खुर्शीद आलम खाँ ने उनका संगे-बुनियाद रखी थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों उन दुकानें को ले रहे हैं। इससे वक्फ की बड़ी आमदनी होगी।

वक्फ की प्रापर्टीज के बारे में पीरियड आफ लिमिटेशन 20 साल है। मैं समझता हूं कि उसको 30 साल करना जरूरी है, ताकि जो लोग उन पर कब्जा किए बैठे हैं, वे इस बात का फायदा न उठा सके कि उन पर हमारा 20 साल से कब्जा चला आ रहा है। गवर्नमेंट की प्रापर्टी के लिए यह पीरियड 60 साल है। वक्फ की प्रापर्टीज के लिए 30 साल रखना बहुत जरुरी है। अगर ला मिनिस्टर साहब इस बात को मन्जूर कर लें, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री काबुली ने कहा है कि बाज मस्जिदों में नमाज नहीं पड़ने ही जाती है। इस बारे में मैं शेर पढ़ना चाहता हूं :—

मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने
मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका।

मैं श्री काबुली से दरख्वास्त करता हूं कि मेहर बानी करके वह सब मुसलमानों को नमाजी बनाएं।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं संशोधन विधेयक 7 वर्ष के अन्तराल के पश्चात प्रस्तुत किये गये इसके संबंध में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां करना चाहता हूं

इसे वहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। माननीय विधि मंत्री यह विधेयक प्रस्तुत करने के वहुत इच्छुक थे, मैं यह जानता हूं। विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित परामर्श समिति के सदस्य के नाते उन्होंने चर्चाओं में भी भाग लिया। विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित परामर्श समिति के सदस्यों ने सरकार को कई सिफारिशें की। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि वे सुझाव इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किए गए। इस विषय पर हमने दो तीन अवसरों पर लम्बी चर्चाएं की थीं। सरकार ने यह विधेयक सत्र के अन्तिम क्षणों में पेश किया है और समय के अभाव में कई, सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऐंगे। तथापि, मैं इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत करता हूं।

इस संशोधन का संबंध भारत में रह रहे 15 करोड़ मुसलमानों से है। मस्जिदों और मदरसा से सम्बन्द्ध वक्फ बोर्ड की संपत्ति, को उचित तरीके से विनियमित किया जाए और बोर्ड का राजस्व वढ़ाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह अल्पसंख्यक समुदाय अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधारने में असफल रहा है। वक्फ बोर्ड की गतिविधियां कईतरह की हैं। विशेष रूप से वे शैक्षणिक संस्थान और अन्य धार्मिक संस्थान और अन्य धार्मिक संस्थान भी चलाते हैं। धन के अभाव में वे उन्हें ठीक ढंग से नहीं चला पाए तथा न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारों सेउ न संस्थानों के लिए आर्थिक सहायता दी। स्वभावत: इन संगठनों को अपने राजस्व बढ़ाने पड़े। इसलिए बोर्ड का समूचा प्रबन्ध मुसलमानों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए।

जहां तक बोर्ड के गठन का सम्बन्ध, पृष्ठ 6 में बताया गया है कि राज्य सरकार सदस्यों को किस तरह नियुक्त करती है, आदि आदि। यह कहा गया हैं, 'दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रशासनिक अनुभव और विधि का ज्ञान हो। पता नहीं कि ये व्यक्ति मुस्लिम सम्प्रदाय के होंगे या किसी अन्य सम्प्रदाय के। यदि वे सदस्य मुस्लिम संप्रदाय के है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। यदि ऐसा नहीं हैं तो मैं इसका विरोध करता हुं। इसका सीधा सा कारण है। किसी हिन्दू मंदिर के प्रबन्ध में, एक मुसलमान को शामिल नहीं किया जाता। यदि प्रबन्ध कार्य किसी मुसलमान को न सौंपा गया, तो मैं नहीं समझता कि समिति ठीक से कार्य कर पाएंगी। इसलिए, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर प्रकाश डालें।

ट्राइब्यूनल आयुक्तों के संबंध में भी यही बात है। सचिव मुसलमान होगा लेकिन पृष्ठ 2 में अन्तिम पैरा में कहा गया है कि 'प्रारम्भिक प्रभाग में' इस्लाम के अनुयायी किसी व्यक्ति' शब्दों के पश्चात 'या किसी अन्य व्यक्ति' शब्द रखे जायेंगे। अत: मुस्लिम संप्रदाय के अतिरिक्त किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है—

विधि और न्याय मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : कृपया अधिनियम की धारा 13 पढ़िए। कोई भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता।'

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं भी यही समझा था··· तब यह ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह कुछ अफवाहों के आधार पर बोल रहे हैं।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : अथवा कुछ गलत

श्री सी० टी दंडपाणि : यह अफवाह नहीं है। मैंने आरम्भ में ही इसे पढ़ा है। यदि आप वैसा कहते हैं तो ठीक है। मैं केवल यही चाहता था कि इस मुद्दे का स्पष्टीकरण कर दिया जाए।

तत्पश्चात मैं वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत कब्जे पर आता हूं। इस पर गैर-कानूनी कब्जा न केवल निजी लोगों का है बल्कि सरकार का भी है। सरकार भी अनाधिकृत कब्जा कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया हैं। उस मामले में सरकार को देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को उचित किराया अथवा लीज मूल्य दिया जाये और वह भी पूर्वव्याप्ति से।

सदस्यों ने यह भी मांग की है कि वक्फ सम्पत्ति को किराया नियंत्रण कानून से मुक्त किया जाना चाहिए। हमारे मन्त्री महोदय तथा कुछ मित्रों ने भी यह कहा है कि किराया नियंत्रण का मामला राज्य सरकार का विषय है। लेकिन मेरे विचार से हम राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए कि इन संपत्तियों को किराया नियंत्रण से कानून मुक्त रखा जाए, कुछ उपबंध जोड़ सकते हैं···

श्री जगन्नाथ कौशल : नौ राज्यों में पहले से ही ऐसा किया जा चुका है। अन्य राज्य प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं अन्य राज्यों की बात कर रहा हूं। तब इसे तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसमें समय नहीं लगना चाहिए। हम नहीं जानते कि अगला संशोधन कब रखा जाएगा। इसमें भी 7 वर्ष और लग सकते हैं, जैसा कि इस बार हुआ है। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं।

परिसीमन के संबंध में भी यही बात है। परिसीमन अवधि 30 वर्ष है। हमारे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल, जो कि विद्वान वकील हैं, ने कहा है कि जैसा कि सरकारी संपत्ति के संबंध में हैं, यहां भी इसकी अवधि 30 वर्ष रखी जानी चाहिए ताकि बेदखली की समस्या खड़ी न हो। जहां तक मेरा विचार है, यदि यह सम्पत्ति किसी धार्मिक संस्था की है तो मैं नहीं समझता कि उसे परिसीमित किया जाना चाहिए। मैं हिंदू मन्दिर के प्रशासन बोर्ड का भी सदस्य था। उसमें ऐसी कोई परिसीमा नहीं रखी गई। मन्दिर की संपत्ति का अर्थ है···मन्दिर की संपत्ति

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) आप धर्म में विश्वास रखते हैं ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : चर्चा की सम्पत्ति के संबंध में भी ऐसा होना चाहिए। वह चर्चा की सम्पत्ति है। इसलिए, उसकी कोई परिसीमा नहीं लगाई जानी चाहिए—

सभापति महोदय : आप यह कह चुके हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : वक्फ बोर्ड के सदस्यों का वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाना चाहिए और उनके वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होने चाहिए।

जहाँ तक आयुक्त का संबंध है, एक उपबंध मौजूद है। यहाँ कहा गया है कि वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं यदि हम उन्हें सरकारी कर्मचारी मानते हैं तो स्वभावत: वे भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान पाने के अधिकारी हैं।

वक्फ संपत्तियों के धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल किए जा रहे उपयोग को रोकने के लिए सरकार को केन्द्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर कुछ संशोधन प्रस्तुत करने चाहिए। कुछ अवांछनीय गतिविधियां हो रही हैं। उदाहरण के लिए वक्फ संपति का प्रयोग सिनेमा घर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह शराब की दुकाने खोलने के लिए वक्फ संपत्तियों पट्टे पर दी जाती हैं और वे सभी दुकानें मस्जिदों और अन्य स्थानों के निकट हैं।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा की जानी चाहिए अथवा उसे राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार के नाते, संसद को उनकी गतिविधियों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम समय समय पर इस संबंध में वक्फ बोर्डों तथा राज्य सरकार के कार्य निपाष्दन की पुनरीक्षा कर सकें :

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : हम नियत समय से अधिक समय ले चुके हैं। अत: मेरा वक्ताओं से निवेदन है कि कृपया कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी. मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ बातें आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं। 1954 में जो वक्फ अधिनियम बना था उसमें संशोधन करने के लिए हमारे सामने संशोधन विधेयक प्रस्तुत है। 1954 के वक्फ अधिनियम को पहले भी तीन बार संशोधित किया जा चुका है और संभवत: यह चौथी बार संशोधन हो रहा है। वक्फ की जो सम्पत्ति है जो काफी बड़ी संख्या में हैं, करोड़ों रुपए की सम्पत्ति हर राज्य वक्फ बोर्ड के मातहत है, उसका उपयोग ठीक प्रकार से अल्पमतावलंवियों के स्वार्थों के लिए किया जाए—यही मुख्य बात इस विधेयक में है, ऐसा मैं मानता हूं।

अभी स्थिति यह है कि वक्फ की सम्पत्ति का ठीक से उपयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग गैर-कानूनी तरीके से उस पर कब्जा जमा लेते हैं। जो प्रबन्धकर्ता होते हैं या मुतवल्ली जिनको कहा जाता है या दूसरे जो प्रबन्धकर्ता होते हैं, कार्य—पालक होते हैं, ये भी उसका दुरुपयोग को रोक कर इस पूरी सम्पत्ति का इस्तेमाल अल्पमतावम्बियों के फायदे के लिए किया जाय तो बहुत से काम हो सकते हैं। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए जांच समिति भी बनी थी, उसने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी थी। उस अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, जिसकी दलित मन्त्री जी ने दी है। इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वक्फ के पास जितनी सम्पत्ति है उसका ईस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए। मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं तो देखता हूं, कि मस्जिदों की हालत बहुत बुरी है, मदर्सो की हालत बहुत बुरी है, कब्रगाहों की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत से लोग उन पर कब्जा

कर लेते हैं और राज्य सरकार भी उचित कार्यवाही नहीं करती है। इसकी वजह से बहुत से झंझट खड़े हो जाते हैं और कहीं कही पर साम्प्रादायिक तनाव भी पैदा हो जाते है। इन तमाम बातों को रोका जा सकता है अगर इसकी व्यवस्था ठीक इसे की जाए। इस के जो व्यवस्थापक है, जो इन सब का इन्तजाम करते है, उनको आप मुतवल्ली नाम दीजिए या और कुछ भी, वे ठीक से काम करें। इस बात की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कमीश्नर को बहुत ज्यादा अधिकार दिया है। वह उसका ठीक से इस्तेमाल करें बस को भी सरकार को देखना है। यदि वह उसका ठीक से इस्तेमाल न करे, तो लेने के देने भी पड़ सकते है और लाभ कुछ भी नहीं होगा। कमीश्नर अपने अधिकारों को ठीक से इस्तेमाल करे, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। झगड़ों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की है। ट्रिब्यूनल अपना फैसला समय पर दें, अनावश्यक रूप से उसको दूर करनी चाहिए। अगर उन के सामने मसला जाता है' जितना शीघ्र हो सके, उसका वह फैसला करे, ताकि सही बातों की जानकारी हो सके। तब जाकर उस का लाभ उस समुदाय को हो सकेगा।

सभापति जी, बोर्ड के गठन में भी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। बोर्ड के सदस्य ऐसे सदस्य रखें जाये, जिनका दृष्टिकोर्ष सार्वजनिक सेवा करने का हो, जिनका दृष्टिकोण अल्पमता-वम्बियों क सम्पत्ति की रक्षा करना हो और उनको लाभ पहुंचना होना चाहिए। अगर यह दृष्टि-कोण नहीं होगा और आप ऐसे लोगों को, जो लोग आपको एप्रोच करते हैं, बोर्ड का सदस्य बना देगे, बिना सोचे-समझे, तो बोर्ड ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड में चरित्र के लोग रखे जायें और लोगों की सेवा करने की भावना उसमें ज्यादा से ज्यादा हो।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं, खास तौर से, कि मुसलमानों के अन्दर उसका ठीक से इस्तेमाल होना चाहिए।

वक्फ की प्रापर्टी का मतलब है कि उनके लाभ के लिये उसका इस्तेमाल हो। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कानून का ठीक से अमल हो। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है, वरना इसमें कमियां बहुत हैं जिनकी तरफ में इस इस समय नहीं जा रहा हूं, फिर भी आप जो कानून बना रहे हैं, वह केवल कानूनी—किताबों में ही न रह जाय, उस पर ठीक से अमल किया जाय तो उसके बहुत लाभ हो सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, वक्फ के बारे मैं जो संशोधन विधेयक आया है, यह इस लायक तो नहीं है कि इस का समर्थन किया जाए। मैं ऐसा इस लिए कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम एम. पी. जे. ने जो सर्व-सम्मत सनेश्चन्ज अमेण्डमेंट के लिए दी थीं, माननीय मंत्री जी ने उनको स्वीकार नहीं किया हैं। मुस्लिम सदस्यों द्वारा जो सर्व-सम्मत सुझाव दिये गये थे, यदि उन्हें स्वीकार कर लिया गया होता, तो शायद यह विधेयक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने वाली है।

चूंकि सरकार इस विधेयक को लाई है, इस लिए विरोध तो नहीं करना चाहता हूं, कम कम से कम आप एक विधेयक लाये तो सही, लेकिन इसमें कमियाँ बहुत अधिक हैं, जिन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मतदाताओं को गुमराह करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ताकि लोग यह समझें कि सरकार इस समुदाय के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वास्तविकता यह है कि इसमें इतनी कमियाँ हैं, जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है और जो संशोधन सदस्यों ने सुझायें हैं, यदि आप उन पर अमल करेंगे और उनके अनुरूप परिवर्तन लायेंगे तब इसका कुछ मतलब निकलेगा, अन्यथा यह विधेयक जो एक्ट का रूप लेने जा रहा है, यह इस समुदाय के लोगों की आंकाक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगा।

इस विधेयक में बोर्ड को विशेष रूप से कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं, कमिश्नर जिसको बोर्ड का सैक्रेटरी बनाया गया है, सभी अधिकार उनके पास है। सैक्शन 21 (डी) जो आप जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड यदि को इजोल्यूशन यूनैनिमसली पास भी करे, तो भी कमिश्नर चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक सकता है। इतना अधिकार कमिश्नर को क्यों दिया गया है ? बोर्ड जो फैसला करे, उसको ओवररूल करने, उसके खिलाफ फैसला करने का अधिकार कमिश्नर को दिया जाना अलोकतान्त्रिक है। वह वक्फ बोर्ड के सर्व सम्मत निर्णय के खिलाफ निर्णय कर सकता है या जो रेजोल्यूशन सर्व-सम्मत पास हुआ हो उस के कार्यान्वियन को रोक सकता है—

इस प्रकार का अधिकार कमिश्नर को दिए जाने का क्या मतलब है, यह अलौकतान्त्रिक कदम क्यों उठाया जा रहा है ? चूंकि इस समय अलोकतान्त्रिक कदम उठाने की परम्परा चल चल पड़ी है, इसलिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान करके आप कोई उचित काम कर रहे हैं।

वक्फ की काफी सम्पत्ति इस समय जगह-जगह नाजायज कब्जे में है। दूसरी जगह की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के अन्दर डी. डी. ए. वक्फ प्रापर्टीज पर कब्जा किया हुआ है और जो 20-25 वर्षों से उसके कब्जे में है

कम से कम आप यही कर दें कि डी. डी. ए. से तो वक्फ की प्रापर्टी खाली करा दें। जो बर्नी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ आपने किया है वह बिल्कुल नाकाफी है। आपको इस दिशा में आगे बढ़ कर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि डी. डी. ए. के कब्जे से बक्फ की जायदाद को निकलवाया जा सके।

हमारे माननीय सदस्य श्री काबुली जी ने जो कहा है, मैं भी चाहता था कि मैं उस विषय में आपका ध्यान आकर्षित करूं। आर्क्लोजिकल डिपार्टमेंट के पास जो मस्जिदें हैं जिन्हें आपने राष्ट्रीय महत्व की इमारतें घोषित किया है, उन्हें मोनुमेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाए, यह ठीक है लेकिन इसके साथ ही उन्हें पुजास्थल के रूप में भी स्वीकार किया जाए और उस समुदाय के लोगों को वहाँ पर इबादत करने की इजाजत दी जाए। यह उस समुदाय की भावना का

सवाल है और इस भावना के साथ सरकार को तमाशा नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कदम उठाए और जो लोग वहाँ पर जाकर इबादत करना चाहते हैं वे वहां पर जाकर इबादत कर सकें इस बात की उनको इजाजत होनी चाहिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, इस विधेयक का समर्थन करने की इच्छा थी अगर इसमें त्रुटियां न होतीं। साधारणतः जो विधेयक सरकार की तरफ से सदन में लाया जाता है उसका सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है। मैं बड़े ध्यान से सत्तारूढ़ दल के सांसदों के तर्क और उनकी बाते सुन रहा था। उन्होंने इस विधेयक का समर्थन तो किया लेकिन इसमें उन्होंने जो त्रुटियां बताई उनके कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करने की बात नहीं सोच सकता।

आखिर, यह विधेयक किन लोगों के लिए लाया गया है ? यह विधेयक वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति कीं देखभाल के लिए मुसयतान सम्प्रदाय के लिए लाया गया है। जब मुसलमान सांसद ही इस विधेतक को काफी नहीं समझते हैं तो किस आधार पर इसका समर्थन किया जाए, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जितनी भी वक्फ की सम्पत्ति है क्या उसका लेखा—जोखा हमारे पास हैं। इसका विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और जो वक्फ की सम्पत्ति है उसकी पहचान की जानी चाहिए कि यह वक्फ की सम्पत्ति है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, और इसको और भी बहुत से लोगों ने कहा हैं। आपने इस विधेयक में कमिश्नर को असीमित अधिकार दे दिये हैं। वह वक्फ बोर्ड के किसी भी प्रतिनिधि के फैसले को ओवररूल कर सकता है और अपनी बात चला सकता है। आपने कमिश्नर के लिए इस विधेयक की क्लाज 21 (डी) में कहा हैं —

21 जहाँ वक्फ आयुक्त का यह विचार है कि बोर्ड द्वारा पारित कोई आदेश या संकल्प—

(क) विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है!

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या अपंग किसी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों के बाहर हैं या उनका जो दुरुपयोग है; या

(ग(यदि कार्यान्वित किया जाता हैं तो उससे—

(i) बोर्ड को या सम्बद्ध वक्फ को या साधारणतया वक्फों को वित्तीय हानि होने की सम्भावना है, या

(ii) मानव जीवन, स्वाथ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना हैं; या

(iii) बलवा या शांति भंग होने की सम्भावना है, या

(iv) बोर्ड को या किसी वक्फ को या साधारणतया वक्फों को फायदाप्रद नही है।

आपने इतने सारे अधिकार दे दिये है कि इन बातों का फैसला कमिश्नर करेगा। मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड में जो इतने सदस्य होंगे वे सब विना सोचे समझें निर्णय ले लेंगे और कमिश्नर इन सारी चीजों पर सोच-विचार करे अकेले निर्णय ले लेगी। यह कैसे संभव हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यह सारा अधिकार इसलिए दिया गया है कि वक्फ की सम्पत्ति पर सरकारी अधिकार हो जाए और वह अधिकार कमिश्नर के माध्यम से, सरकारी कर्मचारी के माध्यम से हो जाए।

इसीलिए यह तो किसी भी तरह से इसमें होना ही नहीं चाहिए। सरकार का वक्फ की संपत्ति पर किसी भी तरह का अधिकार करने का विचार नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा यह कहा गया है कि रैंट कन्ट्रोल राज्य का एक्ट है, इसलिए रेट कंट्रोल के तहत आने से बचाने के लिए राज्य सरकार को ही उपाय करना चाहिए क्या ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं डाला जा सकता है कि इस तरह को सम्पत्ति पर राज्य का रैंट कन्ट्रोल लागू ही न हो। आप जानते ही हैं कि इस तरह की सम्पत्ति के मेंटीनेंस के लिए, रक्षा के लिए और इसको ठीक ढंग से चलाने के लिए किराया लिया जाता है और बहुत पुराने पुराने मकान है जिन पर बहुत कम किराया लगाया गया है। जबकि बाजार दर से उसका किराया अधिक होना चाहिए। मेंटीनेंस कास्ट बढ़ गई है इसलिए उस रैंट से कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में रैंट कन्ट्रोल एक्ट के तहत इस सम्पत्ति को लाया जाए, आने दिया जाए ताकि होने वाली आमदनी से संपत्ति को ठीक तरह से चलाया जा सके।

इस संपत्ति को लिमिटेशन एक्ट से निश्चित रूप से बाहर कर देना चाहिए। जब भारत विभाजन हुआ तो जो संपत्ति की देखरेख करने वाले थे, जो भारत छोड़कर दूसरी जगह चले गए, वह सम्पत्ति वक्फ की ही है। तो जो लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू हो जाता है, 12 साल की अवधि, इन बातों से वक्फ की संपत्ति का कोई अधिक लाभ नहीं हो पाता है। हमको वस्तुस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए इसलिए सन् 1947 के बाद से ही इसे लिमिटेशन एक्ट से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। यह भी देखें कि भूमि हदबंदी कानून से बचने के लिए अगर कोई वक्फ कर रहा है या किया गया है तो उसको रोका जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि जिस मूल भावना से इसको स्थापित किया गया है, वह पूरी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भावना से वक्फ किया है और उसके उत्तराधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं तो मृतक की आत्मा को ठेस लगती है। इसलिए इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए।

कमिश्नर की योग्यताओं में यह भी बताया गया है कि कमिश्नर मुसलमान होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना ही काफी नहीं है क्या। शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान की जायदाद को बिना पक्षपातपूर्ण दृष्टि के देख सकेगा ? इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन सब बातों की और ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हम इसके लिये निर्धारित समय से अधिक समय पहले ही ले चुके हैं। हमने सभी मुद्दे अच्छी तरह विचार—विमर्श करके सुलझा लिये है क्या आप मुझे माननीय मंत्री जी से जवाब दिलवाने की इजाजत देंगे ! मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत से सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं जैसे कि प्रो० सौज न अन्य । मैं नम्रतापूर्वक सुझाव दूंगा कि अब इसे जल्दी समाप्त करें। माननीय मंत्री जी।

श्री जगन्नाथ कौशल विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री : चेयरमैन साहब, इस बिल पर जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ओपनिंग स्पीच में बताया था कि इस बिल को कमेटी में कई वर्ष लगे हैं और वे लगे इसलिए कि जो पहली इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को बहुत सी कमेटीज ने फिर देखा और आपस में उनमें मतभेद थे। कोशिश की गई कि कन्सेन्सस हो जाए। लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। मुस्लिम एम० पीज को कंसल्ट करने की कोशिश की कि उनका कंसेन्सस हो जाए। वह भी नहीं हुआ। हम इस जुस्तजू में लगे रहे कि हम ऐसा बिल लाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को तसल्ली हो सके और कंसेन्सस भी हो सके। आखिरी जुस्तजू यह थी कि इस बिल को केबीनेट ने फिर एक सब—कमेटी को रेफर किया जिसमें मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि दो मेम्बर पार्लियामेंट भी थे। वहां पर बैठकर जो सुझाव दिए गए, उसमें कंसेन्सस हुआ और उसकी बिना पर यह बिल लाया गया। तब यह बिल राज्य सभा में पास होने लगा तो तीसरी स्टेज पर कुछ सदस्यों ने फिर आपत्ति उठाई और कहा कि हमारी तसल्ली इससे नहीं होती। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने वहां आश्वासन दिया था कि आप लोग मिलकर जो भी अमेंडमेंट मुझे देंगे, वह मैं मान लूंगा। मैंने जो आश्वासन दिया था, वह यह था कि लोक सभा में जो अमेंडमेंट आप सब लोग मिलकर देंगे और जो सबको एक्सप्टेबज हो और गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, तो वे अमेंडमेंटस मेरे पास भेज देना। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जो कुछ आप एग्री करें, क्योंकि यह आपस में एग्री करने का मामला नहीं है। यह मामला वक्फ की जायदाद का है। गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ एक है कि वक्फ जायदादों का इस्तेमाल उन कामों के लिए होना चाहिए जो रिलजियस, चेरीटेबल और पायस है। गवर्नमेंट की यह हर मुमकिन कोशिश हैं कि उसके मकासिद पूरे हो। कोई लोग अगर मकासिद पूरे होने की राय दें तो वह हम नहीं मानेंगे। राज्य सभा के बाद फिर कोशिश जारी रही। आपस में सहमति नजर नहीं आ रही थी इसलिए ऐसा लगा कि यह बिल पास नहीं होगा और लोक सभा में यह बिल नहीं आ सकेगा। हमारे मुस्लिम एम० पीज० ने फिर आपस में बैठकर सलाह—मशविरा किया और कहा कि जो ज्यादा जरूरी अमेंडमेंटस है, वह दे दीजिए। जो तीन अमेंटमेंटस गुलशेर साहब ने दी है, वह गालिबन मैंम्बर्स की कंसेन्सस की अमेंडमेंटस हैं। गुलशेर साहब ने पहले ही बता दिया हैं कि तीन अमेंडमेंटस हैं।

4.00 म प

एक अमेंडमेंट तो यह है कि वक्फ की जायदादों के मुकदमें दायर करने के लिए कोई पीरियड आंफ लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। इस पर पहली रिपोर्ट यह थी कि लिमिटेशन होना ही नहीं चाहिए। गुलशेर साहब ने यह अमैंडमैंट दी है कि शायद इनको मानने में कुछ डिफीकल्टी

हो, लेकिन आप तीस साल का लिमिटेशन कर दीजिए, जिसको हाउस में सतीश साहब ने भी सपोर्ट किया। जब ये अपनी अमैंडमैंट मूव करेंगे, चूंकि वेटी रीजन्स सतीश जी और गुलशेर जी ने दी है, इसलिए उस वक्त मैं उनको मान लूंगा।

दूसरी बात यह कही गई कि सैक्शन 6 में एक शब्द लिखा हुआ हैं—'हितबद्ध व्यक्ति' तो पर्सन इन्टरैस्टिड के मायने सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में यह लिए कि—'वक्फ में इच्छुक वक्फ में सम्पत्ति में नहीं' वहां पर प्रश्न पैदा हुआ कि अगर एक नांन-मुस्लिम हो सकता, मगरका प्रश्न पैदा हो जाए तो नांन मुस्लिम चूकि वक्फ इटरेस्टि नही तो में प्रोपर्टी में हो सकता है, उसकी प्रोपर्टी हो सकती है, तो उसको हम सैक्शन 6 के पर्सन इन्टरैस्टिड में नहीं ला सकते। गुलशेर साहब ने अपनी अमैंडमैंट में यह कहा है कि जब सर्वे कमिश्नर इस पर लिस्ट बनायेगा, यदि वह किसी नांन मुस्लिम को भी नीटिस दे और कहे कि मुझे नजर आता है कि यह प्रोपर्टी वक्फ की है, यदि उसको कोई एतराज है तो वह उसे पेश करे। उसके एतराज पेश करने के बाद, उसके एतराज को सुनने के वाद यदि वक्फ कमिश्नर यह फैसला कर दे कि हां, प्रोपर्टी वक्फ की है तो उस आदमी को लिस्ट के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार है, या नहीं है। अगर है तो कितने साल में हैं। अब यहां प्रश्न पैदा होता हैं कि हमारे यहां लिमिटेशन का नौर्मल पीरियड हैं, वह 6 साल तक हो सकता हैं, 12 साल तक हो सकता है। गुलशेर साहब ने कहा कि नहीं साहब, यदि उसको सर्वे कमिश्नर साहब ने रीजनेबल अपौच्यूनिटी दे दी है और उसके खिलाफ फैसला करके लिस्ट छप गई है तो उसको भी बाकी लोगों की तरह एक साल का पीरियड मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसको रीजनबेल अपौच्यूनिटी मिलने के बाद, नोटिस हो गया इसलिए यह कहना कि वह बिल्कुल गाफिल होकर सो रहे, वह ठीक नहीं है। उसको अपने राइटस का फैसला एक साल के भीतर अदालत से करवा लेना चाहिए। इसलिए मैं गुलशेर साहब की यह अमैंडमैंट भी मान लूंगा, जब वे अपनी अमैंडमैंट को मूव करेंगे।

उसके बाद मेरा आश्वासन यह है कि ये अमैंडमैंटस वे हैं, पर कन्सैन्सस है, उन पर मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं है क्यों कि अमैंडमैंटस रीजनेबल है और उनसे हमारे मकसद में कोई बाधा नहीं पड़ती, बल्कि उस मकसद को हासिल करने में सहायता मिलती है उसको मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

तीसरी अमैंडमैंट गुलशेर साहब ने यह दी कि पंजाब हाई कोर्ट की फुल बैंच ने एक फैसला करके इवैक्यूई प्रौपर्टी एक्ट को लागू किया और उससे वहां वक्फ की जितनी प्रौपर्टी थी, वह सब कस्टोडियन के कब्जे में आ गई। कस्टोडियन ने वह प्रौपर्टी वक्फ बोर्ड को वापस कर दी थी। वाद में बोर्ड ने कोई दावा किया और उस वक्त पंजाब हाई कोर्ट की फुल बैंच ने कहा कि हम बोर्ड का दावा नहीं सुनेंगे, कस्टोडियन के किसी ट्रस्टी को दावा दायर करना पड़ेगा तो वह एक टेकिनकल औब्जैक्शन आ जाता है।

हमने उस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के उस जजमैंट को स्टे भी कर दिया है, लेकिन गुलशेर साहब की अमैंडमैंट में कहा गया है कि आप फैसले का क्यों इंतजार करते हो, पहले ही इस तरह की अमैंडमैंट क्यों न कर दी जाए।

क्यों कि वह एक टैक्निकल ओब्जैक्शन है, इसलिए जब वे अपनी अमैंडमैंट मूव करेंगे, मैं उसको मान लूंगा। मैं समझता हूं कि उससे वक्फ की जायदाद वापस लेने में बोर्ड को सहूलियत होगी और वह वक्फ एक्ट के मुकासद को पूरा करने में मददगार होगी।

इसके बाद यहां दो-तीन-चार और बातें भी कही गई हैं, मैं अब उनकी तरफ आता हूं। एक बात यह आई कि यह बिल सारे मुसलमानों को राजी नहीं करता। लेकिन यह तो ओब्वीयस है और मैंने पूरी की पूरी कोशिश कर ली हैं और मैं यह बात बिना किसी कन्ट्राडिक्शन के कह सकता हूं कि यह बिल ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजी करता हैं। यदि फिर भी कुछ लोग इससे राजी नहीं होते तो इसके लिए वे कह सकते हैं कि कुछ और चीजें इसमें जोड़ी जानी चाहिए। लेकिन बिल के जो प्रोवीजन्स हमने बनाये हैं उनका मकसद वक्फ जायदाद की बद-इन्तजामी को रोकना है। मेन प्रोवीजन, जिस पर झगड़ा था कि इन्क्वारी कमेटी ने यह कहा कि तजुर्बे के मुताबिक वक्फ बोर्ड को इन्तजाम देने के बाद जायदादों का इन्तजाम ठीक नहीं हो रहा है, और इसीलिए इसका इंतजाम जैसे हिन्दू चैरिटेबल ट्रस्ट में या दूसरे ट्रस्ट में हमने कमिश्नर अप्वाइन्ट करके किया है, इसी तरह वक्फ प्रोपर्टी के लिए भी एक कमिश्नर अप्वाइन्ट किया जाए।

और वह कमिश्नर सरकार के अन्डर कंट्रोल है और अकाउन्टेबिल है, वह इन्तजाम ठीक करेगा। लेकिन चुंकि इसके साथ बोर्ड को भी ऐशोसियेट करना है उसको चेयरमैन बना दीजिये बोर्ड को इस पर बहुत एतराज है। इसलिये इसने दोनों व्यूज को ऐकोमोडेट करने के बाद बोर्ड भी बना दिया है और वक्फ कमिश्नर भी बना दिया है और वक्फ कमिश्नर की बजाय चेयरमैन के उसको मेम्बर—सेक्रेटरी बना दिया। और यह कहना कि बोर्ड को बिलकुल अख्तियारात नहीं हैं, यह गलत है। पौलिसी बोर्ड ले डाउन करेगा और चीफ ऐग्जीक्यूटिव आफ दी बोर्ड कमिश्नर होगा। जो बड़े रैंक का होगा, यानि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर होगा या हायर जुडिशिल सर्विस का अफसर होगा जिसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज से कम नहीं होगा और उधर कमिश्नर की हैसियत से कम नहीं होगा। वह रिटायर्ड आदमी नहीं बल्कि जो काम कर रहा हैं वही कमिश्नर होगा। यह जो रेपेरेटस हफ्ते बनाया हैं यह जरूर काम होगा।

एक एतराज यह है कि वक्फ कमिश्नर को यह भी अधिकार दे दिया कि जब वह बोर्ड की बात न माने तो बोर्ड के रिजोल्यूशर को सुपरसीड कर दे। ऐसा नहीं है। सिर्फ अख्तियार यह दिया है जैसा कि सैक्शन 21 (डो) में हैं :

'जहां वक्फ आयुक्त का यह विचार है कि बोर्ड द्वारा पारित कोई आदेश या संकल्प—

(क) विधि के अनुसार पारित नही किया गया हैं; या

(ख) हम अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों के बाहर है या उनका जो दुरूपयोग हैं; या

(ग) यदि कार्यान्वियत किया जाता है तो उससे—

(i) बोर्ड को या सम्बद्ध वक्फ को या साधारणतया वक्फों को वित्तीय हानि होने की सम्भावना है, या

(ii) मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होने की सम्भावना है, या

(iii) बलवा या शान्ति भंग होने की सम्भावना है, या

(iv) बोर्ड को या किसी वक्फ को या साधारणतया वक्फों को फायदाप्रद नहीं है।

तो वह ऐसे निदेश या संकल्प का कार्यान्वित किये बिना, मामले को ऐसे टिप्पण के साथ राज्य सरकार के समक्ष रख सकेगा जिसमें वे आक्षेप बनाये गए हैं जो कि उसे, यथास्थिति, आदेश का संकल्प के बारे में हैं, तथा उस पर राज्य सरकार के आदेश अन्तिम और बोर्ड तथा वक्फ आयुक्त पर आबद्धकर होगें।

मैं समझता हूं कि यह अख्तियार तो देना ही चाहिये। जितनी भी लोकल अथौरिटीज हैं उसमें भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को यह अख्तियार है कि अगर म्युनिसिपल कमेटी का रिजील्यूशन टोटली अगेन्स्ट दी ला है तो वह सरकार को रिपोर्ट करे और उसका डिवीजन फाइनल होगा। यही सिचुएशन यहां है।

एक एतराज यह है कि जो प्रोपर्टी नान-मुस्लिम ने वक्फ कर दी आपने यह क्यों डाल दिया कि उसके मरने के बाद अगर उसके वारिसान एतराज करेंगे तो वक्फ खत्म हो जाएगा। तो यह प्रौवीजन मैंने नहीं डाला, बल्कि वक्फ इनक्वायरी कमेटी का डाला हुआ हैं, और उसके सब मेम्बरान मुसलमान थे, और बिना वजह नहीं डाला। मैंने अभी रिपोर्ट मंगा कर देखी जब उसने प्रौपर्टी दे दी तो उसके वारिसान को अधिकार क्यों हो? तो उसमें उन्होंने कहा है कि :

> "इस प्रश्न पर आगे विचार करने पर हमने पाया है कि शरीयत में भी गैर-मुसलमानों द्वारा वक्फ के निर्माण का निषेध नहीं है। हम गैर-मुसलमानों द्वारा वक्फ के निर्माण के व्यापक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। अतः हम न्यायमूर्ति अमीर अली की मोहमडन कानून संबंधी किताब से उदाहरण देकर इस प्रश्न को स्पष्ट करना आवश्यक समझते है।"

तो अमीर अली साहब ने काटकर शरियत और स्क्रिप्चर्स की दोनों तरह से उन्होंने कहा मुस्लिम भी कर सकता है हिन्दू के परपज के लिये और हिन्दू कर सकता है नान-मुस्लिम परपज के लिये :

'किन्तु दोनों मामलों में वक्फ की समाप्ति के पश्चात उत्तराधिकारी की सहमति से ही समपर्ण प्रस्तुती हो सकेगा"

और काफी लम्बा डिस्कशन है मैं इसे पढ़ने में सदन का समय नहीं लेना चाहता। तो यह उस पर बेस्ट है, हमने पास से नहीं डाला। और जैसा मैंने कहा वक्फ इनक्वायरी कमेटी की सभी सिफारिशात को मान कर इसको बनाया है। और जो नहीं मानी थी वह अपनी औपनिंग स्पीच में बता दिया था क्यों नहीं मान सकते। और मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा···

मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं मान सका' वरना मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। एक एतराज बर्नी कमेटी की रिपोर्ट का किया गया है। आप सब लोगों को पता होना चाहिये

कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट हम जितनी इम्पलीमैंट विना तकलीफ के कर सकते थे, हमने कर दी है, 123 प्रापर्टी दिल्ली में वापस करने के आर्डर कर दिये हैं। प्रापर्टीज हमने वक्फ बोर्डो को दे दी है। लोगों को एतराज है कि एक आदमी दावा करके अदालत से स्टे ले ले तो मैं भी उसमें मजबूर हूं और आप भी मजबूर हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : लीज पर दिये गये है।

श्री जगन्नाथ कौशल : वह तो आपको मालूम है कि वरायेनाम बात है, वरना 99 ईयर्स लीज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

तो वह प्रापर्टीज, हमने दे दी है, अगर एक आदमी का करके अदालत से स्टे ले लेता है तो उसका इलाज न आपके पास है और न मेरे पास है क्योंकि अदालते अपना काम करती हैं और मैं और आप अपना काम करते हैं।

बाकी मैं समझता था कि इस बिल को पास करने के बाद वक्फ की जायदादों का इन्तजाम पहले से बहुत बेहतर होगा। मेरे मन में कोई इस बारे में शक नहीं है। बाकी बिल्कुल ठीक हो जायेगा, यह तो क्योकि हयूमन एजेन्सी है, हर जगह, उसके लिये मैं एक ही बात कहूंगा कि लाज हम बातयेंगे किन्तु जिस व्यक्ति को अन्ततः इन कानूनों को लागू करना होता है, वह बात महत्वपूर्ण है।

अगर प्रापर आदमी बोर्ड में आयेंगे, प्रापर कमिश्नर एप्वाइन्ट होंगे और उनके दिल में जजबा होगा, खौफे-खुदा होगा, खुदा की जायदाद को ठीक इन्तजाम करने का उनके दिमाग में डर और ख्याल है तो जरूर फायदा होगा।

कमिश्नर का एक फायदा और है। वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट है, उसकी जवाव देही होती है। अगर वह ठीक काम नहीं करता है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन पूरे के पूरे अख्तयारात बोर्ड और कमिश्नर को मिलकर दिये गए हैं।

उसमें अब 4 मेम्बर पार्लियामेंट और असैम्बली के होगे। यह पता नही कि किस ने कहां से एतराज कर दिया कि एक लोक-सभा का होगा और एक मेम्बर राज्य-सभा का होगा। यह तो आपरडिवैंड करता है कि आप किसी को चुन लें। उस राज्य के मुस्लिम सदस्यों में से दो सदस्यों को चुना जा सकता है।

मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का मंशा बिल्कुल नेक है। इसमें पोलटिक्स नहीं है। अगर पोलटिक्स है तो एक ही है कि जो जायदादें अच्छे काम के लिए, पायस और रिलीजस काम के लिए ली गई हैं, वह उस काम में आयें। अगर वह ठीक काम में आने लग जायें तो लाखों रुपये की इनकम हो सकती है जिससे नये हस्पताल खुल सकते हैं, बेवाओं के लिए काम करने की कोई न कोई पोजीशन पैदा हो सकती हैं, कमर्शियल डैवलपमैंट हो सकती है। इसमें सारा रूपया काम आ सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें आपकी मदद की हमें जरूरत है, प्रापर आदमी लगायें और बढ़ावा दें। इस बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। यह एक प्रगतिशील कदम है, और यह सही दिशा में एक सही कदम है।

मैं इसलिए दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल का समर्थन किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वक्फ अधिनियम, 1954, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर विचार करेगा ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : खण्ड 2 में कोई भी संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

सभापति महोदय : श्री नुरूल इस्लाम ने एक संशोधन दिया है परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं हैं । अब मैं खण्ड 3 से 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : श्री गुलशेर अहमद ने तीन संशोधन दिये है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं खण्ड 6 के लिए सभी संशोधनों को स्वीकृत करता हूं ।

संशोधन किये गये ।

पृष्ठ 4 :—

पंक्ति 15 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

(क) उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण :—इस धारा और धारा 6क के प्रयोजनार्थ, इस धारा की उपधारा (1) और धारा 6क की उपधारा (1) में प्रयुक्त "उसमें हितबद्ध को व्यक्ति" पद के अन्तर्गत, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ होने के पश्चात धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रकाशित हुई वक्फों की सूची में वक्फ सम्पत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किसी सम्पत्ति की बाबत, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है, जो यद्यपि सम्बधित वक्फ में हितबद्ध नहीं है परन्तु ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध है और जिसे धारा 4 के अधीन होने वाली संगत जाँच के दौरान इस बारे में दी गई

सूचना के द्वारा उसे अपने मामले की पैरवी करने के लिए समुचित अवसर दिया गया है।"

पृष्ठ, 4 पंक्ति 16, —

"(क)" के स्थान पर "(ख)" प्रतिस्थापित किया जाये।

पृष्ठ 4, पंक्ति 18, —

"(ख)" के स्थान पर "(ग)" प्रतिस्थापित किया जाये।

सभापति महोदय : (श्री गुलशेर अहमद) : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 6, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 14 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 21 से 28 का लोप किया जाये। (14)

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 26 का लोप किया जाये। (15)

पृष्ठ 18, पंक्ति 30,—

"राज्य सरकार" के स्थान पर "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 18, पंक्ति 32,—

"राज्य सरकार" के स्थान पर "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये। (17)

सभापति महोदय में इस समय स्पष्ट करना चाहूंगा कि संसद के मुसलमान सदस्य आपस में सहमत हो गये हैं और हमने लगभग 24 संशोधन माननीय मन्त्री जी को सुझाये हैं। दुर्भाग्यवश, उनमें से सिर्फ दो या तीन संशोधनों को ही माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है, और वे सभी श्री गुलशेर अहमद के नाम से हैं।

संसद की दोनों सभाओं के मुसलमान सदस्यों की इनमें से कुछ पर सहमति थी। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात हैं कि माननीय मन्त्री महोदय उनसे सहमत नहीं हुए। हम खण्ड 18 पर

विचार कर रहे हैं यह खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके द्वारा वक्फ अधिनियम मे धारा 21 (घ) जोड़ी जाती है। इस प्रस्तावित नई धारा से वक्फ बोर्डों की स्वयत्ता और प्राधिकार पर घातक प्रहार किया गया है। इसके द्वारा वक्फ बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड मात्र रह जाएगा। उसे केवल एक प्रदर्शन की वस्तु मात्र बना दिया गया है क्योंकि सरकार द्वारा नामित को अभिभावी शक्तियाँ प्रदान की गई है यदि आयुक्त यह सोचता है कि बोर्ड कोई विशेष संकल्प कानून के अनुसार नहीं है अथवा कानून का दुरूपयोग है अथवा कानून में ज्यादती की गई है तब वह उसे लागू करने से इन्कार कर सकता है और सरकार के समक्ष रख सकता है। दूसरे शब्दों में आयुक्त न्यायाधीश बन जाएगा। वह निर्णय लेगा। देश मे न्यायालय हैं। न्यायपापिका है। परन्तु आयुक्त यह निर्णय लेगा कि यह प्रस्ताव कानून का दुरूपयोग प्रतीत होता है या इससे कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त, यदि यह आयुक्त विशेष यह सोचता है कि बोर्ड द्वारा पारित संकल्प अथवा वक्फ बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश से शान्ति भग होगी अथवा दंगे होंगे तो वह उस संकल्प विशेष का कार्यान्वयन रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह न्यायाधीश के साथ-साथ एक पुलिस वाला भी होगा। बोर्ड पर थोप दिये गए इस सर्वोच्च अधिकारी के पास एक न्यायाधीश एक पुलिस कर्मी और कार्यपालिका तीनों के कार्य होंगे। इसके अतिरिक्त यदि इस राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित यह आयुक्त सोचता है कि बोर्ड के संकल्प विशेष से वित्तीय हानि होगी और यदि उसकी अपनी यह तसल्ली हो जाती है कि इस संकल्प को क्रियान्वित करने से बोर्ड को कोई लाभ नहीं होगा तो वह इसके क्रियान्वयन को रोक सकता है और सरकार के समक्ष रख सकता है। यदि हमारी सरकार बहुत अच्छी है—मैं माननीय मन्त्री श्री कौशल का नाम नहीं ले रहा हूँ—प्रत्येक व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता जितने वह हैं—वे हमारा दृष्टिकोण जान सकते हैं। परन्तु यदि दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो क्या होगा ईश्वर भला करे। और निस्सन्देह, उन्हें इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निकट भविष्य में इसकी कोई आशा नहीं है। हमें कानून बनाते समय हमें यह सावधानी रखनी होती है कि सरकार अपने नामित व्यक्ति अर्थात आयुक्त के माध्यम से वक्फ बोर्ड मे इतना हस्तक्षेप न करे कि वह केवल सजावट की वस्तु न लगने लगे और उसके सारे अधिकार प्रभावहीन हो जाए।

संसद के सभी मुसलमान सदस्य कम से कम एक बात पर तो सहमत थे कि आयुक्त ऐसे मामलों को राज्य के पास भेजने की बजाय न्यायधिकरण के पास भेजे। परन्तु सरकार को यह भी स्वीकार नही है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन मुद्दों पर विचार करे। हम निस्सन्देह यह चाहते हैं कि वक्फ की सम्पत्ति की रक्षा की जाए। हम जानते हैं कि उनका दुरुपयोग कैसे होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इतने व्यापक परिवर्तन कर दें कि सारे अधिकार नष्ट हो जाए और भविष्य में भी जटिलताएं उत्पन्न होने की गुंजाइश हो। अत: मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह या तो इस प्राधिकार को खतम कर दे अथवा वह इस संशोधन को स्वीकार करे कि इन परिस्थितियों में आयुक्त मामले को राज्य सरकार के पास भेजने की बजाए न्यायाधिकरण के पास भेज सकता है। एक अन्य निष्पक्ष निकाय इस पर विचार करे और निर्णय ले। मुझे आशा है कि मेरे प्रस्ताव को सरकार और सभा का आवश्यक अनुमोदन मिलेगा।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। मैं इन विचारों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 18 के संशोधन संख्या 14, 15, 16 और 17 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इन सभी को एक साथ मत रखिए। संशोधन संख्या को अलग से रखा जाए। संशोधन संख्या 14, 16, और 17 को आप एक साथ रख सकते हैं। इन्हें अलग-अलग अस्वीकृत होने दीजिए इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। परन्तु इसे कार्यवाही वृतान्त में तो आने दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं संशोधन संख्या 14, 16 और 17 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 14, 16 और 17 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 15 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : खण्ड 19 से 42 में कोई संशोधन नहीं है मैं खण्ड 18 से 42 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 से 42 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 42 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 43

सभापति महोदय : श्री नुरूल इस्लाम। वह उपस्थित नहीं हैं। खण्ड 44 से 53 में कोई संशोधन नहीं है। अत: मैं खण्ड 43 से 53 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 43 से 53 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 43 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।"

खण्ड 54

सभापति महोदय : श्री नुरूल इस्लाम यहां उपस्थित नहीं हैं। चूंकि खण्ड 55 से 57 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं खण्ड 54 से 57 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"खण्ड 54 से 57 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 54 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 58

सभापति महोदय : श्री नुरूल इस्लाम उपस्थित नही हैं। खण्ड 59 से 64 में कोई संशोधन नहीं हैं। अत: मैं खन्ड 58 से 64 सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 58 से 64 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 58 से 64 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 65

सभापति महोदय : श्री गुलशेर अहमद। क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं ?

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 52.

पंक्ति 25 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये:-

वक्फ की सम्पत्तियों के प्रत्युद्धरप के लिए परिसीमा की अवधि 30 वर्ष होगी।

"66 छ· परिसीमं अधिनियम, 1963 में किसी 1963 का 36 बात के होते हुए भी, किसी वक्फ में समाविष्ट स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए या ऐसी सम्पत्ति में किसी हित को लेने के लिए कोई बाद चलाने हेतु परिसीमा की अवधि 30 वर्षो की होगी और ऐसी अवधि उस समय से प्रारम्भ होगी जब परिवादी का कब्जा वादी के लिए प्रतिकुल हो जाता है

निष्क्रान्त वक्फ सम्पत्तियो के सम्बन्ध में विशेष अनुबन्ध

66 ज. इस अधिनियम, के उपबन्ध निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 की धारा 2 के खण्ड (च) के अर्थान्तर्गत किसी निष्कक्रान्त सम्पत्ति जो, उपरोक्त अर्थान्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के निष्क्रान्त होने से ठीक पहले किसी वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति थी, को लागू होंगे और सदैव लागू हुए माने जायेंगे और विशिष्ट रूप से ऐसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 के अधीन अभिरक्षक के अनुदेशों के अनुसरण में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 1984 के प्रारम्भ होने से पूर्व के किसी बोर्ड को सुपर्दगी (चाहे वह किन्ही दस्तावेजों के अंतरण द्वारा हो या किसी अन्य रीति से हो या सामान्य रुप से हो या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगी और सदैव प्रभावी हुई मानी जायेगी, मानो कि ऐसी सुपुर्दगी

(क) ऐसी सुपुर्दगी की तारीख से उपरोक्त अधिनियम की धारा ।। की उपराध (1) के प्रयाजनों के लिए उसी रीति से और उसी तरह से जैसे कि ऐसी सम्पत्तिके न्यासी में प्रभावी होती है, ऐसे बोर्ड में, ऐसी सम्पत्ति निहित होगी और

(ख) ऐसे बोर्ड को संबंधित वक्फ का तब तक सीधा प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करेगा, जब तक वह आवश्यक समझे।"

: सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 65 यथा संशोधित रूप में विधेयक का अगं बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 65 यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड 66 से 68 तक कोई संशोधन नहीं है । इसलिए मैं उन्हें मतदान के लिए एक साथ रखूगा ।

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 66 से 68 तक विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 66 से 68 तक विधेयक में जोड़ दिए गये ।

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड । अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अफिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय में प्रस्ताव करता हूं

"विधेयक संशोधित रुप में पारित किया जाए । "

सभा पति महोदय :प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

'4, 31 म. प.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कुटुम्ब न्यायलय विधेयक

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल). महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विवाह और कौटुम्बिक बातों ने संबधित विवादों में सुलेह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्ति करने की दृष्टि से कुटुम्ब-न्यायायय स्थापित करने कि और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाए "

कुटुम्ब-न्यायालयों की स्थापना हेतु विधान की आवश्यकता की तात्कालिक पृष्ठ भूमि यह है कि कुटुम्ब विवादों की शीघ्रता से निपटाने के विचार से, जिसमें सुलह कराने और समाजिक रूप से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु अनेक महिला संघों अन्य कल्याण संगठनों और व्यक्तियों की और से निरन्तर दबाव पड़ रहा था । सभा यह भली भाँति जानती है कि सिविल न्यायालयों का बहुत सा समय वे छोटे-छोटे कुटुम्ब विवाद ले लेते हैं जिन्हें अधिक तत्परता से

कम समय में उन कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा निपटाया जा सकता है जिन्हें प्रक्रिया एवं साक्ष्य के कठोर नियमों से बचते गए

पूर्णयता नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । महोदय, विधि आयोग ने भी अपने 59 वें प्रतिवेदन (1974) में बल दिया था कि कौटुम्बिक विवादो को निपटाते समय न्यायालयों को सामान्य सिविल कार्यवाहियों में अपनाए जाने बाले दृष्टिकोण से मूल भूत रूप से भिन्न मार्ग अपनाना चाहिए और मुकदमें की सुनावाई आरंभ होने से पहले इसे समझौता कराने के उचित प्रयास करने चाहिए चुंकि यह अनुभव किया गया था कि 1976 में संशोधित की गई सिविल प्रक्रिया सहिता भी कुटुम्ब से सम्बद्ध मामलों की कार्यवाहियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकी।

विधान का उद्देश्य कौटुम्बिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु एक मौलिक नवीन पद्धति प्रदान करना है ।

संक्षेप में बिधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्ध निम्न प्रकार है :

(क) राज्य सरकारों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था करना ।

(ख) दस लाख से अधिक जनसंख्या बाले प्रत्येक नगर या कस्बे में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना राज्य सरकारों का दायित्व बनाना ।

(ग) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट के अलावा क्षेत्रों में ऐसे न्यायालय स्थापित करने का राज्य सरकार को अधिकार देना ।

(घ) कुटुम्ब न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में एक मात्र रूप से यह उपबन्ध करना !

(1) वैवाहिक सहत्यता जिसमें विवाह की अमान्यता

न्यायिश पार्थक्य के अनुसार सम्बध विच्छेद

तलाक दाम्पत्य अधिकारों को प्रत्यास्थापना अथवा विवाह की वैधता के बारे में घोषणा अथवा किसी व्यक्ति की वैवाहिक प्रास्थिति भी सम्मिलत है

(2) पति पत्नी या उनमें से किसी की भी सम्पत्ति ;

(3) किसी व्यति की औरसता के बारे में घोषणा

(4) किसी व्यक्ति संरक्षण अथबा ताबलिग की रक्षा

(5) भरणपोषण तथा दण्ड प्रकिया संहिता के अध्यात 9 के अन्तर्गत कार्यवाही

(ड़) कुटुम्ब न्यायालय के लिए यह अनिवार्य व्यवस्था करना कि वह सर्वप्रथम कि किसी कुटुम्ब विवाद के पक्षों में सुलर अथवा समझौता करओ का प्रयास करेगा इस दौरान प्रतिकूल कार्यवाही नही की जाए । और प्रक्रिया संबंधी कठोर नियम लागू नहीं होंगे ।

(च) सुलह अवस्था के दौरान समाज कल्याण अभिकरणों अधिवक्ताओं आदि के सहयोग का प्रावधान करना तथा चिकित्सा तथा कल्याण विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध करना

(छ) यह उपलब्ध करना कि किसी विवाद के दोनों पक्षों को अधिकार स्वरूप कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष वकीलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि न्यायालय न्याय के हित में एक निस्पृह व्यक्ति के रूप में विधि विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

(ज) साक्ष्य और प्रक्रिया नियमों को सरल बनाना जिससे कि कुटुम्ब न्यायालय किसी विवाद को प्रभावी ढंग से निपटा सके।

(झ) अपील का केवल एक अधिकार जो कि उच्च न्यायालय के पास जा सकेगा की व्यवस्था करना।

महोदय, मैंने विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालने प्रयास किया है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना, विश्व में कोई नई बात नहीं हैं और ऐसे बहुत से विकसित देश हैं, यथा ब्रिटेन, जापान और आस्ट्रेलिया, जहाँपर एकदम भिन्न वातावरण में कुटुम्ब विवादों को हल करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय पहले से ही हैं, जहां पर संबद्ध पार्टियां न्यायाधीश के साथ बैठती हैं, जो कि सुलहकार के रूप में कार्य करता है और सुलह कराने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता हैं। यह प्रक्रिया लम्बी और बोझिल न्यायालयी प्रक्रियों से बचने में सहायक होगी और दुःखी पार्टियों को सर्वथा निःशुल्क उपलब्ध होगी। महोदय, प्रस्तावित प्रणाली से एक और भी लाभ मिलेगा और वह यह कि सिविल न्यायालयों के कार्यभार में पर्याप्त कमी होगी।

मैं सच्चे मन से सभा से अनुरोध करता हूं कि वह थोड़े समय में और कम पैसे से अधिकाधिक लोगों को न्याय दिलाने हेतु विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जनता और सरकार की भी उत्सुकता पर विचार करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधेयक को सभा का हार्दिक और सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि विवाह और कौटुम्बिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा करने की दृष्टि से कुटुम्ब-न्यायालय स्थापित करने का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाए।"

अतः श्रीमती सुशीला गोपालन बोल सकती हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : महोदय, शायद कुटुम्ब न्यायालय विधेयक हमारे समक्ष इसलिए लाया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत से महिला संगठन महिलाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए आन्दोलन चलाते आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, हमने तो सरकार से दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, इसकी कार्यान्विती के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने की माग की थी। और 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम के गुणा-

वृत्रणों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी। तत्पश्चात; इस समिति ने प्रश्न पर बिस्तार से विचार किया और दो वर्ष तक कार्य करने के बाद संयुक्त प्रवर समिति ने संसद के समक्ष व्यापक सिभारिशें रखीं। परन्तु मुझे बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सरकार ने विधेयक को सदन में तब पास कराने दिया। जब बिपक्ष सभा में अनुपस्थित था। यह तो एक सामाजिक विधान है। और मैंने जो कुछ समझा हैं वह यह है कि जैसा कि मन्त्री महादय ने अभी बताया है इसे न केवल सभा के हार्दिक समर्थन वल्कि देश भर के समर्थन से पारित किया जाता है। यदि ऐसी ही आशा की गई है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इसे विपक्ष की अनुपस्थिति में क्यों पारित करना चाहती थी. हमारे क्षेत्र में एक कहावत है कि जब घर जलता हैं तो पड़ोसी केलों को काटता है। इसी तरह हमारी सरकार ने भी इस विधान को पारित करना समझदारी की बात समझा जब कि इस पर पूर्ण बहस होनी चाहिए थी और इसे सम्पूर्ण राष्ट्र के हार्दिक समर्थन से पारित करके लागू किया जाना चाहिये था।

सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि जब इस सभा में इस दहेज (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था तो तभी हम महिला सदस्यों ने इसका विरोध किया था। न केवल हमने, बल्कि देश भर के सभी महिला संगठनों ने इसका बिरोध किया था क्योंकि यह संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के पूर्णतया विपरीत था। मुख्य भाग—दहेज की परिभाषा से आरंभ होता था —

श्री जगन्नाथ कौशल : परन्तु अब हम कुटुम्ब न्यायालय विधेयक 1984 पर चर्चा कर रहे हैं। दहेज विधेयक तो पहले ही पारित किया जा चुका है।

श्रीतमी सूशीला गोपालन : संयुक्त प्रवर समिति ने कुटुम्ब न्यायालयों की सिफारिश की थी। दहेज की परिभाषा से आरंभ करके, समिति ने अधिनियम की कार्यान्बितों के लिए भी ठोस सुझाव दिये थे। यह एक व्यापक सुझाव था। हमने बहुत से सुझाव दिए थे। सरकार ने उसके बड़े भाग को लिया ही नहीं। मैं नहीं जानती कि ऐसा करने के लिए सरकार कैसे प्रेरित हुई।

पुर:स्थापना के बाद, समाज कल्याण विभाग ने हमें अर्थात महिला संगठन को बुलाया और हमसे अपनी टिप्पणी के देने के लिए कहा। इसमें सर्व सहमति थी और हमें बताया गया था कि कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, परन्तु उसके बाद, उसी पुराने विधेयक को यहां पेश कर दिया गया था। उसमें कोई संशोधन नहीं था, जिसका अर्थ है कि सरकार इस बारे में कोई बहुत गंभीर नहीं है क्योंकि चुनाव निकट है तो, वे देश को यह दिखाना चाहते है कि उन्होंने उस दहुज प्रतिषेध विधेयक को पारित कर दिया है, जिसकी कि इस देश में वास्तब में यह तो आवश्यकता थी और वे यही स्पष्टीकरण देंगे। इसको लागू करने की क्या स्थिति है ?

इस विधेयक को लागू करने के लिए कुटुम्ब न्यायालयों की आवश्यकता थी। हमने सिफारिश की है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, नारी के अन्तर्गत मामले तथा नारी के विरूद्ध

क्रूरता सम्बन्धी मामलों के विरुद्ध निर्दयता के अधीन आने वाले मामलों पर भी मुकदमें चलाने के लिए कुटुम्ब न्यायालय, शीघ्र स्थापित किए जाएं इनमें से अधिकांश मामले पारिवारिक समस्यों को लेकर बनते हैं।

इन सभी मामलों को कुटुम्ब न्यायालय में लिया जा सकता है। किन्तु सरकार ने इनको कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न लेने का निर्णय किया है क्योंकि दहेज क कारण प्रताड़ना, दहेज के कारण मृत्यु के अनेक कारण होते है। हम जानते हैं कि न्यायालयों में क्या होता है। शुधा गोयल के मुकदमें में न्यायालय का रवैया एवं निर्णय क्या था ? भारतीय समाज में पुराने विचारों एवं सामन्तवादी दृष्टिकोण का अभी भी बोलबाला है।

न्यायाधीश भी सामंतवादी परिवारों से ही होते हैं। उनकी भी वहीं विचारधारा होती है। उस मुकदमें में न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया था कि हमारे देश में बच्चे के पैदा होने के बाद फ़ज की माँग करना एक आम प्रथा है। आप उसके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं ? यह बहुत ही छोटी बात है। यह समाज की विचारधारा। न्यायाधीश इस प्रकार सोचते हैं इस प्रकार के हमारे समाज में बोलबाला है।

हम इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सिफारिश की थी कि कि इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, महिला संगठनों को ससायता देनी चाहिए और इस प्रकार के मुकदमें की सुनवाई कुटुम्ब न्यायालय में होनी चाहिए।

अब जब कि हम कुटुम्ब न्यायालय विधेयक पर बिचार कर रहे हैं, दहेज सम्बन्धी मुकदमों को भी इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। वरना वों स्थिति वनही रहेगी।

दहेज के कारण केवल शहरों में मौंते नहीं होती। यह मौंते गांवों में भी हो रही हैं। हमने केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभियान आरम्भ किया था। आन्ध्र, और तमिल नाडु और इन सभी क्षेत्रों में हमने बड़ा भारी अभियान आरम्भ किया था और हमने देखा है कि दहेज की समस्या बड़ी गम्भीर है। महिलाओं की बुरी तरह सताता जाता है। यदि इस अपराध सम्बन्धी मामलों को कुटुम्ब न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं लाया जाता, तब उन्हें उसी पुराने न्यायालय में ले जाना होगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि आप देश की। महिलाओं की वर्तमान समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। वसी पुराना न्यायालय रहेगा। और आप दहेज निषेध अधिनियम में जो अब संशोधन लाये हैं, उससे कभी सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि दहेज की परिभाषा में भी "विवाह के बदले में" के स्थान पर आपने 'विवाह के सम्बन्ध में' कर दिया हैं।

इसलिये, आपने जो भी दंड निर्धारित किया हैं, स्वयं परिभाषा में दोष के कारण, वह नहीं दिया जा सकेगा। अब, इसे कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं लाया जा रहा है। इस प्रकार के अपराधों के लिए दूसरे प्रकार के न्यायालयों में वहीं परम्परागत प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

अत: सम्बन्ध में यह मुख्य बात है । हमारा मत यह हैं कि इन मामलों को कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे लाया जाना चाहिए और इसके साथ ही महिलाओं के प्रति अपराध एवं क्रूरता सम्बन्धी मामले भी इन्हीं न्यायालयों के अन्तर्गत लाये जाने चाहिये । इन्हें इन न्यायालयों में क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ।

जब आप खण्डवार विचा करेंगे, तो देखेंगे कि यह व्यवस्था है कि दस लाख से अधिक आबादी बाले शहर में राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के लिये कहा गया है । ऐसे कितने शहर होंगे ? मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में यह लागू नहीं होगा क्यों कि वहाँ किसी भी शहर में दस लाख की आबादी नहीं हैं । उड़ीसा में यह लागू नहीं होगा । मैं जानता हूं कि अनेक राज्यों में लागू नही हो सकेगा ।

अब, इस अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी समूचा वित्तीय व्यय राज्य सरकारों को वहन करना होगा । अब जानते हैं कि राज्य सरकारों की स्थिति अच्छी नहीं है । ऐसा जान बूझ कर किया जा रहा है ताकि आप भविष्य में कह सके कि राज्य सरकार ने न्यायालय का गठन नहीं किया है, हम क्या कर सकते हैं ? आपने राज्य सरकारों को जो अनेक दिदेश जारी किये हैं, उनकी स्थिति आप जानते ही हैं । मैंने अपने राज्य के आई. जी. से निदेशों के बारे में पूछा है मैंने उनसे पूछ कि क्या आपने जिला सलाहकार समितियों में उनका कार्यान्यिन किया है और क्या आपने महिला संगठनों को इन समितियों में सम्बद्ध किया है ? उन्होंने, पूछा कि क्या केन्द्र सरकार ने कोई निदेश जारी किया है । मैंने कहा कि मैं उन्हें निदेश दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्हें यह कहना चाहिए था कि महिलाओं को केवल केन्द्र स्तर पर सम्बद्ध करना चाहिये ।

श्री तथा श्रीमती सुशीला गोपालन : 1980 में आपने निदेश भेजे । थे । फिर भी राज्य के गृह-मन्त्री को दिदेशों के बारे में पता नहीं है । आप ऐसी राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का दायित्व सौंप रहे हैं और उन्हें इसके लिए समूची वित्त व्यवस्था करनी होगी । यह वित्त कहां से आयेगा वे कितने न्यायालयों की स्थापना कर सकेंगे ? आप इसे दायित्व के रूप में ले रहे हैं । तग, आपको ही यह भार बाहन करना होगा । वे तो वैसे ही घाटे में चल रहे हैं । केन्द्रीय सरकार उन्हें धन नही दे रही ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वे वित्त आयोग से भी पैसा ले रहे है । उन्होंने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को पैसा नही दिया है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : तब राज्य सरकारों को इन कुटुम्ब न्यायालयों के लिये पैसा करां में मिलेगा ? वास्तव में यप तो चुनावी कथकन्डे हैं । यदि आप इस सम्बध में गम्भीर होते, तो आप इसके लिये पैसे की भी व्यवस्था करते । आप तो केन्द्र-शासित क्षेत्रों के लिये केवल 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ आप कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं । अन्य क्षेत्र राज्य सरकारों के लिए छोड़ दिये गए हैं । इसका अर्थ यह है कि कुछ भी नहीं किया जाएगा ।

कुटुम्ब न्यायालय में उल्लिखित न्यायाधीश की स्थिति कैसी हैं ? न्यायाधीश को कुटुम्ब न्यायालय में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी अधिकार उसे दे दिये गये हैं। उसे सहायता देने के लिए कौन होगा ? आपने कहा है' 'राज्य सरकार समाज कल्याण एजेन्सियों के न्यायालय के साथ सहयोजित कर सकती हैं। कैसे ? जब आप कहते हैं कि सहयोजित कर सकती हैं तो आपका अर्थ क्या है ? हमारे मानस में कुछ बाते हैं। किन्तु आपने हमारे साथ सभी महिला संगठनों के साथ कभी विचार-विमर्श नहीं किया।

हम आपको कुछ सुझाव दे सकते थे। हम इन बातों पर उचित ढंग से विचार विमर्श कर सकते थे। वे इन बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिए किसी समिति का गठन कर सकते थे। अनेक देशों में कुटुम्ब न्यायालय बने हुए हैं। उनसे हम उनके अनुभवों के बारे में जान सकते थे कि वहाँ कुटुम्ब न्यायालय कैसे बनाये जाते हैं। वे अपनी सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध करा सकते थे ताकि हम उस सम्बध में एक अच्छी चर्चा चलाते। उन्होंने यह सब कुछ नहीं किया।

हम इस सम्बन्ध में न केवल एक न्यायाधीश चाहते हैं अपितु कुछ विधिवेता भी होने चाहिए जो समूचे साक्ष्य की जांच करें और उस समस्या को समझें कि किन परिस्थितियों में यह बाते हुई हैं। मैंने एक संशोधन दिया है कि न्यायाधीशों को साक्ष्य में तथा उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता देने के लिए कम से कम सात विधिवता होने चाहिए जिनमें विधि कार्मिक, सामाजिक कार्यकर्त्ता हो जिनमें से कम से कम तीन महिला कार्यकर्ता होने चाहिए। उनमें मे आधी तो महिलाएं होनी चाहिए। वे साक्ष्य की जांच कर न्यायालय को परामर्श दें और इस बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश अपना निर्णय दे सके। किन्तु इस प्रकार की कोई बात नही की गई है। इसके स्थान पर वहां केवल एक न्यायाधीश होगा और उसे सभी अधिकार होंगे। किन्तु साक्ष्य के सम्बन्ध में वह केवल साक्ष्य के सार की जांच कर सकता है पूरे साक्ष्य की नहीं। वह साक्ष्य कैसे उपयोगी हो सकेगा ?

इसके अतिरिक्त कानूनी सहायता नहीं दी गई है। यह कहा गया हैं कि यदि न्यायालय चाहे तो वे कानूनी सहायता दे सकते हैं। वरना इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपबन्ध नही किया गया है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं कुछ और समय चाहती हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई-उत्तर मध्य) : हमें दहेज निषेध विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अब आप हमें और समय दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ से नाराज मत हों।

श्री जगन्नाथ कौशल : उन्हें दहेज निषेध विधेयक पर बोलने की अनुमति किसने नहीं

दी ? इसके लिए तो वे स्वयं ही दोषी है । आपने सदन का बहिष्कार किया था और आप दोष हम पर लगा रहे हैं । यह तो बड़े कमाल की बात है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज वे अच्छा भाषण दे सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : वे जितना चाहे, बोल सकते हैं । किन्तु वे हमें दोष नहीं दे सकते । इसके लिये उन्हें स्वयं को दोष देना होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया गड़बड़ मत करें । वरना यहीं पर कुटुम्ब न्यायालय बनाना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० मधु दंडवते, आपको कुछ देर बैठना होगा ताकि अध्यक्ष पीठ की सुरक्षा हो सके ।

प्रो० मधु दंडवते : किन्तु मैं कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे एक पारिवारिक सदस्य बने रहने दीजिए ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप मार्शल को भेजकर दहेज निषेध विधेयक वापस मंगा ले ।

श्रीकर्ती सुशीला गोपालन : कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के पास समस्त अधिकार हैं । उसे यह निर्णय करना होगा कि कानूनी सहायता दी जाए अथवा न दी जाए । मुफ्त कानूनी सहायता अनिवार्य रूप से देनी चाहिए और इसके लिए विधेयक में एक अनिवार्य उपबन्ध किया जाना चाहिए । वरना ऐसा करना कठिन हो जाएगा । अनेक बाते हो रही हैं । हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है । अत: मुफ्त कानूनी सहायता बिल्कुल आवश्यक हैं और इसे अनियार्य किया जाना चाहिए । इस बिधेयक में इस सम्बन्ध में एक अनिबार्य उपबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने कहा हैं कि कानून के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए वह इसकी व्यवस्था कर रहे हैं । किन्तु मुकदमों को निपटाने के लिए भी कोई समय सीमा नहीं रखी गई हैं । इस सम्बन्ध में भी कोई उपबन्ध किया जाना चाहिए । श्री बनातवाला ने इस आशय का एक संशोधन दिया हैं कि मुकदमें को एक वर्ष की अवधि के अन्दर निपटाया जाना चाहिए । मैं कहती हूं कि यह अवधि छ: महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए । छ. महीने की अवधि में इसे निपटाया जाना चाहिये ।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं ।

आजकल, उच्च न्यायालयों में अनेक मुकदमें लम्बित पड़े हैं । आप उच्च न्यायालयों को इस सम्बन्ध में पुन: अधिकार क्यों दे रहे हैं ? कम से कम अपील सुनने के लिए एक पृथक एकध बनाया जाना चाहिए । यह कार्य उच्च न्यायालयों के जिम्मे नहीं लगाया जाना चाहिए ।

इस विधेयक में सुलह पर अधिक जोर दिया गया है। मैं यह नहीं कहती कि सुलह नहीं होनी चाहिए। किन्तु इसे अनुचित महत्व दिया गया है। वर्तमान समाज में सुलह सदा संभव नहीं होती। किन्तु आपकी अपनी सोच यह हैं :

> "न्यायाधीशों के विषय में निर्णय करते हुए, यह सुनिश्चत करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए अथवा किया जाएगा कि विवाह बंधन की सुरक्षा करने एवं उसे बनाये रखने की आवश्यकता के एवं बच्चों के कल्याण की प्रति वचन बद्ध, एवं सुलह तथा परामर्श द्वारा विवाद तय करने के अनुभव और विशेषता से आद्ध व्यक्ति ही चुने जाए।"

मैं यह नहीं समझ सकती कि 'विवाह की संस्था की सुरक्षा एवं बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहन देने से आपका क्या अभिप्राय है। यह बड़ी अस्पठर शब्दावली है क्योंकि आप केवल सुलह पर जोर दे रही है। बर्तमान परिस्थितियों में माता—पिता अपनी बेटियों को तब भी उनके पतिग्रह में भेज देते है जब वहां ससुराल में झगड़े की स्थिति होती है और उनकी देटियों उस घद में रहना कठिन पाती है।

श्रीमती सुशीला गोपलन : अगर वे पुन: अपने माँ—बाप के घर आ जाती है और उन्हें कहती कि अपरे पतियों के साथ रहना उनके लिए काफी मुश्किल हैं तो मां—बाप कहते है तुम्हें जाना होगा और वहां रहना होगा,शादी की प्रथा में मां—बाप का यह रवैया होता है। जो न्यायाधीश फैसला देते हैं उनका भी यही रवैया रहता है।

समझौता अच्छी बात है। आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही पृथक रहने की भी आवश्यकता होती हैं। इसका प्राबधान होना चाहिए। इसके लिए अवश्य उपबन्ध होना चाहिए। जिन लड़कियो को जबरदस्ती अपने ससुराल भेज दिया जाता है, उनकी ससुराल में कुछ दिनों बाद हत्या कर दी जाती है। देश में आये दिन यही ही रहता है। यह वहुत खतर-नाक प्रवृत्ति है।

इस विधेयक पर और चर्चा होनी चाहिए। अगर सम्भव हो, तो इसे जनता की राय जानने के लिए भेला जाना चाहिए। कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में और विषय भी शामिल किये जाने चाहिए। अन्यथा यह विधेयक ज्यादा सहायक नहीं होगा, वास्तव में यह महिलाओं के हितों के विरुद्ध जायेगा।

धन्यवाद।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोडगढ़) : माननीय सभा पति जी, सदन में प्रस्तुत कुटुम्ब न्यायालय विधेयक का मैं स्वागत करती हू क्यों कि एक लम्बे अर्से तक प्रतीक्षा के बाद यह बिल आज आया है। मैं विधि और न्याय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहू गी कि हमारे देश में कई महिला संस्थाओं और संगठनों की और से यह मांग की जा रही यी और आपने उनकी माँग पर ध्यान दिया।

1974 में ला कमीशन ने भी ऐसी सिफारिश की थी और उसी के आधार पर आपने

सिविल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन किया वह इस कार्य को सिद्ध नहीं करता था। मैं सोचती हूं आज सामान्य अदालतों के पास दीवानी और फौजदारी के मुकदमे इतने होते हैं कि पारिवारिक मामलों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। परिवार तथा विवाह सामाजिक संस्थायें हैं, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यदि पारिवारिक और वैवाहिक परिस्थितियों में न्याय की आवश्यकता होती है तो न्याय की लम्बे समय तक प्रतीक्षा ठीक नहीं होती।

उससे मानव जीवन की संध्याकाल आ जाती है और मामले नहीं निपट पाते हैं। यह जो बिल आप लाये हैं निश्चित तौर पर ऐसी परेशानियां को दूर करेंगे, और जो आपने कदम उठाया है उपयुक्त समय पर उठाया है।

मान्यवर, विवाह और परिवार की जो संस्थायें हैं वह पुरुष और स्त्री दोनों के ही जीवन में संबधित होती है और उनमें यदि बिघटन हो जाता है तो सारे के सारे समाज की नींव चूंकि परिवार है, यदि उसमें विघटन की परिस्थितियाँ होती हैं तो सारे के सारे समाज को खोखला कर सकती हैं।

इस प्रकार के पारिवारिक मामले को निपटाने के लिए केवल फैमिलीकोर्ट होते ही पहली बार स्थापित नहीं किये गये हैं अन्य देशों में भी जैसे ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के फैमिली कोर्टस हैं और मैं समझती हूं हमारी जो पारिवारिक समस्यायें हैं उनके बारे में यह कोर्टस उचित न्याय दे सकेंगे। विवाह और परिवार सम्बन्धी जो परेशानियाँ हैं जैसे जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स: उसके अतिरिक्त प्रोपर्टी के अधिकार के बारे में परित्यता स्त्रियों की सम्पत्ति में अधिकार किस तरह से दिलाया जाय और बच्चों के भरन पोवेण के लिए किस प्रकार व्यवस्था की जाय यह सारी व्यवस्थायें इसके अन्दर आयेंगी, और सम्भव है इन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जा सकेगा।

तुरन्त आपने यह व्यवस्था की है कि 10 लाख की जनसंख्या है वहीं यह कोर्टस स्थापित किये जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता पारिवारिक समस्यायें केवल 10 लाख वाली आबादी में ही क्यों होगी ? अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं। पीडित व्यक्ति छोटे स्थान पर भी हो सकता है यह आपने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। परन्तु राज्य सरकारें इस प्रकार से प्रावधान नहीं कर पायेंगी।

इसीलिए मेरा अनुरोध है कि कोर्टस सभी डिवीजनल हैंडक्वार्टस पर स्थापित किये जाने चाहिए और साथ ही डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टस में समय-समय पर अपनी अदालतें बनाये और वहां पर आते रहें। अर्थात मोबाइल कोर्ट होने चाहिए ताकि गरीब आदमी जो पैसे की कमी की वजय से डिवीजनल हैडक्वार्टर पर नहीं जा सकता इसलिये वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में कोर्ट फीस लगेगे तो उसको आसानी से सही न्याय मिल सकेगा और यह कोर्ट उनकी परेशानी दूर कर सकेंगे।

न्यायाधीशों के बारे में जो व्यवस्था आपने की है उसमें 7 साल का न्यायालय का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। मेंरा कहना है कि पारिवारिक मामले बड़े सैंसिटिव होते हैं ओर इनमें केवल 7 साल का अनुभव पर्याप्त नहीं है। 7 साल मिनियम की जगह 10 साल कर दिया जाना

चाहिए और साथ ही जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे उनमें स्त्री न्यायाधीश का होना भी अति आवश्यक है , क्योंकि परिवार केवल पुरुष से ही नहीं बनता है, बल्कि दोनों ही उसमें होते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों तरह की व्यवस्था करेंगे तो ठीक होगा।

भारतीय विधि व्यवस्था में प्रथम बार आपने समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग की बात कही है।

आपका यह कदम बहुत ही सराहनीय है, इस प्रकार से आप उन संस्थाओं के माध्यम से भी सही जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।

परामर्शदात्री सेवा के बारे में इस दिल में आपने फैमिली उल्लेख नहीं किया है। आप परामर्श किससे लेंगे ? डाक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कौन होंगे, इसके बारे में बिल मौन है, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। इसलिये फैमिली कोर्ट क्लिनिक बनाये जाने चाहिए, चाहे सरकारी क्षेत्र में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों। इस प्रकार के क्लिनिक और कई देशों में हैं जो कि पारिवारिक समस्याओं के बारे में न्यायालय में जाने से पहले मनोविश्लेषण और चिकित्सा के आधार पर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिये चाहे इस कोर्ट से ही संबंधित हों, परन्तु हमें फैमिली कोर्ट क्लिनिक्स बनाने होंगे।

जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जो लड़कियां अपने पति के पास नहीं रहना चाहती, उनको माता-पिता प्रैशराइज करेंगे या वे कोर्ट के द्वारा प्रैशराइज होंगी। इसलिये फैमिली कोर्ट क्लिनिक की बहुत आवश्यकता है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पारिवारिक मामले बड़े ही टची और इमोशनल होते हैं, ईसलिये इन-केमरा ट्रायल जो आपने रखा है, इसका मैं स्वागत करती हूं, परन्तु इसमें रेप और किडनैपिंग के केसेज भी शामिल किये जाने चाहिये, उनका ट्रायल भी इन्हीं कोर्ट में इन-कैमरा होना चाहिए . यह बात इस बिल में उल्लिखत नहीं है, इसलिये इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल : (जयपुर) इससे यह विधेयक कमजोर पड़ जायेगा···यह विधेयक पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिये लाया गया है।

प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत : चूंकि सामान्य कोर्ट में हम इन-कैमरा टायल नहीं कर सकेंगे, इसलिये फ़ैमिली कोर्ट में हम इन-कैमरा ट्रायल कर सकेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।

कई परिवार ऐसे होते हैं जहां एक व्यक्ति एक शादी के बाद दूसरी शादी करना चाहता है, खासतौर से पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसीलिए इसी कोर्ट के माध्यम से हमें स्थगत आदेश देने का भी अधिकार देना चाहिए ताकि इस तरह के गैर-कानूनी विवाह को रोका जा सके। बाल विवाह और सेकिंड मैरिज को भी इसी परिधि में ले लेना चाहिए।

इसी तरह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18 को भी हमें इन्हीं फैमिली कोर्ट में सौंप देना चाहिये।

वकीलों के बारे में जो व्ययस्था आपने की है, बहुत सराहनीय है। वकोलों को आपने इस ट्रायल से दूर रखने की कोशिश की है। वकीलों का पेशा ऐसा है कि दूसरों के जीवन को जलाकर अपनी रोटी बनाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बकील तो हमारे मंत्री महोदय भी रहे हैं। यह एक उत्तम व्यवसाय है।

सभापति महोदय : हाँ, यह एक उत्तम व्यवसाय हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सेदपुर) : ये शब्द एक्सपंज कर देने चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : ये एक्सपंज कर देने जाहिए।

प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत : फेंमिली कोर्ट से अगर इन्हें दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

आपने इसमें कोई सीमा नहीं बाधी, किसी प्रकार का टाइम आपने फिक्स नहीं किया है कि मामला कितने दिन में सुलझ जायेगा। अगर ये कोर्ट भी लम्बा समय 10-12 साल का लेंगी तो फिर सामान्य कोर्ट और फैमिली कोर्ट में अन्तर क्या रहेगा।

इस बिल में समय की सीमा निश्चित करनी चाहिए कि अपील को निपटाने का समय छः महीने से अधिक नहीं होगा। इसी तरह किसी मामले का निर्णय दो वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो न्याय का इन्तजार करते करते व्यक्ति के जीवन का संध्या-काल आ जाएगा और उसके जीवन का स्वर्णिम काल कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए बीत जाएगा। इस बिल में व्यवस्था की गई है कि तीस दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। यह बड़ा सराहनीय प्रावधान है, क्योंकि अगर एक जगह गलती हो गई, तो दूसरी जगह उसको सुधारा जा सकता है।

भले ही यह बिल देर से लाया गया है, परन्तु फिर भी यह बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम सब महिला प्रतिनिधि और बाहर का महिला समाज मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं।

श्रीमती प्रमिला दन्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन में लाया गया है, उसको देखकर हम हँसे या रोयें, यह समझ में नही आता। हम लोग फैमिली कोर्ट्स बिल का बहुत दिनों से इन्तजार कर रहे थे। मैंने मंत्री महोदय से बहुत बार मिलकर कहा कि उन्हें यह बिल जल्दी लाना चाहिए। मैं सोचती थी कि मंत्री महोदय इस बिल के लिए सिलेक्ट कमेटी बानाएंगे, जिसमें हमारे और विभिन्न आर्गनाइजेशन्ज के विचार प्राप्त किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह हमारे बहुत शोर मचाने पर सेशन के लास्ट डे और लास्ट सिनट पर डाउरी प्राहिबिशन (एमेंडमेंट) बिल लाया गया था, उसी तरह आज लास्ट डे पर फैमिली कोर्ट्स बिल लाया गया है। पता नहीं, यह लास्ट डे आफ पार्लियामेंट है।

मैं कहना चाहती हूं कि यह फैमिली और ह्यमैन रिलेशन्ज का सवाल है। अगर सरकार

इस बारे में सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बहुत जल्दी-जल्दी काम करेगी, तो वह डिसक्रेडिट हो जाएगी।

राज्य सभा में यह बिल और डाउरी प्राहिबिशन (एमेंडमेंट) बिल एक-साथ रखे गए थे इसका मतलब है कि सरकार समझती है कि दोनों बिलों का आपस में सम्बन्ध है। जायंट कमेटी में श्रीमती सुशीला गोपालन और में भी थे। हम सब बहनों ने घूम-घूम कर एविडेंस लेने के बाद युनेनिमस रीकमेंडेशन्ज दी थीं। कुछ मिनट्स आफ डिसेंटभी दिए गए थे, लेकिन अनुभव के आधार पर हमने युनेनिमस रीकमेंडेशन्ज दी थीं, जो कि 11 अगस्त, 1982 को यहां रखी गई थीं। कमीशन की 91वीं रिपोर्ट भी इस हाउस में रख दी गई थी।

डाउरी प्राहिबिशन (एमेंडमेंट) बिल के बारे में हमने युनेनिमसली कहा था कि डेफिनीशन में जो "एज कनसिडरेशन आफ मैरिज" शब्द रखे गए हैं, उनको निकालदिया जाए। हमने कहा था कि कोई दूसरा वर्ड इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह सैटिसफेक्टरी नहीं होगा और जजमेंट में इन्साफ नहीं मिल सकेगा।

बिल को इन्ट्रोडयूस करने से पहले श्री बूटा सिंह ने मेम्बर्ज आफ पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई। विरोधी दल की तरफ से मैं अकेली थी। दूसरे लोग दिल्ली में नहीं थे। मैंने सब रीकमेंडेशन्ज उनको बताई। उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि हमारी रीकमेंडेशन्ज के मुताबिक बिल लाया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब लास्ट मिनट पर हमारे सामने बिल पेश किया गया, तो हमने देखा कि उसमें "इन कनेक्शन" शब्द दिए गए थे। हमारा अनुभव है कि जब तक हमारे जजों के विचार सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं होंगे, तब तक उनके जजमेंट से इन्साफ नहीं पाएगा। 1961 के औरिजिनल एक्ट में भी कहा गया था कि शादी के समय, शादी से पहले और शादी के बाद जो चीजें माँगी जाती हैं, वे दहेज समझी जाएंगी।

यह आपने कहा था पहले भी। तो भी मुझे याद है एक हमारा केस कोर्ट में चला था जिसमें शादी के बाद भी चीजें मांगी गई थीं तो जज ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? शादी तो हो गई तो ऐज कंसिडरेशन आफ मैरिज कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने हमारी जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया। आज भी यह होने वाला है। आप जो बिल लाए हैं, इन कनेक्शन कहने की वजह से करवा चौथ के समय मांगेगें, बच्चा होने के बाद मांगेंगे, दीवाली के लिए माँगेंगें और कस्टमरी कह कर आप कहेंगे कि यह डावरी नहीं हो सकता है। जजेज ऐसे ही जजमेंट देने वाले हैं।

दूसरी हमारी यूनानिमस रेकमेडेशन थी कि गार्जियन की सालाना इनकम जो है शादी के पहले उस का और शादी के खर्च का कुछ सम्बन्ध होना चाहिए। आप ने वह भी मंजूर नहीं किया, वह भी ईवेड कर दिया। मुझे याद आती है, बचपन में हमारी एक सहेली की नानी थी, उस नानी का काम यह होता था कि घर के सब लोगों को दाल वगैरह देती और दाल बाद में बची भी हो तो सर्वेंट को देते समय उस में पानी डाल देती थी। मुझे लगता है यह सरकार हमें सर्वेंट समझती है। जैसे वह पानी डालती थी ऐसे ही कानून में पानी डाल डाल कर हमें देती है जिस से उस का प्रभाव कुछ न रह जाय। ...(व्यवधान)... में सच्चे माने में कहती हूं, यही

बाते आप करते हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में कानून जब तक हमारे जगन्नाथ कौशल जी जो पुरुष हैं वही बनाने वाले हैं तो इसी प्रकार पानी डाल कर हमारे सामने दाल आने वाली है। ...(व्यवधान) . मुझे लगता है यह हिपोक्रिटिक बिल है। हमारा कोई भी सवाल आता है तो आप उस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ऐसा माना जाता है कि महिलाएं तो मान ही जायेंगी। आपने हमें भी ऐसा ही माना है।

तो क्यों हम इस का समर्थन करें ? समर्थन करने की हमें इच्छा थी क्यों कि फैमिली कोर्ट के लिए हम आप के पीछे पड़े थे।

महिला संगठन बलात्कार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सम्मिलित करने की मांग करती रही हैं।

आज मेरे सामने रेणुका रे का एक पत्र है, मुझे लगता है वह आप को भी मिला होगा। उन्होंने भी कहा है। वह आल इण्डिया वीमेन्स कान्फरेंस की अध्यक्ष रहीं हैं, कांस्टीच्यूएंट असेम्बली की अध्यक्ष रहीं हैं, इस लोक सभा की वह सदस्य रही हैं। उन्होंने यह आप को कहा कि आप यह बिल लाए हैं ? बराबर डिमांड होती रही क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल रिकार्डिंग रेप और डावरी बिल के बारे में। बार बार हम ने यहां भी कहा कि यह बिल आप को लाना चाहिए। आप ने परसों भी कहा था कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज होना चाहिए। वह बिल क्यों नहीं लाए ? यह बिल जो आप लाए हैं उस से डावरी प्राहिविशन ऐक्ट जो है वह पूरा नहीं होगा जब तक कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज ऐक्ट आप नहीं लाएंगे यह बिल भी तब तक ऐसे ही रहेगा कि जिस के ऊपर कार्यवाही नहीं हो सकती है।

मेरा यह कहना है कि आप ने जो यह बिल रखा है हम तो उस में आप के सामने अमेंडमेंट नहीं रख सकते हैं, आप खुद अमेंडमेंट रखकर कहिए कि एक सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जाना चाहिए जिससे देश की सारी वीमेन्स आर्गेनाइजेशंस के साथ सोच विचार कर के इस प्रकार का बिल आ सके जिस से कि फैमिली कोर्टस एफेक्टिव हो सके।

मेरे पहले सुशीला गोपालन ने भी उस के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन मुझे लगता है कि आप ने रेप उस में से निकाल दिया है। वह तो इस में नहीं आएगा। लेकिन डावरी ऐक्ट भी नहीं आएगा। वह अभी आप ने बीच में क्रिमिनल ला अमेंडमेंड बिल रखा जिस में आइ पी सी का 498 अमेंड कर दिया है, उस का भी इसमें कुछ नहीं होगा। डावरी के इतने केसेज हमारे पास आते हैं अगर फैमिली कोर्ट के पास वह जायं तो महिलाएं जलने से पहले बच जायंगी। लेकिन आप ने कहा कि यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ? मुझे समझ में नही आता कि आ डावरी को क्यों इस में नही ला सकते ? हमारी बहनों ने यह माँग रखी थी कि क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल रिगार्डिंग रेप और डावरी प्राहिविशन ऐक्ट जो हैं उन के लिए फैमिली कोर्ट बनने चाहि। उस के साथ आप ने कहा भी है कि एसोशिएट करेंगे सोशल वर्कर्स को लेकिन उन का अधिकार क्या है ? वह क्या करेंगे ? कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या चाहते हैं ? जैसे सुशीला जी ने कहा कि आप इस की जिम्मेदारी स्टेट पर अगर छोड़ देंगे तो आज जो वह ओवरड्राफ्ट के लिए पैसा मांग रहे हैं और उन को आप पैसा दे नहीं रहे हैं, उन के पास पैसा है नहीं, तो हमें लगता है कि यह फेमिली कोर्ट कभी सेट अप नहीं होगी।

आप भी पैसा नहीं देगें तो कैसे काम चलेगा ? सेन्ट्रल गर्वमैंट को फाइनेंशियल रेस्पॉंसिबिलिटी लेनी चाहिए और एक मिलियन पापुलेशन के लिए एक फेमिली कोर्ट बनाई जानी चाहिए। यदि आप पैसा नहीं देगें तो मैं समझती हूं बहुत सारी स्टेट्स में फैमली कोर्ट नहीं बन पायेंगी।

इसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि दो एक साल में समझौता हो जाना चाहिए-ऐसी लिमिट भी आपको रखनी चाहिए। हाइकोर्ट के स्तर पर भी फेमिली कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए जहाँ पर अपील के लिए जा सके। दस साल तक सुप्रीम कोर्ट से भी फसला हो जाने से पहले समझौते रिकंसिलिएशन का प्रोग्राम रखें तो समझती हूं आप परिवारों को बचाने का काम कर सकेंगें। वैसे तो सरकार की सिसेमिटी पर शक नहीं करती लेकिन आप स्त्री के मामलों में सीरियस नहीं हैं-ऐसा मुझे लगता है - मुझे कहते हुए दुख होता है कि पहले हमारे एक होम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने रेप के बारे में कह दिया था कि महाभारत काल से लेकर आजतक महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार होते रहें और आगे भी होते रहेंगे तब फिर मैं नहीं समझती इस बिल को लाने की क्या जरूरत है। आज देश में जो हो रहा है उसकी तुलना आप इंगलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से मत करें। हमारे यहाँ पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस रिचर्स एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की कि देश में हर 2 घंटे में एक स्त्री पर बलात्कार किया जाता है। इसी प्रकार से 1977-79 के बाद की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें बताया गया है कि प्राटीट्यूशन के क्राइम्स जो हैं उनमें 80 परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है। इस प्रकार से महिलाओं पर जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस बढ़ोत्तरी के पीछे जो कारण है उनमें औद्योगीकरण भी हो सकता है फिल्म और वेस्टर्न कल्चर का असर भी हो सकताहै।

5.22 म. प.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :

यह भी सही है कि परिवार टूट रहें हैं लेकिन इसके कारण बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाती है। अभी स्त्री अपने बच्चों के लिए बहुत सोचती है और उनके लिए सैक्रीफाइस भी करना चाहती है लेकिन आप जो फेमिली कोर्टस बनाना चाहते है उनके पास पूरे अधिकार नहीं है। फेमिलि कोर्टस बनाने के साथ साथ स्त्री को कंपलसरी फ्री लीगल एड भी मिलनी चाहिए तभी उसको कुछ लाभ मिल पायेगा।

अध्यक्ष महोदय आप भी मेरी बात को मानेगें कि बहनों के साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा है। यह जो बिल लाया गया है इसका लाभ समाज को नहीं मिल पायेगा यदि आप स्टेट गर्वनमेंन्टस के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे यो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय दोनों सदनों की सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को भेजें जिसमें समक्ष पूरे देश की बहनों अपने विचार रख सकें और उसके बाद फेमिली कोर्ट्स बनाने की उचित व्यवस्था हो।

श्री मती जयन्ती पटनायक (कटक)। अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रगतिशील कुटुम्ब न्यायालय विधेयक का समर्थन करती हूं। यह सही ही कहा गया है कि परिवार एक संस्था है जिसमें कि

सर्वोच्च प्रकार की आत्मीयता विद्यमान रहती है परिवार में इसी परस्पर व्यक्तिगत सम्बन्ध के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी सिद्धान्त के निहित परिवार को सामान्य न्यायायिक प्रक्रिया के सख्ती और कलाबाजियों से बचाना और न्यायालय की परस्पर विरोधी औपचाटिकताओं से बचाना है। इस उद्देश्य हेतु आंतरिक व्यक्तिगत रिश्वतों अन्तरगत परिवारिक झगड़ों से निपटने के लिए परिवार में सदस्यों के पूर्ण इस प्रकार की विशेष न्यायायिक तंग की स्थापना की इच्छा जाहिरकी गई है ताकि वे परिवार के कल्याण के लिए कार्य कर सके पीड़ितों को कानूनी अधिकार दिया जा सके और सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हैं कि वे महिलाओं और वच्चों के कल्याण के देखभाल की भूमिका अदा कर सके।

कुछ अन्य देशों में विधि सुधार आयोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की है कि परिवार से सम्बन्धी मामलों को एक ही न्यायायलय में हल किया जाए ताकि पारिवारिक मामलों में एक समन्वित रवैया अपनाया जा सके 1974 में हमारे विधि आयोग ने भी कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की सुजाव दिया था। तभी से विभिन्नि महिला संगठन इस प्रकार के न्यायालयों की माँग करते रहे हैं। यहां तक कि प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता समिति दुर्गाबाई देशमुख ने भीजो रने दार शब्दों में कुटुम्ब न्यायालयों को स्थापित करने का समर्थन किया था

उसके वाकी ममय बाद यह विधेयक लाया गया है। बास्तव में हम इसका स्वागत करते हैं सरकार को भी बधाई दी जानी चाहिए हमारे विपक्षी सदस्यों जेसे श्री मती सुशीला गोपालन और प्रमीला दण्डवते ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए ये विधेयक लाये गये हैं। हमें इनका स्वागत करना चाहिए और हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। केवल यही सरकार यह विधेयक लायी है। इस विधेयक में कई एक अच्छे उपाय हैं। जब यक हम इस उद्देश्य के लिए कोई विधैयक नहीं लायेगे हम इस दिशा में प्रगति कैसे करेगें भविष्य में हम इसमे कुछ संशोधन या सुझाव पेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई अधिनियम ही न हो, हम उसमें कुछ सुझाव या संशोधन कैसे कर सकते है। इसलिए इस प्रगतिशील कानून को लाने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

इस कानन की इस समय बहुत आवश्यकता थी। माम न्यायालयों में कई वर्षों तक मामले बिना निर्णय के पड़े रहते हैं। परिवार से संबंधी मामलों को केवल कुटुम्ब न्यायालयों जैसे विशेष प्रयोजन वाले न्यायालयों में ही निपटाये जाने चाहिए।

इसीलिए ऐसी आशा हैं कि कुटुम्ब न्यायालों में शीघ्र निर्णय हो सकेगा इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुटुम्ब न्यायालयों की सारी धारणा यह है कि निर्णय देश दिये जाने से पहले समझौता कराने में किसी तंत्रकी व्यवस्था की जाए जिससे इस प्रक्रिया से शीघ्र निर्णय दिया जा सके और खर्च भी कम आये और सारी कार्यवाही एक अनौपचारिक वातावरण में की जाए जिसमें समाजिक कल्याण एंजेसियों मनोविज्ञानिकों समाजिक कार्यकर्ताओं चिकित्सा विशेषज्ञों और शिक्षानिदों का सहयोग प्राप्त हो।

विधेयक के खण्ड 3 में प्रावधान है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या कस्वे

या क्षेत्र में एक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किया जाये। यहाँ मैं कहना चाहती हूं कि प्रत्येक जिले में कुटुम्ब न्यायालय होना चाहिए।

कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ के नगरों की जनसंख्या 10 लाख नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हुं कि प्रत्येक जिले में एक कुटुम्ब न्यायालय होना छाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हू कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में इसे स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि वे मूलत शहरी क्षेकहैं। राज्य की राजधानी में विभिन्नि स्वंसेवी संगठन भी होते है विशेषज्ञ पिछड़े राज्यों में भी कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि हम अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पिश्रड़े हुए राज्यों को इस उद्देश्य के लिए केन्द्र से अधिक धनराशि दी जानी चाहिए ताकि स्थापित कर सके

न्यायाधीशों की नियुक्य के लिए केवल सात वर्षों का अनुभव ही प्राप्य रहीं होना चाहिए' बल्कि उन्हें ससाजशास्त्र दर्शनशास्त्र का भी गहरा ज्ञान होना चाहिए और वे विख्यात और वृद्धि-मान व्यक्ति होने चाहिए मैं कहना चाहुंगी कि बुराईयों को हम समाप्त करने जा रहे हैं, वे ऐने मामलों से अन्त नहीं होने चाहिए।

इन न्यायालयों के क्षेत्रधिकार में शादी तलाक बच्चों की अभिरक्षा रखरखान आदि से सम्बन्धित मामले होंगे लेकिन दहेज से मृत्यु और दहेज संबधी झगड़े जोकि अपराधिक जुर्म हैं। इसके क्षेत्राधिकार में नहीं होंगे। पिछले दिनों जब मैं दहेज प्रतिवेध अधिनियम पर बोल रही थी तो मैंने कहा था कि कुटुम्ब न्यायालयों मैं दहेज संबंधी और दहेज से होने मौतों से सम्बन्धी नाम ों पर भी विचार जाना चाहिए। इसके अलावा कई दफा लक्ष्य इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा था कि रिवाज के तौर पर दिये जाने वाले उपहारों के बारे साक्ष्य इकट्ठा करना कफीकठिन होता है। इसके अलावा दहेज संबंधी मामलों में पीड़ित महिला को पुलिसहिरासत में अनुवातावरण भी शायद न मिले। इस तरह इन न्यायालयों के बनाये जाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए इसके क्षेत्राधिकार में यह शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् दहेज से मौतें और दहेज सम्बन्धी विवादों को कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाया जायेगा।

कुटुम्ब न्यायालयों का उल्लेखनीय उपबंध मुकदमे की कार्यवाही को सार्थक बनाने के लिए इससे पूर्व सुलह करवाने संबंधी प्रक्रिया है, और मुकदमें की कार्यवाही कल्याणकारी एजेन्सियों और परामर्शदाताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों आदि के सहयोग से होगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि हम कैसे महिलाओं और महिला संगठनों को इसमें शामिल कर सकते हैं क्या आप इसके लिए जूरी-व्यवथा या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था कर सकते है और जूरी में क्या आप अधिक महिलाओं को शामिल कर सकते हैं।

महोदय, इस कार्य को कर रही कल्याणकारी संस्थाओ के रूप में हमारा कुछ आधारभूत ढाँचा है। बम्बई में एक प्रतिष्ठित कल्याणकारी संस्था इन मामलों में न्यायालयों द्वारा दिये जाने के बाद कार्यवाही कर रही है और मामले से संबंधित सेवा करती है। वह सुलह कराने के लिये परामर्श देती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वे संस्थायें जो एक प्रकार का आधारभूत ढाँचा प्रदान कर रही हैं, यदि अब वे कुटुम्ब न्यायलयों को सहायता प्रदान करती हैं, तो क्या उन्हें

कल्याण मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय से विशेष सहायता मिलेगी ? क्या इन दोनों के बीच कोई समन्वय हो सकता है ?

जहां तक बन्द कमरे में मुकदमें के विचारण की बात है, इसका स्वागत है। और विधेयक में भी वकील पर जोर नहीं दिया गया है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमें को लम्बा खींचने की कोशिश नहीं की जायेगी। ऐसा कहने से हम कानूनी वकीलों को वंचित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह उपबन्ध है कि जहाँ कहीं भी कानूनी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। न्यायालय इस बात का लाभ उठा सकता है।

जहाँ तक अपील का सवाल है, एक उपबन्ध किया गया है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन न्यायालयों की अपील उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं होनी चाहिये, अपितु परिवार न्यायालय का ही एक अपील न्यायालय होना चाहिये जिससे इन मामलों में निर्णय शीघ्र ही मिल सके क्योंकि उच्च न्यायालय के पास बहुत काम है और वहां कई वर्षों से मामले लम्बित पड़े हैं। अत: उच्च न्यायालय में इस अपील पर निर्णय देने में बहुत समय लग जायेगा। अब कुटुम्ब न्यायालय बन गए हैं।

ऐसे विधेयकों को जिनका उद्देश्य निर्वाह एवं सम्पत्ति के अधिकार के जैसे कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करना सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ मापदण्ड होना चाहिए। यदि उन विधेयकों में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए निर्वाह अधिनियम यदि एक कोई राशि तय कर दी जाती है तो दस वर्षों के बाद भी वही राशि रहती है।

यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें तो उसे बढ़ाना चाहिए। ऐसे विधेयकों में यदि कोई दोष है तो उसमें भी संशोधन करना चाहिए। भविष्य में इस विधेयक से पारिवारिक झगड़ों के जो शिकार हैं, उन्हें अवश्य लाभ पहुचेगा। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल पर पहला व्यक्ति हूं जो कि कुटुम्ब न्यायालय विधेयक पर बोल रहा है। हमारी बहुत-सी बहिनें इस पर बोली हैं। मैं समझता हूं कि हमारे विधि मंत्री जी कानून तथा समाज के बीच सामान्य स्थिति लाने के लिए इन दिनों काफी प्रयत्नशील हैं और इसी कारण से वे कई एक बिल लाये हैं। यह बिल भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेद है कि अनजाने, गरीब, कमजोर और शोषित व्यक्तियों को यह अहसास नही है कि हमारे देश का कानून उनके लिये भी है।

इस कुटुम्ब न्यायालय विधेयक के द्वारा आप बहुत सी बातों को हल करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कुटुम्बों में आज विवाह के समन्वय में, दहेज के सम्बन्ध में और अन्य प्रापटीज के सम्बन्ध में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बहुत से झगड़े खड़े हो गये हैं। इन समस्याओं और झगड़ों का निपटारा युगों-युगों से छोटी पंचायतें करती आई हैं। यदि हम लोग प्राचीन काल को देखें तो हजार वर्षों पहले मोहन जोदड़ो और हड़प्पा काल तक में भी इन मामलों को इकट्ठे बैठकर हल किया करते थे।

हमारे गाँधी जी ने भी इस भावना का बहुत ध्यान रखा था और गाँवों में ही पंचायत द्वारा हल करने पर जोर दिया था। उन्होंने पंचायती राज की इसी आधार पर कल्पना की थी। अगर आप उसी आधार पर यह कुटुम्ब न्यायालय विधेयक लाये हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही स्वागत की चीज है और सारा सदन इसका स्वागत करेगा। मैं भी इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन मान्यवर, इस भावना को ध्यान में रख कर आप इस विल को लाये हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और मैं इस विल का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस विल में अनेक त्रुटियां हैं।

इस विल को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको इसकी कुछ त्रुटियां पर ध्यान देना चाहिए मैं अपको दो-एक बातों का उदाहरण देना चाहता हूं।

अभी एक लड़के की किसी भावावेश में आकर किसी एक लड़की से शादी कर दी। जब शादी के बाद लड़की घर आई तो पाया गया कि लड़की अन्धी है। लड़का एम० एड० और लड़की अन्धी।

अब एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग इकट्ठे हुए, महीनों तक पचायत चलती रही और वहां जो निर्णय हुआ उसे किसी एक पक्ष ने नहीं माना। फिर मामला अदालत में गया और आठ वर्ष के बाद यह वहां से निर्णय हुआ कि वह लड़का उस औरत नहीं रखेगा। अगर ऐसी बातों का सामाधान हमारे कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पहले ही कर दिया जाए तो ऐसी समस्याएं खत्म हो जायेंगी।

हमारे उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली इलाका है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि रायबरेली ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पढ़े-लिखे लोग अनपढ़ औरतों को छोड़कर किसी पढ़े-लिखी औरतों से शादी कर लेते हैं। उनके 6-7, 8-8 साल के बच्चे हैं लेकिन उनकी भी परवाह किये वगैर वे दूसरी शादी कर लेते हैं। वे सरकारी सेवा में भी लगे हुए हैं। अगर इस प्रकार की समस्याएं भी कुटुम्बन्यायालय द्वारा हल की जा सकें तो समाज का बहुत हित होगा।

मान्यवर, अभी हमारी बहुत सी बहनों ने कहा कि 37 वर्ष की आजादी के बाद भी नारी की स्थिति बहुत खराब है। वह आज जलाई जा रही है, वह ट्रेन के नीचे आकर कटती है कुतुब-मीनार से छलांग लगाती है। आप इसके बारे में सजग है यह मैं देख रहा हूं। आपने दहेज निषेध का कानून पास किया है। आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का संशोधन कर उसमें भी दंड देने की व्यवस्था की है।

लेकिन मैं समझता हूं कि ये संशोधन नाम मात्र के हैं जब तक आप यह नहीं सोचते कि इन्हें समाज कैसे लागू किया जाए। यह चीज आपने आज तक नहीं सोची है ये केवल कागजी संशोधन मात्र रह गये हैं।

एक हमारे प्रदेश में सती प्रथा का निषेध करने वाला कानून बना है। लेकिन कभी कभी यह भी पढ़ने को मिलता है कि फलाँ औरत सती हो गई है और उसके चारों तरफ हजारों लोग

मेला लगा रहे है कि वह स्वर्ग में पहुंच गई है। तमाम किस्म की दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी राजस्थान में एक घटना प्रकाश में आई है।

हमारी सरकार ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि पुलिस ने दर्शन करने वालों के लिए व्यवस्था कर दी। पूजा—पाठ की व्यवस्था होने लगी, जब कि एक औरत सती हो गई थी चाहिए यह था कि जब सती प्रथा बन्द है तो वहां पर किसी को न जाने दिया जाए दर्शन के लिए लेकिन लाखों लोग गए और अभी भी जा रहे हैं। आज ओरतों को बेचा जा रहा है। बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपराध जारी हैं। अभी जैसे एक वेश्यावृत्ति अधिनियम है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था अलेक्जेंडर की लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ था कि हिन्दुस्तान में दस हजार ऐसी लड़कियों को वैश्यावृत्ति के लिए तैयार किया जा रहा है जिनकी उम्र दस वर्ष की है। बताइ कानून का क्या लाभ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कानून आप लाते हैं, उसमें आपकी नीयत तो ठीक होती है परन्तु नियति ठीक नहीं होती। इसके बारे में डागा साहब अभी बताएंगे।

अभी मैं इसको देख रहा था। इसमें सामाजिक संगठनों, डाक्टरों, मनोवैज्ञानिकों महिला संगठनों और पस—पड़ौसियों को आमन्त्रित किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। यह बात मैं किसी भावना से नहीं कह रहा हूं, साफ बता रहा हू। आज हमारे देश की प्रधान मन्त्री नारी हैं। वे बेटी भी थी, बहु भी थीं, माँ भी हैं और सास भी है और 1966 से आज तक वे प्रधानमंत्री है। लेकिन आज इस समयावधि में जितनी नारी को दशा गिरी है, उतनी मैं समझता हूं कि इसके पहले नहीं गिरी थी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। हमारे साथी उनकी छवि विदेशों में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यह छवि तभी ठीक होगा जब समाज की छवि उभरे, हमारे देश की छवि उभरे, हमारे राष्ट्र की छवि उभरे। इसको नारी को उचित आदर देना होगा, सम्मान देना होगा, उचित न्याय देना होगा।

(व्यवधान)

जैसा कि हमारे एक मित्र कह रहे हैं, मैं वह नहीं कहना चाहता। कुटुम्ब न्याय विधेयक बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि विवाह और कौटम्बिक बातों में सुलह कराने का यह एक अच्छा तरीका हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्वाइन्टस बोलिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर इसमें आपने एक जगह लिखा है—'अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात राज्य के किसी नगर या कस्बे के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करेगी।"

आपके कहने का मतलब यह है कि 10 लाख वाले शहरों में एक न्यायालय होगा। देश

में लाखों जिले हैं जिनकी आवादी दो लाख, तीनलाख, चारलाख पांच लाख है मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कस्बों में और तहसील स्तर पर भी कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना की जाए और 10 लाख की जनसंख्या वाली बात हटाई जाए।

इसमें लिखा है—'62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न तो निवृत्त किया जाएगा और न वह उस रूप में पदधारण करेगा।" इसमें जो 62 वर्ष की सीमा निर्धारित की है, इसका क्या मकसद है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें उम्र की कोई बात नहीं रखनी चाहिए।

हमारे यहां जो गावों में झगड़े होते हैं, उनको बड़े बुजुर्ग लोग तय किया करते हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष के करीब होती है। कुटुम्ब का विवाद तजुर्बेकार आदमी ही ठीक कर सकता है, दुसरा नहीं। आपने इस बिल में लिखा है कि 'किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो'। एक जगह पर यह लिखा है कि 'भारत में किसी न्यायिक पद पर या किसी अधिकरण के सदस्य के पद पर या संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो, कम से कम सात वर्ष तक रहा हो'। आपने यह दो बातें सात वर्ष के अनुभव की कही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका इसमें मकसद क्या है? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी आदमी का सात वर्ष का अनुभव हो। कुटुम्ब, शादी-ब्याह और दहेज के झगड़ों को तय करने में अनुभव की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं बुजुर्गीयत और उसकी गरिमा ही काफी है जिससे लोग उसका आदर कर सकें। आपने इसमें समय का बन्धन नहीं किया है। हमारे देश में सबसे बड़ी दुर्दसा यही है कि जब कोई मुकदमा पेश होता है तो वह कई वर्षों तक चलता रहता है। अपील करने के लिए आपने इसमें तीन दिन रखें है। आपका मकसद यह साफ है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दो, तीन या चार दिनों में मुकदमा समाप्त करने की कोशिश हो, ऐसा लिखा जाना चाहिए।

श्री मनीराम बांगड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, श्रीमती सिन्हा को पांच मिनट मिलने चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं भी अपने पांच मिनट छोड़ रहा हूं। हमारी एक बहन ने मोबाइल यूनिट की बात कही है। मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें आप एक जरूर अमेंडमेंट करें कि ऐसे कुटुम्ब न्यायालय की मोबाइल यूनिट होनी चाहिए। वह यूनिट गावों तक पहुंचकर झगड़ों का निबटारा करे और इनको नियंत्रण में रखे। मैं इन शब्दों के साथ इन संशोधनों का समर्थन करता हूं और अपने पांच मिनट भी छोड़ रहा हूं

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोर्टस् बिल का मैं समर्थन करती हूं। जब हम समर्थन कर रहे हैं तो इसमें जो कमियां हैं, वह महिला होने के नाते कह सकते हैं। आपको मालूम है कि आज "मैन मेड सोसायटी" है। महिलाएं तो दूसरे स्थान पर ही रहेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह मैन मेड सोसायटी है। बड़े अफसोस की बात है कि

यह बिल इस अधिवेशन के आखिरी दिन लाया गया है। यह कहा गया है कि दस लाख पर एक कोर्ट रखेंगे। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि हरेक विग सिटी और डिस्ट्रीक्ट मे एक-एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए। पति-पत्नी में जब डिसप्युट होता है तो वह टैम्पोरैरी होता है। हमारे यहां एक स्ट्रांग फैमिली सिस्टम है। मैं समझती हूं, यह बिल हमारे लिए बहुत उपयोगी है।

आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि कुछ बातों को स्टेटस पर छोड़ दिया जाएगा। कुछ सोश्यल वर्कर्स को तथा सोश्यल वैल्फेयर आर्गेनाइजेशन्स और डिपार्टमेंट को इसमें एसोश्येट किया जाएगा और उनके साथ मिलकर निर्णय किए जाएंगे। लेकिन मैं आपके इस प्रावधान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इसके स्थान पर एक सैन्ट्रल एक्ट हमें तैयार करना चाहिए। उसका कारण यह है कि किसी समय एक स्टेट में कोई ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है कि जो महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध हो, उस समय सम्भव है कि वह इन फैमिली कोर्ट्स को समाप्त कर दे, या उनके अधिकारों को कम कर दे। इसलिए एक सेन्ट्रल एक्ट होना आवश्यक है। ताकि कोई चीफ मिनिस्टर उसमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन न कर सके। उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। हम उनकी सहायता तो ले सकते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं उन पर छोड़ना उचित नही माना जा सकता।

मेरा सुझाव यह भी है कि इन न्यायालयों में महिला जजों का होना बहुत जरूरी है। जहां हमारे सोश्यल वैलफेयर आर्गेनाइजेशन्स से सहयोग करके हम कुछ महिलाओं को या दूसरे लोगों को सलैक्ट करेंगे, वहाँ मैं चाहती हूं कि महिला जजों को पूरी पावर्स भी दी जाएं। क्योंकि मैं जानती हूं कि महिलाओं के दिमाग में टैंशन जरा ज्यादा रहती है। (व्यवधान) बागड़ी जी आप जरा महिलाओं की बात को भी सुनिये। आप क्यों नहीं सुनना चाहते।

जहां तक बच्चों को संरक्षता प्रदान करने का सम्बन्ध है, आपने इस बिल में बहुत अच्छा प्रावधान किया है, लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं कि बच्चों के सैटलमेंट में हमें बच्चों को उसकी माता के पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यह देखा गया है कि बच्चा अपनी माता के पास रहकर खुश रहता है।

एक प्रावधान मैं इस बिल में यह भी चाहती हूं कि जब कोई पति अपनी पत्नी को पैसा नहीं देता है तो उसके सामने एक आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है। मैं चाहती हूं कि ऐसी हर पत्नी को कोर्ट के जरिए पैसा दिलवाया जाए ताकि वह बच्चों आदि की देखभाल ठीक से कर सके। कोर्ट की ओर से ऐसे डायरेक्टिव जारी करने का इस बिल में प्रावधान होना बहुत आवश्यक है।

हमारे समाज में हके महिलाओं के सामने कई तरह की प्रोब्लम्स आती हैं, कहीं डौरी डैथ का मामला हमारे सामने आता है, कहीं बलात्कार का मामला आता है, तो कहीं महिलाएं स्यूसाइड करती हैं। इसके सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इन फैमिली कोर्ट में उन सब मामलों को एक ही जगह सुना जाना चाहिए और जल्दी उसका निर्णय हो। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे न्यायालयों में कई कई सालों तक केसेज का निर्णय नहीं हो पाता। फिर एक

ही स्थान पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की बात आसानी से सुन समझ सकते हैं। यदि हम इस क्लाज को भी इस बिल में जोड़ दें तो वह हम सबके हित में होगा। आजकल कोर्टस में जहां निर्णय होने में समय लगता है, वहीं पैसा भी बहुत खर्च होता है और इस कारण महिलाएं कुछ कर नहीं पातीं। इसलिए महिलाओं से सम्बन्धित मामलों का निर्णय फैमिली कोर्टस में होना जरूरी है। हमें इस सम्बन्ध में कोई टाइम-बाउंड प्रोग्राम रखना चाहिए जिससे देरी से भी बचा जा सके और महिलाओं के सामने कोई प्रौब्लम भी खड़ी न हो।

एक सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि चूंकि महिलाएं एजीटेशन नहीं कर सकती, इसलिए उनको फ्री लीगल ऐड का प्रावधान भी रहना चाहिए। क्यों कि सारी महिलाओं के सामने पैसे की प्रौब्लम भी आती है और इस कारण वे कुछ कर नहीं पाती। इसके साथ साथ किसी एडवोकेट की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और फ्री लीगल एड का प्रावधान जरूर रखा जाना चाहिए।

अन्तिम सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि हमारे भारत देश में गाँव में और समाज में हमारे सामने कई दिक्कतें पेश आती है। वहां कुछ बड़े लोग बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि हमारी कोर्टस वहां जाकर उन लोगों को बुलाकर मामलों को निपटारा करें। हमारी बहन ने भी यहां सुझाव दिया कि हमें मोबाइल कोर्टस का निर्माण करना चाहिए। जहाँ जहां प्रौब्लम्स हों वे मोबाइल कोर्टस वहीं जाकर बड़े लोगों को बुलाकर उन मामलों का निर्णय करें, उनको समझायें। वर्ना हमारे न्यायालयों में निर्णय होने में सालों लग जाते है। इसी कारण में मोबाइल कोर्टस के निर्माण के सुझाव का समर्थन कर रही हूं।

मैं चाहती हूं कि आप मेरे तमाम सुझावों पर विचार करेंगे और इस बिल में उनको शामिल करेंगे तथा सदन में बतायेंगे कि किन सुझावों को आपने मान लिया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इसको लाने के लिए प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष जी, जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस विधेयक का विरोध करेगा। जो इसके औवजेक्टस हैं और जिनको धारा 7 के अन्दर वर्णित किया गया है उनको देखते हुए इस प्रकार के कोर्टस का बनना आवश्यक है और जिनको बनाये जाने की मंशा इस विधेयक के माध्यम से बतायी है मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। और विशेष कर के धारा 7 के साथ साथ धारा 9 के अन्दर जितने भी विवाह जिनका कि अधिकार अदालतों की धारा 7 में मिलेगा उसमें वह प्राथमिकता दंगी कि इन विवादों को आपसी समझौते के आधार पर समाप्त करें और उसके लिये आवश्यक समय दें। और उसके बाद भी अगर सम्भव न हो तो डिक्री न दें। मैं समझता हू। दोनों धाराओं की मन्शा अच्छी है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो बिल मत्री जी लाये यह केवल कानून की किताबों में रखने के लिये लाया गया है, या ईमानदारी से जिस ध्येय से बिल लाया गया है अदालतें बनायी जायें उनको बनाने का भी ध्येय सरकार का है कि नहीं ?

इस बिल में जितनी धारायें हैं सब जगह स्टेटगवर्नमेंट लिखा है। स्टेट गबर्नमेंट नियम बनायेंगी

जहाँ चाहेगी अदालतें बनायेगी, कौन उसके जज बनाये जायें यह वही तय करेगी हाई कोर्ट से मिलकर, क्या क्या योग्यता हो, क्या उसका स्टाफ हो, उनकी सैलरी हो। यह सब बातें स्टेट गवर्नमेंट पर हैं। तो मेरा चार्ज है मंत्री महोदय आप पर कि यह जो विधेयक लाया गया है सरकार की नीयत इस विधेयक को लागू करने की कतई नहीं है। क्या आप उत्तर देते समय सदन को विश्वास दिलायेंगे कि आप 6 महीने में या एक साल के अन्दर इसको ऐनफोर्स करेंगे सारे देश में आज समाज और परिवार में जो विसम परिस्थितियाँ हैं, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां यह समस्या न हो। आवश्यकता यह है कि सारे राज्यों में यह कानून तुरन्त लागू होना चाहिये और जो आपकी मंशा है, स्टाफ, सैलरी, योग्यता क्या हो यह सब आपको ही तय करना चाहिये था, और इन बातों को स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लगता है कि मंत्री महोदय ने केवल जो इस प्रकार की जोरदार मांग थी कि ऐसी अदालतें बनायी जायें उसको केवल शब्द रूप में स्वीकार किया है। इसको कहीं पर क्रियान्वित करने की सरकार की नियत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कथनी और करनी में अन्तर मिटा देना चाहते हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, 6 बज गये हैं हम लोग कितनी देर तक बैठेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक भूख लगे।

श्री रामविलास पासवान : जो आर्डर पेपर लिस्ट आफ बिजनेस हैं इसके मुताबिक तो 12 13 घंटे लग सकते है। इसका मतलब यह है कि कल सवेरे 8 बजे तक सदन चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम यह सेशन याद तो रहेगा।

श्री रामविलास पासवान : आप एक टाइम मुकर्रर कर दें कि 8, 9 बजे तक सदन चलेगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अगर 12 बजे के बाद बैठना ही है तो कल सवेरे बैठ जायें।

श्री रामविलास पासवान : ऐसी क्या जल्दी है ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार : देखिये अध्यक्ष जी, हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे।

6.00 म.प.

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री

श्री मल्लिकार्जुन : अब तक निरन्तर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग दिया है। अब मैं उनसे जोरदार अनुरोध करता कि वे अपनी समझदारी का परिचय दें ताकि सरकारी कार्य पूरा हो।

श्री सतीश अग्रवाल : हम सहयोग देने को तैयार हैं। परन्तु यह आज पारित नहीं किया जा सकता।

श्री मल्लिकार्जुन : प्रत्येक विधेयक के लिये उन्हे कम से कम समय लेना चाहिये।

अध्यक्ष मसोदय : आप इस समय टाइम जाया न करें बैठ जायें।

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : पहले फैमिली कोर्ट बिल को पास होने दीजिये। उसके बाद देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी। पांच मिनट।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त नहीं कर सकती। संसद में जिस तरह से इन सामाजिक विधेयकों पर कार्यवाही की जा रही है, मैं उसका कड़ा विरोध करती हूं। ये अन्तिम दिन को लाये गये है। इन पर उचित चर्चा तथा संशोधनों पर उचित विचार के लिये समय नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं चल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप कुछ सुझाव दीजिये, बहुत अच्छे सुझाव दीजिये। आप इन सुझावों को पूर्ण प्रभाव के साथ दीजिए, न कि गुस्से में।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सामाजिक विधेयकों के मामले में मैं गुस्से से काम नहीं लेती।

श्री एन.के. शेजवलकर (ग्वालियर) : ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए उचित समय नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : सबसे पहली बात जो वास्तव में एक बहुत ही गंभीर बात है, वह यह है कि यह विधेयक हमें बहुत जल्दी में परिचालित किया गया है और माननीय मन्त्री ने विधेयक पर विचार करने के लिए अथवा इसे पारित करने हेतु उद्देश्यों और कारणों के कथन को इसके साथ संलग्न करना उचित नहीं समझा अथवा इसके लिए उन्हें समय नहीं मिला है। यह एक गंभीर मुद्दा है मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। मैं यह गुस्से के लिए नहीं कह रही हूं। परन्तु मैं महसूस करती हूं कि यदि सामाजिक कानूनों का सत्ता पर कोई गंभीर प्रभाव होना है, तो उनके उद्देश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिए, अर्थात गंभीर रूप से इसका क्या उद्देश्य है। कार्य पालिका और संसद का इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहियें ताकि अन्त में वह व्यक्ति जो कानून की दृष्टि से इस पर कार्यवाही करेगा, यह महसूस कि यह विधेयक ईमानदारी के साथ समाज पर लागू किया जा रहा है। यहां पर मैं यह महसूस करती हूं कि ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए मैं कहती हूं कि जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है

उद्देश्यों और कारणों के कथन के बारे में मैंने क्यों कहा है ? इससे पहले कि मैं किसी अन्य खण्ड को लूं, मैं यह पूछना चाहती हूं कि न्यायधीश के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया

जायेगा । इस बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं । परन्तु न्यायधीशों का मार्ग दर्शन करना चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बारे में उद्देश्य और कारणों का कथन आवश्यक है। आपने इनको बताया नहीं है । परन्तु यहां पर आप यह कह रहे है ।

> "यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाएगा कि वे व्यक्ति जो विवाह के रिश्ते की रक्षा एवं अभिरक्षा करने तथा बच्चों और के कल्याण की आवश्यकता के प्रति बचन बद्ध हैं और अहर्ता प्राप्त व्यक्ति—

यहां पर प्रश्न यह कि ये न्यायालय विवाह के रिश्ते की रक्षा तथा अभिरक्षा हेतु किस गति के साथ इस विषय पर फैसला करेंगे । अब महोदय, प्रश्न यह है कि हमारा समाज अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा हैं जहाँ मूल समस्या यह हो कि शादियाँ टूट रही हैं । वह समस्या नहीं है । हमारे समाज की सबसे गभीर समस्या है, पुश्तैनी जायदाद । यही हमारे समाज में है । ऐसा होने के कारण लाखों ऐसे परिवार हैं, जहां कहनें को विवाह का रिश्ता सुरक्षित दशा में है, परन्तु महिलाओं का असहनीय अपमान किया जाता है और इस प्रकार पूर्ण विवाह के रिश्ते के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि वास्तव में यह हमारा एक प्रकार से अपमान है ।

अब, न्यायधीशों के चयन का क्या आधार है ? कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों न हो कि विवाह के रिश्ते की रक्षा तथा अभिरक्षक करने में महिलाओं की प्रतिष्ठा पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए ? आप कह सकते हैं कि केवल महिलाओं की ही प्रतिष्ठा का ध्यान क्यों रखा जाना चाहिए है, पुरुषों की क्यों नहीं ? हां, पुरुषों की प्रतिष्ठा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । लेकिन आज के समाज में महिला की प्रतिष्ठा की दशा सबसे खराब है । इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में यह विवाह प्रथा की ही विपरीत है । हमारे समाज में यह एक बड़ी समस्या है । इसलिए मैं यह महसूस करती हूं कि अगर आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो कई दफा इसका वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो जाता है मेरे विचार से मेरी यह धारणा इसमें निहित की जा सकती थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । इस अन्तिम अवस्था में इस विधेयक को गंभीरता से अध्ययन करने का और संशोधन पेश करने का हमें अवसर नहीं मिला है ।

मेरा विचार है कि मन्त्री जी स्वतः संशोधन लाकर इस विधेयक में ऐसी शब्दावली शामिल करेंगे जिससे इस समूचे मामले पर प्रकाश पड़ेगा कि कुटुम्ब न्यायालय कैसे और किस भावना से इसे हल करेंगे ।

दुसरे मेरे मित्रों ने इसकी बहुत आलोचना की है और उन्होंने जो तर्क दिए हैं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं । उन्होंने चुनावी हथकंडा आदि कहा है । इस समय मैं चुनावों की बात नहीं कर रहा । लेकिन चुनाव हो या न हो, मेरे विचार से इसे अपनी इज्जत बचाने के लिए लाया गया है । अन्यथा इस सारे मामले पर अधिक विचार किया गया होता । आइये देखें कि शुरू में ये न्यायालय कैसे बनेंगे । यह बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेऔर विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं । शुरू से ही आप यह व्यवस्था कर रहे हैं कि विधेयक के

पास हो जाने के बाद कुछ राज्य अपनी मर्जी से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तारीखों से उसे लागू करेंगे। शुरू में ही उसमें भिन्नता आ गई।

अब हम नियम सम्बन्धी प्रश्न पर आते हैं। यह निश्चय ही दिलचस्प बात है कि सभी महत्वपूर्ण बातों को नियमों के अन्तर्गत लाया जाना है। पहली बात तो मेरे सभी साथियों ने बतायी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य बातें कहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि इन बातों का विशेष रूप से व्याप्त वातावरण के बारे में, स्पष्टीकरण जरूरी है। जब मैंने बोलना आरंभ नहीं किया था, उस समय बहुत सुखद और प्रसन्नता भरा वातावरण था। बात को बहुत हलके ढंग से लिया जा रहा था जो सामाजिक विधि निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता। अत: मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस बात को मानकर आप मुझे अपनी बातें कहने के लिए कुछ समय दें। मैं मदारी नहीं हूं। मुझे कुछ समय जरूर मिलना चाहिए। मैं भरसक प्रयत्न कर रही हूं (व्यवधान)

मैं नियमों पर आती हूं। दोनों पक्षों से मेरे मित्रोंने कहा है कि आप एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। वे राज्य सरकारों से कह रहें हैं कि उस न्यायाधीश के साथ परामर्श करके कुछ अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जायें। इस विषय में महिला न्यायाधीश नियुक्तकरने की बात नहीं सोची गई और कई अन्य योग्यताओं वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के बारे में नहीं सोचा गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने महिलाओं को नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह बात नहीं है। आशा है आप ने विधेयक पढ़ा होगा। खण्ड 5 में नियम दिये गए हैं कि किसे सम्बद्ध किया जाएगा, आदि। केवल सामाजिक कार्यों में लगा हुआ कोई संघ, संस्थान या संगठन ही सम्बद्ध हो सकेगा। सामाजिक कार्य क्षेत्र में लगे व्यक्ति ही उसमें आ पायेंगे। मुझे पता नहीं कि वे लोग कौन हैं जो पेशे के तौर पर लोगों के कल्याण और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। आशा है विवाह विधेयक में जैसे लोग है वैसे ही लोग यहां नहीं है। तथापि जो भी गैर सरकारी संगठन बनाया जा रहा है और जो भी गैर सरकारी व्यक्ति उसमें शामिल किये जा रहे हैं, उन्हें इससे सम्बद्ध किया जा रहा है—

प्रो० मधू दण्डवते : शायद वे पतियों को पेशेवर मान रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उसमें पति हीं पति हैं। उदाहरण के लिए यदि मधु दण्डवते उसमें आते हैं तो मैं विधेयक के पक्ष में मत दूंगी।

अब किसे सहयोजित किया जायेगा और कैसे उन्हें सहयोजित किया जायेगा, इसे नियमों में बाँध दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्ययालय से परामर्श करके ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए इन व्यक्तियों को सहयोजित करेगी जैसी वह उचित समझेगी। उन्हें किस ढंगसे सहयोजित किया जायेगा, यह राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। उन्हें किस प्रयोजनार्थ सहयोजित किया जायेगा यह भी राज्य सर-

कारों पर छोड़ा गया है । नियम राज्य सरकारें बनायेंगी । वे कुटुम्ब न्यायालयों में एक नई अवधारणा लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और हर चीज को लागू करने का ढंग वही रखना चाहते हैं, जो राज्य सरकार उचित समझे । केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं देती । कुटुम्ब न्यायालयों को एक प्रकार से औपचारिक रूप से स्थापित किया जा रहा है। समाजवादी देशों में अनेक कुटुम्ब न्यायालय हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बस अब सब ठीक है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह ठीक नही है । ठीक तो तब होता यदि इसे उचित ढंग से किया जाता । इन सभी बातों के लिए विधेयक में उचित सांविधिक उपबन्ध होने चाहिए थे ।

साथ ही मेरे मित्र ने जूरी का प्रश्न उठाया है जो बहुत संगत है । उसके लिए उपबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने एक भी असंगत बात नहीं कही है । यदि मैं असंगत बोलूं तो आप मुझे रोक सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको आपके दल की सदस्य संख्या के अनुसार समय देना होता है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दूसरे हर विधेयक के मामले में समय बढ़ाया गया है । केवल इसी विधेयक के बारे में आप समय नहीं बढ़ा रहें हैं । मैं तो यथासंभव शीघ्र बोलने का प्रयास कर रही हूं । मैं विधेयक से अत्यन्त संगत बातें ही कर रही हूं ।

विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिन्हें समझना कठिन है । उदाहरण के लिए विधेयक में उपबन्ध है कि केवल ऐसे जिलों में कुटुम्ब न्यायालय होंगे जिनकी 10 लाख जनसंख्या होगी । बहुत से जिलों की जनसंख्या 10 लाख नहीं है । अत: वहां ये कुटुंब न्यायालय नहीं होंगे । उनका कहना है कि सब डिवीजनल न्यायालयों या जिला न्यायालयों में लंबित सभी मामले भी कुटुंब न्यायालयों को अन्तरित कर दिए जायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि गांवों की जो महिलायें सब डिवीजनल न्यायालयों में और निचले न्यायालयों में जाती हैं, उन्हें जिला न्यायालयों में जाना होगा । इसका यह अर्थ भी हुआ कि प्रक्रिया को अधिक लंबा और जटिल बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था ।

इसी प्रकार अपील करने का भी उपबन्ध है— — ·

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आप चाहे मुझे समय दें या न दें, विधेयक के संबन्ध में मेरी भावनायें बहुत तीव्र हैं । विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जो उसे लाए जाने का उद्देश्य ही समाप्त कर देते हैं । उदाहरण के लिए आप निर्वाह सम्बन्धी उपबन्ध को देखें जो बहुत महत्वपूर्ण

है। जब तक आप निर्वाह के सम्बन्ध में सिद्धांत को नहीं बदलते तब तक महिलाओं को निर्वाह के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप को पता हीं है कि हर मामले में कुछ महीने तक तो निर्वाह की राशि दी जाती है और बाद में बन्द कर दी जाती है। महिलाओं को कुछ नहीं मिलता।

अत: मैं यह कह कर समाप्त करती हूं कि माननीय विधि मन्त्री जी विधेयक को अभी रोक लें। कृपया उसके बारे में अधिक विचार करके विधेयकको अधिक शक्तिशाली बनाकर पारित करें ताकि यह अधिक प्रभावी हो।

यह विधेयक प्रभावी नहीं है।

एक प्रवर समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा जो चाहती है उसे मैंने नोटकर लिया है। माननीय सदस्य चाहतेहैं कि सभा शीघ्र स्थगित की जाए। अत: मेरा प्रस्ताव यह है इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होनेके बाद हम सिक्किम और पंजाब सम्बन्धी उदघोषणायें लेगे और सभा 7.30 म. प. स्थगित की जा सकती है।

इस बिलपर अभी श्री हरीश कुमार गंगवार और श्री वनातवाला और बोलने वाले हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, मैं इस कुटुम्ब न्यायालय विधेयक का स्वागत करता हूं। इसके सम्बन्ध में वहुत सी बातें कही जा चुकी हैं जिनको मैं दोहराऊंगा नही यह बात बिल्कुल सही है कि तलाक आदि के मामले में और विवाह से उत्पन्न अन्य मामलों में आजकल के कोर्टस में बहुत देर लगती थी, साथ ही अभिभावक नियुक्त करने में, संरक्षक नियुक्त करने में भी बहुत देर लगती थी। इस बिल में जज के रूप में नियुक्ति के लिए जो अर्हतायें दीगई हैं उसमें महिलाओं को प्रेफरेंस दिय गया है, इससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन एक बात में कहना चाहता हूं। इस बिल में सेक्सन (4) में जो अर्हतायें दी गई हैं, उसके अनुरूप महिलाओं को ढूंढ़ना मुश्किल हो जायेगा। इसमें लिखा हुआ है :

(क) भारत में किसी न्यायिक पद पर या किसी अधिकरण के सदस्य के पद पर या संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो, कम से कम सात वर्ष तक रहा हो, या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का कमसे कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें रखता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से निहित की जायें।

मेरा कहना यह है कि अगर इसमें सात वर्ष तक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को भी शामिल कर लिया जाए, जिसकी चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अच्छी प्रैक्टिस रही हो, तो ऐसी महिलाओं का मिल पाना अधिक सुनिश्चित हो जाएगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : इसका मतलब यह नहीं है कि हाइकोर्ट में ही प्रैक्टिस करता रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस भी मानी जायेगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप इस लाइन को फिरसे पढ़ लें। उसके बाद श्रीमन, निर्णय दें कि इसका क्या अर्थ निकलता है ?

"किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।"

इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कही दिखाई नहीं देतीहै। इसलिए इसमें मैं समझता हूं कन्फ्यूजन है जिसको दूर करना चाहिए।

दूसरी बात यह कही गई है कि दस लाख की आबादी वाले स्थानों के लिए कोर्ट्स की स्थापना की जायेगी और कुछ अन्य जगहों पर की जायेगी लेकिन दस लाख की आबादी वाले जिले हतारे यहां काफी हैं, वह छूट जायेंगे। अगर आप दस लाख के बजाए 5 लाख कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा—यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वकीलों को दूर रखा गया है। उनको कोर्ट में जाने से रोका गया है। आजकल जबकि हमारे देश में 80-85 फीसदी आबादी देहातों में रहती है, उन लोगों को कानून का बिल्कुल भी पता नहीं होता है, गैर कानूनी तरीके से वे अपनी दरखास्त लिख कर फंस जाते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष इन्तजाम करना चाहिए। समाजकल्याण संगठनों के प्रतिनिधि भी बात नहीं कर पायेंगे, जो एक कानून का ज्ञाता कर सकता है। इसलिए मैं मन्त्री जी से अपेक्षा रखता हूं कि वे इस बिल को वापिस ले लें और एक काम्प्रिहैंसिव्ह बिल लायें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्रावधान आपने इस बिल में निहित किए हैं, उनसे आपका मनोरथ पूरा होने वाला नहीं है। आप हर जगह पायेंगे कि डैलिकेटेड लेजिसलेशन है, यह कोई अच्छी बात नहीं हैं। किस प्रकार के रूल्स बनेंगे, और कितने दिनों के बाद व्यवहार में आयेंगे। इस प्रकार जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा।

इसके अलावा मैं यह चाहता था बजाय इसके कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं 1 तारीख को मुकर्रिर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। पता नहीं आप कब इस कोर्ट इस्टैब्लिश करेंगे। इनकी नीयत जानें और दीन—ईमान जानें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं इतना संतोष जरूर है कि ये इसको पास करेंगे और जब हम आयेंगे तो लागू करेंगे।

श्री जी० एम० बगातवाला (पोन्नानवी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पारिवारिक झगड़ों को शीघ्र हल करने और परस्पर समझौते का प्रयास करने के प्रशासनीय उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं कि हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली के अंतर्गत

समस्याओं का शीघ्र समाज और न्यायोचित हल निकलने में देरी होती है। साधारण व्यक्ति के लिये न्यायालयों में निर्धारित अवधि में न्याय प्राप्त करना असंभव है। पारिवारिक झगड़ों में संबधित पक्ष लम्बे समय तक मुकदमों की प्रक्रिया मेंही उलझे रहते हैं। अत: माननीय मंत्री ने इस विषय में प्रशंसनीय कदम उठाया है । 1976 में भी परिवार संबंधी झगड़ों के लिये विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता में सशोधन किया गया था। लेकिन पारिवारिक झगड़ों से संबंधी प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवतन नहीं हुआ है। अत: मैं नहीं जानता कि इस प्रक्रियां कुटुम्ब न्यायालय में शामिल किया जा रहा है बास्तव में कहां तक स्थिति में सुधार होगा। फिर भी मैं यहां पर जोर दूंगा कि इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कानून की सफलता, कानून चलाने वाले प्रशासकों पर निर्भर हैं। अत : इन कानून को क्रियान्वित एवं न्यायाधीशों को सौपी जानी चाहिए जो न सिर्फ कानून की इस विशेष शाखा का अच्छा ज्ञान रखते हों अपितु जिनकी उचित वचन वद्धता हो तथा जो व्यवहारिक हो और इस प्रकार के मामलों में पूरी तरह प्रशिक्षित हों।

प्रो. मधु दंडवते : और जो पारिवारिक झगड़ों से भी परिचित हों ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं यहां पर विधि आयोग के 59 वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की ओर इस सम्मानीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधि आयोग ने अपने 59 वें प्रतिवेदन से पृष्ठ 13 पर कहा है :

> "हमारा सुझाव है कि राज्यों को यथा समय कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना पर विचार करना चाहिए। इसके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जो कानून के सुविज्ञ तो होंगे ही उन्हें झगड़ों को माननीय ढंग से निपटाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ।

अत: मैं इस तथ्य पर जोर दूंगा कि विधेयक के अपने :उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम बन जाने के पश्चात इन न्यायालयों में बड़ी सावधानी पूर्वक न्यायाधीशों का चुनाव होना चाहिए—

प्रो० एन० एम० जी० टेगोर (गुटुर) : यह ठीक है।

श्री ए. जी.एम. बनातवाला : मैं यह भी कहूंगा कि चूनीदा न्यायाधिकारियों को ही कुटुम्ब न्यायालय में नियुक्त किया जाना चाहिए। निसंदेह उन्हें कुटुम्ब कानूनों और परम्पराओं की पूरी जान कारी होनी चाहिए। एक मुद्दा और है जिसे ध्यान में रखना चाहिये । विभिन्न धार्मिक समुदाय विशेष रूप में मुसलमानों के अपने वैयक्तिक कानून है। कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीशों को इन वैयक्तिक कानूनों में पारंगत होना चाहिये। और इसके अलावा न्यायाधीश ही वह व्तक्ति है जो कि इन कानूनों की व्यवस्था के प्रति पूर्णतया वचनवद्ध है जिसे इसका ज्ञान है तथा इनमें विश्वास हैं। वही अर्थपूर्ण सुलह करवाने में समर्थ होगा तथा अन्तत उसी से समाज को फायदा पहुंचायेगा अत: जिस विवाद में पक्षकार किसी विशेष वैयक्तिक कानून को मानने वाले हैं उसके न्यायाधीश भी उसी वैयक्तिक कानून को मानने वाला होना चाहिए।

इस विषय में मैंने एक संशोधन की सूचना दे दी है जिसे मैं उचित समय पर पेश करूंगा और आपकी इजाजत से उस पर ब्यौरें में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर अभी बोल सकते हैं।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : वह सविस्तार बोल चुके हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप हमें उखाड़ने की कोशिश कर रहे है । मैं आपको बेचैन करने की कोशिश कर रहा हूं।

विधेयक का एक उद्देश्य विवाद को शीघ्र निपटाना हैं। यह एक प्रसंसनीय उद्देश्य है, विशेष रूप से कुटुम्ब विवादों के मामलों में। ऐसे विवादों का वर्षों तक चलते रहना एक अस्वस्थकर प्रवृत्ति है।

इस विधेयक में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त हो जानी चायिए, इस विधेयक में ही यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि कार्यवाही जितनी जल्दी हो सके समाप्त की जानी चाहिए जैसा कि आप चाहते है मैं अपना भाषण समाप्त करूं। लेकिन साथ ही—

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यह बहुत संगत है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : साथ ही विधेयक में ही ऐसा प्रावधान कर यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि ये कार्यवाहियाँ इसके आरंभ होने की तिथि से 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि में ही समाप्त हो जानी चाहिए।—

प्रो. एन. जी. रंगा : बहुत अच्छे।

श्री जी. एम. बनातवाला : इस संबंध मेरा अन्य संशोधन भी जिसके बारे में मैं उपयुक्त समय पर विस्तार से बोलूगा।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कानून कुछ जटिल हैं। माननीय सदस्या श्रीमती शीला गोपालन ने कहा है कि निशुल्क कानूनी सहायता का उपबन्ध भी किया जाना चाहिए। लेकिन विधेयक में यह उपबन्ध नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं उनके विचार का समर्थन करता।

धन्यवाद।

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया है। यह विधेयक वर्तमान लोक सभा के अन्तिम सत्र के अन्तिम दिन पेश किया गया है। चूंकि कार्य अधिक है अत: सदन को इसको शीघ्र पारित करना है। तथापि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसमें असफल विवाह कारण उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। परिवार न्यायालयों का कार्य भार कम करेंगे तथा विवादों का तुरन्त निपटारा करेंगे।

विधि आयोग ने बहुत पहले 1974 में इन कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने की सिफारिश की थी लेकिन समाज कल्याण संगठनों और महिला संस्थाओं द्वारा दबाव डाले जाने के कारण सरकार ने 10 वर्षों के पश्चात यह कानून प्रस्तुत किया है। विधि आयोग ने इस बात पर बल दिया था कि पारिवारिक विवादों का निपटारा करते समय न्यायालयों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए उन्हें मात्र तकनिकियों में नही जाना चाहिए अपितु विवादों को निपटाने के लिए उन्हें समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं जिसमें न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी चिकित्सक या ऐसे व्यक्ति विशेषकर महिला जिनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है अथवा ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्त्ता है, सेवाएं प्राप्त करे जो न्यायालय को अपने कार्य निपटाने के लिए किसी परिवार की भलाई करने में सलग्न हो।

यह एक अच्छा उपबन्ध है जिससे वकील करने का अधिकार समाप्त हो गया है। इससे विवादों का शीघ्र निपटान होगा। आरम्भ में यह न्यायालय कम से कम 10 लाख की आबादी वाले नगरों या केन्द्रों में स्थापित किए जाएंगे। मेरा सुझाव है कि इस सुविधा और अधिक क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को यह सुविधा सुलभ हो सके।

समाज कल्याण संस्थाओं अथवा संगठनों को इन न्यायालयों में शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह सुझाव दूंगी कि विवादों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। आप जानते हैं कि 1960 के दशक के प्रारम्भ में लोक सभा के के कुछ सदस्यों ने स्कैंडिनेविया देशों का अनुसरण करते हुए कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। उस समय मुख्य उद्देश्य यह था कि विशेष रूप से बलात्कार के मामलों में सुनवायी बन्द कमरे में होनी चाहिए तथा उन्हे प्रचार से बचाना चाहिए। बाद में दहेज अपराधों के संकट ने गंभीर रूप धारण कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या और यहां तक कि हत्या के मामले होने लगे। हम चाहते हैं कि कुटुम्ब न्यायालयों को कैसे अपराध के मामले भी निपटाने चाहिये।

अन्त में मैं यह सुझाव दूंगी कि इस विधेयक ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि यह कानून मुसलमान स्त्री पर लागू होता है। या नहीं। यह कानून सभी महिलाओं पर चाहें वे किसी भी धर्म की हों, लागू किया जाना चाहिए।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, फेमिली कोर्ट बिल पर बोलते हुए मैं अपनी भावनाएं सदन के सामने रखना चाहती हूं। यह चिंता का विषय रहा है कि आज की हमारी न्यायालयीन व्यवस्था परिवार और समाज में महिलाओं तथा बच्चों को उचित समय में न्याय दिलाने में असफल रही हैं। इसीलिए फैमिली कोर्ट की मांग जोरदार ढंग से उभरकर आई। इस विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। महिलाओं और बच्चों को सरक्षण प्रदान करने के लिए खास कर महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, न्याय देने के लिए यह विधेयक सदन के सामने आया है। मैं समझती हूं कि आजादी के बाद देश में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत से कानून बनाये गये जो कि ना काम रहे।

आज भी फेमिली कोर्ट विधेयक लाया गया है। इस तरह से एक सामाजिक अभियान महिलाओं के उत्थान के लिए चलाया जा रहा है,उसी का एक छोटा सा हिस्सा यह बिल के जरिये यहाँ येश किया जा रहा है।

इस विधेयक के बारे में काफी बातें बताई जा कुकी हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन जब हम सब महिला सदस्य बात कर रहीं थी तो हमारे मन में यह बात आई थी कि सिर्फ परिवार में जो डिस्प्यूट्स या डायवर्स होते है, उसके लिए ही यह फैमिली कोर्ट कायम किया जा रहा है।

रेप और डाउरी आदि केसेज के लिए इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, जहां तक मेरा मालूमात है कि क्रिमिनल केसेज के लिए यह कोर्ट काम नहीं करेगा। सिविल कोर्ट की तरह यह काम करेगा। लेकिन यहां मैं कहना चाहतीं हूं कि काफी परिवार के डिस्प्यूट्स या डायवर्स की डायरी से मिले जुले रहते हैं। डायरी के कारण डिस्प्यूट होते हैं। डायरी के केसेज क्रिमनल नही हैं। इसको भी इस कोर्ट चलाया जाय। यह सुझाव मैं देना चाहती हूं।

इसी तरह अभी हमारे एक भाई ने यहाँ बताया कि टाइमलिमिट नहीं दी गई है।। इस लिए मेरा एक सुझाव है कि 6 महीने का समय तय कर देना चाहिए। और अपील के लिए तीन महीने का समय तय कर देना चाहिए ऐसा संशोधन करना आव श्यक है।

इसके अलावा गरीब घर की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, आदिवासी हरिजन महिलाएं अपने न्याय का खर्चा वहन नहीं कर सकतीं। वैसे भी जो महिलाएं कमाती भी हैं तो अपनी कमाई पति को ही देती है।

इसलिए भी उनके पास आर्थिक कठिनाइयाँ रहती है इसलिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था आवश्यक है। तभी ये न्यायालय अपना काम कर सकते हैं।

इसने साथ ही एक वात और कहना चाहती हूं कि जजेज जो रक्खे जाएं वे ज्यादातर महिलाएं हो। और वे महिलाएं कोई कानून कीपडित न हो कर सामाजिक कार्यकर्ता हों। ऐसी महिलाएं जो महिलाओं की समस्याओं से भली–भांति वाकिफ हों इस तरह की महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।

इसी तरह से दस लाख की आवादी की बात कही गई हैं। उसके नीचे लिखा गया है कि जहां-जहां आवश्यक होगा वहाँ ये कोर्टस स्थापित किए जाएंगे। मेरे ख्याल से इसको ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्कयता है। अन्यथा कई प्रांत ऐसे है जहां पर 10 लाख की आबादी वाला कोई शहर ही नहीं है। इस तरह से उन प्रांतों में एक भी फैमिली कोर्ट नहीं खुल सकेगा।

अन्त मैं यह कहना चाहती हूं कि आजादी के बाद से कई कानून महिलाओं की भलाई के लिए वनाए गए हैं। अभी एक हमारे अपोजीशन के भाई वोल रहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे तभी यह काम होगा। मेरे विचार से भारत की इस महान संसद में महिलाओं के कल्याण

के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के कानून के बारे में यह संशोधन लाने का एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है। इसमें सभी पक्ष की सभी महिला सदस्य और भाई मौजुद थे। सबने खुले दिल से उसका स्वागत किया है।

इस संसद ने बड़े गौरवपूर्ण काम महिलाओं के बारे में किए कानून मे प्रभावी ससोधन किए हैं और पूरे समाज के सामने उसको रखकर हम लोग जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोइ इस तरह की बात करता है तो उससे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आशा करतीं हूं कि जैसे और बहुत सारे कानूनों में सँशोधन लाए गए हैं, ऐसे ही यह भी सिविल कोर्ट न बनें।

नही तो कहावत है कि 'बाहर के लोग घर में झगड़ा ज्यादा लगाते हैं। कहीं यह भी वैसा हीं न बने जैसी कि आज हमारी न्याय और पुलिस व्यवस्था है, जहां जाने की आम आदमी हिम्मत नहीं करता। सिविल कोर्ट न बनकर ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टीकल बने, इसी आशा के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं। धन्यवाद।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आरम्भिक टिप्पणी में पहले भी कह चुका हूं कि महिला संगठनों के अत्यधिक दबाव के कारण यह विधेयक लाया गया है। ये संस्थायें चाहती हैं कि कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जायं। विभिन्न मंत्रालयों से इस विधेयक को स्वीकृत कराने में बहुत कठिनाई हुई थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में संयुक्त समिति ने भी इस बात की सिफारिश की थी तथा विधि आयोग ने भी यह कहा था कि कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

इसीलिए हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और हमने यह विधेयक अच्छी नियत से प्रस्तुत किया है। किन्तु अब मुझे माननीया महिला सदस्यों के इस कथन पर आश्चर्य हो रहा है कि हम लोगों ने इसके संबन्धा में जल्दबाजी की है, इसके बारे में जनता की राय ली जानी चाहिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, आदि, आदि। मेरे विचार से इस तर्क में कुछ विरोधाभास है। या तो हम कुटुम्ब न्यायालय चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं।

श्रीमती प्रमिला दन्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : हम लोग कुटुम्ब न्यायालय चाहते हैं किन्तु विधेयक का प्रारूप ढंग से तैयार किया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे व्यवधान डाले बिना सुने। हमारे पास समय की वैसे ही कमी है। मैं यथासंभव अधिक से अधिक मुद्दे लेने की चेष्टा करूंगा।

इसलिए, सभा के प्रति मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को अथवा जनता की राय जानने के लिए भेजने की मांग करना असंगत है और मुझे भय है कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा एक अन्य आपत्ति उठाई गई है कि 'आपने जिस प्रकार विधेयक को परिचालित करने की चेष्टा की है, उसका तरीका देखिये। उद्देश्यों और

कारणों का प्रावधान नहीं किया है।' मेरे विचार हैं कि वह बहुत पुरानी संसद सदस्य हैं । यह विधेयक राज्य सभा में पुन: स्थापित किया गया था ।

एक माननीय सदस्य : अनुभवी संसद सदस्य हैं । पुरानी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने "वृद्ध महिला कहा होता, तो मैं आपत्ति करता ।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो भी विधेयक राज्य सभा में पुरस्थापित किये जाते हैं अथवा इस सन्दर्भ में किसी भी सभा में रखें जाते हैं वे साधारणतया दूसरी सभा में यथा पारित रूप में ही पुर:स्थापित किये जाते हैं । यह विधेयक उसी रूप में यहाँ पुरस्थापित किया गया है जिस रूप में वह राज्यसभा में पारित किया गया है । हो सकता है कि मैं गलती पर होऊं आम तौर पर इन विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों को नहीं दोहराया जाता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हाँ, उन्हें कभी दोहराया नहीं जाता है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हे दोहराया जाना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : यदि उसे दोहराने की बात है तो ऐसा भविष्य में किया जाएगा । किन्तु, इस समय हमारा इरादा उसके उद्देश्यो को और कारणों को न देने के पीछे इन्कार का नहीं है ।

इसके अतिरिक्तएक दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि हम लोगों ने अन्य अपारधिक मामले इन न्यायालयों को क्यों नही दिए हैं । क्या मुझे प्रस्तावना की ओर ध्यान दिलाना होगा? यदि ऐसा किया गया तो सारी धारणा ही बदल जाएगी । प्रास्तावना में यह है कि 'इन कुटुम्ब न्यायालयों की प्रतिष्ठापना विवाह तथा परिवार सम्बन्धी विवादों का समाधान करने तथा शीघ्रतापूर्वक निपटाये जाने के उद्देश्य से की गई है ।" अब, यदि हम अपराध तथा दंड विधान को इसमें सम्मिलित करेंगे तो वे कुटुम्ब न्यायालय नहीं रह जायेंगे । कुटुम्ब न्यायालय की प्रमुख धारणा यह है कि उसमें समग्र रूप से इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि "विवादों का निपटारा किया जाय क्योंकि परिवार सम्बन्धी मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं" और यदि मुझे ठीक से याद है, सभी महिला संगठन यह कहते रहें हैं कि जिन न्यायालयों में परिवार सम्बन्धी मामलों का निर्णय लिया जाता है उन न्यायालयों का वातावरण न्यायालयों में व्याप्त वातावरण से भिन्न होना चाहिए ।

जैसा कि मैंने एक बार कहा था, यदि हम आपराधिक मुकदमों और दण्ड विधानों, बलात्कार, अपहरण आदि को भी इनमें शामिल कर ले तो वे न्यायालय भी सामान्य न्यायालयों के समान हो जायेगें और कुटुम्ब न्यायालयों की समग्र धारणा ही बदल जायेगी । जैसा कि इस विधेयक में ही दर्शाया गया है कि इन न्यायालयों के गठन में यह मान लिया गया है कि सुलह की स्थिति में, कल्याण संगठन, महिला संगठन, चिकित्सा तथा अन्य विषयों के विशेषज्ञ, मामले के जानकार तथा परिवार के सदस्य तथा, अन्य व्यक्ति इन न्यायालयों से हमेशा सम्बद्ध रह सकते हैं ।

यह एक प्रकार की पंचायत है जिसमें एक व्यक्ति पीठासीन होता है और जिसे आदेश होता है कि 'कृपया पारिवारिक विवादों को अनौपचारिक रूप से हल करने का प्रयत्न करें।"

यही मूल उद्देश्य है। हम इस प्रकार के न्यायालय पहली दफा स्थापित कर रहे हैं। यह प्रयोगात्मक उपाय है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि छोटी जगहों पर इन महिला संगठनों, परिवार विशेषज्ञों आदि का सहयोग बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति सभी संगठन, जिनके कि ये माननीय संसद सदस्य और अन्य व्यक्ति सदस्य हैं, वे भी केवल महानगरों में ही उपलब्ध हैं। हम इन महिलाओं, संगठनों और विशेषज्ञों का सहयोग लेना चाहते है, ताकि वे विवादों को हल कर सकें।

मैं महसूस करताहूं कि हमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि साथ ही, इस विषय पर समाज और कल्याण मन्त्रालय, मेरे मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय ओर महिला संगठनों के बीच कई दफा विचार बिमर्श हुआ है और वहां बार-बार इस प्रश्न पर विचार हुआ है कि क्या हम इन न्यायालयों को आपराधिक मामलों का भी क्षेत्राधिकार प्रदान कर सामान्य न्यायालयों के रूप में परिवर्तित कर दें ? हम दण्ड प्रक्रिया संहिता से केवल एक ही मामला इसमें सम्मिलित कर रहे हैं और वह निर्वाह से सम्बन्धित है। अन्यथा यह शादी, शादी का निराकरण, शादी की वैधता, बच्चों के अभिभावक और रखरखाव संबंधी मामले आदि सुलझायेगा।

यहां दहेज सम्बन्धी मामले सुलझाये जायेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इसमें दहेजके लिए दी जाने वाली सजा को शामिल करना चाहते। इसीलिए मैंने कहा कि हमने किसी उद्देश्य से ही इसे आपराधिक क्षेत्राधिकार, और उन सभी मामलों से जो शादी से ही पैदा होते हैं, से परे रखा है। असल में यह हमारा विचार है।

एक अन्य बात है ; हमें उचित प्रकार के न्यायाधीश कहांसे प्राप्त होंगे ? यह सही है। मैं भी समझता हूं कि इसमें काफी मुश्किलें हैं। सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए हमें काफी सोच-विचार करनी पड़ेगी। अगर हमें ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते तो मुझे इसमें कोई शक नहीं हैकि हम अपने इस प्रयोग में असफल हो जायेंगे। हमने कहा है कि उन व्यक्तियों को ढूंढने में हर सम्भव प्रयास किया जाएगा, जो कि इस कार्य के प्रति निष्ठावान हों। क्या हम, उन्हें ढूंढ़ पाने में सफल होते हैं और क्या राज्य और चच्च न्यायालय उन्हें ढूंढ पाने में सफल होते है यह ऐसा प्रश्न है, जिसमें काफी मेहनत और प्रयास करना होगा। यह तो मात्र एक शुरुआत है : लेकिन कभी न कभी तो शुरुआत करनी ही होगी। अगर आज ऐसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते, तो शायद कल उपलब्ध हो जायें। आइए, शुरुआत तो करें और देखें कि विवाद हल हो सकें।

विधेयक में भी कहा गया है :

"यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा कि उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जो विवाह के बन्धन की संरचना करने और उसे बनाए रखने की और बालकों के कल्याण की आवश्यकता के लिए वचनवद्ध हैं, जो सुलह और

परामर्श द्वारा विवाद तय कराने के अपने अनुभव और विशेषता के कारण अर्हित हैं··· ।"

हमारा प्रयास यह होगा : मुश्किल कार्य होने के बावजूद भी हम उन्हें ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे, यही हमारा प्रयास है ।

हमारे विरुद्ध एक अन्य आलोचना की गई है 'कि आप सारे राष्ट्र में इस प्रकार के न्यातालय स्थापित क्यों नहीं करते ।'

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : अगर आप इस कार्य को इतना मुश्किल समझते हैं तो आपने आयु सीमा क्यों रखी हुई है ? आपने 62 वर्ष की आयु सीमा क्यों रखी है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : 62 वर्ष सेवा निवृत्त होने की आयु है ।

श्री सतीश अग्रवाल : लेकिन इसके विपरीत, ऐसे मामलों में 55 या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे ।

श्री जगन्नाथ कौशल : उस हालत में, हमें 60 या 62 वर्ष की आयु के पश्चात लोगों को भर्ती करने के बारे में सोचना पड़ेगा । मुझे खेद है कि यह एक असम्भव प्रस्ताव है । क्या मैं आप को कारण बताऊं ? जिन व्यक्तियों को कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायधीश बनने के अवसर काफी सीमित होंगे, क्योंकि उनका विधिकी किसी खास शाखा में ही अनुभव होगा । हमने 62 वर्ष की आयुसीमा रखी है जोकि उच्च न्याया-लय के न्यायथीशो की आयुसीमा से संगत है । अन्यथा न्यायिक सेवा के लोग 58 वर्ष मेंही सेवा निवृत्त हो जाते है, यही इसके पीछे तर्क है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी तो आपकी ओर देख रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : अध्यक्ष जी मेरी ओर इसलिए देख रहे हैं कि मैं अब बहस खत्म करू । उनका यही कहना हैं ।

अन्य सामान्य न्यायालयों की तरह इसकी कार्यवाही लटकी नहीं रहेगी । हां, तो हम एक बार फिर यह भूल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में यह अन्तर्निहित है कि इन न्यायालयों में केवल कुटुम्ब विवादों को ही लिया जायेगा और इसलिए अन्य किसी प्रकार के विधान द्वारा इन्हे लट-काया नहीं जायेगा ।

अत:, मामलों का शीघ्र निपटान इसमें अन्तर्निहित हैं । हमने वकीलों को क्यों निकाल दिया है ? यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हो सकता हैं, परन्तु अनुभव यह कहता है कि जब दोनों ओर से वकील होते हैं तो, कमजोर पक्ष मामले को बहुत लम्बा खीचने का प्रयास करता है और हमें उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है । हमारा साथही एक विचार यह हैं कि सुलह अवस्था में इन लोगों की क्यों आकश्यकता होती है ? हम कार्यवाहियों को प्रतिकूल बनाना नही चाहते हैं। इसीलिए हम वकीलों को बाहर रख रहे हैं । इसका स्वागत भी हुआ है और आलोचना भी ।

परन्तु माँग यह की गई है कि नि:शुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। स्पष्ट है कि नि:शुल्क कानूनी सहायता की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि यदि आप नि:शुल्क कानूनी सहायता योजना को जानते हैं तो, आय आदि की किसी प्रकार की सीमा के बिना महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता की अनुमति होती है और वकील को छोड़कर उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। नि:शुल्क कानूनी सहायता तो स्पष्ट रूप से मिलेगी क्योंकि न्यायमूर्ति भगवती द्वारा तैयार की गई केन्द्रीय योजना के अनुसार इसे सभी न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया है। और फिर इसमें यह कहा गया है। जहाँ तक न्यायधीशों की बात है उनके बारे में भी मैंने यह कहा है कि महिला न्यायाधीशों को वरीयता दी जायेगी, और मैं फिर कहता हूं कि यदि हम अधिक महिलाएं नियुक्त करने की स्थिति में हों तभी।

अत: हमारा प्रयास यह है कि हमारे इरादों पर सन्देह न किया जाय। दूसरी ओर, मैंने एक विशिष्ट मामले पर विचार किया कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रगतिवादी और एक प्रकार का क्रान्तिकारी उपाय है।

मेरी सभा से प्रार्थना है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" विवाह और कौटुम्बिक बातों से संबंधित विवादों से सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुम्ब-न्यायालय स्थापित करने का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खण्ड 3

श्री जी० एम० बनात वाला (फौन्नानी में प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2

(i) पंक्ति 16

"से परामर्श" करने के पश्चात शब्दों के स्थान पर

"की सहमति से" शब्द प्रति स्थापित किये जायें।

(ii) पंक्ति 22,

"से परामर्श करने के पश्चात" शब्दों के स्थान पर
"कि सहमति से" शब्द प्रति स्थापित किये जायें। (1)

श्रीमति सुशीला गोपालन (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ पंक्ति 17 से 19

"राज्य में किसी नगर या कस्बे के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिए जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है,

के स्थान पर

"प्रत्येक जिले के लिए" प्रति स्थापित किया जाए। (4)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनात वाला और श्रीमति गोपालन द्वारा रखे गये संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 4 मतदान के लिए रखे गये
और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

" कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"होगा, जब वह" शब्दों के स्थान पर "होगा, जब उसे
स्वीय विधि का विशिष्ट ज्ञान हो तथा वह शब्द प्रति स्थापित किया जाए

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं प्रस्ताव करती हूं।

पंक्ति 3·

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

(3) साक्ष्य लेने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए कानूनी कार्मिकों, समाजिक कार्यकर्ताओं से मिल कर सात सदस्यों का एक जूरी-मंडल होगा, जिनमें से कम से कम तीन महिलाएं होंगी।"

जब मैं इस पर बोली थी तो मैंने इसकी व्याख्या की थी क्योंकि आप कह रहे हैं कि यह अन्य न्यालयों की तरह नहीं है। परन्तु हम समझते हैं कि यदि उसमें कुछ विधिवेत्ता भी होंगे तो

साक्ष्य लेते समय वे सार्थक, उद्देश्य परक कार्य कर सकते हैं और उस न्यायाधीशों को सही निर्णयों पर पहुचने में सहायता मिलेगी और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप इस समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहें हैं। अत., जूरी का होना अनिवार्य है।

श्री जगन्नाथ कौशल : जूरी की एक भिन्न परिकल्पना है। यह सुलह की बात है। हम उनकी उपस्थिति का फायदा उठायेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी० एम० बनातवाला और श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा खन्ड 4 में दिए गए संशोधन संख्या 2 और 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 और 5 के लिए रखे

गए तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 के विधेयक अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 7

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड को लेते हैं। श्री जी० एम० बनातवाला

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएं—

(3) जहां स्पष्टीकरण में उल्लिखित स्वरूप के किसी वाद अथवा कार्यवाहियों से सम्बन्द्ध पक्षकार, उनको लागू होने वाली उसी स्वीय विधि के शासित होते हैं वहां ऐसे वाद अथवा कार्यवाहियों सम्बन्धी अधिकारिता अनन्य से रूप कुटुम्ब न्यायालय में निहित होंगी

जिसमें ऐसा न्यायाधीश होना अथवा न्यायाधीश होंगे जो उसी स्वीय विधि से शासित होना/होंगे।" (3)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम बनातवाला द्वारा रखे गए खण्ड 7 में संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 7 से 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 10

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 10 को लेते हैं । श्री जी एम० बनात वाला।

श्री जी. एम. बनात वाला : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाए ।

(4) "किसी कुटुम्बन्यायालय के समक्ष प्रत्येक वाद या कार्यवाहियों यथा सम्भव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा और वाद या कार्यवाहियों को उनके आरम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खण्ड 10 में रखे गये संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 11 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अब यदि श्रीमती जयन्ती पटनायक मुकदमा दायर करती हूं तो यह किस न्यायालय या किस कुटुम्ब न्यावालय के क्षेत्राधिकार में आयेगा स

6.50 **म. प.**

24 अगस्त 1984 को इंडियन एमरलाइन्स के एक विमान आई० सी० 421 का अपहरण

अध्यक्ष महोदय : अब श्री खुर्शीद आलम खां वक्तव्य देंगे आप इसे कृपया सभा पटल पर रख दें।

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)

मैं 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयर लाइंस के एक विमान का अपहरण होने के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8703/84)

प्रतिलिप्या अधिकार (संशोधन) विधेयक

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, हम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन अधिनियम को बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं। हम उनके साथ सहयोग करते हैं हालांकि वे हम पर यह आरोप लगाते हैं। कि हम उनके साथ सहयोग नहीं करते।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रलयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं :-

"कि प्रलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, और 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

(श्रीमती शीला कौल) मैं प्रस्ताव करती हूं :—

कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बता दें कि यह बिल लाने में इतनी देर क्यों हुई। यह बिल दो साल पहले पास हो जाना चाहिए था। इस विलम्ब के कारण फिल्म उद्योग का इतना नुकसान है, जिसका वर्णन नहीं दिया जा सकता।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री : तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : यह बहुत अच्छा बिल है। आप इसको सपोर्ट करें। हम इस बिल को ले तो आए हैं, आप तो लाए ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.03 म.प.

सिक्किम के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब हम सिक्किम के सम्बन्ध में उद्घोषणा पर विचार करेंगें।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करता हूं कि सिक्किम के सम्बन्ध में यह सांविधिक संकल्प पेश नहीं किया जा सकता। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 356 के साथ पठित नियम 174 की ओर दिलाना चाहता हूं आप देखेंगे कि यह उदघोषणा 24 अथवा 25 नवम्बर तक लागू रहेगी। आज हम इस उदघोषणा को 25 नवम्बर से अर्थात आज से तीन महीने के बाद से जारी रखने के लिए सांविधिक संकल्प पारित कर रहे हैं। आप सदन से ऐसी स्थिति पर विचार करने के लिए कैसे कह सकते हैं जो आज से तीन महीने बाद अर्थात 24 नवम्बर को अथवा उसके बाद पैदा होगी, अभी से यह निर्णय किया जा सकता है कि तब राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए अथवा नहीं?

राष्ट्रपति की उदघोषणा छः महीने के लिए प्रवर्त्तन में रहती है। अभी केवल तीन महीने ही व्यतीत हुए है और तीन महीने अभी शेष हैं। अतः नियम 174 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है

कि प्रस्ताव पेश करने के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग सदन की प्रक्रिया के विपरीत नहीं किया जा सकता आज हमें यह निर्णय लेना है कि क्या इस उदघोषणा को आज से तीन महीने बाद अर्थात 25 नवम्बर के पश्चात लागू रहना चाहिए। अत: यह प्रस्ताव संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुर्पयोग करना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सिक्किम सम्बन्धी उदघोषणा पर अब विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल तीन महीने ही व्यतीत हुए है और इस प्रकार के संकल्प पारित करने से पहले अभी तीन महीने और व्यतीत होने चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि इस उदघोषणा पर अब विचार करने की आवश्यकता क्यों है ? हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि हमें इस सम्बन्ध में समुचित रूप से विचार करना हैं तो सरकार नवम्बर तक इसके लिए प्रतीक्षा करने की स्थिति में क्यों नहीं है ? इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये ताकि हम इस मामले पर उचित ढंग से विचार विमर्श कर सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यदि सदन का सत्र नवम्बर में होने जा रहा है तो इस उदघोषण पर अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह निर्णय कर लिया गया है कि अब सत्र नहीं होगा, तब हम इस पर विचार के लिए तैयार है—

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : इसका निर्णय कौन करता है ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : पंजाब के बारे में दूसरे संकल्प को भी यही स्थिति है। मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने अथवा उसे जारी रखने के विरूद्ध नहीं हूँ किन्तु यदि आप सत्र का आयोजन करने जा रहे हैं जैसा कि हम केन्द्रीय कक्ष में सुन रहे थे कि चुनावों से पहले हम सत्र करेंगे, उस स्थिति में हम उसी सत्र में स्वीकृति दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : जैसा कि उल्लेख किया गया है उस उदघोषणा की छ: महीने की अवधि 25 नवम्बर, 1984 से बढ़ाई जानी है, आप इस समय सीमा को आज बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए 25 नवम्बर, 1984 के पहले वहां एक सरकार बनती है अथवा चुनाव कराये जाते हैं, तब यह संकल्प व्यर्थ हो जायेगा। अत: हम एक ऐसी प्रक्रिया में भाग ले रहे है जिसमें यह संकल्प पूर्णतया व्यर्थ हो सकता है। क्या इस सभा का इस भाँति संचालन किया जाएगा ? मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : संविधान के उपबन्ध के दुरुपयोग की बात तो दूर रही, यह तो एक दूरदर्शिता का कार्य है। हम यह पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमारे सामने कतिपय कठिनाईयां आयेंगी। मैं सदन के सामनेअभी स्पष्ट करूंगा कि वह कौन-सी कठिनाईयां है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्वस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, आपका विनिर्णय हमारे पक्ष में होना चाहिए। कम से कम यह अन्तिम विनिर्णय तो हमारे पक्ष मे हो।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह सरकार कैसे कह सकती है कि प्वाइन्ट आफ आडंर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम कह रहे हैं कि नहीं है इस में प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रामविलास पासवान : एक बात तो कहें कि अगला सैशन होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : होगा तो आ जाएगे। उसमें कहने की क्या बात है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सिक्किम राज्य के संबंध में 25 मई 1984 को जारी की गई उदघोषणा का प्रवर्तन 25 नवम्बर, 1984 से 6 महीनों की और अवधि के लिये जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा सभा को जाता है सिक्किम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जरुरी उद्घोषणा और राज्य विधान मन्डल को भंग किये जाने संसद ने 23 जुलाई 1984 को अनुरोध कर दिया गया।

उद्घोषणा 25 मई 1954 को जारी की गई थी और 24 नवम्बर 1984 तक वैध है राज्य विधान सभा का पांच वर्ष का कार्यकाल अक्तूबर 1984 में समाप्त हो रहा है। तथापि राज्यपाल ने संकेत दिया है कि राज्य विधान मण्डल में लोगों के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दोरे के बारे में राज्य में कई ऐसे सवैधानिक महत्व के मामले उठाये जा रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जब इन मामलों पर विचार हो रहा है तो ऐसे समय में चूनाव प्रक्रिया आरम्भ करने तनाव बढ़ सकता है और विद्वेष फैल सकता है जिस से वातावरण दूषित हो जाएगा राज्य में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने सिफारिश की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 24 नवम्बर 1984 सेछः महीने के लिए ओरबढ़ा दी जाए। आपसी जौहार्य और समझ बूझ की स्थिति पैदा करने और सिक्कम के लोगों के विभिन्न वर्गों के सच्चे हित में इन मामलों को समझने के लिए और साथ ही राष्ट्र के समग्र हित को अनुरूप कार्य करने के सभी प्रयास जारी रहेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि राज्य संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 25 मई 1984 को जारीकी गई उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाये जिसके अनुसार राष्ट्रपति शासन की अवधि की 24 नम्बर से छः महीने के लिए और बढ़ाया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत सिक्किम राज्य के संबंध में 25 मई 1984 को जारी की गई विधान मंडल के भंग किये जाने की उद्घोषणा में परि-

वर्तन 25 नवम्बर, 1984 से 6 महीने की अवधि का और कार्यकाल जारी रखने का अनुमोदन करती हूं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

7.10 **म. प.**

पंजाब के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में साँविधिक संकल्प

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रवर्तन 6 अक्तूबर, 1984 से 6 महीने की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 6 अक्तुबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रवर्तन 6 अक्तूबर, 1984 से 6 महीने की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समापन टिप्पणियाँ

7.12 **म. प-**

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, यह जो नवम्बर से आगे तक की मंजूरी ले ली है इसका मतलब यह है कि दोबारा इस पार्लमेंट का सैशन तो होना ही नहीं हैं। आज हम आखिरी दफा मिल रहे है तो हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर दें। अध्यक्ष जी, आपकी बड़ी मेहरवानी, आपने इस हाउस से सिर्फ मुझे ही निकाला आठ दिन के लिए और किसी को भी नहीं निकाला।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने आपको बहुत तकलीफ दी लेकिन यह डिमोक्रैसी की रक्षा के लिये किया क्योंकि सरकार डिमोक्रैसी खत्म करना चाहती थी। आपको हमसे दु ख पहुंचा हो तो हमें क्षमा करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इस सदन को बहुत अच्छी तरह से चलाने की व्यवस्था की।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में

उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मेरा सभी संसद सदस्यों से अनुरोध है कि वे कमरा संख्या 70 में 8.30 म.प. रात के भोजन में शामिल हों ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपके दिल में कुछ संशय हो कि सदन की बैठक दोबारा होगी या नहीं तो वह तो जैसा भी होगा देखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जितने दिन आप सेशन चलाते हैं मुझे खुशी होती है, जब सेशन नहीं होता है तो मैं उदास हो जाता हूं ।

जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने इधर से, उधर से, नेतागणों ने, हर एक ग्रुप के लीडर्स ने मेरे प्रति जो सदभाव दिखाया और आपने मुझे जो आदर, मान और कोआपरेशन दिया है उसके लिए मैं आप सभी का बड़ा आभारी हूं । मैं समझता हूं आपने बहुत भारी कृपा की इस हाउस को चलाने में और मेरे सामने कभी कोई दुविधा नहीं आई । कभी कभी थोड़ी बहुत नर्मी गर्मी होती ही रहती है लेकिन मन के अन्दर कभी कोई दुर्भावना नहीं आई । बाहर निकलते ही वैसे का वैसा ही हमारा भाईचारा बना रहा है । जिस मही तरीके से आपने इस हाउस को चलाया है उससे प्रभावित होकर मैं यह कहने के लिए तत्पर हूं कि इस देश में प्रजातन्त्र का भविष्य बड़ा उज्जवल है ।

ऐसा सदभाव और भाईचारे का वातावरण मैंने संसार की किसी पार्लियामेंट में नहीं देखा है । इन पाँच वर्षों में हम ने 465 टोटल सिटिंग्ज की हैं, 31,00 घन्टे काम किया है, 340 बिल पास किये हैं, 300 कालिंग एटेन्शन मीशन्ज, 82 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन्ज, 26 प्राइवेट रेजोल्यूशन्ज, 9000 स्टार्ट क्वेश्चन्ज, 94000 अनस्टार्ड क्वेश्चन्ज, 39 प्राइवेट मेम्बर्स बिल्ज और 3000 से ज्यादा मैटर्स-अण्डर-रूल-377 रेज किये गये । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा रिकार्ड है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : एक संख्या रह गई है—225 सदस्यों ने अपने गले खराब कर लिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो 20-25-50 माननीय सदस्य खड़े हो जाते थे, उस समय मेरे गले का क्या हाल हुआ होगा—उस के लिए कुछ व्यवस्था मालिस वगैरह आप लोग कर दीजिए आफ सैशन में ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम लोगों ने गला नहीं दबाया !

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं दबाया । गला गला है, गले से गला लगाना होता है ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं आप के गले के लिए आवश्यक दवाइयाँ दे दूंगा !

अध्यक्ष महोदय : मेरी शुभकामनाएं आप के साथ हैं । आप के प्रति मेरे दिल में आदर

है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना आदर और मान दिया है, यह बहुत बड़ा खजाना है जिस को मैं संजो कर रखूंगा और जिस को मैं अपनी डायरी में लिख कर और छोड़कर जाऊंगा कि ऐसे सज्जन सदस्य थे जिन्होंने इतना प्यार, आदर और सत्कार दिया। आप को बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, आपने जिस ढंग से कार्यवाही का संचालन किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे लिए यह खुशी और संतोष की बात हैं। मैं अपनी ओर से अपने दल कीं ओर से पूरा संतोष व्यक्त करता हूं ओर धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए सोभाग्य की बात है कि आपने ऐसा कार्यवाही संचालन किया।

श्री रामविलास पासवान : हम लोग यंगर-जैनरेशन के हैं, हम लोग समझते हैं कि हम ने आप को सदा तंग किया होगा लेकिन मैं समझता हूं कि आप हम को छोटा भाई समझ कर या अपने छोटे लड़के के तुल्य समझ कर, हम लोगों से जो आप को कष्ट पहुंचाया है, उस के लिए क्षमा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप उतना ही प्यार भी कर लेते थे।

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों की मंशा चेअर को डिफाई करने की नहीं थी और न भविष्य में रहेंगी। हम लोग डयूटी पूरी करते थे। हम लोग आप को जान कर तकलीफ़ देते थे, हम लोग व्यक्त भी करते थे कि हम आप को तकलीफ दे रहे हैं। मैं समझता हूं—भविष्य में आप इस को माइन्ड नहीं कीजियेगा। आप जब अपनी किताब लिखें तो उस में थोड़ा हम लोगों के प्रति प्यार भी लिखियेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसको जरूर लिखूंगा कि इन्होंने मेरी कसम तुड़वाई !

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : रामविलास पासवान ने आज अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी।

अध्यक्ष महोदय : आदमी समझदार है। इस हाउस के पांच साल के अर्से में यह जरूर लिखूंगा कि इन्होंने मेरी कसम तुड़वाई ! उस के लिए मैं इन के खिलाफ जरूर लिखूंगा !

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच के एल भगत) : आप के लिए और आपकी उदारता के लिए सभा में सभी पक्षो की यही भावनाएं हैं। आप उदार तथा अत्यन्त योग्य अध्यक्ष रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी जैसा कह कहे थे, मिलेंगे, तो आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है, तो जरूर मिलेंगे और यहीं मिलेंगे।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : नवम्बर में नहीं मिलेंगे तो उस के बाद मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसी हाउस में मिलेंगे और यहीं मिलेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : जीवन में कही न कहीं तो मिल ही लेंगे ।

श्री पी. राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : हम उपाध्यक्ष को भी धन्यवाद करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

7.20 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।

P. L. S.—48/51/23/84 (एन०)
210

© 1984 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।